गुरुवार, 3 सितम्बर 1981
12 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 14, गरुवार, 3 सितम्बर, 1981/12 भाद्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 263, 265, 269, से 271, 273, और 278	...	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 264, 266 से 268, 272, 274 से 277 और 279 से 282	...	23—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2601 से 2631, 2633 से 2741 और 2743 से 2800	....	33—187
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में		188—193
असम विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1981 के बारे में	....	194—195
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	196—199
राज्य सभा से संदेश	...	—200
याचिका समिति		
चौथा प्रतिवेदन	...	—201
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	....	201—215
दिल्ली स्थित एक जल परिष्करण संयंत्र में लगभग 3 सप्ताह से सड़ रही लाश के पाये जाने के बारे में समाचार		
प्रो० मधु दंडवते	...	201—205
श्री भीष्म नारायण सिंह	...	205—215
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	207--209
श्री मनीराम बागड़ी	...	210—212
श्री राजेश कुमार सिंह	...	213—215
श्री वी० डी० सिंह	...	—215

* किसी नाम पर अंकित यह † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति		
19वां प्रतिवेदन	...	—216
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ताप विजलीघरो में आवश्यक उपकरण लगाये जाने की आवश्यकता ।		
श्री सत्य नारायण जटिया	...	—225
(दो) दक्षिण-पूर्व रेलवे के मछेड़ा स्टेशन के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता		
श्री सत्य गोपाल मिश्र	...	225—226
(तीन) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा श्रम दिवसों की हुई हानि, मजूरी लाभ और मूल्यों के बारे में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट ।		
श्री रामावतार शास्त्री	...	—226
(चार) तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में चमड़े के कारखानों से निस्सारी जल का उपयोग		
श्री एम० मुरुगैयन	...	227—228
(पांच) बिहार के वैशाली जिले में पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि होना		
श्री रास विलास पासवान	...	228—229
(छः) कन्याकुमारी जिले के समुद्री तट पर समुद्र से भूमि कटाव को रोकने के लिए दीवार बनाने के लिए कदम		
श्री एन० डेनिस	...	—229
(सात) कपास की खड़ी फसल को बचाने और लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नहर में पानी का बहाव बढ़ाने की आवश्यकता		
श्री मनफूल सिंह चौधरी	...	—230

विषय		पृष्ठ
(आठ) उत्तर प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत-उपाय		
श्री उमा कान्त मिश्र	...	—230
(नौ) शिवपुरी, मध्य प्रदेश में पुलिस कैम्प में रखी गयी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की स्वीकारोक्ति		
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	—231
(दस) बिहार के शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर कथित अस्वच्छता		
श्रीमती कृष्णा साही	...	—231
(ग्यारह) भिखारियों को रोजगार देकर उनकी स्थिति सुधारने के लिए उपाय		
श्री रामलाल राही	...	—232
सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक		
और		
सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव (सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक)		
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	233—235
आचार्य भगवान देव	...	235—237
श्री के० ए० राजन	...	237—239
श्री वसन्त साठे	....	239—252
खंड 2 से 10 और ।	...	243—252
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में		
श्री वसन्त साठे	....	243—752
वर्तमान मूल्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	...	253—321
श्री आर० वेंकटरामन	...	253—321
श्री सुनील मैत्रा	...	258—264

विषय		पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति		
19वां प्रतिवेदन	...	—216
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ताप बिजलीघरो में आवश्यक उपकरण लगाये जाने की आवश्यकता ।		
श्री सत्य नारायण जटिया	...	—225
(दो) दक्षिण-पूर्व रेलवे के मछेड़ा स्टेशन के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता		
श्री सत्य गोपाल मिश्र	...	225—226
(तीन) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा श्रम दिवसों की हुई हानि, मजूरी लाभ और मूल्यों के बारे में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट ।		
श्री रामावतार शास्त्री	...	—226
(चार) तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में चमड़े के कारखानों से निस्सारी जल का उपयोग		
श्री एम० मुरुगैयन	...	227—228
(पांच) बिहार के वैशाली जिले में पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि होना		
श्री रास विलास पासवान	...	228—229
(छः) कन्याकुमारी जिले के समुद्री तट पर समुद्र से भूमि कटाव को रोकने के लिए दीवार बनाने के लिए कदम		
श्री एन० डेनिस	...	—229
(सात) कपास की खड़ी फसल को बचाने और लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नहर में पानी का बहाव बढ़ाने की आवश्यकता		
श्री मनफूल सिंह चौधरी	...	—230

विषय		पृष्ठ
(आठ) उत्तर प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत-उपाय		
श्री उमा कान्त मिश्र	...	—230
(नौ) शिवपुरी, मध्य प्रदेश में पुलिस कैम्प में रखी गयी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की स्वीकारोक्ति		
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	—231
(दस) बिहार के शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर कथित अस्वच्छता		
श्रीमती कृष्णा साही	...	—231
(ग्यारह) भिखारियों को रोजगार देकर उनकी स्थिति सुधारने के लिए उपाय		
श्री रामलाल राही	...	—232
सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक		
और		
सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव (सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक)		
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	233—235
आचार्य भगवान देव	...	235—237
श्री के० ए० राजन	...	237—239
श्री वसन्त साठे	....	239—252
खंड 2 से 10 और ।	...	243—252
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में		
श्री वसन्त साठे	....	243—752
वर्तमान मूल्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	...	253—321
श्री आर० वेंकटरामन	...	253—321
श्री सुनील मैत्रा	...	258—264

विषय		पृष्ठ
श्री नवल किशोर शर्मा	...	265—268
श्री जार्ज फर्नान्डीस	...	268—274
श्री कमल नाथ	...	274—279
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	279—285
श्री चन्द्रशेखर सिंह		285—289
श्री सतीश अग्रवाल	...	289—295
श्री बी० आर० नहाटा	...	295—297
श्री सी० पलानीअप्पन	....	297—299
श्रीमती कृष्णा साही	...	299—301
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	302—311

लोक सभा

गुरुवार, 3 सितम्बर, 1981/12 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ता ट्यूब रेलवे

*263. श्री चित्त बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की ट्यूब रेलवे के निर्माण में अपनाये गए 'कट-एण्ड-कवर' के तरीके पर नए सिरे से विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो जाएगी ; और

(घ) इसके निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए कौन-से विशेष कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

(घ) इस निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गये हैं :—

(1) धीमी प्रगति करने वाले ठेकेदारों के ठेके रद्द किए जा रहे हैं और शेष कार्य प्रामाणिक योग्यता रखने वाले ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं ।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त धन राशि का आवंटन सुनिश्चित किया गया है ।

(3) आयात करके इस्पाती संरचनाओं की कमी दूर कर दी गयी है ।

(4) बिजली के सामानों की सप्लाई करने के लिए बी. एच. ई. एल. और एन. जी. ई. एफ. के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सवारी डिब्बा कारखाने से प्रोटोटाइप सवारी डिब्बों के निर्माण और सप्लाई के कार्यक्रम में कोई बाधा न पड़ने पाये ।

(5) भूमि अधिग्रहण करने के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है ।

(6) निर्माण स्थलों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए पुलिस और राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

(7) पत्थर के सामानों की ढुलाई करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ लगातार निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

श्री चित्त बसु : श्रीमन्, विवरण को मैंने पढ़ा है और ऐसा लगता है कि सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किए गए अपने वायदे से बचना चाहती है । विवरण में, यह बताया गया है कि परियोजना साधन उपलब्ध होने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी । इससे सन्देह पैदा होता है और परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हो सकता है क्योंकि परियोजना के लिए धन की उपलब्धता अनिश्चित रही है ।

यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि परियोजना का मूल आँकलन 140 करोड़ रुपए का 40% 1970 में बढ़ाकर इसे 250 करोड़ रुपए कर दिया गया और अब रेलवे विभाग के विचार में इसे और बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर देना चाहिए । जब परियोजना की आंकलन बढ़ रहा है तो धनराशि कहां से प्राप्त होती रही है ? 1980-81 तक किया गया कुल व्यय 96.6 करोड़ रुपये का हुआ है और चालू वर्ष के लिए धन का आवंटन 35.45 करोड़ रुपए है । इस प्रकार 500 करोड़ रुपए की परियोजना में यह कुल मिला कर 132.25 करोड़ रुपए की राशि बनती है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वह सदन को इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इस मामले में धनराशि समस्या नहीं बनेगी और यह परियोजना मार्च, 1987 तक कार्यान्वित हो जाएगी जैसी कि पहले इस सदन में घोषणा की गई थी ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं सभा को इस बात का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि धनराशि की कोई समस्या नहीं होगी । एक विकासशील देश में किसी विकास सम्बन्धी परियोजना में धनराशि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । जहां तक परियोजना के पूरे होने का सम्बन्ध है, इसका पहला चरण 1985 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण 1987 तक पूरा हो जाएगा । मूल्यों में वृद्धि होने के कारण 1980 के मूल्य स्तर पर परियोजना की लागत 500 करोड़ तक

पहुंचाई है जो मूलत: 140 करोड़ रुपये थी । सरकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए उत्सुक है ।

श्री चित्त बसु : परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए जो विशेष कदम उठाए गए हैं, उनकी मंत्री महोदय ने एक सूची पेश की है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या परियोजना के निष्पादन के लिए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने, उसकी निगरानी और निरीक्षण करने की दृष्टि से कोई निरीक्षण तंत्र गठित करने का सरकार का विचार है ?

श्री मल्लिकार्जुन : निगरानी कार्य करने के लिए हमारा अपना प्रशासीतंत्र है, परन्तु, फिर भी, मैं सभा को यह बात बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 'कट एण्ड कवर' पद्धति को बदलने की दृष्टि से तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की है और वह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 'कट एण्ड कवर' पद्धति एकदम सही है और हमारी अन्य आर० टी० एस० समितियों के साथ हम इसकी निगरानी कर रहे हैं । हम यह देखना चाहेंगे कि हम किस तरह बेहतर तरीके से परियोजना को पूरा कर सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समूचे देश में और लगभग एक करोड़ की जनसंख्या वाले कलकत्ता में, यह एकमात्र परियोजना है, हमें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । कुछ वर्षों से कलकत्ता के मुख्य आम मार्ग खोद दिए गए हैं । उसके कारण लोग कलकत्ता जाने के इच्छुक नहीं हैं । श्री पांडे ने भी इस बात को स्वीकार किया है । स्थिति यह है कि अनेक इमारतें चटक गई हैं । वर्षों से अनेक मुख्य आम मार्ग खोद दिए गए हैं । कलकत्ता की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक, आशुतोष कालेज भवन को अब वहाँ हो रहे इस कार्य के कारण ढह जाने का खतरा है । और अब यह पता लगा है कि लागत में वृद्धि होने के कारण इस परियोजना के पूरे होने की कोई निश्चितता नहीं है । 1987 तक भी हमें इसका पूरा होने का निश्चय नहीं है । हमें इसके लिए साधन उपलब्ध कराए जाने का कोई आश्वासन नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए और गंभीर समस्या से कलकत्ता को बचाने के लिए क्या आप वृत्ताकार (सरक्युलर) रेलवे शुरू करने पर विचार करेंगे । केवल वही इस नगर को तथा समूचे क्षेत्र को बचा सकता है । इसलिए हम मंत्री महोदय से गंभीरतापूर्वक इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि वह कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे परियोजना के बारे में विचार करें । हमें सन्देह है कि यह परियोजना कभी पूरी नहीं होगी । यदि सड़कों को खोदा हुआ रखा जाता है तो सारा कलकत्ता समाप्त हो जायेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए, कृपया आप अपने प्रस्ताव के बारे में बताइए और इस मामले में आप कहाँ तक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : इस प्रश्न में से यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन्, मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्री उत्तर देना चाहते थे ।

रेल मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : इस समय कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एकमात्र प्रस्ताव यह है कि यहां मीट्रो रेलवे, भूमिगत रेलवे होनी चाहिए और

वह कार्य चल रहा है और इस पर अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह एक ठोस योजना है और यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जाएगी और इस बात के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि इसके लिए धनराशि की कमी न आये।

डीजल इजन वर्कशाप

*265. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा डीजल इंजन वर्कशाप स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार उसके लिए 550 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रही है ;

(ग) क्या उस भूमि के लिए दिये जा रहे मुआवजे की दर बहुत कम है ; और

(घ) क्या भूमि की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मुआवजे की दर बढ़ाने का है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) रेलों द्वारा डीजल इन्जन वर्कशाप स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन डीजल इन्जन अवयवों का निर्माण करने, बड़े सज्जीकरणों/उप सज्जीकरणों का पुनर्निर्माण तथा डीजल इन्जनों का पुनर्निर्माण करने के लिए रेलों द्वारा पटियाला (पंजाब) में 'डीजल अवयव कारखाना' स्थापित करने की योजना है।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि कारखानों तथा कालोनी की स्थापना के लिए 550 एकड़ भूमि अपेक्षित होगी। यह भूमि पंजाब सरकार द्वारा रेलों को मुफ्त दी जा रही है।

(ग) और (घ) पंजाब सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की दर भी निश्चित की जा रही है। यह मामला रेलों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे सख्त एतराज है कि मैं हिन्दी में सवाल करता हूं, मगर उसका जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है। वे राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर वे न जानते हों, तो मुझे कोई एतराज न हो। लेकिन श्री केदार पाँडे बैठे हुए हैं ; उनको कहना चाहिए था। इस तरीके से वे हिन्दी का, और गांधी का भी, अपमान कर रहे हैं। यह गलत है। आप मंत्री जी को कहें कि वह हिन्दी में जवाब दें।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : अब तक यह सिस्टम रहा है कि अगर हिन्दी में सवाल है, तो हिन्दी में जवाब है और अगर अंग्रेजी में सवाल है, तो अंग्रेजी में जवाब है । अगर आप कहें कि हम केवल हिन्दी में जवाब दें और आप अंग्रेजी में बोलें ...।

अध्यक्ष महोदय : इनका स्पेशल ध्यान रखा करें । जब वह हमेशा ऐसी बात कहते हैं, तो आप क्यों नहीं करते ?

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने हिन्दी में सवाल किया था, उसका जवाब हिन्दी में दें ।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर सदन के पटल पर जवाब रख दिया गया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो लिखित जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है उस में उन्होंने यह लिखा है कि जो जमीन है वह पंजाब सरकार देगी और पंजाब सरकार का उससे सम्बन्ध है इसका मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार जमीन जो दे रही है उसकी कीमत का आपको पता नहीं है या डाका डाल कर या लूट कर भी कोई दे दे तो आप उस को ले लेंगे ? मेरा सवाल है कि वह जमीन किस भाव में ली ? पुराने वक्त में किसान से बहुत सस्ते दाम पर सरकार ने जमीन ली है । आज जमीन का भाव क्या है क्या माननीय मंत्री जी इन तमाम आंकड़ों को बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ली वह किस भाव पर पंजाब सरकार ने ली और आज के भाव में जब कब्जा ले रही है क्या उन किसानों को उस जमीन की पूरी कीमत दिलाने का केन्द्रीय सरकार का दायित्व है या केन्द्रीय सरकार उनको किसानों को लूटने की खुली छूट देगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : पंजाब सरकार ने यह वादा किया था कि जो जमीन चाहिए वह दी जायगी और रेलवे की तरफ से डीजल कम्पोनेंट्स वर्कशाप का निर्माण वहां किया जायगा । हम यह नहीं जानते कि कितना पंजाब सरकार ने किसानों को दिया कितना नहीं दिया । मुआवजा और बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार के पास वह बोल सकते हैं या कोर्ट्स में भी जा सकते हैं । हमारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारा तो केवल वर्कशाप के निर्माण से सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि मुआवजा ठीक मिले ।

श्री मल्लिकार्जुन : जी हां, हम तो चाहते हैं कि किसान को ज्यादा मुआवजा मिले ।

श्री मनीराम बागड़ी : माननीय उपमंत्री महोदय जवाब दे नहीं सकते थे । केदार पांडेय जी बैठे हैं उनको खुल कर जवाब देना चाहिए था । आप इस तरीके से इसको टालिए मत । हिन्दुस्तान के किसानों की जमीन जो सरकार लेती है वह कोड़ियों के दाम में लेती है । आज उस जमीन का दाम हजार रुपये गज तक है और यह दायित्व है, एक जिम्मेदारी है केन्द्रीय शासन की, अगर कोई प्रान्त या म्युनिसिपैलिटी या कोई भी संस्था जमीन को लूट करके आप को दे दे तो आप यह कहेंगे कि वह तो लूट कर लाये थे म्युनिसिपैलिटी वाले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं ? यह बात नहीं है । आप की पूरी तरह से यह जिम्मेदारी है, जमीन ली पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार की थी या पंजाब सरकार ने ली तो कितने में और क्या कीमत उसकी दी है ? क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें पुरा मुआवजा दिलाने के बारे में अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है ?

श्री केदार पांडे : जब यह स्कीम चालू हुई तो उसके मुताबिक पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया कि जमीन हम मुफ्त देंगे। मुफ्त में देने के माने कि उन को वह जमीन ऐक्वायर करनी है, जिनकी जमीन है उन से लेनी है। तो यह पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन तो भी अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि जमीन का दाम कम मिल रहा है किसानों को तो मैं इस के बारे में पंजाब सरकार से पुछूंगा और उनसे यह भी कहूंगा कि इस पर वह विचार करें। उनको मैं पत्र लिखूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : बहुत अच्छी किसानों की हमदर्दी की आप ने बात कही।

श्री केदार पांडेय : किसानों के हमदर्द हम सभी हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अच्छी बात है, मैं इसके लिए आप की तारीफ करता हूं कि चाहे वह मौखिक ही हो लेकिन किसानों की हमदर्दी है।

मैं एक सवाल और आप से पूछना चाहता हू कि क्या सरकार जो टेकनिकल मजदूर हैं उन को छोड़ कर जो और दूसरे मजदूर हैं, यह जो आप का यूनिट बन रहा है उसमें नान-टेक-निकल मजदूरों को रखने के बारे में इस बात का ध्यान रखेगी कि जिन किसानों से सरकार ने जमीन ली है, वहां पर काम जो मिल रहा है और जो काम धन्धा लग रहा है सब से पहले उस में उन लोगों को काम दिया जायगा जिन की जमीन सरकार ने ऐक्वायर की है ?

श्री केदार पांडेय : इस तरह की नीति ऐसे तो नहीं है लेकिन अमूमन हम लोग देखते हैं कि जिनकी जमीन ली जाय उनका कोई व्यक्ति ऐसी सर्विस करने लायक हो तो उस को प्रेफरेंस दिया जाय। इस तरह की नीति हमारी है और ऐसा और जगह भी जहां जहां कारखाने बनते हैं वहां करते हैं, यह नीति उसमें अपनाते हैं।

श्री जेवियर अराकल : श्रीमन्, यह अच्छी बात है कि डीजल कार्यशालाएं पंजाब में स्थापित की जा रही हैं। लेकिन, मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी डीजल कार्यशालाएं स्थापित की जानी हैं केरल राज्य में पालघाट में एक कोच फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव था जो अभी विचाराधीन है....।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इसके अन्तर्गत नहीं आती।

श्री जेवियर अराकल : यह कार्यशालाएं स्थापित किये जाने से सम्बन्धित है।

अध्यक्षमहोदय : यह एक असंगत प्रश्न है। यह पंजाब से सम्बन्धित है अन्य किसी से नहीं। इसके लिए आप अलग से प्रश्न की सूचना दें।

श्री जेवियर अराकल : यह कार्यशालाओं से संबंधित है—चाहे यह पंजाब में हो या अन्यत्र कहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह पंजाब से ही संबंधित प्रश्न है । इसलिए, आप एक पृथक प्रश्न की सूचना दें ।

श्री जेवियर अराकल : रेलवे कार्यशाला से संबंधित यह विशेष प्रासंगिक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति देने नहीं जा रहा । यह एक असंगत प्रश्न है । इसका उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं देंगे । श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1956 में वाराणसी डीजल रेल इंजिन कारखाना बना और उसके लिए 8 हजार से अधिक···।

अध्यक्ष महोदय : यह इर्रेलिवेंट है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी वागड़ी जी को मंत्रीजी ने बताया है कि जिन किसानों की जमीन ली गई है उन किसानों को····।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई नया सवाल हो तो कीजिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा सवाल जमीन से ही संबंधित है । मैं पूछना चाहता हूं कि दो हजार व्यक्ति भूखे मर रहे हैं । उनको काम नहीं मिलता है ...।

अध्यक्ष महोदय : यह भी प्रासंगिक नहीं है । इसकी अनुमति नहीं दी जाती । वह इसका उत्तर नहीं देंगे ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह इर्रेलिवेन्ट है ।

एशियाई खेलों के लिए परिवहन व्यवस्था

*269. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नौवाहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने एशियाई खेलों के लिए परिवहन व्यवस्था का काम महाराष्ट्र राज्य निगम को सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, नही। इन खेलों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की यातायात संबंधी आवश्यकता को नवम्बर, 1982 में पूरी करने के लिए महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम ने एशियाई खेल प्राधिकारियों को 200 डी लक्स बसें किराये पर देने का प्रस्ताव किया है।

इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषता यह है कि महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम नई चेसिसें खरीदेगा और उन पर अपनी वर्कशाप में विशेष आयोजक समिति के निर्देशों के अनुसार बाड़ी बनवायेगा तथा इन बसों से खिलाड़ियों को खेल गांव से विभिन्न स्टेडियमों तक लाये व ले जाएगा। इन खेलों के समाप्त हो जाने के बाद ये बसें वापस कर दी जाएंगी। इन बसों का किराया इनके चलाने व अन्य प्रकार के खर्च को ध्यान में रख कर नियत किया जाएगा।

श्री अमर राय प्रधान : मैंने 'एशियाई खेलों' के लिए संपूर्ण परिवहन व्यवस्था के बारे में नहीं पूछा है। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। मन्त्री महोदय को 'हां' या 'ना' में जबाव देना चाहिए।

क्या यह सच है कि क्या इस बात में कुछ सचाई हैं कि 200 बसें किराए पर ली जा रही हैं ? यदि हां, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी अन्य राज्य अथवा अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों से बसें किराए पर लेने के सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श किया गया है ? मैं आपसे पश्चिम बंगाल अथवा केरल सरकार के बारे में कहने के लिए नहीं कहूंगा।

क्या उन्होंने उड़ीसा, बिहार अथवा अन्य किसी राज्य के सड़क परिवहन निगमों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है? क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं और क्या इसके लिए कोई निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय एक परिवहन उप समिति है। उस परिवहन उप समिति ने विभिन्न राज्यों की सड़क परिवहन निगमों से इस सम्बन्ध में पूछा था और मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अलावा अन्य कोई सड़क परिवहन निगम 200 सुविधाजनक बसों की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं था। कुछ निगमों ने कहा कि वे चार बसें सप्लाई करने की स्थिति में हैं और कुछ ने कहा कि वे पाँच बसें सप्लाई करने की स्थिति में हैं आदि। ये बसें हमारे अपने सरकारी क्षेत्र के संगठन से किराये पर ली जा रही हैं। इसलिए इसमें निविदाएं आमंत्रित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि हम गैर-सरकारी क्षेत्र से इन बसों की सप्लाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बसें केवल एक खास अवधि के लिए जो 15 दिन अथवा 20 दिन हो सकती है—खेलों के दौरान सप्लाई की जानी हैं। उसके बाद उनका किरायेदारी करार समाप्त कर दिया जाता है और वे वापस कर दी जाती हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि क्या हमने कोई गारंटी अथवा ऋण दिया है। हमने कोई ऋण नहीं दिया है। जहां तक वित्तीय आवश्यकताओं का सम्बन्ध है हमने केवल यही

कहा कि हम अपने मामले को वित्त मंत्रालय के पास अथवा जीवन बीमा निगम के पास सिफारिश कर भेजेंगे ।

श्री अमर राय प्रधान : श्रीमन्, यद्यपि मंत्री महोदय ने धन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया फिर भी मैं जानता हूं कि वे एशियाई खेलों के दौरान आने वाले लोगों की संख्या जानने से पूर्व बसें खरीदने के इच्छुक हैं । इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने आने वालों की संभावित संख्या और उनकी परिवहन आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण समिति नियुक्त की है ? दूसरे, क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन ने एक गैर सरकारी कम्पनी को—स्पष्टत: कांग्रेस (आई) समर्थक को—58 लाख रुपये की राशि अग्रिम रूप में दे दी जो गत एक वर्ष के दौरान परिवहन आवश्यकताओं के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दे सकी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन्, यह केवल खेलों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के प्रयोग के प्रयोजन से बसें प्राप्त करने के बारे में है और न कि दर्शकों के लिए । प्रतिनिधियों के उपयोग के लिए उन्हें विशेष लगजरी कोच बसों की आवश्यकता है । महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम आगे आया और कहा कि वह अपनी स्वयं की लागत पर पूंजी नियोजन करेगा । वह चेसिस खरीदेगा और उनके ऊपर 'बाड़ी' बनाएगा और उन्हें यहां भेज देगा । हम उन बसों का प्रयोग करेंगे और उसके लिए हम किराया प्रभार का भुगतान करेंगे । खेलों के बाद उनका किराएदारी का करार समाप्त कर दिया जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जायेगा ।

श्रीमन्, जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, मैंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हम कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहे हैं । परन्तु उन्हें राज्य बीमा निगम से 6.60 करोड़ रुपये मिल रहे हैं और हम केवल सद्भावना से ये कार्य करवा रहे हैं । जहां तक दर्शकों की मांग का सम्बन्ध है इसे दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूरा किया जायेगा । उन्होंने पहले इस मामले में विचार कर लिया है । उन्होंने एक सलाहकार नियुक्त किया है जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या सरकार एशियाई खेलों के दौरान कलकत्ता में फुटबाल का मैच आयोजित करने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या उपाय किए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मौजूदा प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

ठाकुर शिव कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एशियन गेम्स में खिलाड़ियों को ले जाने के लिए कुल कितनी बसें लेंगे और मध्य प्रदेश से कितनी बसें लेन का प्रस्ताव आपके सामने आया है और उनको कितना फाइनेंशियल एसिसटेंस देंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल ; अध्यक्ष महोदय, डैलिगेट्स के लिए जो भी वैहिकिल्स की आवश्यकता होगी, उसके लिए प्रोग्राम यह है कि डी. एल. वाई. और डी. एल. जेड. 450 आई. टी. डी. सी.

सप्लाई करेगा, डिलक्स लक्जरी बसें 200 महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सप्लाई करेगा, माइक्रो बसेस 130 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई करेगा। ट्रक्स 30 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई करेगा। ये सारी वैहिकिल्स सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए हैं, डैलिगेट्स के लिए हैं। कितने सपैक्टेटर्स आयेंगे, कहां से आयेंगे, उसके लिए डिमाण्ड क्या होगी, वह डिमाण्ड डी. टी. सी. पूरा करेगा। लेकिन अभी डी.टी.सी. को इसका अन्दाजा नहीं है कि कितने स्पैक्टेटर्स आयेंगे। इसके लिए एक कन्सलटैंट्स जो कि कन्टसलटेंसी फर्म केरला के हैं, उनको मुकर्रिर किया है। उन लोगों ने उनको अंपायर किया है, उनकी रिपोर्ट आ गई है जो इस वक्त जेरे गौर है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए नहीं बताया। मैंने सवाल मध्य प्रदेश के लिए पूछा है।

श्री सुनील मैत्रा : मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार 6 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का ऋण देने के लिए जीवन बीमा निगम से सिफारिश करने जा रही है, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार रियायती दरों पर महाराष्ट्र सरकार को ऋण देने के लिए जीवन बीमा निगम से सिफारिश करेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जब यह रियायती दरों पर ऋण देने का प्रश्न है, हम केवल अपनी सद्भावना का उपयोग कर सकते है। जहां तक वास्तविक ऋण देने, ऋण की शर्तों, ब्याज की दरों आदि का सम्बन्ध है, इन सब बातों का निर्णय महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम और जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाना है।

तटीय नौ-भार को ढोने के लिए लगाए गए जलपोत

*270. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में तटीय नौ-भार को ढोने के लिए कितने जलपोत लगाए हुए हैं ;

(ख) तटीय नौवहन द्वारा किन किन मदों की ढुलाई की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार इस यातायात व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें और जहाज लगाने पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिससे अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

(क) 30-6-81 को तटवर्ती नौवहन में लगाए जाने वाले जहाजों की संख्या — 56।

(ख) तटीय जहाजों के द्वारा भेजा जाने वाला माल—कोयला, सीमेंट/क्लिंकर्स, उर्वरक, अनाज, नमक, लकड़ी, सामान्य माल और तेल ओर पेट्रोलियम से बनी चीजें।

(ग) '80 के दशक के लिए योजना बनाने के लिए नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में जो तटवर्ती नौवहन समिति बनाई गई थी उसने तटवर्ती जहाजों की संख्या में वृद्धि करने के अलावा इस प्रश्न की भी जांच की है। सरकार इस समिति की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

श्री मोहन लाल पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तटीय नौवहन के लिए बहुत ही कम जहाज हैं जब कि भारत का तट बहुत विस्तृत है और साथ ही अन्य परिवहन साधनों की तुलना में नौवहन कम खर्चीला है। सरकार ने इन जहाजों की वृद्धि के लिए अब तक क्या उपाय किये हैं ?

क्या यह सच है कि कोस्टल शिपिंग कमेटी ने सरकार को सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों को तटीय नौवहन का ज्यादा उपयोग करना चाहिए और कोयला तथा नमक तटीय नौवहन के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कोस्टल शिपिंग को एन्क्रेज करने के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक है कि यह बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसमें आयल की भी काफी किफायत हो जाती है। इसीलिए हमारी सरकार की पालिसी कोस्टल शिपिंग को एनकरेज करने की है। कोस्टल शिपिंग को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं और किस ढंग से इस काम को कर सकते हैं, इस काम के लिए 1980 में सरकार ने डी० जी०, शिपिंग की सदारत में एक कमेटी बनाई थी। उन ने अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेज दी हैं जो इस वक्त जेरे-गौर हैं। उनको एक्जामिन करने के बाद उन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री मोहन लाल पटेल : क्या यह सच है कि कोस्टल शिपिंग कमेटी ने सिफारिश की है और तटीय नौवहन का भार 1984-85 में 7 लाख 17 हजार टन हो जाने वाला है ? यदि हां, तो सरकार ने छटी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या व्यवस्था की है और क्या गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों और सहकारी कम्पनियों को इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम ने जो कमेटी बनाई थी, माननीय सदस्य उसकी सिफारिशों को जानना चाहते हैं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि सिफारिशात हमारे पास आई हैं, उन पर गौर हो रहा है, उन पर डिसीजन लेने के बाद, वे सिफारिशात क्या थीं और हमारा निर्णय क्या है—उस वक्त मैं बतलाने की हालत में रहूंगा, इस वक्त नहीं बतला सकता हूं।

श्री दौलत सिंह जी जडेजा : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि इस समय तटीय नौवहन में लगाई गई जहाजों की संख्या 56 है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसमें उन मशीनीकृत नौवहन जहाजों की संख्या भी शामिल है जो तट पर, तटवर्ती यातायात के

ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इसका यह अर्थ है कि इन 56 जहाजों में तटवर्ती जहाज भी है, क्योंकि, मेरी जानकारी के अनुसार देश में 15,000 नौवहन जहाज हैं और ये 15,000 नौवहन जहाज हमारे तटों पर कार्य कर रहे अन्य जहाजों की तुलना में अधिक माल ढोते हैं। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि नौवहन जहाजों की प्राप्ति और खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की कोई विशेष योजना उनके विचाराधीन है, जिससे उनके द्वारा और अधिक तटवर्ती यातायात ले जाया जा सके ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय मैंने बताया कि 30-6-81 को तटवर्ती नौवहन में लगाए जाने वाले जहाजों की संख्या 56 थी। इसका अर्थ है कि नौवहन महानिदेशक के पास केवल 56 जहाज ही तटवर्ती नौवहन के लिए पंजीकृत किए गए हैं। वास्तव में केवल 23 जहाज काम में लाए जा रहे हैं। मेरे विचार में इन 23 जहाजों में मशीनीकृत नौवहन जहाज शामिल नहीं हैं क्योंकि उनकी संख्या हजारों में है। जहां तक मशीनीकृत नौवहन जहाजों को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य सरकार की नीति को जानते हैं। हमारे पास राज्य सरकार से प्रस्ताव आना चाहिए और हम राज्य सरकार को धनराशि अग्रिम रूप में दे देते हैं। धनराशि का वितरण पूरी तरह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बम्बई बन्दरगाह में आने वाले माल वाहक जहाजों को बन्दरगाह तक सुरक्षित रूप से लाने के लिए पायलट नौकाओं की संख्या कितनी है ? उनमें नयी और पुरानी नौकायें कितनी हैं और क्या सभी नौकाएं अच्छी कार्यक्षमता रखती हैं और अन्य मुख्य बन्दरगाहों पर इस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसके लिए तो अलग सवाल पूछना पड़ेगा और तब मैं उत्तर हासिल करके दे सकता हूं।

श्री ई० बालानंदन : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है। देश में विद्यमान स्थिति पर विचार करते हुए स्थिति का सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर तटवर्ती नौवहन को विकसित किया जाना है। क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि स्थिति की अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए किस समय तक निर्णय लिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय हमें केवल एक महीने पहले रिपोर्ट मिली है। आखिर उन्होंने इतनी सारी सिफारिशें की हैं। हमें अनेक मंत्रालयों से परामर्श करना है। इस पर कार्यवाही में समय लगेगा। इसलिए, समय की कोई सीमा निर्धारित करना कठिन होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम आठवें दशक के दौरान तटवर्ती नौवहन का विकास करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसीलिए हमने समिति नियुक्ति की है। हम इस सिफारिश को अत्यन्त महत्व दे रहे हैं। जो कि हमें

मिली है । हम इस पर यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करेंगे और यथासंभव शीघ्र इसका कार्यान्वयन करने का प्रयास करेंगे ।

पत्तनों पर लंगरगाहों की कमी के कारण जहाजों को हुआ नुकसान

*271. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार, प्रत्येक भारतीय पत्तन पर जहाजों द्वारा 'लंगरगाहों के लिए प्रतीक्षा' के कारण कुल कितना नुकसान हुआ है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं, और चालू वर्ष में कितना काम पूरा हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : पिछले दो वर्षों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों पर जहाजों के जमाव की समस्या रही है । पत्तनों पर जहाजों को देर से घाट मिलने के कारण लाईनर जहाजों पर कान्फ्रेन्स लाईन्ज द्वारा अधिक भार लगाया जाता है और चार्टर आधार पर भाड़े के लिए जहाजों को विलम्ब शुल्क अदा करना होता है । घाट न मिल सकने के कारण विभिन्न पत्तनों पर प्रतीक्षा कर रहे जहाजों से होने वाले कुल घाटे की सूचना किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं की जाती । इसके अलावा घाटे की मात्रा को सटीक रूप में बताना भी कठिन है ।

(ख) पत्तनों पर जहाजों के जमाव को रोकने के लिए और सभी बड़े पत्तनों पर उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करने के लिए सरकार अपने माल के निर्यात व आयात के लिए पत्तन निश्चित कर यातायात को नियंत्रित कर रही है । इसके अलावा समुद्र के बीच बड़े जहाजों से छोटे जहाजों पर माल उतारने के कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है ।

दीर्घकालिक समाधान के रूप में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े पत्तनों के विकास के लिए 531 करोड़ रु० नियत किए गये हैं । इसमें से 177 करोड़ रु० चालू कार्यों पर खर्च किए जायेंगे और शेष धनराशि नई स्कीमों पर खर्च की जाएगी । प्रस्तावों में कांडला, मद्रास, नव मंगलौर, परादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम में सामान्य माल घाटों का निर्माण करना शामिल है । इसके अलावा, बम्बई, मद्रास और कोचीन में कन्टेनर हैंडलिंग मशीनों के लिए योजना बनाई जा रही है । न्हावा शेवा में एक नये पत्तन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । चूंकि घाट के बनाने में सामान्यत: 2 से 3 वर्ष लगते हैं, इसलिए इस वर्ष किसी नए घाट का निर्माण पूरा नहीं होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन, मंत्री महोदय ने इस आधार पर संक्षेप में आंकड़े नहीं दिए हैं कि इतने अधिक स्थानों पर आंकड़े संकलित किये जाते हैं । लेकिन, श्रीमान जी

संसद के पास जानकारी न भेजने का वह कोई कारण नहीं हो सकता। इसके लिए 21 दिन का नोटिस दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उसके लिए और अधिक समय की आवश्यकता है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन, मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य कुल घाटे के बारे में जानकारी चाहते हैं और वह भी दो वर्ष की।

मान लीजिए कतरनों वाली वस्तुओं या इस्पात की कतरनों से लदा जहाज घाट लगाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उसका अर्थ है, उस प्रतीक्षा से उस फैक्ट्री को अथवा लघु इस्पात संयंत्र को जो उस कतरन का उपयोग कर रहा है। कितनी क्षति हुई है। इसलिए, हमें इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : क्या हम यह समझें कि घाटे का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है ;

अध्यक्ष महोदय : यहां दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। आप जहाजों को अथवा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को हुए घाटे के बारे में जानना चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : प्रश्न 'सम्पूर्ण घाटे' के बारे में है। जहां तक जहाजों का संबंध है, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अधिभारों तथा विलम्ब शुल्कों का पत्तन अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। हमारे पास उसका कोई लेखा नहीं है। उनका भुगतान निर्यातकों तथा आयातकों और उन कम्पनियों अथवा व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है जो इन जहाजों को किराए पर लेते हैं। हमें उस बात के लिए लोगों की खुशामद करनी है कि वे हमें यह बताएं कि उन्होंने कितने विलम्ब शुल्क और प्रभारों का भुगतान किया है और कि दो वर्षों में इनका कितना भुगतान किया गया है। यह सब जानकारी 21 दिन में प्राप्त करना कैसे संभव है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, यदि आप इसमें संतुष्ट हैं तो मैं भी मान लेता हूं। कुल घाटे में लौह अयस्क खानों को हुई हानि शामिल नहीं होती। वे प्रश्न को सीमा से बाहर ले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहाजों को विभिन्न कम्पनियों द्वारा किराए पर लिया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक अन्य प्रश्न पूछूंगा। कलकत्ता और बम्बई पत्तनों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए हमने परादीप पत्तन तथा एक कांडला में एक पत्तन का विकास करने का निर्णय किया था। क्या वह सच नहीं है कि जहाज इन पत्तनों पर नहीं भेजे जा रहे हैं और मुख्य पत्तनों पर भीड़भाड़ बनी हुई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य की बात को ठीक कर यह बताना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हल्दिया पत्तन का विकास किया गया था कि कलकत्ता पत्तन पर भीड़भाड़ कम हो। कलकत्ता पत्तन के बारे में एक अन्य कठिनाई भी है, क्योंकि वहां पानी अत्यन्त उथला है, और बड़े जलपोत कलकत्ता तक नहीं जा सकते। इसी कारण से हल्दिया पत्तन का विकास किया गया था, और जहां तक बन्दरगाहों पर भीड़भाड़ का सम्बन्ध है, यह केवल दो बन्दरगाहों तक सीमित है।

कलकत्ता में कोई भीड़भाड़ नहीं है। भीड़ तो केवल बम्बई और मद्रास में ही है। जहां तक मद्रास में भीड़ का सम्बन्ध है, यह एक अस्थाई बात है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक मद्रास में भीड़भाड़ का सम्बन्ध है इसे एक-दो सप्ताह के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बम्बई में भीड़भाड़ एक स्थायी तथा बढ़ती हुई समस्या है अतः इस भीड़भाड़ के दूर करने तथा इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमने न्हावा सेवा पर एक नये बन्दरगाह का निर्माण करने के लिये गम्भीरता से विचार किया है, और हमने पहले ही एक परामर्शदाता को नियुक्ति कर दी है। चालू वर्ष के अन्त से उनसे एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मिल जाने की सम्भावना है।

श्री मनोरंजन भक्त : प्रश्न काफी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि स्थान की प्रतीक्षा कर रहे पोत जहाजरानी निगम, निजी कम्पनियों तथा अन्य देशों के हैं। इसलिये मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से नौवहन निगम के स्वामित्व में माल पोतों के बारे में तथा अण्डमान से कलकत्ता अथवा कलकत्ता से अण्डमान को माल ले जाने वाले पोतों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। इनमें से कुछ माल वाहक पोत कलकत्ता पर प्रतीक्षारत हैं और कभी कभी उन्हें लगातार मद्रास में कई महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह स्थिति है तो पोतों द्वारा कितनी क्षति होती है विशेषकर एम. वी. शाम्पेन को जो आज भी दस महीनों से प्रतीक्षारत है और भारतीय जहाजरानी निगम को कितनी क्षति हुई है ? मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन पढ़ लिया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक स्थान मिलने में विलम्ब के फलस्वरूप होने वाली क्षति का सम्बन्ध है, यह क्षति जहाजरानी कम्पनियों अथवा पत्तन प्राधिकारियों को नहीं उठानी पड़ेगी, यह क्षति निर्यातकों, आयातकों अथवा उन कम्पनियों को उठानी पड़ेगी जो इन पोतों को किराये पर लेते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जहाजरानी निगम के बारे में क्या बात है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहाजरानी निगम के पास अपने पोत हैं, वे पोतों को किराये पर नहीं लेते । उनके पास लगभग 148 पोत हैं । अतः यह हमारे लिये काफी मुश्किल काम है । हम उन लोगों से जिनके पास चार्टर्ड पोत हैं अथवा जो आयातक और निर्यातक हैं मदद से किंतु इन लोगों से सम्पर्क स्थापित करने तथा जानकारी प्राप्त करने में काफी लम्बा समय लगेगा ।

श्री रतन सिंह राजदा : भारत के प्रमुख बन्दरगाहों पर भारी भीड़ के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा है । आप पहले ही बता चुके हैं कि आप न्हावा सेवा बन्दरगाह का विकास करने जा रहे हैं । छटी लोक सभा में मैंने बदिनार पश्चिम समुन्द्र तट पर एक नये बन्दर-गाह के विकास के बारे में एक प्रश्न पूछा था तथा मुझे आश्वासन भी दिया गया था । बदिनार पर एक प्राकृतिक बन्दरगाह है जिसे देश के हित में विकसित किया जा सकता है । वहां पर काफी गहरा पानी है और प्रयोग भी पहले ही सफल हो चुके हैं । अभी हाल में मैंने गुजरात के एक मंत्री का वक्तव्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने बदिनार को एक प्राकृतिक बन्दरगाह के रूप में तथा देश के प्रमुख बन्दरगाह के रूप में विकसित किए जाने का समर्थन किया है । या मंत्री जी हमें बतायेंगे कि क्या बदिनार को एक प्रमुख बन्दरगाह के रूप में विकसित किए ाने तथा एक पृथक बन्दरगाह बनाने और कांडला से इसे अलग करने के लिए कोई ठोस ोजनायें बनाई गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक सम्बद्ध प्रश्न है ?

श्री रतन सिंह राजदा : यह एक सम्बद्ध प्रश्न है । क्या आप इस पहलू पर प्रकाश ालेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य को बदिनार में हमारी गतिविधियों की अच्छी जानकारी है । वे जानते हैं कि बदिनार पर प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन कच्चे तेल की क्षमता वाला समुद्र से वे स्थान है और यहां पहले से ही काम चल रहा है, और वहां से तेल निकाला जा रहा है । जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, बदिनार का भी विकास करने तथा एक स्थान का निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है किन्तु हम अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले पाए हैं ।

औषधि सलाहकार समिति

*273. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि औषधि नियंत्रक ने औषधि सलाहकार समिति का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उस समिति ने एक प्रकार की निर्धारित खुराक के संश्लेषों (कोम्बीनेशन) की जांच की और पाया कि संश्लेषों का मनुष्य के शरीर पर कोई भी लाभदायक प्रभाव नहीं होता है और कम से कम 16 संश्लेष हानिकारक पाए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) औषधि परामर्शदात्री समिति में जो औषधि और प्रसाधन सामग्री, अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गई एक सांविधिक संस्था है, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। इसकी एक उपसमिति है जिसका कार्य देश में विकने वाले विभिन्न औषध योगों की जांच करना और असंगत योगों को बाजार से समाप्त करने का सुझाव देना है। इस उपसमिति ने निश्चित खुराक वाले 34 प्रकार के योगों की जांच की और आरम्भ में 23 योगों को इसलिए बाजार से हटाने की सिफारिश की कि इनमें कोई औषधीय संगति नहीं थी। उपसमिति के विचार में इन 23 औषध योगों में से 16 हानिकारक हैं। लेकिन 7 के बारे में उपसमिति का मत था कि उन्हें एक निश्चित समय तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उपसमिति ने एक निश्चित खुराक वाले योगों के औचित्य के बारे में औषधि निर्माताओं के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। उपसमिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उपसमिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात इसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए औषधि परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई जाएगी और तब इस पर अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

श्री ज्योतिमंय बसु : सदन के समक्ष यह वास्तव में एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इस क्षेत्र में एक सबसे प्रमुख औषध विशेषज्ञ ने बहुराष्ट्रिक औषधि फर्मों के बारे में कहा है :—

"मैं ऊपर दोहरे मानकों का आरोप लगाता हूं वह यह है कि जिस औषधि पर उनके ही देश में प्रतिबंध लगा हुआ है, भारत में आसानी से बेची जा सकती है प्राप्य तथा खरीदी जा सकती है।" जैसा कि पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, मुझे कुछ जानकारी मांगनी है। 60 के करीब विदेशी औषधि कम्पनियाँ औषधि उत्पादन का 80 प्रतिशत उत्पादन कर रही है, और कुछ प्रमुख औषधि का उत्पादन कर रही है, हम समझते हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि उन पर उनके ही देश में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि 1150 करोड़ रु० मूल्य की औषधियों के निर्माण में 80% अनाश्यक औषधियों का निर्माण हो रहा है।

जी० एस० मेडिकल कालेज बम्बई के प्रो० यू० के० सेठ ने कहा है कि 225 मिलियन रु० से अधिक की राशि सन्देह पूर्ण महत्व की औषधियों पर काम हो रहा है। प्रश्न यहाँ उठता है— अथवा मैं बाद में प्रश्न पुछूंगा। मेरे पास और भी निचोड़ हैं।

भारत के औषध नियंत्रक श्री एस० एस० पटस्कर, जो औषधि परामर्शदात्री समिति, 1980 के अध्यक्ष थे, बताया है कि उप समिति ने निर्धारित औषधि मिश्रणों आदि की 34 श्रेणियों की जांच की। क्योंकि यह एक बहुत ही चिन्ताजनक बात है, अतः मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इसका तात्पर्य है कि आपका मंत्रालय दो बहुराष्ट्रिय कम्पनियों से दो स्थानों पर

देशवासियों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। एक तो अनुपयोग औषधियों को बिक्री के कारण (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये लोग भी देश को लूट रही बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का समर्थन कर रहे हैं।

दूसरे वे देश में नुक्सानदायक तथा खतरनाक औषधियां बेच रहे हैं। मैं समझता हूं इस औषधि समिति का गठन 1980 में हुआ था। क्या यह सही है ? उप-समिति का अन्तिम प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ? इसके क्या कारण हैं कि 1980 से आज तक अर्थात एक वर्ष 6 महीने की अवधि से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद भी इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि उप-समिति ने जांच करने के बाद सिफारिश की थी कि 7 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए, वे क्या परिस्थितियां थीं, जिनमें उन्होंने चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की सिफारिश क्यों की। मैं यह जानकारी चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : इस समय मेरे पास नवीनतम जानकारी यह है कि उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन कल ही प्रस्तुत किया है। उप-समिति के प्रतिवेदन की भारत के औषधि नियंत्रक की अध्यक्षता में बनी परामर्शदात्री समिति द्वारा जांच की जाती है और इसके लिए एक महीने का नोटिस दिया गया है। और परामर्शदात्री समिति उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करेगी तथा उसके बाद कार्यवाही की जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे मुझे उस बात की याद आती है कि सदन में हमने क्या किया है। तीन लोक सभाओं में पेटेन्ट विधेयक को समाप्त कर दिया गया। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, दी ओनर्स एसोसिएशन को पर्याप्त धन मिल जाता है और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जिससें उनका अहित हो और इस देश के लोगों की रक्षा की जा सके। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जैसे ही यह रिपोर्ट तैयार हो जाती है, इसे एक माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा ? क्या वे यह आश्वासन दे सकते हैं ? यह पहली बात हुई। मेरा दूसरा प्रश्न प्रतिजीवाणु एन्टीट्रस्ट विश्वासघाती मामलों के बारे में है, जिसे भारत सरकार ने सात कम्पनियों के विरुद्ध चलाया है। मैं एक पत्र का उल्लेख कर रहा हूं, जो मुझे वाशिंगटन से प्राप्त हुआ है। पेटेन्ट अधिनियम के अनुसार इसका तात्पर्य यह होगा कि हम ऐसी औषधि के लिए जो किसी उपयोग की नहीं अथवा कम उपयोगी है, के लिए भारी मूल्य का भुगतान कर रहे हैं और हमने अमरीका के फिलाडेल्फिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष एक दावा पेश किया है। मैं समझता हूं कि रीगन के सत्ता में आने के बाद कुछ बातचीत हुई थी और भारत सरकार ने इस मुकद्दमे को वापस ले लिया था। क्या माननीय मंत्री से हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के अपने उत्तर में उन्होंने जिन फार्मुलेटरों का उल्लेख किया है, उनमें फीजर, अमेरिकन साइनाइनामाइड कम्पनी, ब्रिस्टल-मेयर्स कम्पनी, ई. आर. स्कीव एण्ड सन्स, दी अपलोन कम्पनी, स्कूयब ईन्क., तथा

अलाइव कार्पोरेशन शामिल हैं ? यदि हां, तो कानून का उल्लंघन करने के लिए इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के सम्बंध में मेरा कहना है कि उप-समिति के इस प्रतिवेदन तथा उसकी सिफारिशों की परामर्शदात्री समिति द्वारा अन्तिम रूप से जांच की जाएगी। उसके बाद यह सरकार के पास आयेगी। फिर सरकार इस प्रतिवेदन की जांच करेगी और उसके बाद ही इसे सदन के सभा पटल पर रखने का प्रश्न उत्पन्न होगा। इस समय कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वे इस सदन के सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं, यदि हां, तो कब तक ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह प्रतिवेदन अभी तक सरकार के पास नहीं आया है। मैं यह कैसे कह सकता हूं कि मैं इसे सभा पटल पर रख भी सकता हूं या नहीं ? इसे परामर्शदात्री समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परामर्शदात्री समिति का गठन कौन करता है ? प्रशासनिक मंत्रालय आपका है ? आप बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : एक परामर्शदात्री समिति है, जो औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त एक सांविधिक निकाय है भारत का औषधि नियंत्रक जिसका अध्यक्ष है। इस समिति में दो प्रतिनिधि औषधि नियंत्रक कार्यालय से तथा दो प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य के औषधि नियंत्रक के कार्यालय से आते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रशासनिक मंत्रालय आपका है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार चर्चा न करें।

श्री बी. शंकरानन्द : परामर्शदात्री समिति द्वारा इस उप-समिति की नियुक्ति की गई थी, न कि सरकार द्वारा। इसने परामर्शदात्री समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और इसकी अभी जांच की जानी शेष है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बंध है, इसका मुझसे कोई सम्बंध नहीं है क्योंकि यह प्रश्न पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सम्बंधित है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं ऐसी समितियों की सिफारिशों की क्रियान्वयन के सम्बंध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मनोरोग तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली औषधियों चिकित्सकों की सिफारिश पर ही बेची जानी चाहिए। किंतु सभी इस बात को जानते हैं कि यदि आप बिना किसी डाक्टरी पर्ची के इन औषधि को प्राप्त करना चाहें तो कुछ ऊंचे मूल्य पर बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष दिल्ली में एक मामला सामने आया था जिसमें एक कर्मि के पास 7000 मेन्ट्रेक्स की गोलियां पकड़ी गई, जिसे बताया जाता है कि उसने आगरे से

खरीदा था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे अपराधों के विरुद्ध कोई निवारणार्थ कानून हैं और यदि हां, तो क्या इन कानूनों का सख्ती से पालन किया जा रहा है ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह प्रश्न मुख्यत: 34 निर्धारित औषधि मिश्रणों से सम्बंधित है। मैं समझता हूं कि पूरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : यह प्रश्न ऐसी समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सम्बंधित है। इसका क्या लाभ है कि वे कागज पर तो बने रहें और उनका कोई क्रियान्वयन न हो ? क्या ऐसा कोई कानून है जो इसके विरुद्ध निवारणार्थ हों ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष।

श्री नीरेन घोष : क्या मैं इस सलाहकार समिति के निदेश पद जान सकता हूं ? क्या यह समिति इस तथ्य की भी जांच कर रही है कि ये औषधि कम्पनियां ऐसी औषधियां का तो उत्पादन करतीं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं किंतु जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन नहीं करतीं ? यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन कम्पनियों को काली सूची में दर्ज करेगी तथा उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए और लाइसेंस नहीं देगी, चाहे वे नई औद्योगिकी के नाम में हों अथवा अन्य नामों में ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह प्रश्न 34 निर्धारित औषधि मिश्रणों से सम्बंधित है। यह प्रश्न केवल इसी से सम्बंधित है। परामर्शदात्री समिति ने इस उप-समिति की नियुक्ति केन्द्रीय औषधि नियंत्रक के कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर की थी, उप-समिति द्वारा इन 34 मिश्रणों की जांच की गई थी, तथा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे क्योंकि भारत के लोगों के स्वास्थ्य से इसका सम्बंध है। इस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए और किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : यही कारण है कि हमने इस समिति का गठन किया है। (समाप्त)।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री चिन्तामणि जेना-अनुपस्थित। श्री जयनारायण टोट-अनुपस्थित। आज क्या हो गया है ? ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन फरलो है। मैं समझता हूं वे सभी थके हुए हैं। प्रो० नारायण चन्द पराशर-अनुपस्थित। श्री सत्यदेव सिंह-अनुपस्थित। श्री जगपाल सिंह-अनुपस्थित। क्या कमाल है। मैंने उन्हें आज प्रातः देखा था। श्री अजित कुमार मेहता।

सड़क दुर्घटनाओं से मौतें

*278. **प्रो० अजितकुमार मेहता।**

श्री जगपाल सिंह : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के संबंध में सरकार द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी मौतों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जायेंगे ?

नोवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

देश में सभी प्रकार की गाड़ियों से घातक तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा राज्य सरकारों व संघ क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की संख्या	
	संख्या - 000	हताहत	घायल
			(संख्या-000)
1978	140.2	20.9	96.7
1979	138.1	21.7	100.2
1980	135.9	20.2	105.5

सड़कों पर दुर्घटनाएं मुख्यत: तीन कारणों से होती हैं :—

(1) मानवीय चूक अर्थात ड्राइवर/और सड़क पर जा रहे अन्य व्यक्तियों की गल्ती ।

(2) गाड़ियों में मशीन की खराबी, और

(3) खराब सड़कें ।

हालांकि मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 में मोटर गाड़ी चलाने के लायसेंस की मंजूरी को नियमानुसार देने के बारे में व्यवस्था है तो भी गाड़ियों के निर्माण, साज-सामान और इनकी देखभाल, यातायात के नियमों के उल्लंघन की रीति/गल्ती करने वालों के खिलाफ पुलिस/प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को सुनिश्चित करना आदि जैसी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है ।

दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों सें ड्राइविंगलाइसेंस के जारी करने में नियमों के कड़ाई के साथ पालन करने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित करने, रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के मोटर गाड़ी नियमों में स्पीड गवर्नर जैसे उपकरणों के अनिदार्य रूप सें लगाये जाने के वारे में समुचित व्यवस्था करने पर अनुरोध करती रही है । ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल आदि की स्थापना करने की आवश्यकता की ओर भी उनका ध्यान दिलाया गया है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय के ट्रैफिक में और आज के ट्रेफिक की तुलना में इस समय मोटर-गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है । रोड पर ट्रेफिक बहुत बढ़ गया है, खास कर गर्मियों के मौसम में जव शादी-विवाह की भीड़-भाड़ सड़कों पर होती है, हारवेस्टिंग सीजन में सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है, ऐसे समय में विशेष रूप से ट्रेफिक की व्यवस्था होनी चाहिये, उसके लिये यह सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अपने सप्लीमेंटरी नोट में एक्सीडेंट्स होने के कारण दे दिये हैं, उसमें एक कारण यह भी है कि हमारे रोड्ज पहले के बने हुए हैं और अब ट्रेफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है । जव ट्रेफिक ज्यादा बढ़ गया है तो रोड छोटे पड़ जाते हैं और रोड्ज को एक दिन में वाइड नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम बना।र काम चलाना पड़ता है । यह कारण मैं मानता हूं कि हमारे यहां रोडज की कमी है, उनको जितना वाइडन किया जाये, उतना अच्छा है । इस वारे में बहुत से एक्शन हम ले रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं उसमें वह भी एक कारण है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : दुर्घटनाओं के जो कारण उत्तर में दिये गये हैं, उसके अलावा और भी कारण प्रतीत होते हैं । कई जगह पर विजली की लाइव लाइन बहुत नीचे तक लटकी हुई थी, उसके कारण भी कितने ही यात्रियों का देहान्त हुआ । कहीं कहीं पर सड़कों की व्यवस्था इतनी खराव होती है जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं । इसके अलावा रेलवे में रिजर्वेशन की कठिनाई के कारण लम्वी दूरी के लोग भी वसों में चलना पसन्द करते हैं, वैसी स्थिति में लम्वी दूरी की वसों में रिलीफ ड्राइवर की कोई व्यवस्था नहीं होती । यह भी एक्सीडेंटस के कारण हैं । इनके वारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अध्यक्ष महोदय, डिस्टर्वेन्स इतनी है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ पूछा है वह मुझे सुनने में नहीं आया ।

श्री सन्तोष मोहन देव : सरकार ऐसे यात्रियों को जो रेल और विमान दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, मुआवजे का भुगतान कर रही है । किन्तु ऐसे यात्रियों को जो सड़क परिवहन दुर्घटना में मारे जाते हैं किसी मुआवजे का भुगतान नहीं करती । क्या सरकार ऐसे मामलों में भी विभिन्न राज्यों में यात्री राष्ट्रीय परिवहन की वसों की दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं मुआवजे

का भुगतान करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को जो यदि दुर्घटना के शिकार हो जाते है किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता । वे मुआवजे के पात्र हैं और उन्हें मुआवजा मिलता भी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ और वर्षा के कारण रेलवे की हुई हानि

*264. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** :

श्री ए० ए० रहीम : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में हाल ही बाढ़ और वर्षा के कारण रेलों को प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में, कुल कितनी हानि हुई और हानि किस प्रकार की थी ; और

(ख) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) इस कारण रेलवे को हुई हानि की तुलना में यह हानि कम है या अधिक ?

रेल मन्त्री (केदार पाण्डे) : (क) हाल ही में आयी बाढ़ के दौरान रेलों (रेलवे-वार) को हुई कुल हानि नीचे दी गयी है : —

रेलवे	पुलों और तटबन्धों को हुई क्षति के कारण हानि (रुपयों में)	यातायात निलम्बित हो जाने के कारण हुई हानि (रुपयों में)	जोड़
1	2	3	4
मध्य	70,000	—	70,000.00
पूर्व	25,000	—	25,000.00
उत्तर	8,00,000	33,00,000/-	41,00,000.00
पूर्वोत्तर	35,000	9,200/-	44,200.00

1	2	3	4
पूर्वोत्तर सीमा	53,000	3,54,459/-	4,07,459.00
दक्षिण	—	—	—
दक्षिण पूर्व	—	—	—
दक्षिण मध्य	—	—	—
पश्चिम	6,57,00,000	83,25,000/-	7,40 25,000.00
जोड़	6,66,83,000	1,19,88,659/-	786,71,659,00

(ख) इस लेखे के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों (वर्षवार) में रेलों द्वारा उठायी गई हानि नीचे दी गयी है :—

1978-79	—	रु०	—	14,76,00,000
1979-80	—	रु०	—	11,86,00,000
1980-81	—	रु०	—	7,10,00,000
हाल ही की बाढ़ में			—	7,86,71,659

डाक्टरों के उच्च अध्ययन के लिए चिकित्सा संस्थानों का अभाव

*266 **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्नातक डाक्टरों को उच्च शिक्षा देने के लिए हमारे चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जबकि बड़ी संख्या में डाक्टर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं ;

(ख) क्या स्नातक डाक्टरों को उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से सरकार का विचार कुछ विशिष्ट चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के लिये विदेशों को चले गये भारतीय डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क, जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं क्योंकि इस संबंध में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नई मशीनों को चलाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना

*267. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई मशीनों को चलाने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्राथमिक अध्यापकों की पदोन्नति में गतिरोध

*268. **श्री सूरज भान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली में प्राथमिक अध्यापकों की, अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के ग्रेड में गतिरोध, पदोन्नोति के कम अवसर और अनुपयुक्त कार्य स्थिति में काम करने की शोचनीय दशा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ;

(ग) प्राथमिक अध्यापकों संबंधी त्रिगुण सेन समिति की क्या सिफारिशें हैं और क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वित कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली के प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का वेतनमान 330-560 रुपये है, जो 16 वर्ष की अवधि में पूरा होता है। यह बताया जाता है कि इन अध्यापकों में से 1/5 अध्यापक इसकी अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच गये हैं। पदोन्नति के अवसरों के सम्बन्ध में, इस काडर के 20 प्रतिशत पद, जो 3 वर्ष से भी अधिक समय से चले आ रहे हैं, 530-630 रुपये के प्रवरण ग्रेड में हैं।

इसके अलावा, 425-640 रुपये के वेतनमान वाले प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के सभी पद, जो प्राथमिक अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से भी अधिक हैं, केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

प्राथमिक स्कूल के अध्यापक, 440-750 रुपये के वेतनमान में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रूप में पदोन्नति के लिए भी पात्र हैं ।

दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की कार्य स्थिति को खराब नहीं बताया जा सकता ।

(ग) और (घ) डा० त्रिगुण सेन की अध्यक्षता में शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति ने सामान्य रूप से अध्यापकों के लिए सिफारिशें की । अध्यापकों के स्तर के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक वर्ष स्कूलों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले युवा पुरुषों और महिलाओं के पर्याप्त भाग को अध्यापन व्यवसाय की ओर आकर्षित करने तथा उन्हें निष्ठावान, उत्साही और संतुष्ट अध्यापकों के रूप में बनाये रखने के लिए सतत प्रयास किये जाने चाहिये । इन सिफारिशों में परिलब्धियों तथा कार्य और सेवा की शर्तों में सुधार करने तथा व्यावसायिक प्रोन्नति के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया । इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) अपनाई । राष्ट्रीय नीति में यह उल्लेख किया गया है कि अध्यापकों की अर्हताओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उनकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ठीक और सन्तोषजनक होनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश की गई । उनके सम्बन्ध में, भारत सरकार ने सरकारी, स्थानीय निकाय तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे स्कूल अध्यापकों के वेतनमान को संशोधित करके बढ़ाया है ।

तटीय नौवहन निगम की स्थापना

*272 डा० वसन्त कुमार पंडित :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटीय नौवहन की समस्याओं का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा नौवहन महानिदेशक श्री आर०डी० प्रधान की अध्यक्षता में नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति का भी यह निष्कर्ष था कि इस प्रकार के निगम की स्थापना करना आवश्यक और सम्भव भी ;

(ग) आर०डी० प्रधान समिति की तटीय नौवहन सम्बन्धी सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय किया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि तटीय नौवहन निगम की स्थापना के प्रश्न की गहराई से जाँच की जानी आवश्यक है ।

(ग) से (ङ) प्रधान समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना

*274. श्री चिन्तामणि जेना : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में हैजा और आंत्र शोथ रोग के फैलने का डर

*275. श्री जयनारायण रौत : क्या स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अभूतपूर्व भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण राजस्थान राज्य के जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हैजा और आंत्रशोथ के महामारी के रूप में फैलने का भय बना हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में नई रेल लाइनें

*276. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में, जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है तथा जिनमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से लेकर अब तक वास्तव में कोई नई लाइनें नहीं बिछाई गई हैं, नई रेल लाइनें बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और छठी योजनावधि के दौरान बिछाने के लिए स्वीकृत नई लाइनें क्या हैं और इन राज्यों में प्रत्येक लाइन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और इनमें से प्रत्येक लाइन के कब तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है और सम्पूर्ण लाइन का अनुमानित खर्च क्या है और प्रत्येक लाइन के प्रति किलोमीटर लम्बी लाइन का खर्च कितना है औनु सम्बन्धित राज्य का अंशदान कितना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

लाइनों का निर्माण समग्र रूप से देश की तीव्र परिवहन आवश्यकताओं के राष्ट्रीय आधार पर किया जाता है। अतएव, नयी राज्यवार योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिन लाइनों का निर्माण प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, उनके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक निर्माण अनुमोदन नयी रेल लाइनें नीचे दी गयी हैं :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	लम्बाई कि०मी० में	रेलवे	राज्य	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	प्रति कि०मी० औसत लागत (लाख रु० में)	छठी योजना के दौरान परिव्यय पर किया गया विचार	समाप्त होने का संभावित वर्ष	राज्य सरकार टिप्पणी द्वारा प्रस्तावित अंशदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बोनाकालू-जग्गयापेट्टै (व.ला)	34.00	दक्षिण मध्य	आंध्र प्रदेश	7.00	20.59	7.00	1985-86	कुछ नहीं
2.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (व.ला.)	242.00	पश्चिम	राजस्थान और	41.09	16.98	27.00	1987-88	,,
3.	तेलापुर-पातेनचेरू (व.ला.)	8.31	दक्षिण मध्य	मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश	2.22	26.71	2.22	1984-85	,,
4.	कोरापुट-रायगड़ा (व.ला.)	134.2	दक्षिण पूर्व	उड़ीसा	112.10	64.35	110.00	1985-88	,,
5.	करूर-डिंडीगुल-तुत्तिकोरिन (व.ला.)	324.00	दक्षिण	तमिलनाडु	42.86	13.23	18.50	1988-89	,,
6.	जम्मू-ऊधमपुर (व.ला.)	56.10	उत्तर	जम्मू और कश्मीर	50.00	89.13	21.50	1988-89	,,

इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए योजना आयोग के परामर्श से निम्नलिखित योजनाओं के बारे में विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	लम्बाई कि.मी. में	रेलवे	राज्य	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	प्रति कि. मी. औसत लागत (लाख रु० में)	छठी योजना के दौरान परिव्यय पर किया गया विचार	समाप्त होने का संभावित वर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अंशदान टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नंगल-तलवाड़ा-मुकेरियां (ब.ला.)	84.00	उत्तर	पंजाब/ हिमाचल प्रदेश	33.50	39.88	12.50	1987-88	मुफ्त भूमि, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी का काम और हिमाचल प्रदेश सरकार की लागत पर स्लीपर।
2.	चंडीगढ़-मोरिंडा (ब.ला.)	45.00	उत्तर	पंजाब	20.07	44.60	10.00	1985-86	कुछ नहीं।
3.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग (मी.ला.)	95.00	दक्षिण	कर्नाटक	18.00	18.95	5.50	1986-87	,,
4.	बज-बज नामखाना (ब.ला.)	92.70	पूर्व	पश्चिम बंगाल	20.77	22.41	6.00	1986-87	मुफ्त भूमि, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी का काम।
5.	रोहा दास गांव (ब.ला.)	45.00	मध्य	महाराष्ट्र	9.00	20.00	6.00	1987-88	कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के सन्दर्भ में स्पष्ट की गयी स्थिति को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

छपड़ा और दिल्ली के बीच एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

*277. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छपड़ा से दिल्ली तक 'धर्मनाथ' अथवा 'हरिहरनाथ' नाम से कोई एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय छपरा और दिल्ली के बीच किसी एक्सप्रैस गाड़ी के चलाये जाने के अभाव, छपरा में उपयुक्त टर्मिनल सुविधाओं की अनुपलब्धता और पूर्वोत्तर रेलवे के नये-नये खोले गये गोरखपुर-बाराबंकी बड़ी लाइन खंड पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगे प्रतिबन्ध के कारण ऐसा करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र

*279. **श्री आर० एन० राकेश** :

श्री मनमोहन टुडु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत का कितना क्षेत्र चीन के कब्जे में है ;

(ख) यह क्षेत्र किस-किस प्रदेश में स्थित है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र का कोई भाग उपजाऊ है, यदि हां, तो कितना ;

(घ) क्या इस क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे के मामले पर चीन के विदेश मंत्री के साथ हाल में हुई वार्ता में बातचीत की गई थी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) लद्दाख क्षेत्र में भारतीय भूभाग का लगभग 14,500 वर्ग मील का इलाका चीन के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बीच अवैध सीमा करार के फलस्वरूप चीन ने लगभग 2,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा रखा है ।

(ग) इन क्षेत्रों की भूमि हमेशा अविकसित हो रही है ।

(घ) चीन के विदेश मंत्री के साथ जून, 1981 में हुई बातचीत के दौरान सीमा के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ।

(ङ) चीनी पक्ष ने यह स्वीकार किया कि हमारे बीच सीमा का प्रश्न एक प्रमुख समस्या है और उन्होंने हमारे इस बुनियादी तर्क को स्वीकार किया कि जब तक सीमा का मामला हल नहीं हो जाता तब तक हमारे संबंध पूर्ण नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में आगे बातचीत करने पर सहमति हुई। हम अगले कुछ महीनों में विचार-विमर्श के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। चीन की सरकार के परामर्श से अधिकारी-स्तर पर बैठक करने की तैयारी की जा रही है।

कोटा और चितौड़ के बीच रेलवे लाईन

*280. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री राम अवध : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) कोटा और चितौड़ के बीच रेलवे लाईन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1981-82 में इस लाईन का कितना निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और वर्ष 1982-83 के लिए योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोटा से चित्तौड़गढ़ और उससे आगे नीमच तक एक बड़ी लाइन का निर्माण करने का कार्य 41.09 करोड़ रुपये की लागत से 1980-81 के बजट में शामिल किया गया था। मई 1981 में स्वीकृत अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण गुर्ला से बूंदी तक (34 कि०मी०) पूरा कर लिया गया है। बूंदी से आगे का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस बीच, काम प्रारम्भ करने के लिए 100 लाख रुपये के लिए तात्कालिकता प्रमाण पत्र की मंजूरी दे दी गयी है।

(ख) गुर्ला-बूंदी खंड में लगभग एक तिहाई मिट्टी का कार्य 1982 के मध्य तक पूरा हो जायेगा। पूरा मिट्टी का कार्य 1982-83 में पूरा हो जाने की सम्भावना है। परियोजना की प्रगति और उसके समापन की तारीख वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पर्याप्त धन और सामग्री उपलब्ध होने पर, इस परियोजना के लगभग 5 से 6 वर्षों में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के मामलों की जाँच हेतु कार्य-दल (टास्क फोर्स)

*281. **श्री आर० के० महालगी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के मामलों की जांच करने के लिए एक कार्य-दल (टास्क फोर्स) के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में से अकुशलता तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) द्वारा अपनी 48वीं रिपोर्ट में की गई अनेक सिफारिशों में एक सिफारिश रा०शै०अ०प्र०प० के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्य-दल स्थापित करने के बारे में है। उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए सरकार को 30-10-1981 तक का समय दिया गया है।

लेह, लद्दाख में केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना

*282. **श्री पी० नामग्याल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार ने लेह, लद्दाख में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर सहमति प्रकट की थी; और

(ख) यदि हां, तो लेह में उपर्युक्त स्कूल खोले जाने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) लेह में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन अप्रैल, 1979 में सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया था बशर्ते कि भूमि तथा भवन जैसी भौतिक सुविधाएं जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध की जाएं।

(ख) पता चला है कि लेह में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार संगठन को एक भूखण्ड पट्टे पर देने तथा एक कालेज भवन में अस्थाई स्थान की व्यवस्था करने के लिए राजी हो गई है। तथापि, इस संबंध में राज्य सरकार से निर्धारित रूप में अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के अवसर

2601. **श्री ए० कलानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण है ;

(ख) यदि उनके मामलों में कोई असंगति है तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस श्रेणी में स्वीकृत पद कब तक भरें जायेगें ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा अनुभाग प्रमुखों के 98 नये पद भरे जाने थे । लेकिन इन पदों की आवश्यकता के बारे में ब्यौरेवार समीक्षा होने तक इन पदों को भरा जाना स्थगित कर दिया गया है ।

भारतीय लोक नृत्यों के लिये यूनेस्को द्वारा सहायता

2602. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने भारतीय लोक-नृत्यों पर अनेक फिल्में बनाने के लिए सहायता की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार को शिक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में दीघी पत्तन का विकास

2603. **श्री बाबूसाहिब परुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के दीघी पत्तन का विकास करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने दीघी पत्तन के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान की है,

(ग) क्या सरकार ने बम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए बम्बई पत्तन के विकल्प के रूप में इसका विकास करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार राज्यों के छोटे पत्तनों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को किस किस्म की सहायता देती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं।

(घ) छोटे पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है और इन पत्तनों के विकास के लिए राज्य की योजना में धन की व्यवस्था की जाती है। अगर किसी भी छोटे पत्तन के विकास के लिए कोई राज्य सरकार तकनीकी सहायता मांगती है तब यह नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

अलीगढ़ में पैट्रोलियम प्रोद्यौगिकी संस्थान की स्थापना

2601. **श्री के० मालन्ना :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अलीगढ़ में एक पेट्रोलियम संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) पैट्रोलियम प्रौद्यौगिकी संस्थान की स्थापना के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए अनुरोध पर, विश्वविधालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव पर जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गटित कर दी है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

महापत्तनों के चेयरमैनों के वेतन और योग्यताएं

2605. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम् :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 159 के अनुसार भारत के महापत्तन न्यासों के अध्यक्षों (चेयरमैनों) की सेवा शर्तों तथा वेतन और योग्यताओं का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : पोर्टट्रस्टों के चेयरमैनों के पद सांविधिक होते हैं। ये चेयरमैन मेजर पोर्टट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की धारा 3 के तहत नियुक्त किये जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति चेयरमैन के पद पर तभी तक बना रह सकता है जब तक कि केन्द्रीय सरकार उससे संतुष्ट रहती है। विभिन्न पोर्ट ट्रस्टों के चेयरमैनों के वेतन-मान संलग्न विवरण में दिखाये गए हैं। इन चेयरमैनों में प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल सेवावर्ग में उसकी वरीयता के आधार पर अपने मूल संवर्ग के वेतनमान या चेयरमैन के वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त करने की छूट होती है। वेतन के अतिरिक्त इन चेयरमैनों को मंहगाई भत्ते जैसे अन्य सामान्य भत्ते भी मिलते हैं। उनको अपने स्थानीय निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने के लिए स्टाफ कार की सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा, इन्हें स्टाफकार का प्रति-मास निजी प्रयोजन के लिए 500 किलोमीटर तक 100 रुपये (अगर स्टाफकार 16 हार्स पावर से अधिक हार्स पावर की है तब 150 रुपये) देकर उपयोग करने की भी अनुमति होती है।

विवरण

पोर्ट का नाम	चेयरमैन का वेतनमान
कलकत्ता	3000-125 3500 रुपये ।
बम्बई	-वही-
मद्रास	2500-100-3000 रुपये ।
कोचीन	-वही-
विशाखापत्तनम्	-वही-
परादीप	-वही-
कांडला	2250-100-2750 रुपये ।
मुरगांव	-वही-
टूटीकोरिन	-वही-
न्यू मंगलौर	-वही-

विवेकानन्द रॉक मैमोरियल के लिए नौकासेवा (फेरी सर्विस)

2606. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीनों में कन्याकुमारी जिले में विवेकानन्द रॉक मैमोरियल के लिए नौका-सेवा प्रायः बन्द कर देनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवेकानन्द रॉक के लिए नौका सेवा को बनाये रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विवेकानंद शिला-स्मारक समिति के कार्यकर्ताओं और कन्याकुमारी स्थित मछली पालन विभाग के नौका घाट के कर्मचारियों के बीच झड़प होने के कारण विवेकानंद शिला-स्मारक समिति ने 18-7-1981 को नौका सेवा निलम्बित कर दी थी । लेकिन विवेकानंद शिला-स्मारक समिति ने 19-7-1981 को नौका सेवा शुरू की और फिर नौकाओं की मरम्मत तथा रेत निकालने की कठिनाईयों के कारण समिति ने 20-7-1981 से नौका सेवा बंद कर दी ।

(ग) राज्य सरकार ने पारस्परिक रूप से सम्मत शर्तों पर नौका सेवा को विवेकानंद शिला-स्मारक समिति से अपने हाथ में लेने तथा इसें 1-10-1981 से चलाने का निश्चय किया है ।

रेल कर्मचारी सहकारी समिति, धनबाद

2607. **श्री ए. के. राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय रेल प्राधिकारियों के सहकारिता-विरोधी रवैये के कारण पूर्व रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०. (ईस्टर्न रेलवे एम्प्लाईज कन्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०), धनवाद में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) धनवाद में 27 जुलाई, 1981 को हुई इस सहकारी समिति (कोआपरेटिव सोसाइटी) की वार्षिक सामान्य बैठक में क्या प्रतिवेदन और संकल्प पास किये गये; और

(ग) रेल कर्मचारियों की इस सहकारी समिति को उचित ढंग से चलाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) 27-7-81 को हुई वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्प के सम्बद्ध भाग के उद्धरण नीचे दिये गये हैं :-

'यह सदन स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों के असहयोगी रुख के विरुद्ध गहरा असंतोष व्यक्त करता है । सदन ने सोसाइटी से लेन-देन बन्द करना और प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा पुराने बकाया बिलों का भुगतान रोक देना गंभीरता से लिया है और प्राचार्य की कार्रवाई की जोरदार भर्त्सना की थी । सदन महसूस करता है कि रेलवे सहकारिता सोसाइटी, धनवाद एक स्थायी सहकारिता संस्थान है और इस प्रकार, रेलवे द्वारा उसके कार्यकलापों को प्रारम्भ करने और उन्हें जारी रखने के लिए एक बार दी गयी जगह उन्हें समुचित वैकल्पिक स्थान दिये बिना किसी भी समय वापस नहीं ली जायेगी । गोदाम को बलपूर्वक लेने और सोसाइटी के केंटीन भवन को लेने के प्रयास सदन द्वारा रेल प्रशासन की ओर से सहकारिता विरोधी कार्रवाई समझी गयी थी । इस प्रकार इस सदन ने ऐसी सभी कार्रवाइयों का दृढ़ता से विरोध करने का निश्चय किया है ।

धनबाद में पुराने मंडल अधीक्षक, कार्यालय से लगी कैंटीन इमारत 1968 में सहकारिता समिति को आबंटित की गयी थी । लेकिन, 1977 में पुराना मंडल अधीक्षक कार्यालय की इमारत केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय विद्यालय चलाने के लिए सौंप दी गयी थी । स्कूल प्राधिकारियों ने स्कूल परिसरों के भीतर कैंटीन चलाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया था जहां बाहरी व्यक्ति भी बार-बार आते थे जिससे स्कूल चलाने में बाधा पड़ती थी । वास्तव में, मंडल कार्यालय

को पुरानी इमारत से नयी इमारत में ले जाने से, पुराने मंडल अधीक्षक कार्यालय की इमारत जो इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकार में है, से लगी कैंटीन इमारत की उपयोगिता समाप्त हो गयी थी। अतः, कैंटीन के अधिभोक्ताओं से परिसर खाली करने के लिए कहा गया है। इससे बच्चों की बढ़ती संख्या के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होने में मदद मिलेगी।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, धनबाद में प्रशिक्षुओं द्वारा ही एक मेस चलाया जा रहा था और सूखा राशन और खाना बनाने की अन्य सामग्री इस सहकारिता समिति द्वारा सप्लाई की जाती थी। लेकिन, कुछ समय पूर्व विद्यार्थियों द्वारा मेस की व्यवस्था समाप्त कर देने के कारण, सोसाइटी के साथ इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है।

जहां तक बकाया भुगतान का सम्बन्ध है, सोसाइटी के ९,886. 71 रुपये के बिलों का 20-8-1981 को भुगतान कर दिया गया है।

ईरान-इराक युद्ध में रोके गए तथा क्षतिग्रस्त हुए जहाजों के युद्ध जोखिम दावों का निपटान

2608. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान तथा इराक के युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में रोके गए तथा क्षतिग्रस्त हुए जहाजों के युद्ध जोखिम दावों को सरकार ने अभी तक नहीं निपटाया है;

(ख) क्या यह सच है कि विशेष रूप से छोटी जहाजरानी कम्पनियों के दावों के निपटान में इस बिलम्ब का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह जोखिम, सरकार की युद्ध जोखिम बीमा पालिसी में शामिल है, यह निर्णय किया गया कि ईरान-ईराक युद्ध में जहाजों को रोकने और जहाजों के पूरी तरह नष्ट होने से उत्पन्न दावों का भी निपटान कराया जाए। यह निर्णय भी किया गया कि इन रोके गए जहाजों/पूरी तरह नष्ट जहाज़ों से संबंधित दावों को निपटाने के बारे में आपसी युद्ध जोखिम क्लबों/एसोसिएशनों द्वारा व्यवहृत रीति को अपनाया जाए। जब जहाज को रोकने, क्षतिग्रस्त होने आदि से संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों के वास्तविक निपटान के बारे में कार्रवाई की जाएगी।

युवा चिकित्सा स्नातकों में रोजगार की कमी के कारण बढ़ती हुई निराशा

2609. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जूनियर डाक्टर्स फेडरेशन ने रोजगार के अवसरों की कमी तथा रोजगार-संतुष्टि के अभाव के कारण युवा चिकित्सा स्नातकों में बढ़ती हुई निराशा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कनिष्ट डाक्टरों में पुनः विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कोई योजना बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) छटी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र इन योजनाओं के कार्यान्वयन होने पर युवा मेडिकल स्नातकों को रोजगार के और अधिक अवसर मिलने की संभावना है जिन से उन्हें अपने रोजगार से सन्तोष भी मिलेगा ।

विश्व उर्दू सम्मेलन

2610. **श्री भीकूराम जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठा विश्व उर्दू सम्मेलन इस वर्ष अक्तूबर में लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए कुछ सहायता/सुविधायें प्रदान करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) मई 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश में अक्तूबर, 1981 के दौरान उर्दू के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार से सम्मेलन के संबंध में नवीनतम स्थिति बताने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ग) वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में गैर-चिकित्सा श्रेणी-I और II के अधिकारी

2611. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में गैर-चिकित्सा श्रेणी—I और II के अधिकारियों के बारे में 19 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4455 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण में उल्लिखित स्टाफ के लोगों में ऐसे व्यक्तियों के व्यय क्या हैं, जिनके सेवा रिकार्डों की वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा जाँच कर ली गई है और सेवा पुष्टि प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ;

(ख) शेष लोगों को उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों के मामले में, जो जल्दी ही सेवा निवृत होने वाले हैं, को उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, जबकि ऐसे लोगों को जिन्हें अभी काफी समय नौकरी करनी है, के प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस इच्छानुसार चुनने की इस प्रक्रिया के लिए क्या मानदण्ड अपनायें गए हैं और सभी मामलों में तथा इस सम्बन्ध में जो काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा हुआ है, कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) संबंधित अधिकारियों के नाम विवरण में दिए गये हैं ।

(ख) से (घ) ज्यों ही सम्बन्धित अधिकारियों की सेवा पंजियां सभी प्रकार से पूरी हो जाती हैं और सरकारी रिकार्ड से विधिवत उसका सत्यापन हो जाता है, त्यों ही उन्हें अपेक्षित सत्यापन प्रमाण-पत्र रिकार्ड करने के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास भेज दिया जाता है । वेतन एवं लेखा अखिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र रिकार्ड करने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते हैं । यह किसी चयन पद्धति के आधार पर नहीं किया जाता, अपितु यह अधिकारियों के पूरे सेवा रिकार्डों की उपलब्धता पर निर्भर है । जो व्यक्ति 1982, 1983, और 1984 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, उनमें कुछेक के सेवा रिकार्ड सत्यापन के लिए पहले ही वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास भेजे जा चुके हैं ।

विवरण

18-12-1980 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 445 के संबंध में रखे गये विवरण में जिन अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया है और जिनके मामले में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं उन अधिकारियों के नामों की सूची :

1. श्री एन. एस. भाटिया, निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता) ।
2. श्री संगत सिंह, उप-निदेशक प्रशासन ।
3. श्री ओ. पी. वाली, उप-निदेशक, प्रशासन ।

4. श्री पी. के. दत्त, सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) ।

5. श्री जगजीत सिंह, वास्तुकार ।

6. श्री वी. पी. भसीन, सांख्यिकीविद ।

7. श्रीमती आर. के. सूद, नर्सिंग अधिकारी ।

8. श्री आई. पी. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी ।

9. श्री आर. एन. मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी ।

10. श्री गुरमुख सिंह, सहायक (अव लेखाकार) ।

11. श्री एच. एन. सम्भी, सहायक ।

12. श्री निरंजन दास, सहायक ।

13. श्री डी. आर. चड्डा, सहायक ।

14. श्री एस. वी. थिरवानी, सहायक ।

15. श्री एन. डी. वजाज, सहायक ।

16. श्री पी. पी. मल्होत्रा, सहायक ।

17. श्री आर. पी. अहीर, सहायक ।

18. श्री एम. एम. एस. थापा, सहायक ।

19. श्री एच. एल. धमीजा, सहायक ।

20. श्री कृष्ण गोपाल, सहायक ।

21. श्री प्रकाश ठाकुर, सहायक ।

हिन्दी अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाना

2612. **श्री क्रिस्टोफर एक्का :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों के स्कूलों में विभिन्न अहिन्दी भाषा राज्यों में कार्य कर रहे हिन्दी अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतनमान क्या होगा ;

(ग) क्या इन हिन्दी अध्यापकों को वर्ष 1981-82 में पुनरीक्षित वेतनमान दे दिया जायेगा ; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, स्कूलों में नये हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता 50 : 50 हिस्से के आधार पर दी जाती है। उनकी नियुक्ति, वेतनमानों का निर्धारण तथा उनके संशोधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित राज्यों की है।

रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेल कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों का संयुक्त ज्ञापन

26 3. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेल कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने एक संयुक्त ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में की गई प्रमुख शिकायतें क्या है ; और

(ग) रेल दुर्घटनाओं से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवत: इसका आशय रेल कर्मचारियों के कुछ संगठनों द्वारा 24 जुलाई, 1981 को दिये गये संयुक्त प्रेस बयान से है।

(ख) इस प्रेस बयान में, यह आरोप लगाया गया है कि दोषपूर्ण योजना बनाना, गतायु परिसम्पत्तियों का उपयोग करना, सामग्री और अतिरिक्त पुर्जों का उपलब्ध न होना तथा संरक्षा नियमों का उल्लंघन करना दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यदि सभी दुर्घटनाओं के लिए नहीं तो कम से कम प्रमुख दुर्घटनाओं के कारणों की सार्वजनिक जांच करने की मांग भी की गयी है।

(ग) यद्यपि प्रेस बयान में रखे गये विभिन्न मुद्दों की जांच करायी जा रही है, रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में अधिक संरक्षा की भावना जागृत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव उपाय न अपनाएं जिनसे दुर्घटनाएं होती हैं, एक गहन अभियान चला रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर न आयें। श्वास परीक्षण यंत्र आरम्भ किया गया है। जिस चल स्टाक पर अधिक ध्यान देना अपेक्षित है, उसे दूसरे से विलग किया जा रहा है ताकि निरन्तर अन्तरालों में उसकी ओर संगठित ध्यान दिया जा सके। रेलपथ के अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

क्षेत्रीय परीक्षण के लिए रेलवे बोर्ड में एक विशेष संरक्षा दल का गठन किया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा दुर्घटनाओं के रूख की निरन्तर समीक्षा की जाती है और उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

महाप्रबन्धकों ने नवम्बर, 1981 तक सभी ट्रंक मार्गों का विशेष संरक्षा निरीक्षण करने का विशेष कार्यक्रम बनाया है।

सभी दुर्घटनाओं की उपयुक्त स्तर पर जांच करायी जाती है जो उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। चूंकि सभी बड़ी दुर्घटना की जांच रेलवे संरक्षा के आयुक्त, जो पर्यटन एवं सिविल विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकारी हैं- द्वारा की गयी हैं, इसलिए इन दुर्घटनाओं की और आगे जांच करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

बादबिल रेलवे स्टेशन

2614. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में बादबिल रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म बनाने के लिये कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर-राजखरसवां बड़ाजामदा-बाराबिल खंड पर स्थित बाराबिल रेलवे स्टेशन से हैं। यह एक छोटा-सा स्टेशन है, जहां केवल एक जोड़ी गाड़ी रुकती है। इस स्टेशन पर होने वाले यात्री यातायात के वर्तमान स्तर को सम्हालने के लिए पटरी की सतह वाला एक प्लेटफार्म पहले से ही मौजूद है जिसे पर्याप्त समझा जाता है।

खाद्य पदार्थों के नमूने और उनमें कीटनाशी दवाइयों के अवशिष्ट तत्व पाये जाने के बारे में अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सर्वेक्षण

2615. **श्री के० प्रधानी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान ने खाद्य-पदार्थ के किसी नमूने का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन से अधिकांश मामलों में डी०डी०टी० जैसी कीटनाशी दवाओं के अवशिष्ट तत्व पाये जाने का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता के विभिन्न बाजारों से भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों के 390 नमूनों और पानी के 10 नसूनों में डी. डी. टी. लिडेन और मालाथियन की मौजूदगी का पता लगाने के लिये उनका विश्लेषण किया गया । 30 प्रतिशत पशु उत्पादों, 26.3 प्रतिशत अनाजों और दालों तथा 24 प्रतिशत सब्जियों के नमूनों में कीटनाशक औषधियां पाई गई । किन्तु इनकी मात्रा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सहय-सीमा से प्रायः कम थी ।

खाद्य अप्रमिश्रण निवए निर्वारण अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों में भिन्न-भिन्न कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों की सीमा निर्धारित की गई है ।

(ग) विभिन्न खाद्य पदार्थों पर कीटनाशी दवाइयों के कुप्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार आज़कल खरण खाद्य और कृष्टि कृषि संगठन के सहयोग से देश भर में एक सर्वेक्षण कर रही है । 1981 के अन्त तक इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने की आशा है । इस अध्ययन के लिए नमूनों आदि का विश्लेषण करने के काम में दस राष्ट्रीय संस्थान जुटे हुए हैं । जो विश्लेपक विश्लेपण कार्य करेंगे उनके लिए प्रशिक्षग कार्यक्रम हाल ही में पूरे हुए हैं । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिये चलाये गये हैं ताकि समान निष्कर्ष प्राप्त हों ।

अनुसन्धान, डिजाइन और नमूना सगठन में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुपात

2616. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान, डिजाइन और नमूना संगठन में 1965 में राजपत्रित अधिकारियों की कितनी संख्या थी और आज यह संख्या कितनी है, पदवार विवरण दीजिए ;

(ख) 1955 में कर्मचारियों की कितनी संख्या थी और आज यह कितनी है ;

(ग) क्या कर्मचारियों की संख्या और विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की संख्या में कोई सम्बन्ध है;

(घ) यदि अधिकारियों का काम कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना और प्रशासन करना है, तो अधिकारियों की संख्या में इतनी असाधारण वृद्धि क्यों हुई जबकि कर्मचारियों की संख्या लगभग वही रही;

(ङ) अनुसंधान, डिजाइन और नमूना संगठन में अधिकारियों द्वारा अर्जित यात्रा भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि अर्जित की गई और वर्तमान महानिदेशक ने पिछले छः महीने के दौरान कितना यात्रा भत्ता अर्जित किया, महीना-वार विवरण दीजिए ; और

(च) क्या इस बात पर कभी ध्यान दिया गया है कि यह संगठन एक भार बन गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) 31-12-1965 को ओर 1-7-1981 को अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में राजपत्रित अधिकारियों (ग्रुप 'ए' और 'बी') की संख्या इस प्रकार है :—

31-12-1965 को		1-7-1981 को	
स्वीकृत संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	स्वीकृत संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या
185	146	366	333

(विवरण—1 और विवरण—2 में पद-वार ब्यौरा दिया गया है)

31-12-1965 और 1-7-1981 को अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में अराजपत्रित (ग्रुप 'सी' और 'डी') कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

31-12-1965 को		1-7-1981 को	
स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
2167	1651 (नियमित स्थायी बनाये गये -780)	4017 -3237	3568 (नियमित-2918 स्थायी बनाये गये -650)

हालांकि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के बीच कुछ सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए लेकिन कार्य के विस्तार के स्वरूप से आपेक्षिक अनुपात का निर्धारण होता है । अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कार्य के अनुसंधान और मानकीकरण के पहलुओं के कारण एक अधिकारी अभिमुखी संगठन है ।

यह देखा जा सकता है कि अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की तुलना में, अधिकारियों की संख्या में वास्तव में कोई असाधारण वृद्धि नहीं

हुई है । 1965 में अधिकारियों/कर्मचारियों का अनुपात 11.3: 1 था जबकि यह 1981 में 10.7:1 था ।

पिछले 6 महीने के दौरान अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के अधिकारियों और महानिदेशक द्वारा अर्जित यात्रा भत्ते के आकड़े विवरण-3 में दिये गये हैं ।

जैसा कि ऊपर दिखाये गये अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के अनुपात से पता चलेगा, इस संगठन को भार नहीं समझा जाता ।

विवरण—1

1965 में राजपत्रित कर्मचारियों की (पदवार) संख्या (31-12-1965 को)

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
	(1) श्रेणी-1		
1	महानिदेशक	1	1
2	उप महानिदेशक	1	1
3	निदेशक	4	4
4	अपर निदेशक	3	3
5	सं० निदेशक	16	14
6	उप निदेशक	37	29
8	वरिष्ठ निरीक्षण इंजीनियर	6	3
8	सहायक निदेशक	61	46
9	प्रशिक्षु अधिकारी	2	1
10	सम्पर्क अधिकारी	1	1
11	ड्रायनामीटर कार अधिकारी	2	1
12	ओ.एस.सी. कार अधिकारी	5	5
13	केमिस्ट और धातुकर्मी	2	2
	(2) श्रेणी-2		
1	महानिदेशक के सचिव	1	1

1	2	3	4
2	अनुभाग अधिकारी	11	10
3	खंड अधिकारी	25	18
4	सम्पर्क इंजीनियर	2	2
5	निरीक्षण इंजीनियर	2	2
6	सहायक इंजीनियर	1	1
7	सहायक भंडार नियंत्रक	1	1
	जोड़	185	146
	(ख) अराजपत्रित कर्मचारी	2167	1651

विवरण—2

1981 में राजपत्रित अधिकारियों/अ.अ.मा. सं. में कर्मचारियों (पद-वार) संख्या (1-7-1981 को)

क्र०सं०	पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों/ अधि० की संख्या
	श्रेणी—1		
1	महानिदेशक	1	1
2	उप महानिदेशक	1	1
3	निदेशक	12	12
4	अपर निदेशक	8	7
5	सं० निदेशक	74	68
6	उप निदेशक	123	115
7	सहायक निदेशक/वास्तुविज्ञ	1	...
8	केमिस्ट और धातुकर्मी	2	2
9	टाउन इंजीनियर	1	1
10	वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी	2	2
11	वैज्ञानिक अधिकारी/मनोवैज्ञानिक	2	2

1	2	3	4
12	जिला भंडार नियंत्रक	1	1
13	वि०का०अ०/हिन्दी	1	1
	(ख) श्रेणी—2		
1	महानिदेशक के सचिव	1	1
2	अनुभाग अधिकारी	13	10
3	सहायक डीव अधिकारी	2	1
4	सहायक वास्तुविज्ञ	5	5
5	सहायक अनुसंधान इंजीनियर	19	17
6	सहायक अनुसंधान अधिकारी	9	9
7	सहायक अभिकल्प इंजीनियर	40	32
8	सहायक निरीक्षण इंजीनियर	18	17
9	सहायक सम्पर्क इंजीनियर	2	2
10	सहायक लेखा अधिकारी	2	2
11	सहायक इंजीनियर	1	1
12	सहायक भंडार नियंत्रक	1	—
13	विश्लेषक	1	1
14	व० कार्मिक अधिकारी	17	17
12	क० वैज्ञानिक अधिकारी/मनोवैज्ञानिक	6	5
	जोड़	366	333
		3237	2918
	(ख) अराजपत्रित कर्मचारी नियमित किये गये	780	650

विवरण—3

पिछले 6 महीने के दौरान अ.अ.मा. सं. के अधिकारियों और महानिदेशक/अ.अ.मा. सं. द्वारा अर्जित किये गये यात्रा भत्ते (माह-वार) का विवरण :

महीना	यात्रा भत्ते पर हुआ खर्च					
	अधिकारी		महानिदेशक		जोड़	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
फरवरी, 1981	35,420.00		350.00		35,770.00	
मार्च, 1981	35,220.00		370.00		35,590.00	
अप्रैल, 1981	26,990.00		310.00		27,300.00	
मई, 1981	30,770.00		380.00		31,150.00	
जून, 1981	26,150.00		240.00		26,390.00	
जुलाई, 1981	28,988.30		470.00		29,458.30	
जोड़	1,84,538.30		2,120.00		1,85,658.30	

बयाना और कोटा के बीच पैसेन्जर गाड़ियों का विलम्ब से चलना

2617. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 से 15 जुलाई, 1981 तक बयाना और कोटा के बीच चल रही पैसेंजर गाड़ियां कितने दिन कोटा में समय पर पहुंची थीं और कितने दिन समय पर नहीं पहुंची थीं ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी से जुलाई, 81 (15 ता० तक) 92 अप बीना-कोटा सवारी गाड़ी 196 दिनों में से 89 दिन कोटा स्टेशन पर ठीक समय पहुंची थी, जबकि 94 अप सवारी गाड़ी 131 दिनों में से 85 दिन कोटा स्टेशन पर ठीक समय पहुंची थी ।

(ख) इन गाड़ियों के देरी से चलने का कारण बीना से देरी से छूटना यांत्रिक खराबी, नियंत्रण अवरोध, खतरे की जंजीर खींचना और गाड़ियों का समय पर मेल न होना आदि जैसे कारण हैं ।

लालगंज स्टेशन पर यात्री गाड़ियों का देरी से आना

2618. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की 1 ए. यू. सी. इलाहाबाद-कानपुर यात्री गाड़ी का लालगंज स्टेशन (रायबरेली) पर पहुंचने का निर्धारित समय 20.32 बजे है तथा 2 आर० सी० रायबरेली-कानपुर यात्री गाड़ी का लालगंज स्टेशन (रायबरेली) पर पहुंचने का निर्धारित समय 19.35 बजे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये दोनों गाड़ियां पिछले ढाई साल से चार-चार घंटे देरी से चल रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका सही कारण क्या है ; और

(घ) रेल मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि गाड़ियां समय से चलें ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1 ए. यू. सी. पैसेंजर और 2 आर. सी. पैसेंजर गाड़ी का लालगंज स्टेशन में पहुंचने का निर्धारित समय क्रमशः 20.48 और 19.42 बजे है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) विगत में बदमाशों द्वारा खतरे की जंजीर खींचने और होस पाइप अलग करने की घटनाओं के कारण 1 ए. यू. सी. और 2 आर. सी. पैसेंजर गाड़ियों का चालन संतोषप्रद नहीं रहा । इस बुराई की रोकथाम करने के लिए, इन गाड़ियों से खतरे के जंजीर के उपकरण निष्क्रिय कर दिये गए हैं और बदमाशों को पकड़ने के लिए टिकटों की जांच करने के अभियान चलाये गये हैं ।

मैसर्स बूट्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया दवाओं का निर्माण

2619. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मैं० बूट्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया दवाओं का निर्माण के बारे में 19 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई द्वारा कृत्रिम दवाओं के निर्माण के सम्बन्ध में वांछित जानकारी एकत्र करली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना अब मिल गई है और यह सभा-पटल पर अलग से रखी जा रही है ।

दिल्ली में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का गत्यावरोध

2620. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों सहित विभिन्न विद्यालयों में ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की संख्या क्या है जो 1 जुलाई, 1981 को अपने अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुके हैं ;

(ख) ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है जो तीन अथवा अधिक वर्ष से गत्यावरोध पर हैं ; और

(ग) इस गत्यावरोध को समाप्त करने तथा उन्हें कुशल कार्य के लिए आवृत्ति प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने निम्न प्रकार से सूचित किया है : —

दिल्ली प्रशासन	——	3180
नई दिल्ली नगर पालिका	——	23
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	——	70
(ख) दिल्ली प्रशासन	——	1559
नई दिल्ली नगर पालिका	——	8
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	——	18

(ग) 20 प्रतिशत पदों को, जो स्थायी तथा अस्थायी पद हैं तथा जो तीन वर्ष से चले आ रहे हैं, प्रवरण ग्रेड के पदों में परिवर्तित किया जा सकता है और पात्र प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को प्रवरण ग्रेड में रखा जाता है ।

जिन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पास स्नातकोत्तर अर्हताएं हैं, उनको निर्धारित सीमा तक स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों पर प्रोन्नत किया जा सकता है ।

कोंकण विश्वविद्यालय की स्थापना

2621. **श्री एल. टी. पाटिल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें महाराष्ट्र में कोंकण विश्वविद्यालय या किसी और नाम से विश्वद्यिालय स्थापित करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या है, विशेषकर कोंकण क्षेत्र में रायगढ़ और अन्य जिलों के लोगों को इस विश्वविद्यालय से क्या विशेष लाभ होगा ; और

(ग) इस विद्यालय को कहाँ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को महाराष्ट्र सरकार से कोंकण में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्राधिकार में होगा और इसका स्वरूप एकात्मक होगा। अनुसंधान, विकास और विस्तार खण्डों के जरिए यह पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करेगा।

(ग) यह विश्वविद्यालय कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

32 मालवाही जहाजों का आर्डर दिए जाने का प्रस्ताव

2622. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के दो संगठनों, अर्थात शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और मुगल लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए कुछ प्रमुख विदेशी जहाज निर्माण संगठनों को 32 मालवाही जहाज सप्लाई करने के आर्डर देने का दृढ़ निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी पूंजीगत लागत आने का अनुमान है और उन देशों के नाम बतायें जिन्हें आर्डर दिए गए हैं तथा जहाज की किस्म एवं टनेज डी० डब्ल्यू० टी० और डिलीवरी की संभावित तारीख क्या है ;

(ग) क्या कुछ जहाजों का निर्माण भारतीय शिपयार्डों में नहीं हो सकता था ; और

(घ) क्या आर्डर विश्वभर से निविदाएं मंगाकर अथवा बातचीत द्वारा दिए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार अपने क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जहाज सप्लाई करने के लिए जहाज निर्माण संगठनों को आर्डर नहीं देता है। भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन लिमिटेड ने चालू योजना की अवधि में अपने-अपने जहाजी बेड़े में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें पूंजी लगाने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

दोपहर के भोजन के कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक योजना

2623. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के चार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा मन्त्रियों ने यह देखते हुए कि तीन वर्षों में 'केयर' ने धीरे धीरे सामग्री देनी कम कर दी है, केन्द्र सरकार से यह आग्रह किया है कि वह स्कूलों के दोपहर के भोजन संबंधी कार्यक्रमों के लिए कोई वैकल्पिक योजना बनाए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस पोषण कार्यक्रम को बनाये रखने की दशा में होने वाली गंभीर प्रतिकूल प्रभावों की ओर ध्यान दिलाया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष यह कम करके 130 लाख कर दिया गया था और इस वर्ष भी इसमें काफी कमी की जायेगी ;

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के महत्व पर बल देते हुए, 'केअर' से सामान सहायता में प्रस्तावित कटौती के संदर्भ में, दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समुचित सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है । वर्ष 1981-82 के दौरान 15 प्रतिशत की कटौती की गई है ।

(घ) संबंधित राज्यों/संघीय क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रति छात्र निवेश को कम किए बिना कटौतियों को जिस ढंग से उचित समझें, उस प्रकार खपाएं ।

'केवर' द्वारा प्रस्तावित कटौतियों को तभी पूरा किया जा सकता है यदि सरकार वैकल्पिक संसाधनों से आपूर्ति प्राप्त करने में सफल हो जाए ।

पुराने पड़ गए सवारी डिब्बों और माल-डिब्बों की मरम्मत

2624. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसे सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन कराया है, जो पुराने पड़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और इस संबंध में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी समय समय पर 'सफाई' और मरम्मत करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान रद्द किये गये गतायु स्टाक को ध्यान में रखते हुए गतायु सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की स्थिति के बारे में हर वर्ष समीक्षा की जाती है और उनके बदले नये सवारी डिब्बे लाइन पर चलाये जाते हैं । गतायु सवारी और माल डिब्बों के बदलाव की समग्र व्यवस्था करने के लिए हर पंच वर्षीय योजना में स्थिति की समीक्षा भी की जाती है ।

31-3-81 को गतायु सवारी और माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

सवारी डिब्बे	माल डिब्बे
3240	22321.5

(ग) आवधिक ओवरहाल और मरम्मत के सम्बन्ध में गतायु सवारी डिब्बों और अन्य सवारी डिब्बों के बीच कोई भेद भाव नहीं बरता जाता । जब गतायु सवारी डिब्बों को चलाना जारी रखा जाता है, तो उन्हें भी आवधिक ओवरहाल तथा अन्य मरम्मत के लिए उसी प्रकार भेजा जाता है जिस प्रकार अन्य सभी सवारी डिब्बों को भेजा जाता है । आवधिक ओवरहाल का काम रेल कारखानों में किया जाता है जबकि अन्य मरम्मत कार्य मरम्मत लाइनों, मरम्मत डिपुओं आदि में किया जाता है ।

एशियाई खेलों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की व्यवस्था

2625. **आचार्य भगवान देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कुल कितनी बसें चलाई जा रही हैं ;

(ख) दिल्ली में बसों से अत्यधिक भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम का विचार अपनी बसों में कितनी अतिरिक्त बसें चालू करने का है ; और

(ग) दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले 1982 के एशियाई खेलों की यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये दिल्ली परिवहन निगम क्या व्यवस्थाएं कर रहा है तथा ये व्यवस्थाएं कब तक पूरी किए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने जुलाई 1981 में औसत रूप में एक दिन में 2923 बसें चलाई जिनमें 357 प्रायवेट बसें शामिल हैं ।

(ख) योजनागत स्कीमों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम चालू वित्तीय वर्ष में 291 पुरानी बसों को बदल कर इतनी ही नई बसें खरीदेगा ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने एशियाई खेलों के दौरान यातायात सम्बन्धी आवश्यकता को पूरी करने के लिए अतिरिक्त बसों की संख्या का अनुमान लगाने का काम नेशनल ट्रैफिक प्लानिंग एण्ड आटोमेशन सेंटर (केरल सरकार का उद्यम) को सौंपा है । इस मामले में निर्णय उक्त संस्था की रिपोर्ट के मिलने पर किया जाएगा ।

पंजाब विश्वविद्यालय का दर्जा

2626. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रसरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के दर्जे के बारे में विवाद को हल करने के लिए पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) केन्द्र सरकार तथा पंजाब एवं हरियाणा सरकारों द्वारा इस विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष कितना पैसा दिया जा रहा है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में दो मुख्य मंत्रियों की एक बैठक का प्रस्ताव था । तथापि अभी तक यह बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय के अनुरक्षण खर्च के किसी भाग को प्रत्यक्ष रूप से वहन नहीं करती है जिसे अब चण्डीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार के बीच 60:40 के अनुपात से वहन किया जाता है । 1980-81 के दौरान, संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़ और पंजाब का हिस्सा क्रमशः 279.10 लाख रुपए और 186.06 लाख रुपए था ।

विदेशी बोटमों द्वारा प्याज का निर्यात

2627. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बोटमों के माध्यम से प्याज निर्यात करने के क्या कारण हैं जबकि सिंगापुर, पीनाग इत्यादि के लिए भारतीय बोटम उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या प्याज निर्यात करने के समझौते में खास शर्तें हैं कि केवल विदेशी वोटम ही यह काम करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) प्याज का निर्यात नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इण्डिया के दारा किया जाता है। सिंगापुर, पेनाङ, आदि के लिए निर्यात एफ. ओ. बी. आधार पर ही होती है। उक्त फेडरेशन ने यह सूचना दी है कि इस मामले में कोई भेद नहीं किया जाता है। चूंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो नष्ट हो जाती है, इसलिए जो भी जहाज उपलब्ध होते हैं उनसे इसे तत्काल भेज दिया जाता है। जब कभी भारतीय जहाज उपलब्ध होते हैं तब उनका भी उपयोग किया जाता है।

कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के कुलियों की मांग

2628. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल (मण्डलीय) रेलवे प्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे हुबली (कर्नाटक) को जनरल सैक्रेट्री, कोल्हापुर हमालसंघ (भारतीय मजदूर संघ) कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से दिनांक 30 जून 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो कि माल उतारने चढ़ाने वाले कुलियों की समस्याओं से संबंधित था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में की गई मांगों का विवरण दें;

(ग) इन मांगों के संबन्ध में सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हो तो बिलंब के कारण और इस पर कब कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) जी हां।

(ख) यह सुझाव मालगोदाम में अतिरिक्त छतदार स्थान की व्यवस्था करने, परिचालन क्षेत्र में सुधार करने, लदाई/उतराई कार्य के साथ शंटिंग परिचालन में हस्तक्षेप न करने, कैंटीन आराम कक्षों आदि की व्यवस्था करने, पर्याप्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों तथा कार्यालय स्थान की व्यवस्था करने, रविवार को साप्ताहिक छुट्टी देने और कोल्हापुर माल गोदाम को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में हस्तांतरित करने से सम्बन्धित है।

(ग) सुझावों की जांच की जा रही है और जहां कहीं इसे औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाया गया, उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में प्रबंध-अध्ययन विभागों में प्रवक्ताओं की अर्हताएं

2629. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवन्ध-संस्थान से व्यापार प्रवन्ध डिप्लोमा प्राप्त आवेदक भारतीय प्रवन्ध संस्थान, कलकत्ता, अहमदाबाद और बंगलौर में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किये जाने के पात्र हैं, यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों के लिए क्या न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित हैं;

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवंध-विभागों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं और क्या प्रवंध डिप्लोमा धारक अभ्यार्थी ऐसी नियुक्तियों के लिए पात्र हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अर्हताओं को देखते हुए कोई नियोक्ता विश्वविद्यालय असमान ग्रेडिंग स्केल इस्तेमाल करने वाले संस्थानों से शिक्षक के पदों के लिए आने वाले लोगों को न्यूनतम अर्हता का निर्णय कैसे करती है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारतीय प्रबंध संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी अहमदाबाद, कलकत्ता तथा बंगलौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थानों में प्रवक्ता अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। निर्धारित योग्यताएं हैं :—कम से कम 2 वर्ष के अनुसंधान अथवा औद्योगिक अनुभव सहित अच्छा शैक्षिक रिकार्ड (मास्टर्स डिग्री अथवा इसके समकक्ष)।

(ख) विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध अध्ययन विभागों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं : प्रथम श्रेणी में, व्यापार प्रशासन में मास्टर्स डिग्री अथवा इंजीनियरयरी में ए० टैक० डिग्री। इसके साथ शर्त यह भी है कि पदधारी को 5 वर्ष की अवधि के अन्दर डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त करनी होगी।

भारतीय प्रबंध संस्थानों के स्नातकोत्तर डिप्लोमा को भारत सरकार द्वारा उन पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जाती है जिनके लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्व-विद्यालय की व्यापार प्रशासन में मास्टर्स डिग्री निर्धारित योग्यता है।

(ग) अलग-अलग विश्वविद्यालय, ग्रेडों की समकक्षता निर्धारित करने के लिए तथा भिन्न-भिन्न ग्रेड पद्धतियों का प्रयोग करने वाली संस्थाओं से आने वाले उम्मीदवारों की पात्रता को आंकने के लिए अपने अलग-अलग तरीके अपनाते हैं।

उत्तर रेलवे द्वारा छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन

2630. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 1979-80 1980-81 में मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे नई दिल्ली ने विज्ञापन दिए थे साथ ही विज्ञापन देने की तारीखें, कीमत, संख्या और विषय वस्तु भी बतायें;

(ख) पूर्वोक्त विज्ञापन देने के नियम और मानदण्ड;

(ग) जिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए थे क्या उन सब को विज्ञापनों और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था;

(घ) क्या ऐसे कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाओं द्वारा विज्ञापन मांगे जाने के बावजूद उनको विज्ञापन नहीं दिये गये जबकि इस हेतु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने उनको स्वीकृति ही नहीं दी थी अपितु निदेशालय ने उनके मामलों को रेल मंत्रालय को भेजा था;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन न देने के कारण क्या हैं; और

(च) क्या उपरोक्त कार्यालय में विज्ञापन दिए जाने के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कोई स्थायी नाम सूची है और उसका सम्पूर्ण विवरण ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिन समाचार पत्रों/जर्नल को उत्तर रेलवे ने 1979-80 और 1980-81 में विज्ञापन दिये थे उनकी सूची अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2764/81] विज्ञापन जारी करने की तारीख, उनकी संख्या, लागत और विषय से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

(ख) एक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्धारित दरों पर तथा उनके द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों और जर्नलों को बारी-बारी से विज्ञापन देती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुमोदित तथा जिनके नाम रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गये थे, उन सभी समाचार पत्रों/जर्नलों ने 1979-80 और 1980-81 के दौरान विज्ञापन मिले हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उत्तर रेलवे की नियमित प्रचार माध्यम सूची में शामिल उन समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं की सूची जिन्हें वर्गीकृत विज्ञापन दिये जाते हैं अनुबन्ध 'ख' के रूप में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 2764/81] सूची में परिवर्धन या विलोपन सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय) की सिफारिश पर किया जाता है ।

समस्तीपुर तथा पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे तथा उत्तर रेलवे तथा उत्तर सीमान्त रेलवे के अन्य डिविजनों में रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

2631. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री समस्तीपुर डिवीजन में गाड़ियों के लेट चलाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 अप्रैल 1981 से अतारांकित प्रश्न संख्या 6071 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो घंटे से ज्यादा विलम्ब से चली रेलगाड़ियों की कुल संख्या क्या है और तब से समस्तीपुर तथा पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे तथा उत्तर रेलवे तथा उत्तर सीमान्त रेलवे में रेल-गाड़ियां कुल कितने घंटे विलम्ब सें चली और कितनी गाड़ियां रद्द की गई;

(ख) रेल गाड़ियों के परिहार्य रोके जाने के मामलों की कुल संख्या क्या है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे की समय सारणी उप समिति की गोरखपुर में 12 अगस्त 1981 को हुई बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे और क्या इसके सभी निर्णयों अथवा सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे बोर्ड के पदोन्नत किए गए सहायक

2633. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या रेल मंत्री दिनांक 9 अप्रैल, 1981 को प्रस्तुत अतारांकित प्रश्न 7115 जो रेलवे बोर्ड के सहायकों से संबंधित था, के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पदोन्नत किए गए सहायकों द्वारा जो कि 1964 में सहायक पद पर स्थायी किये गये थे परन्तु संघ लोक सेवा आयोग के 1975 में स्थायी किए गए सहायकों से कनिष्ठ करार दिये गये, बार-बार किए गए अभ्यावेदनों के परिणाम-स्वरूप दो वर्ष बाद यह निर्णय किया गया कि 25 मार्च, 1977 की वरिष्ठता सूची में, रेलवे बोर्ड सचिवालय नियम 1969 के नियम 14 (2) के अनुसार संशोधन किया जाये ;

(ख) क्या तदनुसार 22 अप्रैल, 1981 को संशोधित अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें कर्मचारियों के एक महीने के भीतर आपत्तियां आदि कोई हों तो, मांगी गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो आपत्तियां प्राप्त होने के बाद पिछले तीन महीने के दौरान वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और प्रभावित सहायकों के जिन्हें पिछले 23-26 वर्षों से एक भी पदोन्नति नहीं मिली है, से बार-बार अभ्यावेदन प्राप्त होने के बावजूद भी इस मामले में क्यों अनुचित विलम्ब किया जा रहा है, यह कब तक क्रियान्वित हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस संबंध में 1979 में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच कर लेने पर अन्तिम रूप से यह निर्णय किया गया था कि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायकों की वरिष्ठता सूची (1977 में प्रकाशित 1.3.1976 की स्थिति) फिर से तैयार की जाय। तदनुसार 22.4.81 को एक प्रस्तावित संशोधित विरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें संबंधित कर्मचारियों को यह मौका दिया गया था कि यदि उन्हें कोई अभ्यावेदन करना हो, तो वे अपने अभ्यावेदन वरिष्ठता सूची के जारी होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दें।

(ग) उपर्युक्त सूचना के प्रत्युत्तर में, पदोन्नत सहायकों तथा सीधे भर्ती हुए सहायकों दोनों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में उठाये गये सवालों की जांच की जा रही है और इस मामले में निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 'भारत देश और लोग' का प्रकाशन

2634. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में, 'भारत देश और लोग' (इण्डिया एण्ड दि पीपल) श्रंखला में तैयार की जाने वाली पुस्तकों की लेखकवार संख्या तथा इनमें से प्रकाशित की जा चुकी पुस्तकों के नाम बताने की कृपा करेंगे ;

(ख) उन पुस्तकों की संख्या जिनका प्रकाशन ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में किया गया तथा जिनका प्रकाशन अन्य स्थान से भी किया गया एवं उसके कारण भी बताएं ?

(ग) क्या ट्रस्ट लेखकों की पुस्तकों की मूल पाण्डुलिपि अपने पास रखता है और कुछ अधिकारी नाजायज ढंग से पैसा ऐंठने के लिए उनके प्रकाशन रोक देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के भ्रष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और यदि नहीं तो 'विहार का भूगोल' नामक पुस्तक जो एक वैज्ञानिक श्रंखला के अन्तर्गत लिखवाई गई थी, कई सालों तक प्रकाशन न कराने के क्या कारण हैं तथा इसे अद्यतन करने और तुरन्त प्रकाशित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनका पूरा विवरण दें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी-2765/81]।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपने प्रकाशनों के लिए स्वयं ही पाण्डुलिपियां तैयार कराता है। तथापि, एक मामले में, न्यास ने एक उत्कृष्ट कृति को पुनः प्रकाशित कराया क्योंकि इसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं।

(ग) न्यास केवल प्रकाशन के लिए स्वीकार की गई पुस्तकों की ही मूल पाण्डुलिपियां रखता है। प्रकाशित न की गई पुस्तकों की पाण्डुलिपियां सम्बन्धित लेखकों को वापस कर दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में लगाया गया आरोप सही नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। न्यास द्वारा 'बिहार का भूगोल' पाण्डुलिपि प्रकाशित नहीं की गई थी क्योंकि जब तक पूरी पाण्डुलिपि प्राप्त हुई, यह देखा गया कि लेखक द्वारा इस पाण्डुलिपि को बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से हिन्दी में इसी शीर्षक से पहले ही प्रकाशित कराया जा चुका है।

चीन के विदेश मंत्री के साथ राजनीतिक नेताओं की बैठक

2635. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के अतिरिक्त कोई राजनीतिक नेता भी उनसे मिले थे; और

(ख) यदि हां तो उन नेताओं के नाम क्या हैं और उनके बीच किन मामलों पर विचार विमर्श हुआ।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) चीन के विदेश मंत्री के दिल्ली प्रवास के दौरान उनके अनुरोध पर भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिले थे। सरकार का ख्याल है कि यह मुलाकात शिष्टाचार के नाते की गई थी लेकिन सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने किन विषयों पर विचार-विर्मश किया। जहां तक सरकार की जानकारी है किसी अन्य राजनीतिक नेता ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन 26 जून को विदेश मंत्री द्वारा दिए गए भोज के अवसर पर तथा 28 जून को चीन के राजदूत द्वारा दिए गए स्वागत समारोह में कुछ राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। विदेशमंत्री द्वारा दिए गए भोज के अवसर पर आमंत्रित लोगों में श्री आर. वेंकटरामन, वित्त मंत्री, श्री शिवराज पाटिल, रक्षा राज्य मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा अन्य लोग शामिल थे। चूंकि ऐसे अवसरों पर सामान्यतः केवल सामाजिक-सम्पर्क कायम रखने का ही मौका मिलता है इसलिए इस बात की संभावना नहीं है कि उस समय किसी महत्वपूर्ण मसले पर विचार-विर्मश किया गया होगा।

दिल्ली में कथित स्टेज कैरिज परमिट घोटाला

2636. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में करोला मार्ग पर मेहराम नगर हरिजन देहात को-आपरेटिव बस सर्विस को दिए गए परमिट का एक बेनामी लेन-देन के अर्न्तगत एक्सप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस द्वारा उपयोग किए जाने के मामले में राज्य हरिवहन प्राधिकरण दिल्ली द्वारा निजी मालिकों को दिये गये स्टेज कैरिज परमिटों के प्रयोग में घोटाला किया गया है और जब यह मामला प्रकाश में आया तो यह बस हटा ली गई और राज्य परिवहन प्राधिकरण ने परमिट निलंबित कर दिया; और

(ख) क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस मामले की जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई थी और मामले का पूरा ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मेहराम नगर हरिजन को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड दिल्ली के पास दिल्ली काकरौला रूट के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली द्वारा मंजूर स्टेज कैरिज परमिट था । यह परमिट 9.11.1976 तक नियमित रूप से नवीकृत किया जाता रहा । लेकिन अधिक किराया लेने की कुछ शिकायतों की जांच होने तक इस सोसायटी को अस्थायी रूप से परमिट जनवरी 1979 तक मंजूर होता रहा । इसे जनवरी 1979 के बाद कोई परमिट नहीं मंजूर किया गया । 1978 में इस सोसायटी के खिलाफ राज्य परिवहन प्राधिकरण का जाली परमिट बनाने और एक्सप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस कम्पनी के साथ "बेनामी डीड" करने की भी शिकायत मिली । इन शिकायतों की जांच परिवहन निदेशालय की प्रवर्तन शाखा के द्वारा करवाई गई । यह मामला रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज को भी भेजा गया जिन्होने यह सूचना दी कि इस सोसायटी के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जा रही है । रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज ने यह सूचित किया कि इस सोसायटी की वित्तीय, स्थिति असन्तोषप्रद है और यह सोसायटी बन्द की जा रही है । इस सोसायटी को परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा परमिट रद्द करने के बारे में मोटर वेहिकिल्स एक्ट की धारा 60 के तहत "कारण बताओ" का नोटिस भी दिया गया । इस मामले पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में विचार हुआ जिनमें यह सोसायटी कोई सन्तोषपूर्ण उत्तर नहीं दे सकी । राज्य परिवहन प्राधिकरण की पिछली बैठक में जो 27.5.1981 को हुई थी । यह भी पाया गया कि जिस गाड़ी के लिए परमिट मंजूर किया गया था, उसे सोसायटी ने राज्य परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के विना बेच रखा है ।

2. उक्त मामले में जब तक जांच नहीं होती तब तक के लिए परमिट जनवरी 1979 के बाद नवीकृत नहीं किया गया । इस रूट पर किसी दूसरी गाड़ी के नहीं चलने से साधारण

जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी और राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिल्ली परिवहन निगम और साधारण जनता से उक्त रूट को मंजूरी करने के लिए कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस सारे मामले पर 27.5.1981 की बैठक में विचार किया और सोसायटी के परमिट को रद्द करने का निर्णय किया तथा यह रूट दिल्ली परिवहन निगम को नियत किया। तदनुसार दिल्ली परिवहन निगम से इस रूट पर बस चलाने के लिए कहा गया। दिल्ली परिवहन निगम ने काकरौला गांव और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 5.8.1981 से 752 नं० रूट की बस सेवा शुरू की है।

भिक्षावृत्ति को रोकने और भिक्षुकों को रोजगार देने की व्यवस्था वाला विधेयक पुरःस्थापित करना

2637. **श्री राम लाल राही** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिक्षावृत्ति को रोकने तथा भिक्षुओं को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने के लिये पिछली सरकार लोक सभा में एक विधेयक लाना चाहती थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं कि विधेयक अभी तक किस कारण से पुरःस्थापित नहीं किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) समस्त देश पर लागू होने वाले एक भिक्षा निरोधक विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गोआ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के अपने-अपने भिक्षा निरोधक कानून हैं। दिल्ली ने बम्बई भिक्षा निरोधक अधिनियम, 1959 अपना रखा है। केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने पर सरकार 1975 से विचार कर रही है। गैर-भिखारियों को गिरफ्तार किए जाने और निर्दोष व्यक्तियों को तंग किए जाने तथा भिक्षा निरोधक अधिनियमों के अन्तर्गत अन्य अनियमिताओं के मामलों को संसद और प्रेस दोनों में ही उठाया गया है। इसे देखते हुए इस पूरे मामले की फिर से जांच की जा रही है।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जाना

2638. **श्री नारायण चौबे** :

श्री पीयुष तिरकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन श्री गुजराल का कार्यकाल बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सेवा-निवृत्ति के समय कार्यकाल न बढ़ाने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध नहीं है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रपति द्वारा रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) कुछ आपवादिक मामलों को छोड़ कर सामान्यतया रेल मंत्रालय की नीति सेवा वृद्धि की अनुमति देने की नहीं है । वर्तमान मामले में यह वृद्धि प्रशासनिक हित में देश की अनिवार्य परिवहन आवश्यकताओं की गति बनाये रखने की दृष्टि से दी गयी है ।

दक्षिण रेलवे अस्पताल, मद्रास

2639. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास स्थित दक्षिण रेलवे के अस्पताल में रोगियों के शुल्क के वितरण के प्रश्न पर डाक्टरों में भारी असंतोष व्याप्त है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इस मामले में कोई जांच की है ; और

(ग) इस अस्पताल में कितने डाक्टर हैं तथा प्रत्येक डाक्टर को जुलाई, 1977 से दिसम्बर 1979 तक की अवधि के दौरान ऐसे शुल्क की कितनी कितनी राशि मिली ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, कुछ नाराजगी रही ।

(ख) जी हां, वर्तमान नियमों के अनुसार सर्जन, पैथोलोजिस्ट तथा रेडियोलोजिस्ट गैर रेलवे मरीजों के इलाज के लिए रेलवे द्वारा वसूल की गयी फीस का एक हिस्सा पाने के हकदार हैं ।

जिन डाक्टरों तथा पैरा मेडिकल कर्मचारियों ने फिजिशियनों/सर्जनों की सहायता की थी, उन्होंने भी फीस में अपने एक हिस्से का दावा किया है । सर्जनों, पैथोलोजिस्टों और रेडियोलोजिस्टों के हिस्से को (पाने वालों की स्वेच्छा के आधार पर) और आगे उन कर्मचारियों के मध्य वितरित करने के लिए दक्षिण रेलवे ने 1973 में एक कार्य विधि विकसित की थी जिन्होंने उनकी सहायता की ।

मुख्यत: अधिक संख्या में दावेदारों के उत्पन्न होने के कारण, जिनमें से कुछ वास्तव में हकदार नहीं हैं, फीस की इस हिस्सेदारी पर अभी तक पूरी तरह से कोई समझौता नहीं हुआ है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें डाक्टरों के नाम तथा प्रत्येक डाक्टर द्वारा प्राप्त उनके हिस्से की रकम दी गयी है।

विवरण	रु०
1. डा. पी. जगननाथन	428.00
2. डा. पी. राधाकृष्णन	654.40
3. डा. एम. आर. गिरीनाथ	11407.55
4. डा. एल. आर. पारथाराठी	9643.57
5. डा. के. एम. चेरियन	8481.95
6. डा. एन. तिरपुरसुन्दरी	452.80
7. डा. एल सुलोचना	कुछ नहीं
8. डा. के. जनार्दनन	428.00
9. डा. के. राजराजेश्वरी	608.36
10. डा. के. अब्राहम	6960.87
11. डा. जी हरिहरन	654.40
12. डा. पी. मोहनराव	654.40
13. डा. एम. शंकरन	1095.00
14. डा. टी. एस. नटराजन	कुछ नहीं
15 डा. वी. एम. नरसिंहराव	कुछ नहीं
16. डा. एस. सुब्रारतनम	कुछ नही
17. डा. आर. नटराजन	कुछ नहीं
18. डा. के वी. सुन्दरम	कुछ नहीं
19. डा. एस. स्वाथनाहारा स्वाथनारायण मुर्ति	63973.00
20. डा. डी. धन्नायम	कुछ नहीं
21. डा. सी. एच., डा. सी. एन. कोठानडा रामन	कुछ नहीं
22. डा. बी. जानकी	608.32
23. डा. आर. वेंकटरमणी	कुछ नहीं

	रु०
24. डा. एम. सुन्दरम	कुछ नहीं
25. डा. बी. आनन्द कृष्णन	कुछ नहीं
26. डा. (श्रीमती) परुथा अरुमाई सिंह डी. एम.	608.32
27. डा. आर. के. कल्याण सिंह	2301 30
28. डा. (श्रीमती) रमानीजनारधनन	428 00
29. डा. आई. सीताराम नायडु	10856 01
30. डा. टी. एस. गोपीनाथ	428.00
31. डा. आर. एस. सिरीयन	कुछ नहीं
32. डा. एम. प्रभाकरन	कुछ नहीं
33. डा. (श्रीमती) एम. डी. मधुसुदन	कुछ नहीं
34. डा. एच. एस. रेहामुमन	कुछ नहीं
35. डा. पी. मोहनदास	कुछ नहीं
36. डा. आर. स्वावी	कुछ नहीं
37. डा सी जी. चन्द्रशेखर रेड्डी	कुछ नही
38. डा. एस. सुधाकर राय	कुछ नहीं
39. डा. (श्रीमती) एस. प्रभावती	कुछ नहीं
40 डा. (श्रीमती) एम. रेणु	कुछ नहीं
41. डा. (श्रीमती) राजी स्वामी	कुछ नहीं
42. डा. जे. के. नारायण राव	कुछ नहीं
43. डा. आर. माया	कुछ नहीं
44. डा. एन. बी. एम. एस. वी. प्रेम कुमार	7 89.00
45. डा. के. नरसिंमा रेड्डी	9643.51
46. डा. ए. ई. सुन्दर कुमार	कुछ नहीं
47. डा. पी. सुब्बारेड्डी	कुछ नहीं
48. डा. प्रभाकर तोइचल	कुछ नहीं
49. डा. (श्रीमती) अरुण बाई. गुललेल	कुछ नही

50. डा. (श्रीमती) वूना गिरिनाथ	428.00
51. डा. नोविल जचरिया	कुछ नहीं
52. डा. शोमिला जोन	कुछ नहीं
53. डा. वी. सी. सेंलवाराज	कुछ नहीं
54. डा. सी. के. ऐलम गोवन	कुछ नहीं
55. डा. के. सिहारी	10855.00
56. डा. वी. एस. गणेशन	कुछ नहीं
57. डा. टी. वी. स्कार	कुछ नहीं
58. डा. आर. श्रीराम	कुछ नहीं
59. डा. कुमारी मलिनि देवी	कुछ नहीं
60. डा. अरविन्दाक्षा शर्मा	कुछ नहीं
61. डा. (श्रीमती) सुशीला कामथ	कुछ नहीं
62. डा. टी. एलेग्जेंडर जान	5712.40
63. डा. एम. पी. श्रीमती	कुछ नहीं
64. डा. कुमारी आर. ललीता	कुछ नहीं
65. डा. (श्रीमती) के. तारीख	कुछ नहीं
66. डा. जी. सुकुमार	कुछ नहीं
67. डा. (श्रीमती) उमा श्रीहरि	कुछ नही
68. डा. एस. विजय कुमार	कुछ नहीं
69. डा. आर. पी. डी. प्रकाश	कुछ नहीं
70. डा. ई. विजय कुमार	कुछ नहीं
71. डा. गणेश कुमार मणि	1393.20
72. डा. पी. पी. शेखर	कुछ नहीं
73. डा. सुमी एलवारुमा कृष्णन	कुछ नहीं
74. डा. गोमती लक्ष्मणन	कुछ नहीं
75. डा. एस. सी. कपूर	कुछ नहीं

बंगाल की खाड़ी में तट से दूर छिद्रण करने के बारे में बंगलादेश से विवाद

2640. **श्री रेणुपद दास** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन से दूर बंगाल की खाड़ी में तट-दूर छिद्रण करने के बारे में बंगलादेश से कोई विवाद हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं ।

भारत सरकार और बंगला देश के बीच 1974 में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच समुद्री-सीमा और तट के निकट तेल की खोज करने से सम्बद्ध प्रश्नों को परस्पर बातचीत करके सुलझाया जायेगा । समुद्री-सीमांकन के बारे में बंगला देश के साथ बातचीत अभी भी चल रही है । इस विषय पर पिछली बार ढाका में 3 से 5 दिसम्बर, 1980 को बातचीत हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी लोगों के लोक-गीतों तथा लोक-नृत्यों को प्रोत्साहन

2641. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के आदिवासी लोगों के लोक गीतों और लोकनृत्यों के प्रोत्साहन के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी (राज्यवार) ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जन-जातीय नृत्य और संगीत के विभिन्न स्वरूपों का सर्वेक्षण करने और उनके प्रलेखन के लिए जन-जातीय संस्कृति के विकास की संगीत नाटक अकादमी की एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत अकादमी ने अप्रैल, 1981 में अन्य एजेंसियों के सहयोग से गुजरात में आहवा में डांग की जन-जातीय कलाओं का एक समारोह आयोजित किया था । मई, 1981 में अकादमी ने मणिपुर में दो-दिवसीय संगीत और नृत्य समारोह आयोजित किया जिसमें रंगमई, मारेन, तराओ, मितेई और कुकी जन-जातियों का संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया । इसी प्रकार के समारोह भारत के अन्य भागों में आयोजित किए जा रहे हैं ।

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से नियमित रूप से लोक गीत प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा लोक तथा जन-जातीय संगीत के संग्रह तथा परिरक्षण की एक

योजना है। यह योजना प्रारम्भ में 20 केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित की गई है तथा इससे देश के विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोक तथा जन-जातीय संगीत सम्पदा का सुनियोजित ढंग से संग्रह और परिरक्षण करने में सहायता मिलेगी।

(ख) लोक तथा जन-जातीय प्रदर्शनकारी कलाओं की प्रोन्नति के लिए 1979-80 और 1980-81 के दौरान संगीत नाटक अकादमी से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के दो विवरण संलग्न है :

विवरण—1

उन संस्थाओं की सूची जिन्हें 1979-80 के दौरान लोक तथा जन-जातीय प्रदर्शनकारी कलाओं की प्रोन्नति के लिए अनुदान दिए गए हैं :

क्रम सं.	संस्थाओं के नाम	राशि	प्रयोजन
1	2	3	4
1.	लोक कला अकादमी, सागर, मध्य प्रदेश।	2,000/-	बस्तर क्षेत्र के लोक तथा जन-जातीय नृत्यों का सर्वेक्षण और अनुसंधान।
2.	नरेन्द्रपुर कला विकास केन्द्र, उड़ीसा।	4,000/-	उड़ीसा के लोक तथा जन-जातीय नृत्यों में प्रशिक्षण के लिए।
3.	संगीत कला केन्द्र, भीलवाड़ा, राजस्थान।	2,500/-	गेअर नृत्य समारोह आयोजित करने के लिए।
4.	मरुधर लोक कला केन्द्र, बाड़मेर (राजस्थान)	2,000/-	कनाना गर समारोह आयोजित करने के लिए सहायता।
5.	भारतीय नृत्य केन्द्र, नैनीताल, उत्तर प्रदेश।	10,000/-	लोक नृत्य, नाटक पर पर्वतीय जातरा बेले के निर्माण के लिए तथा लोक और जन-जातीय कलाओं पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए।
6.	हिमालय कला मंदिर, दार्जीलिंग।	5,000/-	पर्वतीत क्षेत्रों के लोक तथा जन-जातीय नृत्यों के आयोजन के लिए सहायता।

1	2	3	4
7.	लोक-साहित्य अकादमी, कलकत्ता ।	5,000/-	पुरुलिया छाऊ नृत्य में प्रशिक्षण के लिए ।
8.	विवेकानंद आदिवासी, कल्याण समिति, बांकुरा ।	2,000/-	आदिवासियों के बीच जातरा के प्रदर्शन के लिए ।
9.	लोक संस्कृति अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता ।	5,000/-	पुरुलिया में छाऊ नृत्य समारोह के आयोजन तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रम के लिए ।
10.	लोक भारती, कलकत्ता ।	5,000/-	राज्य के चुनिन्दा क्षेत्रों में लोक तथा जन-जातीय संगीत और नृत्य के सर्वेक्षण और प्रलेखन के लिए ।

विवरण—2

उन संस्थाओं की सूची जिनकी वर्ष 1980-81 के दौरान लोक तथा जन-जातीय प्रदर्शनकारी कलाओं की प्रोन्नति के लिए अनुदान दिए गए हैं :

क्रम सं.	संस्था का नाम	राशि	प्रयोजन
1	2	3	4
1.	श्री रंग मिलन कला मंडल, अहमदाबाद ।	3,000/-	गुजरात के लोक तथा जन-जातीय नृत्य के सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए ।
2.	संगीत नाट्य भारती, राजकोट	3,000/-	सौराष्ट्र लोक और जन-जातीय गीतों के सर्वेक्षण और संग्रह के लिए ।
3.	लोक कला अकादमी, सागर, मध्य प्रदेश ।	2,500/-	बस्तर लोक और जन-जातीय नृत्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य के लिए ।
4.	कला क्षेत्र मणिपुर, इम्फाल	8,000/-	जन-जातीय थिएटर परियोजना के लिए ।

1	2	3	4
5.	चगदिन गम्फू सांस्कृतिक संगठन इम्फाल ।	2,000/-	कावुड समारोह आयोजित करने के लिए ।
6.	नरेन्द्रपुर कला विकास केन्द्र, नरेन्द्रपुर ।	5,000/-	उड़ीसा के लोक और जन-जातीय नृत्यों में प्रशिक्षण के लिए ।
7.	संगीत कला केन्द्र, भीलवाड़ा ।	4,000/-	गेअर नृत्य समारोह आयोजित करने के लिए सहायता ।
8.	ओमारीसामी लोक कला प्रशिक्षण संस्थान, मदुरै ।	2,000/-	तमिलनाडु के लोक तथा जन-जातीय नृत्य में प्रशिक्षण के लिए ।
9.	कुमांऊ सांस्कृतिक कला केन्द्र, जिला अलमोड़ा ।	3,000/-	कुमांऊ क्षेत्र के लोक तथा जन-जातीय में प्रशिक्षण के लिए ।
10.	लोकायता संस्कृति परिषद, कलकत्ता ।	3,000/-	छाऊ नृत्य तथा जन-जातीय नृत्य आयोजित करने के लिए ।
11.	लोक-साहित्य अकादमी, कलकत्ता ।	5,000/-	पुरुलिया में छाऊ नृत्य में प्रशिक्षण के लिए ।
12.	हिमालय कला मंदिर, दार्जीलिंग	5,000/-	लोक तथा जन-जातीय नृत्य और संगीत में प्रशिक्षण के लिए ।
13.	लोक संस्कृति अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता ।	2,500/-	पुरुलिया छाऊ नृत्य में अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्य क्रम के लिए ।

द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दवाओं और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

2612. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दवाओं और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम को अशोका लिमिटेड सम्राट सुरा जैसे टानिकों, जिनमें नशे के लिए 90 प्रतिशत अलकोहल है, के दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एक क्वालिटी नियंत्रण का तरीका है और उसके उपबन्धों का प्रयोग नशाबन्दी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।

एलकोहल वाले द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने तथा नशाबन्दी नीति को लागू करना समाज कल्याण के उपाय हैं जो समाज कल्याण मन्त्रालय का काम है।

मथुरा तेल शोधन कारखाने द्वारा प्रदूषण तथा ताज महल पर उसका प्रभाव

2643. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मथुरा तेल शोधक कारखाने के प्रदूषण स्तर का अध्ययन किया है ;

(ख) इसका राष्ट्रीय स्मारक ताज महल पर क्या प्रभाव होगा ;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त मामला विशेषज्ञ राय जानने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान को निर्देशित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) व (ख) मथुरा तेल शोधक के चालू होने पर ही उसके प्रदूषण-स्तर तथा ताज-महल पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

(ग) जी हां ।

(घ) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार :—

(1) सल्फर डाइओक्साइड का स्तर आगरा किला, एत्मादुद्दौला और सिकन्दरा की अपेक्षा ताजमहल के पड़ोस में अधिक ऊंचा होता है।

(2) ताज के पास-पड़ोस में विद्यमान प्रदूषण वायु के प्रवल प्रतिमान के कारण है।

(3) उत्सर्जन के स्रोत की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

(4) क्षेत्र में औद्योगिक कार्य कलापों पर प्रभाव डाले बिना विभिन्न स्रोतों से आई कालिख तथा सल्फर डाइओक्साइड के स्तर को कम करना चाहिए।

रोहताश इंडस्ट्रीज पर रेलवे की बकाया रकम

2644. **प्रो के० के० तिवारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहताश इंडस्ट्रीज की ओर भाड़ा प्रभार के रूप में भारतीय रेलवे की बहुत सारी रकम बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उससे रकम वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । 30 जून, 1981 तक भाड़े की राशि 35.7 लाख रुपये थी ।

(ख) पहले माल भाड़े का पूर्व भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया था । बकाया भाड़े में कमी करने के लिए, फर्म को प्रत्येक माल डिब्बे की वास्तविक सुपुर्दगी के अनुसरण में मेमों पर भाड़े का दैनिक भुगतान करने के लिए कहा गया है ।

"लाइफ सेविंग एन्टीबायोटिक्स लूजिंग फाइटिंग पावर" शीर्षक समाचार

2645. **श्री के० लकप्पा :**

श्री ए० एन० नंजे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "लाइफ संविंग एंटीबायोटिक्स लूजिंग फाइटिंग पावर" शीर्षक से प्रकाशित हाल के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मिहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार जानती है कि एण्टी बायोटिक दवाइयों के अन्धाधुन्ध उपयोग से ऐसे जीवों का विकास हो सकता है जो एण्टी बायोटिक दवाइयों को निष्प्रभावी बना देते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये एण्टी-बायोटिक दवाइयां सावधानी पूर्वक और केवल डाकटरी देख-रेख में ही इस्तेमाल की जाय, इन्हें औषध और प्रशाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची (ठ) के अन्तर्गत नुस्खे वाली दवाइयों के रूप में पहले ही वर्गीकृत कर दिया गया है । इसलिये ये एण्टी-बायोटिक दवाइयां केवल पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही उपभोक्ता को बेची जा सकती हैं ।

एण्टी-बायोटिक दवाइयों के विवेकपूर्ण उपयोग संबंधी एक विशेषज्ञ दल ने बहुऔषधीय प्रतिरोध के प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित सुझाव दिये :

(क) केवल आन्त्र ज्वरों और एच-इन्फ्लूएन्जा संक्रमणों के इलाज के लिए ही क्लोरम-फेनिकोल का उपयोग किया जाये ।

(ख) जो रोगी क्षय रोग से पीड़ित नहीं हैं उनके इलाज में स्ट्रेपटोमाइसिन का अधिक उपयोग नहीं किया जाये ।

(ग) वी० कातरा की प्रजातियों में टेट्रासाइकलीन के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति के पैदा होने का पता लगाने के लिए अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि हैजे के इलाज में प्राय: टेट्रासाइकलीन को ही तरजीह दी जाती है ।

(घ) एण्टी-वायोटिक दवाइयों का रोग निरोधक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

(ङ) एण्टी-वायोटिक दवाइयों के सम्मिश्रण का आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ।

(च) चूंकि अतिसार बीमारियों में एण्टी-वायोटिक दवाइयों के उपयोग से कम फायदा पहुंचता है इसलिए इनके लिये एण्टी-वायोटिक दवाइयां नहीं लिखी जानी चाहिए । जब तक ऐसा लिखना नितान्त अनिवार्य न हो ।

(छ) सेप्ट्रान "बैक्ट्रीन," "सल्काप्रिम," आदि नामों से बेची जाने वाली ट्रिमथोप्रिम और सल्फा-मेन्थक्सा जोत जैसी औषधियां और "जर्मिसिन" "जेंठीसिन" आदि नामों से बेची जाने वाली जेंटामाइसिन सल्फेट जैसी औषधियों को इलाज के "प्रथम उपाय" की अपेक्षा "अन्तिम उपाय" के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए ।

(ज) ये उक्त सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को, केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी गयी हैं ।

रेल निरीक्षकों (ट्रेन एन्जामिनर) की मांगें

2646. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल निरीक्षकों की शिकायतों और माँगों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1981 को बम्बाई में हुए अखिल भारतीय रेल निरीक्षक सम्मेलन में किये गये संकल्प और मांगों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों पर यथोचित विचार किया जाता है और उस पर यथा अपेक्षित कार्रवाई की जा ती है। गाड़ी परीक्षकों सहित सभी कोटियों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाता है और इनका निपटारा सामूहिक वार्ता तंत्र की विभिन्न सारणियों स्यायी वार्ता तंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनौपचारिक विचार विमर्श के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्यों को स्वीकृत धनराशि

2647. **प्रो० रूप चन्द पाल :**

श्री के० मालन्ना :

श्री ए. ए. रहीम : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई धनराशि क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

राज्य/संघीय क्षेत्र	स्वीकृत राशि (रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	19,28,492.00
2. असम	5,21,456.00
3. बिहार	19,72,607.00
4. गुजरात	67,56,036.60
5. हरियाणा	4,10,000.00
6. हिमाचल प्रदेश	5,53,797.00
7. जम्मू और काश्मीर	1,50,000.000
8. कर्नाटक	13,62,204.00
9. केरल	18,36,026.50
10. मध्य प्रदेश	8,96,735.00
11. महाराष्ट्र	18,39,232.00
12. मणिपुर	3,18,845.00
13. मेघालय	15,57,315.00
14. नागालैंड	10,08,207.00

राज्य/संघीय क्षेत्र	स्वीकृति राशि (रुपये)
15. उड़ीसा	6,97,534.62
16. पंजाब	—
17. राजस्थान	7,54,153.00
18. सिक्किम	2,51,381.00
19. तमिलनाडु	10,30,044.00
20. त्रिपुरा	13,98,600.00
21. उत्तर प्रदेश	22,50,819.00
22. पश्चिम बंगाल	18,36,950.65
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60,000.00
24. अरुणाचल प्रदेश	1,50,000.00
25. चंडीगढ़	50,000.00
26. दादरा और नागर हवेली	—
27. दिल्ली	2,05,000.00
28. गोआ, दमन और दीव	—
29. लक्षद्वीप	85,390.00
30. मिजोरम	64,929.00
31. पाण्डिचेरी	2,97,645.00
जोड़ :	302,52,398.77

आसनसोल-मुगलसराय लाइन का विद्युतीकरण

2648. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे की आसनसोल-पटना-मुगलसराय लाइन (मुख्य लाइन) के विद्युतीकरण के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस पर अनुमानित लागत क्या आयेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय खंड के विद्युतीकरण (आसनसोल-सीतारामपुर पहले से ही विद्युतीकृत है) का काम विद्युतीकरण के दस वर्षीय अर्थात् 1980-81 से 1989-90 तक के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए निम्न प्राथमिकता नियत की गयी है और अब इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव किया गया है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 1980 के मूल्यों के अनुसार इस परियोजना पर 87.00 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

रेल कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि

2649. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाये जाने की नीति और सिद्धांत क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार नवम्बर, 1980 के बाद दी गयी ऐसी किसी वृद्धि को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार जनहित के अपवादित मामलों में सेवा निवृत्ति के बाद सेवाकाल में वृद्धि की जाती है/पुनर्नियोजन किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली शिक्षा सेवा

2650. श्री तारिक अनवर :

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों और अधिकारियों के संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रधान मंत्री को एक अनुरोध प्रस्तुत किया है कि दिल्ली शिक्षा सेवा बनायी जाए ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग की वर्तमान व्यवस्था को ठीक समझा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई परिवर्तन हो तो उन पर विचार किया जा सकता है।

पोलीटेकनिक संस्थानों में दाखिला

2651. श्री पीयूष तिरकी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एडमीशन टु पोलीटेकनिक्स ए प्राबल्म" शीर्षक से 22 जुलाई 1981 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो कितने छात्रों को गत वर्ष दिल्ली में पोलीटेकनिक संस्थानों में प्रवेश मिला और प्रवेश लेने के इच्छुक कितने छात्रों को स्थानों की कमी के कारण प्रवेश नहीं दिया जा सका ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले वर्ष 1410 छात्रों को पालिटेक्निकों में दाखिला मिला तथा 7,146 छात्रों को दाखिला नहीं मिल सका ।

(ग) दिल्ली में नये पालिटेक्निक शुरू करने के प्रस्ताव की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

टूल्स एण्ड प्लान्ट डिपों के नैमित्तिक श्रमिक

2652. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 23 मार्च, 1981 को दक्षिण रेलवे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, भिची के महासचिव से अर्ध-कुशल ग्रेड के 200 व्यक्तियों को कुशल ग्रेड में और जी. ओ. सी. वर्कशाप के 40 अर्धकुशल सी. डीब्ल्यू. फिटरों को भी पदोन्नति देने में देरी किये जाने, टूल्स एण्ड प्लान्ट डिपो/जी. ओ. पी. के 40 नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा और सी. पी. सी. वेतनमान देने में भेदभाव किये जाने, टूल्स एण्ड प्लान्ट डिपो/जी. ओ. सी. में वे सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंचे वरिष्टतम खलासियों को पदोन्नति देने से इन्कार किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अपर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, गोल्डन राक को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । रिक्त स्थान होने पर पदोन्नतियां की जाती हैं और इस समय पदोन्नति ग्रेड में सभी रिक्तियां भर दी

गई हैं। जहां तक नैमित्तिक श्रमिकों को सी. पी. सी. वेतनमान देने का सम्बन्ध है, टूल्स एण्ड प्लान्ट डिपो, गोल्डन राक में सभी नैमित्तिक श्रमिकों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा सेवा-निवृत्त होने वाले वरिष्ठतम खलासियों को अधिक पदोन्नति के अवसर देने के लिए, टूल एण्ड प्लान्ट डिपो, गोल्डन राक में कारीगरों के 19 पदों को अपग्रेड करने के लिए स्वीकृति दी गयी है।

प्रारम्भिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को सभी पर लागू करना

2653. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में प्रारम्भिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को सभी पर लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यक्रम को लागू करने में शिक्षा सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं की अत्यधिक कमी है और योजना संसाधनों से ली गई विभागीय निधियों से इन कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन से अन्य व्यवहार्य विकल्प ढूंढे गए हैं और उन राज्य सरकारों को उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1980-85 की छठी योजना के भौतिक लक्ष्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 6-14 आयु-वर्ग को तथा प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत 15-35 आयु-वर्ग को शत प्रतिशत शामिल करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने तथा अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली रिंग रेलवे

2654. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में रिंग रेलवे की 1982 तक जब एशियाई खेल आयोजित होंगे, निर्माण पूरा हो जाएगा और वह शुरू हो जाएगा ;

(ख) इसके निर्माण के लिए मूलतः कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ग) उसके पूर्ण निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ;

(घ) 25 अगस्त, 1981 तक इसका कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया ;

(ङ) किन कारणों से उसका जल्दी पूरा निर्माण होने में बाधा है ; और

(च) इस रेल मार्ग पर कितने रेलवे स्टेशन बनाए जाने का विचार है और ये स्टेशन किन-किन स्थानों पर बनाए जायेंगे और किस आधार पर ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 28 करोड़ रुपये।

(ग) परियोजना की अन्तिम लागत निर्माण अवधि के दौरान मुद्रास्फीति तत्व परह निर्भर करेगी।

(घ) 30%

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) परियोजना रिपोर्ट में दिये गये संभावित यातायात4 के अनुसार 20 स्टेशन जिनमें से एक एशियन खेलों के लिए प्रगति मैदान में होगा।

न्यूनट्रान बम बनाने का अमरीकी निर्णय

2655. **श्री सुभाष यादव :**
श्री वी. एस. विजय राघवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बी. वी. देसाई :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री त्रिलोक चन्द :
श्री राम विलास पासवान :
श्री निहाल सिंह :
श्री के. मालन्ना :
श्री गुलाब मोहम्मद खान :
श्री उत्तमभाई एच. पटेल :

श्री छोटे सिंह यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमेरिका द्वारा न्यूट्रान बम बनाने के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने हमेशा ही उन नाभिकीय अस्त्रों तथा सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों के अस्तित्व और फैलाव का विरोध किया है जो मानवजाति के भविष्य के लिए खतरा है।

अगर नाभिकीय शस्त्र पद्धति में गुणात्मक सुधार करने का कोई निर्णय लिया जाता है अथवा इस दिशा में कोई कार्यवाही की जाती है तो इस पर भारत को खेद ही होगा क्योंकि इससे नाभिकीय अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग आसान हो जाएगा अमरीकी प्रशासन ने संवर्धित विकीर्ण अस्त्रों के उत्पादन का जो निर्णय लिया है, वह इसी वर्ग में आता है।

भारत द्वारा ईरान के भूचाल पीड़ितों को दी गई सहायता

2656. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान में एक जबरदस्त भूकम्प आया था जिसके परिणामस्वरूप जान और माल की भारी हानि हुई ; और

(ख) यदि हां तो भारत द्वारा ईरान को इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए क्या सहायता दी गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : जी हां। ईरान के केरमान प्रान्त में दो बार भूकम्प आया था, पहला 11 जून को और दूसरा 28 जुलाई, 1981 को।

(ख) सरकार ने भूकम्प-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ईरान सरकार को 20 लाख ईरानी रियाल (2,32,558.15 रुपये के बराबर) की राशि भेजी है। सरकार ने सहायता के रूप में सामग्री भेजने का भी निर्णय किया है।

पूर्वी रेलवे के पटना-भागलपुर सेक्शन पर यातायात भार

2657. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के पटना-भागलपुर सेक्शन पर श्रावण और भाद्रपद महीनों में कांवर भीड़ के कारण पड़ने वाले यातायात भार के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा इस अवधि के दौरान भीड़ का सामना करने के लिये क्या आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन, जुलाई-अगस्त, 1981 के दौरान श्रावण मेले के अवसर पर अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ की निकासी के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये थे। 137/138 जमालपुर-गया सवारी गाड़ी को जमालपुर से भागलपुर तक चलाया गया था। 13/14 अपर इंडिया एक्सप्रेस 327/328 हावड़ा-दानापुर फास्ट सवारी गाड़ी में भागलपुर-पटना तथा भागलपुर-दानापुर खंडों पर क्रमशः एक-एक दूसरे दर्जे का एक अतिरिक्त डिब्बा बढ़ाया गया था। 13/14 अपर इंडिया एक्सप्रेस, 327/328 हावड़ा-दानापुर फास्ट सवारी

गाड़ी, 330 डाउन हावड़ा-मुजफ्फरपुर सवारी गाड़ी तथा 351/352 बर्दवान किउल फास्ट सवारी गाड़ियों के ठहराव की अवधि सुल्तानगंज में 2 मिनट बढ़ायी गयी थी ।

11-9-81 से 17-9-81 तक होने वाले भाद्र मेले के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं ।

गुट निरपेक्ष तथ्य खोजी दल को लेबनान भेजना

2658. **श्री चिंगवाग कोनयक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों के संगठन ने इजरायली बमबारी से नगर को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एक तथ्यों का पता लगाने वाला मिशन बेरुत, लेबनान भेजने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस गुट निरपेक्ष मिशन के प्रतिनिधि कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या मिशन के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) गुट-निरपेक्ष देशों के ब्यूरो ने न्यूयार्क में 3 अगस्त, 1981 को अपनी बैठक में फिलस्तीनी मुक्ति संगठन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महामान्य श्री यासर अराफत के इस नियन्त्रण को स्वीकार किया कि वह बैरुत और लेबनान के अन्य स्थानों पर इजरायल द्वारा किए गए आक्रमणों से हुई हानि को मौके पर जाकर देखने और उसका मूल्यांकन करने के लिए लेबनान में अपना एक प्रतिनिधि-मिशन भेजे ।

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के ब्यूरो ने क्यूबा, अफगानिस्तान, कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य भारत, जमैका, नाइजीरिया और यूगोस्लाविया को प्रस्तावित मिशन का सदस्य चुना ।

(ग) और (घ) गुट-निरपेक्ष देशों के मिशन ने 19 अगस्त से 24 अगस्त, 1981 तक लेबनान की यात्रा की । बेरुत में इजराईलियों द्वारा की गई बमबारी से हुई हानि को देखने के बाद इस मिशन ने दक्षिणी लेबनान में कुछ फिलस्तीनी शिविरों का भी दौरा किया जिन पर इजराईलियों ने अनेक बार आक्रमण किए थे और उन्हें काफी क्षति हुई थी । छह देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार की गई इस दौरे की रिपोर्ट (इस मिशन में नाइजीरिया का प्रतिनिधि भाग नहीं ले सका । गुट-निरपेक्ष देशों के ब्यूरो को प्रस्तुत कर दी गई है ।

"लोंग वेट एट ए. आई. आई. एम. एस. बट नाट फोर वी. आई. पीज"
शीर्षक से समाचार

2659. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 17 जुलाई, 1981 के "इन्डियन एक्सप्रेस में" लोंग वेट एट ए आई. आई. एम एस. वट नाट फार दी बी. आई. पीज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि रोगियों की भीड़भाड़ कम करने के लिए जनसंख्या में हो रही वृद्धि के अनुरूप ही अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाती है और गरीब लोगों के साथ किए जाने वाले ऐसे अवांछनीय दुर्व्यवहार को रोका जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न केवल उत्तरी क्षेत्र अपितु देश के अन्य राज्यों के लिए भी आम तौर पर रैफरल केन्द्र के रूप में क्रय कार्य कर रहा है । इसके फलस्वरूप संस्थान अस्पताल को उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं के अन्दर स्थानीय तथा बाहरी रोगियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या की जरूरतों को पूरा करना होता है । यह संस्थान "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत का पालन करता है । रोगी की बीमारी/चोट के स्वरूप और गम्भीरता का ध्यान रखते हुए अस्पताल में दाखिला भी उपर्युक्त सिद्धाँत पर दिया जाता है । चूंकि अस्पताल में विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए पलगों की संख्या सीमित है, इसलिए यह अस्पताल उपचार के लिए आने वाले सभी रोगियों को दाखिल नहीं कर सकता है । इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह अस्पताल लोगों को संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है ।

सरकार यह देखने के लिए कि वर्तमान सीमित साधनों के अन्दर रोगियों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान की जाएं अस्पताल के समग्र कार्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं ।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है । राज्य सरकारों को अपनी समग्र आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए उपयुक्त प्रावधान करना होता है । जहां तक नए मेडिकल कालेज खोलने का संबंध है सरकार का यह सुविचारित मत है कि कोई नया संस्थान खोला जाए । इसके बजाए मौजूदा सुविधाओं को समेकित नही कर उनमें सुधार लाया जाए । वैसे, जहां तक चिकित्सा परिचर्या का संबंध है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मौजूदा अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और साथ ही नए अस्पताल भी खोल रहे हैं । दिल्ली के मौजूदा अस्पतालों में बढ़ रहे कार्यभार को निपटाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली और उसके आस-पास कई अस्पताल खोले जा रहे हैं । दिल्ली प्रशासन ने जमुना पार वाले इलाके तथा पश्चिम दिल्ली में दो अस्पताल खोले हैं । इसके अतिरिक्त छटी पंचवर्षीय योजना के

दौरान मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर और जफ़रपुर में सौ-सौ पलंगों वाले तीन और अस्पताल खोले जाएंगे। आशा है कि उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल का कार्यभार घट जायेगा।

भारत-भूटान संधि का पुनरीक्षण

2660. **श्री चित महाटा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी भूटान की हाल की यात्रा के दौरान भूटान की 1949 की भारत-भूटान सन्धि का पुनरीक्षण करने की माँग पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेलवे वर्कशाप

2661. **श्री वी. एस. विजय राघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेलवे कर्कशाप की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केरल दक्षिण रेलवे द्वारा सेवित है। दक्षिण रेलवे पर पहले से ही स्थापित रेलवे चल स्टाक मरम्मत कारखानों से मरम्मत सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और फिलहाल इस रेलवे पर एक नया चल स्टाक मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजनों को उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं

2662. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हरिजनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अधिक सुविधाएं देने के लिए कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं छात्रों को कब तक उपलब्ध होंगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय के तकनीकी शिक्षा प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाए गए कदम

(1) विश्वविद्यालयों/कालेजों में दाखिले के लिए आरक्षण :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी 1973 में विश्वविद्यालयों का ध्यान, स्थानों के आरक्षण से संबंधित उन मार्गदर्शी रूप-रेखाओं की ओर दिलाया जो शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें इस अनुरोध के साथ जारी की थीं कि वे इनका अनुपालन करें। इनके अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये 20% स्थान आरक्षित होते हैं और उन्हें किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में 5% अंकों की रियायत दी जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 20% स्थानों को भरने के लिये योग्यता क्रम में अंकों में और छूट देने का भी सुझाव दिया गया है।

जुलाई, 1981 में आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से यह अनुरोध किया है कि वे इस मामले की स्वयं जांच करें और यह सुनिश्चित करने के लिये अपने प्रयासों को तेज करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित सभी स्थान भरे जाएं।

(2) विश्वविद्यालयों/कालेज छात्रावासों में स्थानों का आरक्षण :

आयोग के निर्णय के अनुसार, विश्वविद्यालयों/कालेजों को यह सलाह दी गई है कि वे इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि छात्रावासों का निर्माण आयोग की सहायता से किया गया है या किसी अन्य स्रोत से, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्रावासों में 20% स्थान आरक्षित कर दें।

(3) कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां :

किसी भी निश्चित समय के आधार पर विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 2870 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां आवंटित की गई हैं और इनमें से 10% अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अध्येताओं के लिये आरक्षित हैं। ये शिक्षावृत्तियां विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही स्वयं दी जाती हैं। सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान और मानविकी में केवल अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 50 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां आरक्षित हैं और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीधे ही प्रदान की जाती हैं।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां :

आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान की गई 100 वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृत्तियों में से, सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान और मानविकी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 10% शिक्षावृत्तियां आरक्षित की गई हैं। इनके अतिरिक्त 20 वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हैं।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये अनुसंधान एसोशिएटशिप :

इस सामान्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 50 स्थानों में से 10% स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1979-80 से केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 अनुसंधान एसोशिएटशिप भी प्रारम्भ की हैं। इन्हें प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान, मानविकी में उत्तरस्नातक छात्रवृत्तियां :

आयोग ने 25 छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़े वर्गों के छात्रों को सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान, मानविकी में उत्तरस्नातक अध्ययनों के लिए प्रति वर्ष प्रदान की जायेंगी।

(7) इंजीनियरी और प्रोद्योगिकी में अनुसंधान शिक्षावृत्तियाँ।

आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली 50 अनुसंधान शिक्षावृत्तियों में से, 10% शिक्षावृत्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(8) संस्कृत/पाली/प्राकृत/अर्द्ध-मगधी और अरबी/फारसी में उत्तर स्नातक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां :

उपरोक्त विषयों में उत्तर-स्नातक अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली 40 छात्रवृत्तियों में से 10% छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, अभी योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(9) पूर्ण कालिक एल. एल. एम. पाठ्यक्रमों के लिए उत्तरस्नातक छात्रवृत्तियां :

पूर्णकालिक एल. एल. एम. पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली 50 छात्रवृत्तियों में से 10% छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं।

तकनीकी शिक्षा के संबंध में किए गए उपाय

(1) सीटों का आरक्षण :

इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों में अवरस्नातक और तकनीशियन पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% स्थान आरक्षित हैं। उत्तरस्नातक पाठ्यक्रमों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% स्थान आरक्षित हैं।

(2) विशेष प्रशिक्षण प्रबंध :

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अनेक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा अन्य कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपचारी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है, ताकि उन्हें विभिन्न विषयों में अन्य उम्मीदवारों के स्तर तक लाया जा सके। विभिन्न राज्य सरकारों से शेष अन्य सभी कालेजों में भी ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया जा चुका है।

(3) विशेष रियायतें :

(क) अवर स्नातक और उत्तर स्नातक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता आवश्यक छूट दी जाती है।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संयुक्त प्रवेश के लिए जहां तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों का सम्बन्ध है, ये अन्य उम्मीदवारों के अंकों से कम होते हैं।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उपयुक्त ढंग से पाठ्यक्रमों को आयोजित करके सत्र (सेमेस्टर) परीक्षाओं में अन्य छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कम भार वाले पाठ्यक्रमों को लेने की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(4) विशेष सहायता

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करने के वास्ते प्रति विद्यार्थी 500/- रु० उपलब्ध किये हैं। पुस्तकालयों द्वारा विद्यार्थियों

की आवश्यकता की पुस्तकों की बहुत-सी प्रतियां खरीद ली गई हैं और इन्हें अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एक समय में एक सत्र के लिए उधार दिया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना— 1980-85 में तकनीकी शिक्षा की विशेष घटक योजना के लिए 470 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(5) इंजीनियरी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा XII (विज्ञान विषयों वाले) के छात्रों को लगभग 10 महीने का विशेष प्रशिक्षण निःशुल्क देने के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है।

भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक भी उपस्थित थे, चर्चा के लिए कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की गई थीं :—

"अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए (डी) सुविधाओं के संदर्भ में विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के प्रश्न पर विचार करना।"

इस संबंध में सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देने और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिएं, ताकि वे वांछित स्तर तक पहुंच सकें।

2 जून, 1980 को हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस संबंध में कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों को सामने रखा गया और आम तौर पर उनका समर्थन किया गया।

चीन-भारत व्यापार संबंध

2663. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना के साथ व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने तथा विकसित करने के लिए यदि कोई रचनात्मक और विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ;

(ख) अब तक किए गए उपायों का क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) चीन से आयात और उसको निर्यात का कुल वर्तमान मूल्य क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्सिंह राव) : (क) 1977 में चीन के साथ व्यापार पुनः शुरू होने के बाद भारतीय पक्ष की ओर से एच. एम. टी., फिक्की, एम. एम. टी. सी., एस. टी. सी. के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी चीन की यात्रा करते रहे हैं जिनमें कुछ व्यापारी

भी शामिल हैं। इसी प्रकार चीन भी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों तथा निजी व्यापारिक घरानों से विचार विमर्श के लिए प्रतिनिधिमण्डल भेजता रहा है। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच हुए विचार-विमर्श में दोनों देशों के बीच व्यापार के प्रश्न को भी शामिल किया गया था।

(ख) दोनों देशों के बीच का व्यापार क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। लेकिन विनिमय की जाने वाली जिन्सों की संख्या सीमित है।

(ग) वर्ष 1980 के दौरान चीन को 572 लाख अमरीकी डालर मूल्य के भारतीय सामान का निर्यात किया गया। चीन से 380 लाख अमरीकी डालर मूल्य का सामान आयात किया गया था।

भागलपुर-विहपुर रेल स्टीमर सेवा

2664. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भागलपुर से बरारी-महादेवपुर-विंहपुर के बीच रेल स्टीमर सेवा कब से चल रही है और भागलपुर आदि को उत्तर और दक्षिण से जोड़ने में इसका क्या महत्व वा भूमिका है;

(ख) बरानी या फरक्का होते हुए विहपुर और भागलपुर के बीच दूरी कितनी है और उसे तय करने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार का भागलपुर-विहपुर रेल-स्टीमर सेवा बंद करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस सेवा से सरकार को तीन वर्ष पूर्व तथा अब कितनी दैनिक आय होती है; और

(ङ) आय में कमी होने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने वाले हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भागलपुर से बरारी-महादेवपुर-वीरपुर तक गाड़ी/स्टीमर सेवाएं 1906 में शुरू की गई थीं। इस गाड़ी/स्टीमर सेवा थानावरिपुर और भागलपुर के बीच की दूरी कम हो जाती है।

(ख) बरौनी के रास्ते भागलपुर और थाना बीरपुर के बीच की दूरी 276 किमी० और चामग्राम के रास्ते 345 कि.मी. है। बरौनी जंक्शन के रास्ते बीरपुर से भागलपुर पहुंचने में लगभग 10 घंटे और 40 मिनट तथा न्यू फरक्का के रास्ते 16 घंटे 30 मिनट लगते हैं।

(ग) गतायु फ्लोटिला, जिनमें भारी मरम्मत और बदलाव कार्य अपेक्षित है तथा जो अलाभ प्रद है, के कारण होने वाली परिचालनिक कठिनाइयों के कारण बरारीघाट से महादेवपुर

घाट तक स्टीमर सेवा की समीक्षा की गयी है, आगे समीक्षा करने तक इस सेवा के फेरों में कमी करके प्रतिदिन उसे 2 कर दिये गये हैं ।

(घ) और (ङ) पिछले चार वर्षों के दौरान घाट उतराई सेवा से होने वाली दैनिक आमदनी निम्न प्रकार से थी :

1977-78	1,493 रुपये
1978-79	1,370 रुपये
1979-80	2,208 रुपये
1980-81	2,186 रुपये

भारी संचलन और अनुरक्षण खर्चों के कारण रेलों को हानि हुई है ।

रेल सेवा आयोग

2665. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के सदस्यों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इसमें राजस्थान के कितने सदस्य हैं तथा वे आयोग की स्थापना के बाद कब से नियुक्त हैं और उनकी कार्य अवधि कब तक की है; और

(ग) रेल सेवा आयोग में सदस्यों के नामांकन का क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद में सदस्य सचिव का केवल एक पद है ।

(ख) इस आयोग में राजस्थान के किसी व्यक्ति को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ।

(ग) भर्ती नियमों की एक प्रति अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी-2766/81] भर्ती नियमों के अनुसार, जहां तक सदस्य सचिव के पद का सम्बन्ध है, यह पद सेवारत रेलवे अधिकारी द्वारा भारा जाता है । क्षेत्रीय रेलों या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ऐसे अधिकारियों का एक पेनल, जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, लोक संघ सेवा आयोग को अन्तिम चयन के लिए भेजा जाता है ।

रेलवे के बुकिंग क्लर्क

2666. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेल टिकटें खरीदने वाले अधिकांश लोग अनपढ़ होते हैं और रेलवे स्टेशनों के अधिकांश बुकिंग क्लर्क उन्हें या तो उन्हें देय रेजगारी वापस ही नहीं करते या उनसे टिकटों का अधिक मूल्य वसूल करते हैं और वे इस प्रकार छोटे स्टेशनों पर 20 से 30 रु. और बड़े स्टेशनों पर 100 रुपये से अधिक पैसा बना लेते हैं;

(ख) क्या रेलवे अधिकारी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई आकस्मिक छापा मारते हैं; और

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलवे किराए और भाड़े के संबंध में रुपये की अंश की सीमा 50 पैसे तक करने का है जैसे 19 रुपये 35 पैसे की 19 रुपये और 19 रुपये 68 पैसे की 20 रुपये बनाया जाये ?

रेल एवं संसदीय कार्य उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1979 में रेल दर जांच समिति द्वारा किये गये गैर-उपनगरीय यात्री रूप-रेखा सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें 100% सुपरफास्ट गाड़ियां, 50% मेल/एक्सप्रेस गाड़ियाँ, 20 प्रतिशत लम्बी दूरी की गाड़ियां तथा 40 प्रतिशत कम दूरी की सवारी गाड़ियां शामिल थीं, निरक्षर यात्रियों का प्रतिशत दर्जे-वार नीचे दिया गया है :

वातानुकूलित दर्जा	पहला दर्जा	पहला दर्जा कुर्सीयान	2-टियर वातानुकूलित शयनयान	वातानुकूलित कुर्सीयान	दूसरे दर्जे का शयन यान	दूसरे दर्जे का बैठने के स्थान वाला यान	सभी दर्जे
—	0.47	0.56	—	0.42	3.47	13.05	7.00

रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलों को बुकिंग क्लर्कों द्वारा यात्रियों से अधिक पैसे लेने के बारे में शिकायतें अवश्य मिलती हैं लेकिन इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि छोटे स्टेशनों के बुकिंग क्लर्क 20 से 30 रु. तक और बड़े स्टेशनों के बुकिंग क्लर्क 100/- रु. से अधिक कमा रहे हैं।

(ख) जी हां। यह देखने के लिए कि बुकिंग क्लर्क अधिक पैसे न लिया करें सतर्कता एवं वाणिज्य विभागों के निरीक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है।

(ग) इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने की दृष्टि से यात्री किरायों से संबंधित पूर्णांकन नियमों को 1-10-81 से युक्तियुक्त बनाया जा रहा है। माल, पार्सल और सामान यातायात पर भाड़ा प्रभारों का अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकन पहले से ही किया जा रहा है।

बिहार शरीफ नवादा लाइन

2667. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार शरीफ और नवादा दोनों जिला मुख्यालयों को वहां यात्री तथा सामान के यातायात को ध्यान में रखते हुए रेल से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिहार शरीफ से राजगीर तक पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है। राजगीर से नावदा तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) धन की तंगी के कारण।

बंदेल-कटवा लाइन

2668. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे की बंदले-कटवा लाइन के विद्युतीकरण और उसे दोहरा करने के बारे में सरकार को कुल कितने अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों की मांग पूरी करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारी संख्या में अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जांच की गयी है, लेकिन बण्डेल कटवा खंड का विद्युतीकरण करने और उस पर दोहरी लाइन को फिलहाल औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। चूंकि इस खंड पर यातायात घनत्व बहुत ही कम है, इसलिए इन भारी निवेशों का कोई औचित्य नहीं बनता।

पटना-गया मार्ग के लिए दोहरी लाइन

2669. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटना-गया मार्ग में दोहरी लाइन बिछाने और इस लाइन में बिजली लगाने का प्रस्ताव है क्योंकि यह मार्ग दक्षिणी बिहार की राज्य की राजधानी (पटना) से जोड़ता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, केवल सवारी यातायात में वृद्धि होने से दोहरी लाइन तथा बिजलीकरण का सामान्यतः औचित्य नहीं बनता । इस मार्ग पर माल यातायात में वृद्धि होगी, लेकिन दोहरी लाइन अथवा बिजलीकरण के औचित्य के लिए कम है ।

प्रकाशकों द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का निर्धारण करना

2670. **श्री रशीद मसूद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ प्रकाशक पुस्तकों की अपनी सूची छापकर तथा उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित बताकर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकार में आने वाले स्कूलों को गुमराह कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) एक गुमनाम एजेन्सी द्वारा पुस्तकों की एक सूची परिचालित किए जाने का एक मामला केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ध्यान में हाल ही में आया था। इस सूची में बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के नाम और बोर्ड द्वारा अनुमोदित न की हुई कुछ पुस्तकों के नाम शामिल थे । कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा जारी की गई पुस्तकों की एक जाली सूची के विरुद्ध एक सामान्य परिपत्र के जरिए बोर्ड ने स्कूलों को फौरन सचेत कर दिया था । स्कूलों को बोर्ड द्वारा निर्धारित/अनुसंशित पुस्तकों को ही प्रयोग में लाने की सलाह दी गई थी । बोर्ड के पास पंजीकृत प्रकाशकों को भी ऐसी चालों से दूर रहने के लिए सचेत कर दिया गया था । शैक्षिक प्रकाशक संघ के साथ भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था ।

चितौनी घाट में रेल पुल

2671. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले बाधाह में चितौनी घाट के रेल पुल की अनुमानित लागत क्या हैं;

(ख) इस पुल का निर्माण किस तारीख से शुरू हुआ तथा इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है और इसके निर्माण में अब तक की प्रगति क्या है;

(ग) क्या निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इसकी अनुमानित लागत लगभग 20 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) से (घ) पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे में नमूना परीक्षण किये जा रहे हैं । निर्माण स्थल में पथ प्रदर्शक वन्ध का निर्माण करने के लिए गोला पत्थर एकत्रित किये जा रहे हैं । पुल का निर्माण करने के लिए स्थान का अन्तिम चयन हो जाने के तुरन्त बाद कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

दिल्ली प्रशासन के फार्मासिस्टों को वार्षिक वेतन वृद्धि और बिना-हड़ताल वाले दिनों के लिए वेतन का भुगतान

2672. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिल्ली प्रशासन के फार्मासिस्टों को वार्षिक वेतन वृद्धि और बिना हड़ताल वाले दिनों के लिए वेतन भुगतान के बारे में 7 मई 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने ड्यूटी से अनधिकृत रूप से गैर-हाजिरी को माफ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विवादग्रस्त वार्षिक वेतन वृद्धियों और वेतन की अदायगी कर दी गई है ।

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) संबंधित व्यक्तियों को वेतन और वेतन वृद्धियों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) जी नहीं, कुछ फार्मासिस्टों को वार्षिक वेतन वृद्धियाँ नहीं दी गई हैं और उन्हें विवादास्पद अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया है ।

(ग) हड़ताल की अवधि को माफ करने की मंजूरी के अभाव में फार्मासिस्टों को वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया है ।

(घ) हड़ताल की अवधि के बारे में निर्णय होते ही उन्हें वेतन आदि दे दिए जायेंगे ।

विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों तथा अशिक्षित समुदायों में शारदा एक्ट का उल्लंघन

2673. श्री मूलचन्द डागा :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1929 के शारदा एक्ट के अन्तर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई थी, परन्तु आज भी देश के अशिक्षित समुदायों में, विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में, बाल विवाह खुले आम हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बाल विवाह रोक अधिनियम, 1929 द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। सरकार को इस बात का पता है कि देश के कुछ भागों में कुछ बाल विवाह हो रहे हैं।

(ख) बाल विवाह रोक अधिनियम को 1978 में संशोधित किया गया है जिस से लड़कियों के लिए विवाह की आयु को बढ़ा कर 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाह की आयु को बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिया गया है तथा कुछ प्रयोजनों के लिए इस अपराध को प्रज्ञेय कर दिया गया है। बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक तात्पर्यों के बारे में जानकारी देने हेतु जन प्रचार साधनों का उपयोग किया जा रहा है तथा सामाजिक संगठनों से अनुरोध किया जाता है।

राज्यवार कैंसर के रोगी और उनकी मृत्यु दर

2674. श्री विजय कुमार यादव :

श्री एस. बी. सिदनाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में राज्यवार कैंसर के रोगियों और उनकी मृत्यु के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा क्या प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार की कैंसर रोगियों को मुफ्त सम्पूर्ण चिकित्सा सहायता देने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जिन अस्पतालों में कैंसर के रोगियों के इलाज की सुविधायें उपलब्ध हैं उनमें 1978, 1979 और 1980 के दौरान भर्ती किये गए रोगियों और उनमें से मृतकों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगों से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं, इस बारे में अभी तक कोई देश-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। चूंकि कैंसर न तो अधिसूच्य और नहीं पंजीकरणीय रोग है, इसलिए इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह मालूम हो सके कि कैंसर के रोगियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। वैसे क्लीनिकल धारणा यह है कि कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है जो संभवतया अधिक जागरूकता, बेहतर वैदानिक सुविधाओं और लोगों की जीवन-अवधि में बढोतरी होने के कारण हो सकती है। देश के अधिकतर बड़े-बड़े अस्पतालों, मेडिकल कालेज-अस्पतालों और विशिष्ट संस्थानों में कैंसर के उपचार की सुविधायें उपलब्ध हैं। कैंसर का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 1975 में एक कैंसर अनुसंधान एवं उपचार कार्यक्रम आरम्भ किया था। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :— 1. देश में कुछेक कैंसर संस्थाओं को क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों के रूप में विकसित करना, और 2. कोबाल्ट थेरापी यूनिटों तथा प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों को क्रमशः 10.00 लाख रुपये और 0.50 लाख रुपये तक की अनावर्ती केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करना।

इस समय इस मंत्रालय द्वारा 9 कैंसर केन्द्रों को विकसित कर उन्हें क्षेत्रीय स्तर अनुसंधान और उपचार केन्द्र बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। एक अन्य क्षेत्रीय केन्द्र भी परमाणु ऊर्जा विभाग से सहायता प्राप्त कर रहा है। अब तक 17 राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संस्थाओं को कोबाल्ट थेरापी यूनिट तथा प्रारंभिक कैंसर खोजी केन्द्र खोलने के लिए अनावर्ती केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

(घ) जी नहीं। वैसे, कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, जिनका उल्लेख ऊपर भाग (ग) के उत्तर में किया गया है कैंसर के गरीब रोगियों का इलाज मुफ्त करते हैं।

विवरण

जिन अस्पतालों में कैंसर के रोगियों के इलाज की सुविधायें उपलब्ध हैं, उन में 1978, 1979 और 1980 के दौरान उन रोगियों की संख्या जो भर्ती किये गये और उनमें से जो मर गए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अस्पतालों की कुल सं०	1979			1979		1980		
		भर्ती किए रोगी	मौतें	अस्पतालों की रिपोर्टेड संख्या	भर्ती किए गए रोगी	मौतें	अस्पतालों की रिपोर्टेड संख्या	भर्ती किए गए रोगी	मौतें	अस्पतालों की रिपोर्टेड संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आन्ध्रप्रदेश	8	2311	108	5	1247	109	3	2014	131	4
2. असम	3	+	+	+	1008	71	3	890	52	3
3. बिहार	3	134	1	1	2900	305	1	3000	340	1
4. गुजरात	10	7728	472	7	7651	387	9	7098	440	9
5. हरियाणा	1	1277	70	1	1309	73	1	1523	81	1
6. हिमाचल प्रदेश	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7. जम्मू व कश्मीर	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8. कर्नाटक	10	1475	137	4	5148	396	6	4876	338	5
9. केरल	4	5300	385	2	+	+	+	1747	172	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
10. मध्यप्रदेश	10	2094	216	6	1348	135	2	2288	93	2
11. महाराष्ट्र	32	4261	379	15	8182	947	21	8996	943	20
12. मणिपुर										
13. मेघालय	1	33	5	1	40	12	1	41	9	1
14. नागालैण्ड										
15. उड़ीसा	3	1710	109	2	1194	48	2	1183	60	2
16. पंजाब	6	987	123	1	1709	131	2	2355	150	2
17. राजस्थान	7	2814	160	6	4405	350	6	4405	89	6
18. सिक्किम										
19. तमिलनाडु	16	9930	321	12	9789	236	12	9933	181	11
20. त्रिपुरा	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21. उत्तर प्रदेश	6	1490	252	3	1464	79	4	1448	75	4
22. पश्चिम बंगाल	5	4213	9(4	4	1601	456	2	1828	511	2
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. अरुणाचल प्रदेश										
25. चंडीगढ़	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26. दादर व नगर हवेली										
27. दिल्ली	8	1871	156	3	2614	342	5	570	257	4
28. गोआ दमन व दीव	3	726	59	2	748	34	2	335	9	1
29. लक्षद्वीप										
30. मिजोरम										
31. पांडिचेरी	1	+	+	+	2384	129	1	1424	54	1
कुल	142	48354	3917	75	54741	4240	83	55953	3984	80

टिप्पणी : + = ऊपलब्ध नहीं है।

सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात से वापस भेजे गये भारतीय

2675. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीयों को सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात से वापस भेजा गया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 1980-81 के दौरान वीजा देने से इन्कार किया गया और उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय राष्ट्रीकों के उद्वासन के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है । यह उल्लेखनीय है कि विदेशी सरकारों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपने देश से हमारे राष्ट्रीकों के उद्वासन की सूचना भारत सरकार को दें ।

(ख) वीजा देना अथवा न देना एक ऐसा मामला है जो पूर्णतः उस संबद्ध देश के प्रभु-सम्पन्न क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । इन देशों की सरकारें इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि वे, जिन लोगों को वीजा अस्वीकार कर दें, उनके नाम हमें बता दें या वीजा अस्वीकार करने के कारण हमें बतायें । अतः आपेक्षित सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में बह जाने वाले पुल

2676. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में हाल की बाढ़ में कितने रेलवे पुल बह गये थे; और

(ख) क्या पुलों के इस प्रकार बह जाने के बारे में जांच कर ली गई है और क्या कुछ मामलों में पुलों के टूट जाने का कारण दोषपूर्ण निर्माण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजस्थान क्षेत्र में हाल ही में आयी बाढ़ के दौरान 12 पुल बह गये/क्षतिग्रस्त हो गये हैं ।

(ख) पुलों के बह जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व वर्षा थी न कि पुलों का कमजोर होना अथवा दोषपूर्ण निर्माण ।

पूर्वी रेलवे के काकुरगाछी कोर्ड पर गाड़ियां चलाने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

2677. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में काकुरगाछी कोर्ड पर विद्युतीकृत किये गये दोहरे रेलमार्ग पर पैसेन्जर गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव के बारे में जिस तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का आश्वासन दिया गया था वह पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

दूलाबकोड त्रिवेन्द्रम सेक्शन का विद्युतीकरण

2678. **श्री स्कारिया थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के दूलावकोड-त्रिवेन्द्रम और शोरनूर-मंगलपुरम सेक्शनों के विद्युतीकरण के बाबत केन्द्र को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । केरल सरकार ने ओलवक्कोड-तिरुवनन्तपुरम और शोरुवण्णुर-मंगलूर खंडों के बिजलीकरण का प्रस्ताव भेजा था ।

(ख) चूंकि, इन खंडों पर यातायात के घनत्व अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इन मार्गों का बिजलीकरण जब तक के लिए स्थगित करने का विनिश्चय किया गया है, जब तक कि इन मार्गों पर यातायात बढ़ न जाये और भारतीय रेलों पर उच्च यातायात घनत्वों वाले अन्य ट्रंक मार्गों का बिजलीकरण न हो जाये ।

31 जुलाई, 1981 को 104 झोरसुगुडुपुरी एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

2679. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 104-झोरसगुड़/पुरी एक्सप्रेस कटक के निकट बोराडग तथा बालीकुडा के बीच 31 जुलाई, 1981 को पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) गाड़ियों के इस प्रकार पटरी से उतर जाने की रोकथाम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ । 31-7-81 को जब 144ए झारसुगुडा-पुरी एक्सप्रेस गोपालपुर-बालीकुडा तथा बारंग स्टेशनों के बीच चल रही थी तब वह पटरी से उतर गयी ।

(ख) कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) मानवीय असफलताओं पर काबू पाने के लिए रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ियों के चालन से संबंधित कर्मचारियों के बीच अधिक संरक्षा की भावना पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव तरीके न अपनाएं जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक गहन अभियान चला रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रीथिंगियर परीक्षण भी प्रारम्भ किया गया है कि कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर न आने पायें । जिस चल स्टाक पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे दूसरे चल स्टाक से अलग किया जा रहा है ताकि इस पर निरन्तर अन्तरालों पर संगठित ध्यान दिया जा सके । रेल पथ के समुचित अनुरक्षण पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है ।

इस आशय के अनुदेश दिये गये हैं कि भेद्य खंडों पर अथवा जिनके संबंध में तोड़-फोड़ के निश्चित संकेत उपलब्ध हैं, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गैंगमैनों द्वारा गश्त लगायी जाये ।

यह भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि गर्डरों के सभी बड़े पुलों के पहुंच मार्गों का अधिक गहनता से निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

क्षेत्र जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक विशेष संरक्षा दल का गठन किया गया है । दुर्घटनाओं के रुख की रेलवे बोर्ड द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

महा प्रबन्धकों ने नवम्बर, 1981 तक सभी ट्रंक मार्गों का विशेष संरक्षा निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाया है ।

दिल्ली के लिए पृथक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना

2180. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए एक पृथक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अब यह मामला किस अवस्था पर है ;

(ग) इस प्रस्ताव से क्या लाभ होंगे ; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) दिल्ली के लिये एक अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठित करने के दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया है कि एक अलग बोर्ड गठित करने के बजाय प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आने वाले दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण और परीक्षाओं के आयोजन के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों में दिल्ली प्रशासन की बात को अधिक महत्व देना पर्याप्त होगा ।

जे. बी. एम. जी आर कालेज, चरखी दादरी से अनुदानों की वसूली

2681. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे.बी.एम.जी.आर कालेज, चरखी दादरी (हरियाणा) को पुस्तकालय भवन के निर्माण और पुस्तकों की खरीद के लिए पहले मंजूर किए गए अनुदान अब तक प्राप्त नहीं किए गए ;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) यह अनुदान कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) चौथी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से शुरू किए गए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य में जब कुछ अनियमितताएं नोटिस में आई तो आयोग ने कालेज को और अनुदान की अदायगी रोक दी थी । मामले को, जांच करने के लिए, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को भेजा गया था, जिससे कालेज सम्बद्ध है । पंजाब विश्वविद्यालय से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । तथापि, क्योंकि कालेज अब महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्बद्ध है, आयोग ने उस विश्वविद्यालय की सम्मति भी मांगी है । कालेज को और अनुदान की अदायगी करने अथवा पहले दिए गए अनुदान को वसूल करने के प्रश्न पर आयोग द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा ।

स्टेशनों का नाम हिन्दी में लिखा जाना

2682. श्री जैनुल बशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्टेशनों के नाम हिन्दी में नहीं लिखे हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आर.डी. एस. ओ. कर्मचारी संघ को मान्यता

2683. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के क्या नियम हैं और वे नियम कहां निर्धारित किये गए ;

(ख) जब स्टाफ एसोसिएशनों को मान्यता दी गई क्या आर.डी. एस ओ. कर्मचारी संघ की मान्यता के आवेदन पर भी विचार किया गया; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर एक मात्र पंजीकृत ट्रेड यूनियन को मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वे व्यापक मार्ग निदेशक सिद्धान्त दिये गये हैं जिसमें यूनियन को मान्यता देने की आवश्यकता के आधार पर रेलों के महाप्रबन्धक यूनियन को मान्यता देते हैं। पहले भी प्रश्नों के उत्तर में यह लोक सभा को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(ख) और (ग) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के दो कर्मचारी एसोसिएशनों को उस पद्धति पर मान्यता दी गयी है जैसी रेल मंत्रालय में दी जाती है ।

दो कर्मचारी एसोसिएशनों को मान्यता देने के तुरन्त बाद अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के कर्मचारी संघ को भी मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया गया था लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी । चूंकि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन एक सम्बद्ध कार्यालय है इसलिए ट्रेड यूनियन संगठन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता है । दो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन, जिनकी सहायता अनुसंधान अभिकल्प और मानव संगठन के तीसरी और चौथी श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए खुली है, कर्मचारियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने तथा उनका समाधान करने के मामले में पर्याप्त समझी गयी है ।

विवरण

मोटे तौर पर नीचे कुछ अतिमहत्वपूर्ण शर्तें दी गयी हैं, जिनके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त यूनियन की आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक यूनियन को मान्यता दे सकते हैं : –

1. इसमें विशेष श्रेणी के कर्मचारी (अर्थात अराजपत्रित) शामिल होने चाहिए और इसका गठन किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय अथवा किसी दल या ऐसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के वर्ग से न हुआ हो ।

2. उस श्रेणी के सभी रेल कर्मचारी सदस्यता के पात्र होने चाहिए।

3. भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन उसे पंजीकृत होना चाहिए;

4. उसकी सदस्य संख्या सम्बन्धित रेलवे नियोजित कुल अराजपत्रित कर्मचारियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

5. यह किसी खण्ड विशेष पर नहीं होनी चाहिए। एक कोटि अथवा कर्मचारियों की सीमित कोटि से गठित यूनियनों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

6. रेल प्रशासन की राय में विनाश की किसी कार्रवाई में इसके गस्त होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम के संवर्धन के लिए राज्यों को दी गई धन राशि (अनुदान)

2684. श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए अनुदानों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : वर्ष 1980-81 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को स्वीकृत किए गये सहायता अनुदानों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-81 में परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को दी गई सहायता का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य	नकद	दिये गये सामान का मूल्य	बकाया भुगतान
1.	आंध्र प्रदेश	1021.44	44.03	—
2.	असम	160.46	12.73	—
3.	बिहार	788.48	37.92	—
4.	गुजरात	743,45	63.50	—
5.	हरियाणा	226.20	28.50	—
6.	हिमाचल प्रदेश	112.51	10.41	—

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य	नकद	दिये गये सामान का मूल्य	बकाया भुगतान
7.	जम्मू और कश्मीर	94.98	9.33	—
8.	कर्नाटक	571.77	55.78	286.16
9.	केरल	449.35	13.49	—
10.	मध्य प्रदेश	768.89	37.45	—
11.	महाराष्ट्र	1038.36	84.26	—
12.	मणिपुर	44.55	1.09	—
13.	मेघालय	17.19	0.75	—
14.	नागालैंड	4.89	1.88	—
15.	उड़ीसा	557.11	28.00	—
16.	पंजाब	236.95	40.52	—
17.	राजस्थान	545.35	35.26	—
18.	सिक्किम	9.47	0.87	—
19.	तमिलनाडु	772.67	39.49	—
20.	त्रिपुरा	20.96	1.57	—
21.	उत्तर प्रदेश	1442.46	107.06	—
22.	पश्चिम बंगाल	734.69	44.31	—
	योग	10389.14	699.20	286.16

न्यू मूर द्वीप का सर्वेक्षण

2685. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा न्यू मूर द्वीप का प्रथम सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया गया था;

(ख) क्या मूर द्वीप का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) न्यू मूर द्वीप का पहला विस्तृत सर्वेक्षण 24 से 27 मार्च, 1975 तक नौ सेना जलसर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया गया था ।

(ख) जी हां ।

सबसे बाद का सर्वेक्षण 12 जून, 1981 को पूरा हो गया था ।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण रिपोर्टों में सामान्यतः वर्गीकृत सामग्री होती है । इसलिए उसे सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है इन रिपोर्टों की सामग्री का उपयोग नक्शे और चार्ट तैयार करने में किया जाता है जो सार्वजनिक दस्तावेज है और सामान्य स्त्रोतों से कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

राम कृष्णपुरम और पश्चिमी दिल्ली के घरों में मच्छर तथा काकरोच

2685. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी दिल्ली, विशेषकर रामकृष्णपुरम में घरों में बहुत मच्छर तथा काकरोच पैदा हो गए हैं ;

(ख) क्या डी० टी० टी० न छिड़कने से या फाग स्प्रे में मिलावट के कारण या दूषित पर्यावरण, नालियों की दुर्व्यवस्था, गन्दगी, या जल निकासी की दुर्व्यवस्था, शुष्क शौचालयों के कारण मच्छर तथा काकरोच पैदा हो रहे हैं या इसका कोई और कारण है ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दक्षिणी दिल्ली तथा रामकृष्णपुरम में मच्छरों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है । घरों में कोकरोचों का सफाया करने के लिए कोई नियन्त्रण कार्यक्रम नहीं है ।

(ग) मच्छरों की समस्या का जोरदार ढंग से मुकाबिला करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) लार्वारोधी उपायः सभी ऐसे स्थानों पर जहां पानी जमा हो जाता है, तथा नालियां आदि में सप्ताह में एक बार लार्वानाशी दवाई छिड़की जा रही है ।

(2) सप्ताह में एक बार गन्दे नालों तथा नालियों से घासफूस उखारना और पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाना ।

(3) महीने में एक बार मेलेथियन का धुंआ छोड़ना ।

(4) पाइरीथ्रम के साथ घरों में फोकल स्प्रे करना ।

वैगन फ्लीट में बढ़ोत्तरी

2687. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने छठी योजना में 309 मिलियन टन रेलवे भाड़ा यातायात को पूरा करने के लिए अपना वेगन फ्लीट सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) देश में वैगन उत्पादन की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(ग) वैगनों को निर्माण के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी योजना में 1,00,000 माल डिब्बों के अधिग्रहण की व्यवस्था की गयी है, जिन में से 50,000 बदलाव लेखे में और 50,000 माल डिब्बे अतिरिक्त लेखे में अधिग्रहीत किये जायेंगे। लेकिन चल स्टाक में बढ़े हुए इतने माल डिब्बे 3090 लाख टन माल यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

(ख) प्रति वर्ष 28,040 माल डिब्बों का उत्पादन करने के लिए देश में मौजूदा क्षमता पर्याप्त है।

(ग) छठी योजना में माल डिब्बों के लिए अलग से कोई विशेष राशि आबंटित नहीं की गयी है। इस योजना में सम्पूर्ण चल स्टाक के लिए 2100 करोड़ रुपये के आवंटन की व्यवस्था की गयी है। यह आशा की जाती है कि जैसाकि योजना में व्यवस्था की गयी है, 1,00,000 माल डिब्बों के अधिग्रहण में लगभग 1200 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। चालू वर्ष के बजट में, माल डिब्बों के अधिग्रहण के लिए 203 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

परेल तथा एल्फिस्टन रोड को जोड़ने वाला ऊपरि पुल

2688. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बम्बई में परेल और एल्फिस्टन रोड स्टेशन के बीच रेलवे लाइन को पार करते हुए कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने क्या उपाय किए हैं,

(ग) क्या रेलवे का इन दो स्टेशनों को जोड़ने के लिए विद्यमान पैदल यात्रियों के पुल के विस्तार का काम शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस पुल के विस्तार का काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले

पांच वर्षों के दौरान बम्बई में परेल तथा एलफिस्टन रोड स्टेशनों के बीच रेल लाइन पार करते समय लगभग 453 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ;

1. इस क्षेत्र के पूर्वी तथा पश्चिमी छोरों पर परेल स्टेशन को सार्वजनिक सड़क से जोड़ने के लिए एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

2. रेल लाइन पार न करने के लिए जनता को हमेशा चेतावनी दी जाती है । परेल तथा एलफिस्टन रोड स्टेशनों पर चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं ।

(ग) परेल स्टेशन के पूर्वी तथा पश्चिमी छोरों को जोड़ने वाला प्रस्तावित ऊपरी पैदल पुल, पश्चिम रेलवे के एलफिस्टन रोड स्टेशन को नहीं जोड़ेगा ।

(घ) परेल स्टेशन पर प्रस्तावित ऊपरी पैदल पुल की दिसम्बर, 1982 तक पूरा होने की संभावना है ।

कोणार्क स्मारक को जीर्ण होने से बचाना

2689. **श्री नीरेन घोष** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व प्रसिद्ध कोणार्क स्मारक विभिन्न प्रकार से जीर्ण होता जा रहा है ;

(ख) इस स्मारक को जीर्ण होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या इस बात की कोई शिकायत रही है कि इस स्मारक को जीर्ण होने से बचाने के लिए पर्याप्त रसायनों की सप्लाई नहीं की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) कोणार्क में वायु के साथ आए रेत और समुद्री नमक से हो रहे सूर्य मंदिर के पत्थरों के क्षरण में, समुद्र की ओर ऊंचे-ऊंचे पेड़ लगाकर एक रोधिका स्थापित करने से तथा समय-समय पर रासायनिक उपचार द्वारा बहुत ही कमी आई है । स्मारक के पत्थरों के परिरक्षण हेतु प्रदत्त रसायनों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है ।

कर्नाटक में हुबली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4

2690. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में हुबली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के विशाखन का वास्तविक मार्ग निर्धारण क्या है ;

(ख) इस विशाखन की कुल मील-दूरी कितनी है ;

(ग) यह कब बनाया जाएगा; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह बाईपास मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम में स्थित हुबली और धारवाड़ नगरों के बाहर से होकर जाएगा। यह इस राजमार्ग के 403 कि० मी० से निकलेगा और आगे 433 कि० मी० पर इससे मिलेगा।

(ख) इस बाईपास की लम्बाई लगभग 30 कि० मी० होगी। इस परियोजना पर अनुमानतः 390 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ग) इसका निर्माण अभी नहीं शुरू हुआ है। यदि कोई अनहोनी घटना नहीं हुई तो आशा है कि यह परियोजना लगभग पाँच वर्षों में पूरी हो जायेगी।

(घ) वित्तीय कठिनाइयों और अन्य निर्माण कार्यों के अधिक आवश्यक होने के कारण इस बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए 1981-82 की वार्षिक योजना में जमीन प्राप्त करने की आवश्यकता की गई है और छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में इसके निर्माण का भी प्रस्ताव है।

अलग निदेशालय के लिये अखिल भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ की मांग

2691. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ ने योजना को एक पृथक निदेशालय घोषित किए जाने की माँग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पहले ही एक अलग अधीनस्थ कार्यालय के रूप में निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के अधीन कार्य कर रही है।

मिदनापुर झारग्राम में उपरि पुल

2692. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर, झारग्राम, तामलुक और बालचिक नगरों में वर्तमान रेलवे फाटकों के स्थान पर उपरि पुल का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(क) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी निचले सड़क पुलों के निर्माण का कार्य रेलवे द्वारा राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से तथा लागत भागीदारी आधार पर किया जाता है, जिन्हें उनके लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करने होते हैं और वर्तमान नियमों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत लागत बहन करने का वचन देना होता है ।

मिदनापुर, झारग्राम और बेलिचाक के समीप किसी भी समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है । पांसकुडा हल्दिया नयी लाइन के परियोजना अनुमान के भाग के रूप में तामलुक के निकट वर्तमान समपार के बदले दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है । लेकिन, यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इन समपारों में वर्तमान यातायात की मात्रा इस चरण में ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के औचित्य के लिए पर्याप्त नहीं है ।

मोरेना अम्बा सड़क पर उपरि पुल

2693. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में मोरेना-अम्बा सड़क पर एक उपरि पुल बनाने की योजना स्वीकृत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ; और

(ग) इस निर्माण के लिए कितना धन आबंटित किया गया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मुरैना में वर्तमान समपार सं० 450 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य रेलों के 1981-82 के निर्माण कार्य में शामिल किया गया है । इसकी लागत रेलवे और राज्य सरकार वहन करेगी ।

(ख) इस योजना का अनुमान अभी राज्य सरकार को स्वीकार करना है । राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्य का निष्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) इस योजना पर 119.18 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें से रेलवे का हिस्सा 59.59 लाख रुपये है, 1981-82 के लिए 10.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है ;

अप्रैल से जून, 1981 तक साबरमती एक्सप्रेस का उज्जैन में देर से आगमन

2694. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे की 166 अप फैजाबाद-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस की उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आने का ठीक समय क्या है ;

(ख) अप्रैल, 1981 से जून, 1981 की अवधि के दौरान उपरोक्त साबरमती एक्प्रेस ट्रेन किन किन तारीखों को उज्जैन ठीक समय पर पहुंची ;

(ग) क्या साबरमती एक्सप्रेस के उज्जैन आमतौर पर विलम्ब से आने के कुछ कारण हैं ; और

(घ) कब से कब तक साबरमती एक्सप्रेस का चलना स्थगित रहा और क्या उपर्युक्त अवधि के लिए रतलाम से भोपाल तक कुछ रेल सुविधा प्रदान की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 166 अप साबरमती एक्सप्रेस का उज्जैन पहुंचने का समय 23.50 बजे है ।

(ख) 3, 7, 10, 19, 27, 29 अप्रैल और 20 मई 1981 को 166 अप साबरमती एक्सप्रेस ठीक समय पर उज्जैन पहुंची ।

(ग) जी हां ।

(घ) लाइनों के टूट-फूट जाने और परिचालनिक कारणों से 166 अप साबरमती एक्सप्रेस को 23 जुलाई, 1981 से 14 अगस्त, 1981 तक रद्द कर दिया गया था और इस अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त रेल सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी थी ।

बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कें

2695. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेषकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों को 10 करोड़ रुपये की क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में सड़कों को क्षति हुई है ;

(ग) क्या इसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार वर्ष से क्षतिग्रस्त हुई अथवा बह गई ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु एक योजना बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्यों को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी और क्या इस बारे में कोई केन्द्रीय योजना बनाई गई है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) देश में विभिन्न श्रेणियों की सड़कों में से भारत-सरकार संविधानिक नीति से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और विकास के लिए उत्तरदायी है। इस बरसात में असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, बिहार हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से इन राज्यों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भागों के कुछ क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है, इसलिए इनकी मरम्मतों के लिए भारत सरकार संबंधित राज्यों को खर्च देगी।

बागमती और कोसी नदियों के ऊपर बने पुल

2696. **श्री पो० रामगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि बागमती और कोसी जैसी बारहमासी और भयानक नदियों पर बने अनेकों पुल बहुत ही कमजोर हैं और उन पर रेलिंग नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। बागमती और कोसी नदियों के पुल कमजोर नहीं हैं। इनके एक तरफ रेलिंग लगे हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे विभागीय खान-पान सेवा

2697. **श्री बी०आर० नहाटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोन-वार रेलवे की विभागीय खान-पान सेवा पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन का मुनाफा या घाटा कितना है ;

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : भारतीय रेलों (रेलवे वार) के विभागीय खान-पान यूनिटों के पिछले तीन वर्षों के लाभ/हानि के आंकड़े नीचे दिये गये हैं : —

(आंकड़े हजार रुपयों में)

क्षेत्रीय रेलवे	1978-79	1979-80	1980-81
			(अनन्तिम)
मध्य	(+) 21,39	(+) 19,61	(+) 37,75
पूर्व	(+) 10	(+) 71	(+) 2,50
उत्तर	(+) 9,53	(+) 5,67	(+) 9,86
पूर्वोत्तर	(+) 3,57	(+) 2,46	(+) 3,00
पूर्वोत्तर सीमा	(+) 1,00	(—) 38	(+) 77
दक्षिण	(+) 23,67	(+) 27,21	(+) 26,20
दक्षिण-मध्य	(+) 8,92	(+) 10,92	(+) 20,31
दक्षिण-पूर्व	(—) 13,04	(—) 41,68	आंकड़े संकलाधीन हैं।
पश्चिम	(+) 5,68	(—) 4,60	(+) 2,75

नोट : (+) लाभ को दर्शाते हैं।

(—) हानि को दर्शाते हैं।

खुरदा रोड डिवीजन में रेल दुर्घटनाएं

2698. **चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय की जानकारी में यह बात आई है कि पिछले एक महीने में दक्षिण पूर्व रेलवे के खुरदा रोड डिवीजन में दो-तीन रेल-दुर्घटनायें हुई हैं जो कि इस डिवीजन के लिए एक अनोखी बात है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी बताया गया है कि 3 अगस्त, 81 को 143 डाउन कालिंगा एक्सप्रैस का इंजन बैतरसी रोड स्टेशन पर बाकी बोगियों से अलग हो गया तथा मंजरी रोड स्टेशन तक चला गया क्योंकि उसके कपलिंग खराब हो गए थे। बोगियां लाने के लिए और ड्राइवर को मोंजूरी रोड से बैतरानी रोड तक इंजन वापस ले जाना पड़ा ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खुरदा रोड डिवीजन को ठीक हालत में रखने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं । जुलाई, 1981 की अवधि में दक्षिण-पूर्व रेलवे के खोरधा रोड मण्डल में गाड़ी की पटरी से उतरने का केवल एक मामला हुआ था ।

(ख) ये घटना 4-8-81 को हुई थी ।

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और लाघव पद्धतियाँ, जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, नहीं अपनाते, संरक्षा सगठन कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जाग्रत करने के लिए अथक अभियान चला रहा है । ड्राइवरों को परामर्श दिया जा रहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके इंजन गाड़ियों से उचित रूप से जुड़े हुए हैं ।

कलकत्ता और अण्डमान के बीच यातायात सुविधाएं

2699. **श्री ई० के० इम्बीचो बाबा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता से अण्डमान आने जाने में समुद्र के रास्ते तीन दिन लगते हैं ;

(ख) क्या इसके लिए पानी में तेज चलने वाली नावें अथवा अन्य प्रकार की नावें चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष से एक नया ट्रांसपोर्ट जहाज बेकार पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह जहाज को चलाने के लिए तकनीकी आदमी के न मिलने के कारण बेकार पड़ा है ।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) एम. वी. "त्रिवेणी" नाम एक अन्तर्द्वीप जहाज 29.9.80 से 14.5.81 तक पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह में होम ट्रेड मास्टर और अर्हताप्राप्त इंजीनियरों के जो मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 के अधीन आवश्यक होते हैं, अभाव में बेकार खड़ा रहा । यह जहाज नौवहन महानिदेशक से सहायता मिलने पर 15.5.81 से फिर से चलना शुरू हो गया है ।

राज्यों को भेजा गया कोयला

2700. श्री दलबीर सिंह :

श्री बी० आर० नहाटा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन, औद्योगिक प्रयोग और स्वयं रेलवे के अपने उपयोग के लिए प्रत्येक रेलवे द्वारा विभिन्न राज्यों को कितना कोयला भेजा गया ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोको मुख्यालयों में कोयले की कमी होने के कारण कितनी सवारी और माल गाड़ियां रद्द करनी पड़ी तथा चालू वर्ष सहित तथा क्षेत्र-वार प्रत्येक रेल गाड़ी कितने समय तक रद्द रही ;

(ग) इन रेलवे क्षेत्रों द्वारा कोयले की सप्लाई के आदेश कब और कितनी मात्रा के लिए दिए गए और इन्हें कब और किस हद तक सप्लाई किया गया ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार विभिन्न रेलवे क्षेत्रों को समय पर कोयला उपलब्ध न होने के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (जुलाई, 81 तक) के दौरान कोयले का लदान करने वाली क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेलवे बिजलीघरों के अपने तथा अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए कोयले से लदे माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या का एक विवरण (क) संलग्न है ।

(ख) 1978, 1979, 1980 और 1981 (अगस्त, 81 तक) के दौरान कोयले की कमी के कारण क्षेत्रवार रद्द की गयी यात्री गाड़ियों की अधिकतम संख्या तथा जोनवार रद्द की गयी माल-गाड़ियों की कुल संख्या का एक विवरण "ख" संलग्न है ।

(ग) बोर्ड द्वारा अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों की कोयले की जरूरतों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और मार्गों/सेवाओं के डीजलीकरण/बिजलीकरण को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से इनकी समीक्षा की जाती है और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की न्यूनतम मांग की तुलना में कोयले की अपेक्षित किस्म की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तदनुरूपी कोयले की सप्लाई की जाती है ।

(घ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा ऐसी सूचना का संकलन नहीं किया जाता है ।

विवरण 'क'

प्रत्येक रेलवे द्वारा ढोया गया कोयला-दैनिक औसत माल डिब्बे :

(चौपहियों के हिसाब से)

उपभोक्ता	1979-80						1980-81						1981-82 (4 महीने)					
	पूर्व	दक्षिण पूर्व	मध्य	द०म०	पूर्वोत्तर सीमा	जोड़	पूर्व	द०पू०	मध्य	द०म०	पूर्वोत्तर सीमा	जोड़	पूर्व	द०पू०	मध्य	द०म०	पूर्वोत्तर सीमा	जोड़
बिजलीघर	1614	448	342	467	—	2871	1883	540	375	496	—	3254	2048	722	386	386	—	3744
रेल इंजन	792	441	36	191	37	1497	769	410	32	186	48	1445	753	374	27	157	43	1354
अन्य	1940	2070	204	246	11	4471	1901	1970	189	206	21	4287	1806	2179	216	103	45	4409
जोड़	4346	2959	582	904	48	8839	4513	2920	596	888	69	8986	4667	3275	629	848	88	9507

विवरण 'ख'

कोयले की कमी के कारण रेलों में सवारी और माल-गाड़ियों का रद्द किया जाना :

	रद्द की गयी यात्री गाड़ियों की कुल संख्या (जोड़ी में)				रद्द की गयी माल-गाड़ियों की कुल संख्या			
	1978	1979	1980	1981 (अगस्त तक)	1978	1979	1980	1981 (अगस्त तक)
मध्य	कुछ नहीं	17	—	3	—	157	142	88
पूर्व	6	52.5	—	—	—	—	—	—
उत्तर	97.5	81	42	56	1764	5899	1868	876
पूर्वोत्तर	51	41.5	13	32	979	873	725	289
पूर्वोत्तर सीमा	3	1	—	2	13	34	22	14
दक्षिण	87.5	108	43	93	7690	16652	10212	4719
दक्षिण-मध्य	37	36	11.5	72	2136	1606	1979	185
दक्षिण-पूर्व	9	6	—	1	—	—	—	—
पश्चिम	24	49	60	93	1356	12157	7795	1151

जलपाईगुड़ी स्टेशन के निकट भूमि

2701. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विपणन समूह का विकास करने के लिए जलपाईगुड़ी स्टेशन (उत्तर सीमांत रेलवे) के निकट एक भू खंड छोड़ देने के लिए सरकार को सिली गुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (पश्चिम बंगाल) के अध्यक्ष से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी भूमि रेलवे स्टेशन से लगी हुई है और स्टेशन मास्टर का क्वार्टर भी इसमें शामिल है। इसको त्यागने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

दक्षिण के रेलवे स्टेशन

2702. श्री जेवियर अराकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात और राजस्व के पर्याप्त बढ़ जाने के बावजूद भी दक्षिण के रेलवे स्टेशनों का रख-रखाव खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या नई सुविधायें दिए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान सुविधाओं में सुधार/वृद्धि रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के परामर्श और धन की उपलब्धता के अनुसार एक कार्यक्रम के आधार पर की जाती है और यह एक सतत् प्रक्रिया है। दक्षिण रेलवे में 19 स्टेशनों की इमारतों में सुधार करने/उनके ढांचे में परिवर्तन का काम प्रगति पर है और 7 स्टेशनों के प्लेटफार्म/प्लेटफार्म छतों को बढ़ाया जा रहा है।

कोबई एक्सप्रैस में दो इंजन लगाया जाना

2703. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोबई एक्सप्रैस में दो इंजन लगाने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस गाड़ी को कोयम्बत्तूर, इरोड, सलेम से मद्रास जाने के लिए यात्रियों को अधिक जगह सुलभ कराने के लिए पांच सवारी डिब्बे और उपलब्ध हो सकें, क्योंकि दिन के समय कोयम्बत्तूर और मद्रास के बीच केवल यही गाड़ी आती जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन):(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र राज्य में वैगन कारखाना

2704. श्रीमती उषा चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार महाराष्ट्र राज्य में वैगन कारखाने की स्थापना के लिये विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थल चयन समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार का अमरावती जिले में बुद्वाड़ा में इस कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भूटान को उसकी पाँचवीं पंचावर्षीय योजना के लिए सहायता

2705. **श्री बांगुन सुम्बरूई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने भूटान को उसकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूटान के साथ संयुक्त रूप से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत ने भूटान की पहली चार पंचवर्षीय योजनाओं पर खर्च की गयी राशि का अधिकांश भाग तकनीकी सहायता और सहायता-अनुदान के रूप में किया है । भूटान की पांचवी योजना (1981-87) में भी भारत यही भूमिका अदा करेगा । सिद्धान्त रूप में इस सहमति की सूचना भूटान को दे दी गयी है ।

(ख) भूटान के साथ तकनीकी विचार-विमर्श पूरा होने के बाद ही भूटान की पांचवीं योजना के लिए भारतीय सहायता की मात्रा के बारे में निर्णय किया जाएगा । भूटान सरकार ने पांचवीं योजना के लिए 274.10 करोड़ रुपये के कुल विकास-परिव्यय का अनुमान लगाया है तथा भारत से इसके लिए 130 करोड़ रु० की सहायता का अनुरोध किया है ।

(ग) भूटान की पाँचवी योजना अवधि के दौरान भूटान के साथ संयुक्त रूप से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं अथवा पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) चुक्खा पन-बिजली परियोजना

स्थापित उत्पादन क्षमता	—336 मेगावाट
अनुमानित लागत	—149.36 करोड़ रु०
चालू होने की निर्धारित तारीख	—दिसम्बर, 1984-सितम्बर, 1985

(योजना के दायरे से बाहर विशेष परियोजना के रूप में पूरी की जा रही है)

(2) भारत भूटान माइक्रोवेव लिंक

इससे भूटान की राजधानी थिम्बु का सम्पर्क भारत के माइक्रोवेव तन्त्र से हो जाएगा।

अनुमानत लागत	लगभग 3 करोड़ रु०
पूरा होने की अनुमानित तारीख	—1982-83

(3) गेयलेगफुग लिफ्ट

सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण

सिंचाई क्षमता	2,500 एकड़
अनुमानित लागत	लगभग 134 लाख रु.

(4) भूटान में पूर्व-पश्चिम राजपथ की ब्लैक-टापिंग

अनुमानित लागत-लगभग 10 करोड़ रु०
निर्माण की अवधि 6-8 वर्ष

(5) प्रसारण केन्द्र	20 किलोवाट शाटवेव ट्रांसमीटर
अनुमानित लागत	2 करोड़ रु०
(6) पूर्व-पश्चिम माइक्रोवेव लिंक	
अनुमानित लागत	3 करोड़ रु०

हुक्खा पन-बिजली परियोजना तथा भारत-भूटान माइक्रोवेव लिंक परियोजना पर काम चल रहा है। अन्य परियोजनाओं पर काम करने के लिए इस समय दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जा रहा है ताकि भूटान की पांचवीं योजना अवधि के दौरान उन्हें क्रियान्वित किया जाय।

रूट नं० 640 डबलडेकर शटल सेवा

2706. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम में रहने वाले लोगों की सुबह के समय कार्यालय पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सचिवालय और रामकृष्णपुरम, सेक्टर-12 के बी मार्ग नं0 640 पर चलने वाली डबलडेकर बस की सेवा हाल ही में अनियमित हो गई है और प्रतिदिन पूरे ट्रिप नहीं लगाती जिसके कारण दैनिक यात्रियों को, जो अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं, काफी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अगस्त के पहले सप्ताह में इसने कितने ट्रिप नहीं लगाए और दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों का इस रूट पर कोई और बस चलाने में क्या कठिनाई है ; और

(ग) इस बस द्वारा नियमित रूप से ट्रिप लगाए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय के लिए सेक्टर 12, रामकृष्णपुरम से डबलडेकर की शटल सर्विस रूप नं. 640 पर पूर्वाह्न 9.30 बजे नियमित रूप से चल रही है । यह सर्विस 5 और 7 अगस्त, 1981 को ब्रेकडाउन होने और उक्त समय पर किसी दूसरी बस के न मिल सकने के कारण नहीं चल सकी । इस सर्विस का नियमित रूप से चलना बस के न मिल सकने के कारण नहीं चल सकी । इस सर्विस का नियमित रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए यथा संभव पूरी कोशिश की जा रही है ।

एक्स-रे की किरणों से बच्चों में कैंसर होने की आशंका

2707. **श्री आर. आर. भोले :** क्या स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान येल विश्वविद्यालय के अनुसंधान कर्ता टेडव्हाइट द्वारा एक्स-रे पर किए गए नए अध्ययन की ओर दिलाया गया है, जिसके अनुसार एक्स-रे की थोड़ी सी किरणों से ही बच्चों में कैंसर हो सकता हैं ; और

(ख) क्या भारत में कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सरकार एक्स-रे की किरणों से व्यस्कों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए भारत में भी इस प्रकार का अध्ययन करवाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां । वैसे, येल विश्वविद्यालय में किये गये अध्ययन के निष्कर्षों को सार्वभौमिक मान्यता इसलिए नहीं दी गई है कि वैज्ञानिक रूप से उन्हें सिद्ध करना कठिन है ।

(ख) कैंसर होने के बहुत से कारण होते हैं और किसी व्यक्ति के कुछेक नैदानिक एक्स-रे लेकर कैंसर की उत्पत्ति का पता लगा पाना कठिन है । वैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के रोटेरी कैंसर अस्पताल संस्थान में यह पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं कि बच्चों पर एक्स-रे की विभिन्न प्रक्रियाओं से क्या प्रभाव पड़ते हैं ।

लम्बी दूरी के धावक श्री शिवनाथ सिंह की 'टोक्यो एशियन ट्रैक' में शामिल न करना

2708. **श्री के० ए० राजन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बी दूरी के श्रेष्ठ धावक श्री शिवनाथ सिंह को 'टोक्यो एशियन ट्रैक' और 'फील्ड एथलेटिक स्पर्द्धा में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) भारतीय टीम से लम्बी दूरी के श्रेष्ठ धावक को निकाले जाने के मामले में क्या कोई जाँच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा और समाज. कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि केवल उन्हीं खिलाड़ियों को जाने की अनुमति दी जाए जिन्होंने टोकियो में जून, 1979 में हुए पिछले एशियाई ट्रैक तथा फील्ड एथलैटिक प्रतियोगिता के तीसरे दर्जे तक का स्तर प्राप्त कर लिया । श्री शिवनाथ सिंह इस अर्हक स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

गाजियाबाद न्यू रेलवे स्टेशन पर असामाजिक गतिविधियाँ

2709. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियावाद का नया रेलवे स्टेशन अपेक्षित स्तर तक उपयोगी साबित नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह समाज विरोधी तत्वों का अड्डा बन गया है और वहां जुए और शराब पीने के कुकर्मों को बढ़ावा मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन, इस स्टेशन के प्रतीक्षालय में 'कंगलाओं, द्वारा किये गये खुराफात के संबंध में एक रिपोर्ट मिली है । इस बुराई को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है ।

रेल गाड़ियों की समय की पाबन्दी बनाये रखने के लिये महाप्रबन्धकों को दिये गये निदेश

2710. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी जोनों के प्रबन्धकों को रेलवे बोर्ड द्वारा निदेश दिये गये हैं कि वे समय पाबंदी बनाये रखने और देर से चल रही रेल गाड़ियों की संख्या कम करने के लिये प्रभावी कार्यवाही करें;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश देने से पूर्व और इस समय स्थिति क्या है;

(ग) क्या महाप्रबन्धकों ने यह पता लगाने के लिये कार्यवाही की है कि ऐसे विलम्ब क्यों होते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन रेलवे जोनों को, जहां रेल गाड़ियां समय पर चल रही हैं, कुछ प्रोत्साहन देने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आदेशों से पूर्व, 1981 की पहली तिमाही में समय पाबन्दी निष्पादन 86.2 प्रतिशत था। कुछ क्षेत्रीय रेलों में इसमें कुछ सुधार हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) उन कर्मचारियों को नकद इनाम तथा प्रशंसा प्रमाण-पत्र देकर प्रोत्साहन दिया जाता है जिनका काम निष्पादन समय-पाबन्दी में सुधार लाने के लिए सराहनीय होता है।

निरीक्षरी की संख्या में वृद्धि और स्कूल छोड़ने के मामले

2711. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1951 से 1971 तक निरक्षरों की संख्या में वृद्धि की दर कितनी है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इस अवधि में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वर्ष 1951 से 1971 तक की अवधि के दौरान देश में निरक्षरों की कुल संख्या में 24% की वृद्धि हुई। निरक्षरों की संख्या में इस वृद्धि का मुख्य कारण देश की कुल जनसंख्या का उक्त

अवधि के दौरान तेजी से बढ़ना तथा स्कूल शिक्षा के प्राइमरी स्तर पर बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ना है । तथापि, देश की कुल जनसंख्या को देखते हुए निरक्षरों की प्रतिशतता जो 1951 में 84.2 थी 1971 में घटकर 70.6 हो गई है ।

(ख) दो संदर्भित अवधियों 1950-51 1957-58 तथा 1963-64 से 1970-71 के लिए कक्षा 1 से कक्षा आठ तक स्कूल छोड़ जाने वालों की दरें निम्नलिखित है :

सन्दर्भित अवधि	स्कूल छोड़ जाने वालों की दर
1950-51 से 1957-58	81.1
1963-64 से 1970-71	77.9

टिप्पणी : स्कूल छोड़ जाने वालों की दरें निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाली गई है ।

वर्ष के दौरान कक्षा 1 से कक्षा आठ तक स्कूल छोड़ जाने वालों की दरें = 100 (वर्ष के दौरान कक्षा 1 में दाखिला 7 वर्ष के पश्चात् कक्षा आठ में दाखिला): वर्ष के दौरान कक्षा एक में दाखिला ।

कोसी-रेल की छोटी रेल लाइन और अन्य उपकरणों की बिक्री

2712. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेल के कटिहार जोगबनी सेक्सन पर पूर्णिया जिले में बथनाहा और सहरसा जिले (बिहार) में भीम नगर, कोसी परियोजना हैडवर्क्स को जोड़ने वाली कोसी-रेल की छोटी रेल-लाइन और अन्य उपकरणों की बिक्री और निपटान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा आमन्त्रित टेण्डरों का या किसी पार्टी द्वारा की गई पेश-कश का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह लाइन कोसी परियोजना है न कि भारतीय रेलों की । इसके निपटान के संबंध में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चौकीदारों के लिए 12 घण्टे की ड्यूटी

2713. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तर रेलवे के अन्तर्गत ए. ओ. टी. ए. मैं/जे. यू. सी. में काम कर रहे चौकीदारों को "रेस्ट हाउस" केयर-टेकर के रूप में लगातार 12 घण्टे की ड्यूटी करने के लिए विवश किया जाता है जबकि डी. के. जेड. कार्यालय के चौकीदार 8 घण्टे की ड्यूटी करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ;.

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कार्य विनियोजन घंटों के अन्तर्गत लेखा कार्यालय/जालन्धर तथा दिल्ली-किशनगंज लेखा कार्यालय के चौकीदारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यतः सविरामी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनसे 12 घण्टे की दैनिक ड्यूटी ली जा सकती है। लेकिन दिल्ली-किशनगंज लेखा कार्यालय में चौकीदारी का अधिकांश कार्य रेल सुरक्षा बल द्वारा ले लिए जाने के परिणामस्वरूप वहां के सभी चौकीदार 8 घण्टे की दैनिक रोस्टर ड्यूटी पर लगाये गए हैं, यद्यपि मौजूदा नियमों के अन्तर्गत उन्हें "अनिवार्यतः सविरामी" कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यवस्था भी समाप्त हो जायेगी क्योंकि इस आशय के आवश्यक आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं कि दिल्ली-किशनगंज लेखा कार्यालय में चौकीदारी का सम्पूर्ण कार्य जल्दी ही रेल सुरक्षा बल को ले लेना चाहिए।

पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश

2714. **श्री एन. ई. होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का पुनर्गठन करने के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् के संयुक्त सम्मेलन द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां' तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मैडिकल और स्वास्थ्य शिक्षा नीति के मसौदे पर विचार करते हुए जून, 1981 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के सातवें संयुक्त सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के मानदण्डों की समीक्षा की जाय जिसमें प्रत्येक मेडिकल कालेज में अखिल भारतीय आधार पर उपयुक्त संख्या में सीटें भरी जाएं।

तकनीशियनों द्वारा यात्री गाड़ियों की जाँच किया जाना

2715. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उन तकनीशियनों को, जो यात्री गाड़ियों को उनके रेलवे स्टेशनों पर रुकने के समय गाड़ी की जांच करते हैं, आवश्यक अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाते तथा अतिरिक्त उपकरणों/अतिरिक्त पुर्जों के अभाव में खराबी का पता चलने के बाद भी, इन दोषों को दूर करना तकनीशियनों द्वारा सम्भव नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तकनीशियनों को आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे तथा उपकरण उपलब्ध करायेगी, जिससे कि दुर्घटनाओं को टाला जा सके ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। गाड़ी जांच कर्मचारियों को फालतू पुर्जे और औजार उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में विकलांगों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलना

2716. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न भागों में विकलांग लोगों के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या कोई ऐसा संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार की अलबत्ता विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात् दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता तथा मानसिक अविकसितता में, चार राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना है। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीत संस्थान तथा अस्थि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान क्रमशः देहरादून और कलकत्ता में स्थापित किए जा चुके हैं। श्रवण बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान बम्बई में स्थापित किया जा रहा है। मानसिक रूप से अविकसितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान अपने अपने इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय होंगे।

अहमदाबाद और बड़ौदा-सूरत के बीच उपनगरी रेल गाड़ियां

2717. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और बड़ौदा तथा बड़ौदा और सूरत के बीच उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाए जाने के बारे में अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में यातायात की सुविधाओं का विकास करने के लिए एक तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

रायल कामनवैल्थ सोसायटी द्वारा नेत्रहीनता निवारण के लिए बनाया गया कार्यक्रम

2718. **श्री गुलाम मौहम्मद खां :**

श्री बागुन सुम्बरूई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नेत्रहीन बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत में नेत्रहीनता के निवारण के लिए रायल कामनवैल्थ सोसायटी द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम किन राज्यों में कार्यान्वित किया जायेगा और उस पर कितना व्यय किया जायेगा और इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां, रायल कामनवेल्थ सोसायटी ने सूचित किया है कि उन्होंने पौषणज दृष्टिहीनता को रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। 1981-82 में दस परियोजनाएं चलाई जा रही है, जैसे :

पहले से चल रही

1. तिरुपति भीमावरम्	आन्ध्र प्रदेश
2. मदुराई	तमिलनाडु

विचारार्थ

1. चिकोद्रा	गुजरात

2. गोहाटी	असम
3. चिंगलापेट	तमिलनाडु
4. धारवी स्लम बम्बई	महाराष्ट्र
5. बस्तर	मध्य प्रदेश
6. देवनगिरी	कर्नाटक
7. सीतापुर	उत्तर प्रदेश

ये परियोजनाएं केवल उन्हीं डिवेलपमेंट ब्लाकों में शुरू की जा रही हैं जिनमें लगभग 15000 बच्चे होने का अनुमान है। छः वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में से 1500 बच्चों के दृष्टिहीन हो जाने का खतरा है। रायल कामनवेल्थ सोसाइटी फार ब्लाइण्डनैस को आशा है कि वे पांच वर्ष के समय में 16 ऐसे राज्यों में, जिनमें पौषणज दृष्टिहीनता बहुत अधिक है, 40 क्षेत्रों को कवर कर लेंगे और 10,000 बच्चों की आंखों की ज्योति को बचा सकेंगे। तीसरे वर्ष तक इन 40 ब्लाकों में प्रतिवर्ष 3,40,000 पाउंड खर्च होने का अनुमान है।

ठेके पर चलने वाले वाहनों को जारी किए गए परमिट

2719. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नगर के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशनों तथा हवाई-अड्डे तथा यात्रियों और सामान को ले जाने के लिए ठेके पर चलने वाले कितने वाहनों को हाल ही में परमिट जारी किए गए हैं और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इन वाहनों के लिए कितना शुल्क देना निर्धारित है ;

(ग) इन वाहनों को कितनी अवधि तक चलने की अनुमति है ; और

(घ) दिल्ली में इन वाहनों को किस प्राधिकरण के अधीन चलाया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कोई नहीं। टैक्सी/आटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को खुलवाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, हवाई-अड्डों, केन्द्रीय सचिवालय, कनाट प्लेस आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से बसों के रूप में लगभग 100 कंट्रेक्ट गाड़ियां चलाने का निर्णय 25-7-81 को लिया। ये बसें महत्वपूर्ण रूटों पर 25-7-81 से शुरू की गई और 29-7-81 की सवेरे तक चलीं। इन बसों को प्रत्येक व्यक्ति से एक रुपया किराया लेने की अनुमति दी गई। ये बसें दिल्ली परिवहन निगम की बस सर्विस की पूरी सर्विस के रूप में चलीं। इन बसों को स्थानीय परमिट के आधार पर जो उन्हें पहले से ही मिले हुए थे, चलने की अनुमति दी गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता ।

संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देना

2720. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रस्ताव तैयार किए है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने 20 जुलाई, 1981 को हुई अपनी बैठक में संस्कृत अध्ययन की प्रोन्नति के लिए अनेक सिफारिशें की । इन सिफारिशों में, स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर संस्कृत के लिए सुनिश्चित स्थान, गैर-औपचारिक शिक्षा के भाग के रूप में संस्कृत अध्ययन की व्यवस्था करना, विश्वविद्यालयों के लिए सेवा निवृत संस्कृत अध्येताओं को नियुक्त करना, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा समीपवर्ती देशों में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा आदर्श पाठशालाएं खोलना, संस्कृत पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण और संग्रह, उनको सूचीबद्ध तथा प्रकाशित करना शामिल हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात विभाग में विकलांग विशेषज्ञों की ड्यूटी

2721. **श्री सज्जन कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात वार्ड में कोई भी विकलांग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होता है, जबकि अन्य रोगों के विशेषज्ञ पूरे समय उपलब्ध रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो आपात विभाग में एक विकलांग विशेषज्ञ की भी ड्यूटी न लगाने के क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात कालीन विभाग में विकलांग विज्ञान के शल्य चिकित्सकों को बुलाने पर उनकी सेवाएं उपलब्ध होती हैं ।

केरल में सवारी डिब्बा कारखाना

2722. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नया सवारी डिब्बा कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रेस के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में रेलवे का कोई भी संस्थान नहीं है, वे इस बारे में केरल के दावे पर विचार करेंगे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक नया रेलवे सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। योजना आयोग से इस परियोजना की स्वीकृति मिलने पर, नयी रेल डिब्बा फैक्टरी के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ग) प्रस्तावित नयी सवारी डिब्बा फैक्टरी के स्थान का निर्धारण करते समय सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार बिया जायेगा।

अलवर रेलवे स्टेशन के समीप उपरि पुल

2723. **श्री राम सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सड़क यातायात की सुविधा के लिए अलवर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे के एक उपरि पुल का निर्माण कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित करने होते हैं, जिन्हें यह वचन भी देना होता है कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से की लागत बर्दाश्त करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा अलवर के निकट वर्तमान समपारों में से किसी भी एक समपार के बदले किसी ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक प्रायोजित नहीं किया गया है।

पश्चिम रेलवे पर रेल दुर्घटनायें

2724. **श्री रामजी भाई भावीण** :

श्री नवीन रवाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह संच है कि पश्चिम रेलवे में 1 फरवरी, 1980 से 5 अगस्त, 1981 के दौरान अनेक रेल दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या हैं ;

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता ।

संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देना

2720. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रस्ताव तैयार किए है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने 20 जुलाई, 1981 को हुई अपनी बैठक में संस्कृत अध्ययन की प्रोन्नति के लिए अनेक सिफारिशें की । इन सिफारिशों में, स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर संस्कृत के लिए सुनिश्चित स्थान, गैर-औपचारिक शिक्षा के भाग के रूप में संस्कृत अध्ययन की व्यवस्था करना, विश्वविद्यालयों के लिए सेवा निवृत संस्कृत अध्येताओं को नियुक्त करना, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा समीपवर्ती देशों में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा आदर्श पाठशालाएं खोलना, संस्कृत पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण और संग्रह, उनको सूचीबद्ध तथा प्रकाशित करना शामिल हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात विभाग में विकलांग विशेषज्ञों की ड्यूटी

2721. **श्री सज्जन कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात वार्ड में कोई भी विकलांग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होता है, जबकि अन्य रोगों के विशेषज्ञ पूरे समय उपलब्ध रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो आपात विभाग में एक विकलांग विशेषज्ञ की भी ड्यूटी न लगाने के क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री बिहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात कालीन विभाग में विकलांग विज्ञान के शल्य चिकित्सकों को बुलाने पर उनकी सेवाएं उपलब्ध होती हैं ।

केरल में सवारी डिब्बा कारखाना

2722. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नया सवारी डिब्बा कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रेस के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में रेलवे का कोई भी संस्थान नहीं है, वे इस बारे में केरल के दावे पर विचार करेंगे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक नया रेलवे सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। योजना आयोग से इस परियोजना की स्वीकृति मिलने पर, नयी रेल डिब्बा फैक्टरी के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ग) प्रस्तावित नयी सवारी डिब्बा फैक्टरी के स्थान का निर्धारण करते समय सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार बिया जायेगा।

अलवर रेलवे स्टेशन के समीप उपरि पुल

2723. **श्री राम सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सड़क यातायात की सुविधा के लिए अलवर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे के एक उपरि पुल का निर्माण कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित करने होते हैं, जिन्हें यह वचन भी देना होता है कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से की लागत बर्दाश्त करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा अलवर के निकट वर्तमान समपारों में से किसी भी एक समपार के बदले किसी ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक प्रायोजित नहीं किया गया है।

पश्चिम रेलवे पर रेल दुर्घटनायें

2724. **श्री रामजी भाई भावीण** :

श्री नवीन रवाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह संच है कि पश्चिम रेलवे में 1 फरवरी, 1980 से 5 अगस्त, 1981 के दौरान अनेक रेल दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या हैं ;

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, हां ।

सरकार ने सेशेल्स को भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा सरकारी ऋण के रूप में सहायता प्रदान की है ।

सेशेल्स को अभी तक दी गयी भारतीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. 5 लाख रुपये मूल्य की जस्तेदार लहरिया शीटों का उपहार (1979);
2. विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति (1979 से) ;
3. सेशेल्स में मत्स्य-पालन और रेशम-उत्पादन में सुधार के लिए अध्ययन आयोजित करना (1980) ;
4. विभिन्न विषयों में पन्द्रह छात्रवृतियां प्रदान करना (1981) ;
5. सेशेल्स में कम लागत की आवास-परियोजना के लिए उपस्कर और सामग्री खरीदने के वास्ते ढाई करोड़ रुपये का सरकारी ऋण (1981) ;
6. दो चेतक हेलिकाप्टर उपहार देने की घोषणा (1981) ।

गलत ब्रांड तथा नकली लोकप्रिया औषधियों का निर्माण

2726. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री रशीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गलत ब्रांड तथा बहुत सी लोकप्रिय औषिधियों की नकली किस्मों का निर्माण तथा विक्रय कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की औषधियों का निर्माण तथा उनकी बिक्री के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और साथ ही वर्तमान अधिनियम की समीक्षा करने के लिपे क्या कार्यवाही की गई है जिस से कानून के इस दोष को दूर किया जा सके जिसके आधार पर ऐसी औषधियों का निर्माण और बिक्री करने वाले दंडित होने से बच जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) ये शिकायतें मिली हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ दवा-निर्माता ऐसी

औषधियां बेच रहे हैं जो अधिक प्रचलित औषधियों से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं और अकसर इनके नाम भी जाने-माने उत्पादों से मिलते-जुलते हैं। इन नकली दवाओं में रोग-रोधी अथवा औषधीयगुण नहीं होते।

हरियाणा के औषध नियंत्रक का ध्यान उक्त मामलों की ओर आकर्षित किया गया था। वहां के औषध नियंत्रक ने सूचित किया है कि उन्होंने 5 फर्मों को ऐसे उत्पादनों के निर्माण की जो अनुमति दी थी, अब उसे वापस ले लिया गया है और साथ ही दवा-निर्माताओं को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्हें प्रसिद्ध औषधियों से मिलती-जुलती औषधियां बनाते पाया गया तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(ग) जाली छाप की एलोपैथिक औषधियां बनाने के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में (धारा 17 खण्ड "क" के तहत) पर्याप्त व्यवस्था है। भविष्य में, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में यथासमय संशोधन करके उसमें नकली छाप वाली आयुर्वेदिक औषधियों की परिभाषा भी शामिल कर दी जायेगी और नकली छापवाली आयुर्वेद की औषधियों को बनाने और बेचने के जुर्म में दण्ड देने की व्यवस्था भी कर दी जायेगी।

दवाओं के ब्रांड नामों का उन्मूलन

2727 **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अगस्त, 1981 से कुछ दवाओं के ब्रांड नामों को समाप्त करने के आदेश जारी किए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या औषध कम्पनियों ने इस आदेश को क्रियान्वित कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 जनवरी, 1981 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि एकल सक्रिय घटक के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी एक तत्व जिसमें होगा वह औषधि केवल जातीय नामों से खरीदी जाएगी न कि ब्राण्ड नामों से।

1. एनलजिन

2. एस्प्रिन और इसके लवण

3. क्लोरप्रोमेजाइन और इसके लवण

4. फैरस सल्फेट

5. पाइपरजिन और इसके लवण

उक्त अधिसूचना में यह भी निर्धारित किया गया है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 30 (क), 69 (ख) अथवा 75 (ख) के अन्तर्गत स्वीकृत किसी नई औषधि वाले नुस्खों को केवल जातीय नामों से खरीदा जाएगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह शर्त लगा सकता है कि ऐसी औषधियां केवल जातीय नामों से ही खरीदी जाएं।

तीन कम्पनियों नामत मैसर्स हैक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बम्बई, साइनामिड इंडिया लिमिटेड और मैसर्स फाइजर इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिनमें उन्होने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 17 जनवरी, 1981 की उक्त सूचना की वैधता और शक्ति को चुनौती दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त तीनों फर्मों द्वारा बेची जाने वाली विशिष्ठ औषधियों के संबंध में, जिनके लिए उन्होंने छूट मांगी है, 17.1.81 के आदेशों को लागू करने के संबंध में अन्तरिम स्थगन आदेश दे दिए हैं।

भूटान में एक सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

2728. **श्री सुबोध सेन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत की सीमा के बिल्कुल समीप और पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी के पारी पेन्डांग में एक सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिए भूटान सरकार के साथ सहयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) यह संयंत्र टर्न की आधार पर भारत सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने सहायता अनुदान के रूप में इस पर हुए कुल निर्माण खर्च की व्यवस्था की थी।

उड़ीसा में मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक-विज्ञान संस्थान की स्थापना

2729. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका-विज्ञान संस्थानों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा के समुद्र-तट पर एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस संस्थान के छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) देश में और कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं जहां ऐसे मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान संस्थान खोले जाएंगे ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में 42 मानसिक अस्पताल हैं ।

(ख) केन्द्र सरकार का छटी योजना के दौरान देश में फिलहाल कोई नया मानसिक स्वास्थ्य और तान्त्रिका विज्ञान संस्थान खोलने का विचार नही है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या

*2730. **श्री मनी राम बागड़ी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 और 30 जुलाई 1981 के बीच देश में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी और गैर-सरकारी कितने स्कूल खुले ; और

(ख) इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता

2731. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य को, राज्य में छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए की गई आर्थिक और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे बन्दरगाहों के क्या नाम हैं; और क्या ऐसे बन्दरगाहों के लिए पूरी आर्थिक सहायता की गई है, यदि हां, तो कब; और

(ग) इन बन्दरगाहों में विकास की प्रगति क्या है और केन्द्र द्वारा दिये गये धन के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार छोटे और मझले पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी अब सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। इनके विकास कार्यों के लिए धन राशि की व्यवस्था 1.4.1978 से राज्य योजनाओं में की जाती है। इससे पूर्व, भगवती बन्दर (रत्नगिरि) के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को 110 लाख रु० की ऋण सहायता दी गई थी।

(ग) भगवती बन्दर के विकास कार्य का प्रथम चरण 216 लाख रु० की लागत से पूरा किया जा चुका है। पत्तन सुविधाओं में विस्तार करने के और कार्यों के जून, 1982 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय भू-भाग

2732. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वर्ग-किलोमीटर भारतीय भू-भाग पाकिस्तान के कब्जे में है।

(ख) हमारे भू-भाग को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) पाकिस्तान ने 1947-48 से ही जम्मू व कश्मीर राज्य के एक हिस्से पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इस समय पाकिस्तान के कब्जे में लगभग 78,218 वर्ग किलोमीटर (30,200 वर्ग मील) का इलाका है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर (2000 वर्ग मील) क्षेत्र 1963 के तथाकथित चीन-पाक करार के अन्तर्गत चीन को दे दिया था।

(ख) और (ग) सरकार की यह नीति है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर के उक्त हिस्से पर किये गए कब्जे के कारण उत्पन्न समस्या को आपसी बातचीत द्वारा शान्तिपूर्वक हल किया जाए।

उप सहायक निदेशक होम्योपैथी के पद की स्वीकृति

2733. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा राजधानी में तथा राजधानी के बाहर चलाई जा रही होम्योपैथी की डिस्पेंसरियों के प्रशासन और कार्यकरण की देखभाल करने के लिए उप सहायक निदेशक (होम्योपैथी) के ग्रेड में कुछ पद हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) किस तरीके से इन स्थानों को भरा जा रहा है ; और

(घ) इस तरह नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार सौंपने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीदने के लिए ऋण

2734. **श्री चिन्ता मणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीदने के लिए ऋण के बारे में 27 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 1401 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा पटल पर रखे गये विवरण में सूची बद्ध सभी व्यक्तियों ने दि० वि० प्रा० के फ्लैटों की खरीद के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के नाम में बन्धक-पत्र निष्पादित किये हैं ;

(ख) यदि नहीं, किस-किस व्यक्ति ने अभी तक बन्धक-पत्र निष्पादित नहीं किये हैं ।

(ग) फ्लैट को बन्धक न रखने के मामले में सरकार के हित की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में नियमों का पालन न करने के लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(घ) 1973 और 1974 में जिन व्यक्तियों को ऋण दिये गए थे, उनसे अभी तक बन्धक-पत्र निष्पादित करने के लिए न कहने के क्या कारण हैं और क्या इस भूल के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केवल तीन व्यक्तियों ने बन्धक-पत्र निष्पादित किए हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) प्रत्येक मामले में भवन निर्माण अग्रिम देने से पूर्व दो-दो स्थाई सरकारी कर्मचारियों की जमानतें लेकर सरकार के हितों की रक्षा कर ली जाती है । कुछेक सरकारी कर्म-

चारियों ने स्टाम्प-ड्यूटी भरने में छूट लेने के लिए अभ्यावेदन दिया था। चूंकि अब इस मामले में निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए अब सम्बन्धित व्यक्तियों को बन्धक-पत्र तत्काल निष्पादित करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण

जिन व्यक्तियों ने अभी तक बन्धक-पत्र निष्पादित नहीं किए हैं :

1. श्री सुन्दर कुमार कर्थाक उप-निदेशक (प्रशासन)	सेवा निवृत/इनसे सारा मकान निर्माण अग्रिम वसूल कर लिया गया है।
2. श्री जगजीत सिंह, सहायक	
3. श्री एम.आर. शर्मा, आशुलिपिक	
4. श्री एन.डी.सेठी ,,	
5. श्रीमती पशमिन्दर कौर ,,	
6. श्री ए.एल.भाटिया ,,	
7. श्री टी.जे.राव ,, (ग्रेड-3)	
8. श्री जे.एस.गोइन्दी अवर श्रेणी लिपिक	
9. श्री जयकुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	
10. श्री बी.के.नायक, सहायक	
11. श्री एच.एस.सागर, सहायक	
12. श्री एच.एम.साम्भी, सहायक	
13. श्री राजाराम, उच्च श्रेणी क्लर्क	
14. श्री ए.वी.एल.एन.राव, आशुलिपिक	
15. कुमारी लक्ष्मी अभिचन्दानी, जनसंख्या शिक्षा अधिकारी	
16. श्री के.वी.एस. भीमाराव, अनुभाग अधिकारी	
17. श्री जी.पी.सुमन, खाद्य निरीक्षक	
18. श्री आर.पी.दीक्षित, पुस्तकाध्यक्ष (ग्रेड-3)	
19. श्री सुखलाल प्रसाद, तकनीकी सहायक	
20. श्री चरणजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी	
21. श्री कमलरंजन साहा, कम्प्युटर	

गुमशुदा "कन्फर्म" टिकटों का पैसा वापस करना

2735. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों द्वारा "कन्फर्म" टिकट का जो आरक्षण "कन्फर्म" होने के बाद गुम हो गई हो, पैसा लौटाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतीक्षा सूची में नाम वाली "अनकन्फर्म्ड" टिकट पर, जिसका रिकार्ड बुकिंग कार्यालय में रहता है, कोई पैसा लौटाया नहीं जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) किसी भी परिस्थिति में खोये टिकटों की रकम वापस करने की नियमों में अनुमति नहीं दी गयी है चाहे आरक्षण हुआ हो या न हुआ हो ।

शिमला में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना

2736. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला जा रहा है ;

(ख) देश में पासपोर्ट कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) इस वर्ष 30 जून तक कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) शिमला में पासपोर्ट-कार्य के लिए एक सम्पर्क कार्यालय शीघ्र ही खोला जाएगा ।

(ख) 18.

(ग) 1 जनवरी, 1981 से 30 जून, 1981 तक 6,14,135 पासपोर्ट जारी किये गये ।

दिल्ली में और अस्पतालों का खोलना

2737. **श्री भीकू राम जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार राजधानी में और अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में पांच-पांच सौ पलंगों वाले दो और सौ-सौ पलंगों वाले तीन अस्पताल खोलने का विचार है ।

पश्चिम रेलवे में पदों का दर्जा बढ़ाना

2738. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के जिन पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए थे, उन्हें उस समय पश्चिम रेलवे पर लागू नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में, सहायक कार्मिक अधिकारियों के पद पर चयन के लिए, वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में पिछले दो वर्षों से वैलफेयर इन्सपेक्टर, वेतनमान 700-900 रु० (संशोधित) के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकी ; और

(घ) सहायक कार्मिक अधिकारियों के हाल के चयन में ऐसे इन्सपेक्टरों की एकीकृत वरीयता किस प्रकार निर्धारित की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कुछ मामलों में इन आदेशों को लागू नहीं किया गया ।

(ख) कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके पदों का दर्जा बढ़ाने की तारीखों से निर्धारित की गयी हैं ।

(ग) जी हां, गुजरात उच्च न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश स्वीकार कर लिए जाने के कारण चयन के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका ।

(घ) सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के चयन के लिए जो कल्याण निरीक्षक लिखित उपयुक्त परीक्षा में बैठे थे उनकी समाकलित वरिष्टता प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

हिन्दी पुस्तक चयन समिति

2739. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की हिन्दी पुस्तक चयन समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ;

(ख) समिति ने जिन लेखकों की पुस्तकों की सिफारिश की गई है उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या समिति द्वारा जिन लेखकों की पुस्तकों की सिफारिश की गई है उनमें कुछ उनके मंत्रालय के कर्मचारी हैं ;

(घ) क्या प्रेमचन्द, बंकिम बाबू और शरत चन्द्र सरीखे विश्व-प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों को भी संस्तुति पुस्तक सूची में शामिल किया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की पुनरीक्षा करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है (अनुबंध 'क') । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 2767/81] ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुबंध 'ख') । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 2767/81] ।

(ग) जी हां, क्योंकि रेल मंत्रालय का निर्णय है कि, हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, रेल कर्मी लेखकों की पुस्तकें, यथासंभव, सभी रेलवे पुस्तकालयों में उपलब्ध हों ।

(घ) अनुबंध 'ख' से स्पष्ट है कि सभी विख्यात लेखकों की पुस्तकें अनुशासित सूची में शामिल हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाई खेलों के लिए खेल के समान की विदेशों से खरीद

2740. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** . क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों से सम्बन्धित खेलों का सामान व अन्य सामग्री विदेशों से खरीदी गई थी ;

(ख) क्या इनके लिए टेंडर आमन्त्रित किए गए थे ;

(ग) अन्य देशों से खरीदे गये मदों का ब्यौरा, मद का नाम, देश का नाम तथा प्रत्येक मद का मूल्य कितना है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियों ने अपेक्षाकृत लाभकारी पेशकश की थी किन्तु उनके टेंडर स्वीकार नहीं किए गए थे ; और

(ङ) यदि हां, उन्हें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मालिकाना मदों को छोड़कर सभी मामलों में ।

(ग) विधरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2768/81]।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (निर्माण एवं आवास मंत्रालय) और नौवे एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार सबसे कम वाले प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे । लेकिन कुछ मामलों में सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों की शिफारिश पर राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा की गई खरीद के सम्बन्ध में अपवाद करने पड़े ।

दिल्ली परिवहन निगम के बस किराये बढ़ाने का प्रस्ताव

2741. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम राजधानी में बस का किराया बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मोजूदा विभिन्न दरों में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को दिल्ली परिवहन निगम से बसों के किराये में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह विचाराधीन है ।

शिक्षा सलाहकार बोर्ड

2743. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में शिक्षा सलाहकार बोर्ड गठित किये गये हैं ;

(ख) क्या शिक्षा सलाहकार बोर्डों के गठन के लिए अन्य राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत भेजने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का राज्यों को मार्ग-दर्शी रूपरेखाएं भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेल पटरियों का नवीकरण

2744. **प्रो. मेधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान रेल पटरियों के प्रारम्भिक नवीकरण के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई है ; और

(ख) प्रारम्भिक नवीकरण के लिए इस निधि में से कितने धन का वास्तव में उपयोग किया जा चुका है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रारम्भिक रेल पथ नवीकरण के लिए वर्ष 1981-82 में 117.42 करोड़ रुपये (सकल) की राशि आबंटित की गयी है ।

(ख) जुलाई, 1981 तक प्रारम्भिक रेलपथ नवीकरण के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है ।

मीटर गेज वैगन बेड़ा

2745. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात में वृद्धि के बावजूद पश्चिम रेलवे के मीटर गेज वैगनों के बेड़े में 1974 से 1980 के दौरान वस्तुतः कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, क्योंकि अनेक मीटर आमान वाले मार्गों का बड़े आमान में परिवर्तन हो जाने के कारण मीटर लाइन पर माल यातायात में वृद्धि की अपेक्षा बड़ी लाइन पर माल यातायात में अधिक वृद्धि हो रही है रेलवे-वार वितरण दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है ।

विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी

2746. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 11-12 अप्रैल 1981 को आयोजित बौद्धों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली को 'लद्दाख इन्सटीट्यूट आफ हायर स्टडीज" से सम्बद्ध करने की मांग की है जैसा कि साठवें दशक में इसकी नींव डालते समय स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपेक्षा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय किस तारीख तक लिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की इसके सभी निहितार्थों की दृष्टि से जांच की जाएगी। कोई निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली में तीसरा टर्मिनस

2747. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और दिल्ली के अतिरिक्त एक तीसरा रेलवे टर्मिनस स्थापित करने का उत्तर रेलवे की कोई योजना है ताकि यातायात की भारी वृद्धि को समायोजित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे प्रशासन ने कोई निर्णय किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उस पर शीघ्र निर्णय करने में क्या क्या कठिनाइयां हैं और टर्मिनस के उन स्थलों की संख्या तथा विवरण क्या है जो इस प्रयोजन के लिए प्रशासन के विचाराधीन है तथा प्रत्येक स्थल के सापेक्ष गुण और अवगुण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, यदि संसाधनों की स्थिति अनुकूल हुई तो ।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में माल/पार्सल सुविधाओं और नयी मीटर लाइन/बड़ी लाइन के यात्री टर्मिनल व्यवस्थाओं के सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीजन पास धारी संघ, डोंड (पुणे) की माँगें

2748. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को 13 मार्च, 1981 को सीजन पासधारी संघ, डोंड, जिला पुणे, महाराष्ट्र का एक पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक द्वारा प्राप्त हुआ जिनमें उनकी शिकायतें दर्ज थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को अप्रैल, 1981 में इसी संघ से दो पत्र और प्राप्त हुए ;

(ग) यदि हां, तो इन पत्रों में उन्होंने क्या मांगे की हैं अथवा सुझाव दिए हैं ; और

(घ) सरकार ने इनमें से प्रत्येक सुझाव या मांग पर कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन इसकी कापियां अब प्राप्त हो गयी हैं ।

(ग) बम्बई तथा पुणे के बीच 31/32 एक्सप्रेस में एक और बोगी लगाने, सीजन टिकट धारियों को दौण्ड तथा पुणे के बीच सभी गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देने और झेलम एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन न करने की मांगें हैं ।

(घ) 31/32 एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त बोगी लगाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में अधिकतर आरक्षित स्थान होते हैं और यदि सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सीजन टिकट धारियों की यात्रा करने की अनुमति दे दी जाय तो लम्बी दूरी के यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा होगी ।

1.10.1980 के बाद 177/178 झेलम एक्सप्रेस के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । शाम को पुणे तथा दौण्ड से वापस लौटने वाले दैनिक यात्री 547 डाउन पुणे-दौण्ड शटल, 11 डाउन दादर-मद्रास एक्सप्रेस तथा 177 डाउन झेलम एक्सप्रेस में यात्रा कर सकते हैं ।

इतवारी स्टेशन से कोयले का अवैध बुकिंग

2749. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सचिव, रेलवे क्लीयरिंग और फारवर्डिंग एजेंट एसोसिएशन इतवारी माल शैड संख्या 1 नागपुर, महाराष्ट्र से दिनांक 29 नवम्बर, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो इतवारी रेलवे स्टेशन, नागपुर से कोयले के अवैध बुकिंग को रोकने के बारे में था,

(ख) यदि हां तो इसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अभ्यावेदन में की गई मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) उक्त माँगों पर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय कब लिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन इतवारी माल गोदाम पर भाप कोयले की बुकिंग से सम्बन्धित है हालांकि यह माल गोदाम माल डिब्बा भार में कोयले की बुकिंग के लिए नहीं खुला हुआ है।

(ग) बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में इतवारी माल गोदाम से माल डिब्बा भार के बराबर फुटकर भाप कोयले को सम्मिलित करके फुटकर भाप कोयले की बुकिंग करने की अनुमति दी जा रही है। अन्तरिम आदेशों को रद्द कराने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अभ्यावेदन के बारे में सरकार का निर्णय, न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा।

कांपटी में छतीसगढ़ एक्सप्रेस को खड़ी करने की व्यवस्था करना

2750. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा डिवीजनल मैनेजर, नागपुर (महाराष्ट्र) को यात्री संघ कमपटी जिला नागपुर (महाराष्ट्र) से छतीसगढ़ एक्सप्रेस को कमपटी में खड़ी करने की व्यवस्था करने के बारे में दिनांक 25 जुलाई, 1980 या उसके आस-पास की किसी तारीख का अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 137/138 चंडीगढ़ एक्सप्रेस का काम्पटी पर ठहराव की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की विस्तृत रूप से जांच की गयी है किन्तु वाणिज्यिक औचित्य की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

चल ठिकट परीक्षकों की माँग

2751. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल टिकट परीक्षकों की परेशानियों के बारे में दक्षिणी रेलवे मजदूर यूनियन, मद्रास मण्डल के हाल में रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांग की गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 22.7.81 को पेरम्बूर, मद्रास में आयोजित टिकट जांच कर्मचारियों और चल टिकट परीक्षकों के सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति मिली थी ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतों पर यथोचित विचार किया जाता है और उनके गुणदोष के आधार पर यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है । ऊपर भाग (।) में उल्लिखित सम्मेलन में पारित संकल्पों पर भी इसी नीति के अनुसार कार्रवाई की गयी है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा डाक्टरों को "गुड स्टेंडिंग" प्रमाण पत्र दिया जाना

2752. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा डाक्टरों को "गुड स्टेंडिंग" प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं जिससे कि वे यू० के० की जनरल मेडिकल कांउसिल तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ अपने नाम पंजीकृत करा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किये जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् इस आशय के "गुड स्टेंडिंग" प्रमाण-पत्र जारी करती है कि अभ्यार्थी के विरुद्ध कोई नीतिपरक कार्रवाई नहीं की गई है अथवा न पेंडिंग है । जिस राजकीय आयुर्विज्ञान परिषद् के साथ अभ्यार्थी का नाम पंजीकृत हो उस परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित करने पर ये प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं ।

जोनल कार्यालय, मद्रास द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन चलाये गये मुकदमे

2753. श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल कार्यालय, मद्रास द्वारा नकली औषधियों की बिक्री तथा निर्माण के संबंध में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के अधीन पिछले तीन वर्षों में कितने मुकदमे चलाये गये ; और

(ख) उसमें कौन सी कम्पनी अन्तर्ग्रस्त है और मुकदमे के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधीन जोनल कार्यालय, मद्रास द्वारा पिछले तीन वर्षों में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये नकली औषधियों के निर्माण तथा बिक्री से संबंधित मुकदमों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	चलाये गये मुकदमों की संख्या
1978-79	1
1979-80	4
1980-81	1
	योग 6

(ख) ये मुकदमे जिन कम्पनियों/व्यक्तियों पर चलाए गए उनके नाम और इन मुकदमों के परिणाम विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन, के जोनल कार्यालय, मद्रास द्वारा चलाये गये मुकदमे

1978-78

क. 1978-79 के दौरान चलाये गये मुकदमों की संख्या—1

ख. अभियुक्त :

1. जिज्ञासू फार्मास्यूटिक्ल्स, मद्रास—12—क (1)
2. मैसर्स दुर्गा प्रसाद सोनी, क 1 के मालिक।

परिणाम :

अभियुक्त क 2 को न्यायालय के उस दिन उठने तक की साधारण कैद और 1500/- रुपये का जुर्माना किया गया था।

1979-80

क. 1979-80 के दौरान चलाये गये मुकदमों की संख्या—4

ख. अभियुक्त :

1. 1. मैसर्स फार्मेक्स एजेन्सीज, इन्दौर (अभियुक्त 1)

2. राजकुमार लूला
3. मोहन लाल लूला
} अभियुक्त 1 के हिस्सेदार।

परिणाम : यह मामला अभी न्यायाधीन है।

2. 1. मैसर्स सी.आर.लिंगम एण्ड कम्पनी, मद्रास (अभियुक्त-1)

2. श्री सी.आर. लिंगम
3. श्री सी.आर. सिवानन्दम
4. श्री सी.आर. शंकर
5. श्री सी.आर. कानन
} अभियुक्त (1) के हिस्सेदार

6. मैसर्स लिंगसन फार्मा. पाण्डिचेरी (अभियुक्त-6)

7. श्री सी.आर. शिवानन्दम
8. श्री सी.आर.शंकर
9. श्री सी.आर. जोति
} अभियुक्त (6) के हिस्सेदार

परिणाम :

उपर्युक्त सभी अभियुक्तों को न्यायालय के उस दिन उठने तक की साधारण कैद और कुल मिलाकर 4000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी। इन अभियुक्तों ने सैशन कोर्ट में अपील कर दी थी जहाँ मैसर्स सी.आर. लिंगम एण्ड कम्पनी और इस कम्पनी के हिस्सेदारों को दोष मुक्त कर दिया गया परन्तु अभियुक्त 6 से लेकर अभियुक्त 9 तक की सजा की पुष्टि कर दी गई थी। इसके पश्चात् सैशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर दी गई है। यह अपील स्वीकार कर ली गई है और उच्च न्यायालय में निलम्बित पड़ी हुई है।

3. 1. मैसर्स उमा मेडिकल, मद्रास (अभियुक्त-1)।

2. श्री के. कामराज, अभियुक्त 1 के मालिक।

3. श्री एम. सिवाराज, बिना लाइसेंस के बिक्रेता।

परिणाम : इन अभियुक्तों को न्यायालय के उठने तक की साधारण कैद तथा कुल 900/-रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी।

4. 1. मैसर्स वेकटेश्वर मेडिकल्स, मद्रास-2 (1)।

2. श्री एस. राजकुमार, अभियुक्त-1 के वर्तमान हिस्सेदार।

3. श्री एम. सी. जयारमन, अभियुक्त 1 के वर्तमान हिस्सेदार।

4. श्री अली हुसैन, अभियुक्त 1 के भूतपूर्व हिस्सेदार।

परिणाम : इन अभियुक्तों को न्यायालय के उठने तक की साधारण कैद और कुल 1200/- रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी ।

1980-81

क. 1980-81 के दौरान चलाये गये मुकद्मों की संख्या-1 ।

ख. अभियुक्त :

1. 1. मैसर्स जोति मेडिकल्स, मद्रास (अभियुक्त-1) ।

2. श्रीमती जोति मेरी, अभियुक्त 1 के मालिक ।

3. श्री आई. एक्सवीयर, अभियुक्त 1 के मैनेजर ।

परिणाम :

इन अभियुक्तों को दोषी नहीं पाया गया और ये अभिप्रक्त दोष मुक्त कर दिये गये थे ।

भारतीय मिशनों में हिन्दी का प्रयोग

2754. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने के बारे में प्रगति की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे विदेशी मिशनों में हिन्दी का प्रयोग करने के बारे में अब तक का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है लेकिन हम विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करते रहते हैं । इस बारे में सरकार के अनुदेशों के कियान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए बड़े मिशनों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाने के अनुदेश जारी किए गए । विशेषाधिकारी (हिन्दी) को मिशनों के निरीक्षण के लिए समय-समय पर विदेश भेजा जाता है जिससे कि हमारे मिशन इस दिशा में आवश्यक मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकें ।

इन मिशनों को हिन्दी और अंग्रेगी के साइनबोर्ड, नाम-पटट्, रबर-स्टाम्प और पत्र-शीर्ष तथा देवनागरी टाइपराइटर और हिन्दी के सहायक साहित्य भेजे गए हैं । तथा इनके अलावा हमारे कुछ मिशनों में हिन्दी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत चलने वाली सवारी गाड़ियों के दूसरी श्रेणी के डिब्बों के शौचालयों का रख-रखाव ठीक न होना

2755. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिकांश रेलगाड़ियों और विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत चलने वाली सवारी गाड़ियों में दूसरी श्रेणी के डिब्बों के शौचालयों के घटिया रख-रखाव तथा इन गाड़ियों में पानी और दर्पण जैसी आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मचारियों का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए अनुदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे सहित सभी रेलों के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में शौचालयों के रख रखाव, प्रारम्भिक स्टेशनों और मार्गवर्ती पानी भरने के स्थलों पर डिब्बों की पानी की टंकियों को भरने और त्रुटिपूर्ण शीशों के बदलने के सभी प्रयास किये जाते हैं। किन्तु गाड़ियों के चालन के दौरान सवारी डिब्बों और शौचालयों से फिटिंगों के चोरी चले जाने और ध्वस्त कर दिये जाने के कारण कभी-कभी शीशों आदि जैसी सुविधा फिटिंग उपलब्ध नहीं होती, किन्तु इन वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी भी रेलवे से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

ऐसे भी मामले होते हैं जहां गाड़ियों में अति भीड़-भाड़ के कारण शौचालयों को साफ करना सम्भव नहीं होता।

(ख) गाड़ियों में शौचालयों के उचित रख-रखाव, और डिब्बों में अपेक्षित सुविधा फिटिंगों की व्यवस्था करने के अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। यात्रियों को सेवा का बेहतर मानक उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा प्रारम्भिक स्टेशनों और मार्गवर्ती स्टेशनों पर नियमित रूप से जांच भी की जाती है। गाड़ियों में उपयुक्त रख-रखाव बनाये रखने के लिए नियमित रूप से आवधिक अभियान भी चलाये जाते है। जनवरी, 81 से जून, 81 के दौरान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा त्रुटियों को दूर करने और कमियों को पूरा करने के लिए केवल पूर्वोत्तर रेलवे पर ही 1126 गाड़ियों की जांच की गयी थी।

कोयला खनिकों में व्यापक रूप से सांस के रोग का पाया जाना

2756. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के माध्यम से कोयला खनिकों में व्यापक रूप से पाए जाने वाले सांस के रोग के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है और अध्यन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खनिकों के औसत स्वास्थ्य जो अभी तक भी अच्छा नहीं है, के बारे में सर्वेक्षण और अध्ययन कब तक कराये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1957 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नौ राजावाद (मध्य प्रदेश) में एक अध्ययन किया था। 249 कोयला खनिकों की जांच की गई, जिनमें से 41 खनिक फुप्फुस-धुलियमता के रोगी पाये गए। इनमें से 20 रोगी जटिल प्रकृति के थे और आठ की फुप्फुसी आशक्तता के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक स्थायी संस्थान है, हाल में क्षेत्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्वी) नाम का एक अनुषंगी केन्द्र कलकत्ता में खोला है जो मुख्यतः कोयला खनिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का अध्ययन करेगा। इस संबंध में कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया गया है जिसके उद्देश्य इस प्रकार है :

(1) कोयला खान उद्योग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य के स्तर का मूल्यांकन करना ;

(2) फुप्फुसधूलिमयता, अक्षिदोलन, त्वचार्शथ, आदि जैसे विषिष्ट रोगों के लक्षणों का पता लगाना और स्थिति का जायजा लेना;

(3) धूल, गैस, तापीय दाव जैसी पर्यावरणिक स्थितियों का मूल्यांकन करना जिनमें रहकर कोयला खनिकों को काम करना होता है;

(4) उक्त रोगों तथा पर्यावरणिक स्थितियों से होने वाले रोगों को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।

उप सलाहकार होम्योपैथी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त

2757. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप सलाहकार (होम्यौपैथी) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई है, यदि हाँ, तो यह नियुक्ति कितनी अवधि तक के लिए है ;

(ख) नियमित आधार पर नियुक्ति करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या इस पद के भर्ती नियमों को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनमें अन्तिम रूप देने तथा अधिसूचित करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, वर्तमान नियुक्ति 31 अगस्त, 1981 तक थी, किन्तु उसे आगे जारी रखने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) इस पद के भर्ती नियम बनते ही इसे नियमित आधार पर भरने के लिए कार्रवाई की जायेगी ।

(ग) और (घ) इस पद के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिया ही जाने वाला है और इन्हें शीघ्र ही सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जायेगा ।

भवनी मंडी स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं

2758. **श्री चतुर्भज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और रायगढ़ के बीच स्थित भवानी मन्डी के लोगों ने भवनी मन्डी स्टेशन पर अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिये जून, 1981 से आन्दोलन छेड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने, गाड़ियों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था, कुछ गाड़ियों के ठहराव आदि की सुविधाओं में सुधार के सुझाव दिये गये हैं । पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा इसमें उठाये गये मुद्दों की जांच की जा रही है ।

कोटा-बीना सवारी गाड़ी

2759. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा-बीना रेल मार्ग पर चलने वाली सवारी रेल गाड़ी और कोटा-बीना शटल गाड़ी के चलने पर प्रशासनिक नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया है और यह रेल गाड़ियों की छतों पर बिना टिकट यात्रा करने और वहां होने वाली तोड़-फोड़ की कार्रवाईयों को रोकने में असफल रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने वहां की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

(घ) इस समय कोटा-बीना सवारी रेल गाड़ी के लिए कितनी बोगियां स्वीकृत हैं, कितनी बोगियाँ इसमें लगाई गई हैं ; और

(ङ) मंजूर की गई बोगियों की तुलना में कम बोगियाँ लगाने के क्या कारण हैं और जन-संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह कमी कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पश्चिम रेल प्रशासन कोटा-बीना खण्ड पर बिना टिकट यात्रा तथा गाड़ियों की छत पर यात्रा करने की समस्या के प्रति पूर्णतः सजग है और उसने इस बुराई को दूर करने के लिए कारगर उपाय किए हैं। ऐसे अपराधों के लिए पकड़े गये व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एक जनवरी से 30 जून, 1981 की अवधि के दौरान गाड़ी की छत में यात्रा करने के अपराध में कुल 25 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी थी। पिछले दो वर्षों के दौरान इस खण्ड पर तोड़-फोड़ के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। जाँच कार्यों में और अधिक वृद्धि की जा रही है।

(घ) कोटा-बीना खंड पर चल रही गाड़ियों के निर्धारित 4 डिब्बे से 10 डिब्बे तक के वास्तविक भार के मुकाबले में 4 डिब्बे से 11 डिब्बे तक चल रहे हैं।

(ङ) कम डिब्बा भार के चालन का कारण दूसरे दर्जे के डिब्बों की अत्यधिक कमी है। डिब्बों की स्थिति में सुधार होने पर गाड़ियाँ निर्धारित डिब्बा-भार के साथ चलने लगेंगी।

नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशन के लिए बेचे गए टिकट

2760. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1981 से जून, 1981 की अवधि के दौरान दोनों उन्नाव और फाफामऊ रेलवे स्टेशनों के बीच आने वाले स्टेशनों से दिल्ली और नई दिल्ली के लिए, स्टेशनवार, कितने टिकट बेचे गए थे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अप्रैल, 1981 से जून, 1981 की अवधि के दौरान दोनों उन्नाव और फाफामऊ स्टेशनों के बीच पड़ने वाले स्टेशनों से दिल्ली और नई दिल्ली के लिए स्टेशन-वार बेचे गये टिकटों की संख्या नीचे दी गयी है :—

क्र० सं०	स्टेशन का नाम	बेचे गए टिकटों की संख्या
1.	उन्नाव	1699
2.	बीघापुर	147
3.	तकिया	35
4.	लालगंज	353

5.	डलमऊ	89
6.	ऊंचाहार	437
7.	परियावां कलां	863
8.	कुंडा हरनामगंज	1744
9.	लालगोपालगंज	288
10.	अटरामपुर	20
11.	फाफामऊ	764

मैरीन कर्मचारियों की मृत्यु दर

2761. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैरीन कर्मचारियों की मृत्यु दर उत्तर पूर्वी रेलवे के अन्य विभागों की तुलना में बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको रोकने अथवा कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स बायर इन्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया औषधियों का निर्माण

2762. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मैसर्स बायर इण्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया औषधियों के निर्माण के बारे में 19 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4268 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बायर इण्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा घटिया औषधियों के निर्माण के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना अब प्राप्त हो चुकी है और सभा पटल पर अलग से रखी जा रही है ।

जी. बी. रोड पर रेलवे गोदाम में आग

2763. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी.बी. रोड, दिल्ली के रेलवे गोदाम में 25 मई, 1981 को आग लगाने के क्या कारण हैं ;

(ख) उपर्युक्त आग के कारण कितनी हानि हुई और इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इसे कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नयी दिल्ली माल गोदाम के प्लेट फार्म नं० 37 के खम्भा सं० 17 के पास लगी आग की घटना की जांच पूरी हो चुकी है और जांच समिति ने आग लगने का कारण आकस्मिक बताया है। इस आग के कारण लगभग 4 लाख रुपये की हानि हुई।

वर्ष के दौरान रेलवे फाटकों पर हुई दुर्घटनाएं

2764. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) जोन-वार ऐसे रेल फाटकों की संख्या कितनी है जो अभी तक बिना चौकीदार वाले हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 1-4-81 से 31-7-81 तक समपारों पर 32 दुर्घटनाएं हुई थी। इसमें से 10 दुर्घटनाएं चौकीदार वाले समपारों पर तथा 22 दुर्घटनाएं बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई थी।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों की रेलवे-वार संख्या इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	—	1297
पूर्व रेलवे	—	768
उत्तर रेलवे	—	3191
पूर्वोत्तर रेलवे	—	2617
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	1172

दक्षिण रेलवे	—	2868
दक्षिण-मध्य रेलवे	—	2143
दक्षिण-पूर्व रेलवे	—	3571
पश्चिम रेलवे	—	4867
जोड़ :		22,494

माल डिब्बे तथा सवारी-डिब्बों की मरम्मत

2765. **श्री के० माल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के प्रयोक्ताओं को आने वाले लम्बे समय तक रूग्ण माल डिब्बों तथा टुटे हुए सवारी डिब्बों में रहना पड़ेगा क्योंकि मरम्मत करने वाली शाप न तो खराब डिब्बों की पूरी तरह मरम्मत करने की स्थिति में है और न हि उनको बदलने की स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कितने माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बे शापों में मरम्मत के लिये पड़े हैं तथा कब से ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनकी मरम्मत बहुत धीमी गति से हो रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उपयोग के लिए उपलब्ध सवारी एवं माल डिब्बों का प्रतिशत क्रमशः 86 प्रतिशत तथा 94 प्रतिशत है मरम्मताधीन सवारी एवं माल डिब्बों की संख्या क्रमशः 3976 तथा 29327 है । उपयोग के लिए उपलब्ध सवारी एवं माल डिब्बों का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं और अगला क्रियान्वयन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होने की सम्भावना है । सवारी एवं माल डिब्बों को लम्बे अर्से तक मरम्मताधीन नहीं रखा जाता, बल्कि क्रमिक चक्र में कारखानों को भेजे जाते हैं और कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक मरम्मत के बाद लौटा दिये जाते हैं ।

(ग) चल स्टाक की उपलब्धता तथा कारखानों से वापसी में वृद्धि में सुधार हुआ है । 1980-81 के पहले 8 महीनों में बड़ी लाइन के 1908.6 सवारी डिब्बों की मासिक औसत वापसी के मुकाबले में अंतिम चार महीनों के दौरान बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की वापसी बढ़कर 1957.5 हो गई । इसी प्रकार इसी अवधि में बड़ी लाइन के माल डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग प्रतिमाह 5736.9 से बढ़कर 6398.8 हो गई । 1980-81 के पहले 6 महीनों की तुलना में अंतिम 6 महीनों में माल डिब्बा नेमी ओवरहालिंग भी प्रति माह 1464 से बढ़कर

1707 हो गयी । वापसी का मौजूदा स्तर अभी भी 1980-81 के उत्तरार्ध में प्राप्त स्तर से अधिक है । फिर भी, सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और तेज करने के लिए जगाधरी, न्यू बोंगाईगांव, झांसी तथा कोटा की मौजूदा रेलवे वर्कशापों का विस्तार किया जा रहा है और भुवनेश्वर, तिरुपति, भोपाल तथा रायनापाडु में नयी वर्कशाप स्थापित की जा रही हैं ।

"ओपन स्कूल" योजना

2766. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ओपन स्कूल" का प्रयोग आरम्भ किया है तथा क्या राजधानी में ऐसा पहला स्कूल खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो ओपन स्कूल को आप लोगों ने किस रूप में लिया है ;

(ग) क्या "ओपन स्कूल" की रूप रेखा में क्षेत्रीय संसाधन सहअध्ययन केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है;

(घ) क्या सरकार राज्यों में भी ऐसे कुछ स्कूलों की स्थापना का आंशिक वित्तपोषण करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(ड़) यदि हां, तो इस दिशा में शुरुआत कब तक की जायेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी 'खुली स्कूल परियोजना', नई दिल्ली में शुरू की है ।

(ख) केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, आम जनता की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता ।

कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में फ्रांसिसी दल के निष्कर्ष

2767. **श्री मनी राम बागड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से तीन सदस्यों के एक दल ने कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी फ्रांसिसी योजना के अन्तर्गत 1976 में जम्मू तथा कश्मीर राज्य का दौरा किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन स्थानों पर खूबानी के पेड़ लगाये जाते हैं। वहां कैंसर रोग बहुत कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे देखते हुए सरकार खुबानी का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु में मेडिकल कालजों में स्थानों का अनारक्षण :

2768. **श्री बी. वी. देसाई** क्या : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच कि तमिलनाडु ने केन्द्रीय सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि मेडिकल कालेजों में अन्य राज्यों के लिए 25 प्रतिशत स्थान अलग रखे जाएं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या है ;

(ग) अब तक कितने राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) चालू शैक्षिक वर्ष में कितने राज्यों ने इस प्रस्ताव को लागू किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न पत्तनों में काम कर रहे डिप्लोमा इंजीनियर

2769. **श्री ए0 नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार हमारे पत्तनों में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियरों की समस्याओं से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मद्रास पत्तन डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन का तथा उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कुछ बड़े पत्तनों के डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी सेवा शर्तों पदोन्नति की संम्भावना आदि में सुधार लाने के लिए प्रतिवेदन दिये हैं। कार्यचालन में दासता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट डिप्लोमा इंजीनियर एसोसियेशन की मुख्य मांग यह है कि नियुक्ति के समय डिप्लोमा इंजीनियरों और डिग्री इंजीनियरों को एक ही पदनाम दिया जाय, नियुक्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए संबंधित इंजीनियरिंग विभाग में सभी इंजीनियरों की सम्मिलित वरीयता सूची तैयार की जाए। सहायक कार्यकारी इंजीनियर आदि के पदों पर पदोन्नति के लिए डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरों में मौजूदा अनुपात को समाप्त किया जाए।

पत्तन के प्रशासन ने इन मांगों की जांच की और इन्हें उचित नहीं समझा गया। लेकिन पत्तन प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि कार्यचालन में क्षमता की हानि पहुंचाये बिना क्या डिप्लोमा और डिग्री दोनों प्रकार के इंजीनियरों को पदोन्नति के और अधिक अवसर दिये जा सकते हैं।

टर्की के काउंसलर प्रतिनिधि की मद्रास में नियुक्ति

2770. **श्री ए० निलालोहियादसन नाडार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनेश मंत्रालय ने मिस्टर हजा शरीफ को मद्रास में टर्की राज्य के लिये कांउसलर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में फरवरी, 1980 में नई दिल्ली स्थित तुर्की राजदूतावास के माध्यम से एक औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने इस पर अपने अनुमोदन की सूचना 11 जून 1980 को तुर्की राजदूतावास को भेज दी थी। 3 नवम्बर, 1980 को एक

औपचारिक अधिसूचना जारी कि गयी जिसमें 29 अक्तूबर, 1980 से श्री हजा शरीफ की मद्रास में तुर्की के अवैतनिक प्रधान कोंसल के रूप में नियुक्ति को मान्यता प्रदान की गयी है ।

प्रतिरक्षा के उद्‌बेश्य से अमरिका, चीन, पाकिस्तान और बंगलादेश में समझौता

2771 . श्री जगपाल सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका, चीन, पाकिस्तान और बंगला देश के बीच उनकी सुरक्षा नीतियों के आधार पर समझौते के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को कमजोर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि चीन, बंगलादेश को भी आधुनिक हथियार देने को सहमत हो गया है ;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि अमरीका, पाकिस्तान को एफ-15 वायुयान और 600 एम.के. 60 टैंक, 500 से भी अधिक बख्तरबंद और कारें (गाड़ियां), 2000 एंटी टैंक गाइड मिसाइल और 50 लड़ाकू हैलिकाप्टर सप्लाई कर रहा हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो अपनी सुरक्षा के सन्निकट खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार का किस स्रोत से और किस प्रकार के हथियार प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच उनकी रक्षा संबंधी नीतियों के आधार पर सम्पन्न किसी औपचारिक संधि की कोई जानकारी नहीं है, हालांकि इनमें से कुछ देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में बढते हुए सहयोग की सूचना मिली है ।

(ख) सरकार भारत की सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाओं की निरंतर समीक्षा करती रहती है । विभिन्न घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, रक्षा संबंधी पूर्ण तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) सरकार को यह ज्ञात है कि चीन ने बंगलादेश को कुछ प्रकार के सैनिक उपस्कर देने पर अपनी सहमति व्यक्त की है ।

(घ) पाकिस्तान के अखबारों की खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने टैंकों, बख्तरबंद-सैनिक, वाहनों, विमानों, हेलीकाप्टरों और एंटी-टैंक-मिसाइलों की सप्लाई के लिए अमरीका

सरकार से अनुरोध किया है । इस विषय पर अभी बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान को वस्तुतः कितना सैनिक साज-सामान दिया जाएगा ।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री द्वारा अफगानिस्तान में रूसियों की उपस्थिति के कथित बयान

2772. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर कहा है कि भारत से वार्ता सम्भव हो सकती है यदि भारत अफगानिस्तान में रूसी सेना की उपस्थिति का विरोध करे ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के कथन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) लाहौर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका 'उर्दू डाइजेस्ट' (जून, 1981) को एक इन्टरव्यू देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह पूछे जाने पर कि मेरी पाकिस्तान यात्रा के दौरान किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, अन्य बातों के आलावा यह भी कहा कि "हम भारतीयों के साथ अपने सम्बन्धों के सभी पहलुओं पर बातचीत करने पर और ऐसे सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं जिनसे पारस्परिक विश्वास का वातावरण तैयार करने में और निराधार सन्देहों को दूर करने में सहायता मिलती हो··· इधर हाल ही में भारत ने किसी सन्दर्भ में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं हटाए जाने के लिए कहा है । यदि भारत के इस दृष्टिकोण की पुष्टि हो जाए तो इससे हमारे दोनों देशों को एक-दूसरे के समीप आने में सहायता मिलेगी ।"

(ख) दोनों देशों ने अफगानिस्तान के सम्बन्ध में नई-दिल्ली घोषणा का समर्थन किया है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं हटाए जाने के आधार पर राजनैतिक समाधान करने की मांग की गई है । इस आशय के वक्तव्य भारत सरकार तभी से संसद में और अन्यत्र देती आई है जब से यह मामला उठा है ।

आदिवासियों के लिए व्यावसायिक स्कूल

2773. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित स्कूलों तथा कालेजों में व्यावसायिक अध्ययन आरम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित उन स्कूलों तथा कालेजों के नाम क्या है जहां ऐसे व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्र (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यचर्या को लागू करने की सिफारिश पहले से ही स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के एक अभिन्न अंग के रूप में कर दी गई है। यद्यपि, उड़ीसा राज्य ने शिक्षा की इस प्रणाली को पहले ही अपना लिया है, उन्हें +2 स्तर पर अभी पहुंचना है । स्कूल शिक्षा की नई प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का पहला बैच सम्भवतः सन् 1982 में दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठेगा ।

अफगान समस्या को हल करने में भारत की पहल

27.4. **श्री चित्त बसु :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री एस. एम. कृष्ण :

श्री बी. वी. देसाई :

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगान समस्या का राजनैतिक समाधान ढूंढने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और उसमें भारत की पहल तथा भूमिका क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : भारत अफगानिस्तान के मसले का बातचीत द्वारा समाधान करने में अत्यधिक रुचि लेता रहा है और उसका समर्थन करता रहा है । ऐसे समाधान की दशा में हमने इस क्षेत्र में तथा इसके बाहर बहुत से देशों से परामर्श किया है ।

फरवरी, 1981 में नई दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में राजनैतिक समाधान की आवश्यकता व्यक्त की और कुछ ऐसे तत्व प्रस्तुत किए जिनमें यह समाधान संभव है ।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का प्रतिनिधि भी इस बात की कोशिश करता रहा है कि इससे सीधे सम्बद्ध देशों के बीच बातचीत हो ।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सीधे अथवा संयुक्त राष्ट्र महासचिव अथवा उसके प्रतिनिधि के माध्यम से बातचीत द्वारा राजनैतिक समाधान निकालने की आवश्यकता को अब पहले से ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानि

2775. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री चिन्ता मणि जेना :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय में नियंत्रणाधीन आठ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से पांच उपक्रमों ने वर्ष 1980-81 में हानि उठाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन आठ सरकारी उपक्रमों के वर्ष 1980-81 के कार्यों के वित्तीय परिणाम नीचे दिखाए गये हैं :

		(लाख रु०)	
		लाभ	हानि
(1)	दिल्ली परिवहन निगम		4465.78
(2)	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०		1106.00
(3)	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०		65.98
(4)	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.		368.00
(5)	इंडियन रोड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि.		78.19
(6)	मुगल लाईन लि०		46.75
(7)	भारतीय नौवहन निगम लि०		1740.00
(8)	कोचीन शिपयार्ड लि०		इसका अभी पता लगाना है ।

उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम है ।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम

निगम को घाटा होने का मुख्य कारण यह है कि निम्नलिखित कारणों से परिचालन खर्च में भारी वृद्धि हो गई है : —

(1) सामान, जैसे पी. आर. एल., टाइरों ट्यूबों पुर्जों स्टोर, चासियों वाड़ी बिल्डिंग आदि खर्चों में तेजी से वृद्धि हुई हैं ।

(2) स्थापना में विशेषकर मंहगाई भत्ते की किस्तें देने के कारण खर्च में वृद्धि होना ।

दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए की-गए कार्रवाई

(1) निगम, विना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की गहन चैकिंग द्वारा राजस्व की क्षति को रोकने के लिए प्रयत्नशील है, गाड़ियों के खराब होने से रोकने के उपाय तथा बचत करने के अन्य उपाय कर रहा है ।

(2) बसों के किराये बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है ।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि.

घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ने के बाद नदी मार्ग बन्द हो जाने के कारण केन्द्रीय अन्तर्देशीत जल परिवहन निगम की नदी सेवाएं बन्द कर दी थी ।

(2) औद्योगिक अशान्ति और बिजली की कमी के कारण राजबगान डाकयार्ड के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

मुख्य उपचारी उपाय इस प्रकार हैं :

(1) विकास कार्यक्रम राजाबगान डाकयार्ड में सुविधाओं की पूरी तरह से प्रयोग के लिए यार्ड को आधुनिक बनाना —वाणिज्यिक आधार पर जहाजों का निर्माण करना और सामान्य इन्जीनियरी का काम करना ।

(2) नये जहाजों से नदी संबाओं में सुधार करना और अधिक यातायात उठाने के लिए मार्केटिंग क्षेत्र बढ़ाना ।

(3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रबन्ध में परिवर्तन करना, अधिक साधन जुटाना, अच्छी तरह देख-भाल करना, औद्योगिक सम्बन्ध सुधारना, बचत के उपाय करना, अधिक उत्पादन से इस वर्ष घाटा कम होने की संभावना है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०

घाटे के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं : —

(1) ऋण आर्डर बुक स्थिति, जिसे कि उत्पादन में अन्तराल आ गया या और इससे निर्माण खर्चे बढ़ गये थे ।

(2) कुछ सुधार कार्य/पहले से डिलिवर किए जहाजों की मरम्मत करना जिन की गारंटियाँ दी गई थी ।

(3) 31-7-1980 तक बिजली का अकसर न मिलना और इस में 30 प्रतिशत की कटौती करना ।

(4) उत्पादन कम होना ।

(5) जहाज मरम्मतों के पिछले वर्षों के बिलों पर कटौती करना ।

(6) ड्राई डाक में लगभग 40 दिनों तक कोई काम नहीं हुआ जिससे जहाज मरम्मतों का काम कम हुआ ।

स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपाय

उत्पादन बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं । आर्डर बुक स्थिति काफी अच्छी हो गई है । जहाज मरम्मत सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे है ताकि अधिक कारोबार मिल सके । अब एक नई मूल्य नीति निर्धारित की गई है जिससे कि शिपयार्डों को प्रयाप्त सहायता देना सुनिश्चित किया गया है ।

ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधा में सुधार की योजना

2776. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधा में सुधार करने की कोई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटे रूप से रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसे पूरे देश में किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री(श्री निहार रंजन लास्कर):(क) से (ग)जी हाँ । जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि इसे पुनर्गठित किया जाए और गाँव के लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या की संवर्धक निरोधक और प्रारम्भिक सुविधाएं सुलभ करने के अभिप्राय से स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाए ।

ग्राम पंचायत/ग्राम स्वास्थ्य समुदाय एक-एक हजार की आबादी के पीछे एक-एक स्वास्थ्य गाइड चुनेंगे और जिस गाँव की जनसंख्या 1000 से कम होगी तो उसके लिए एक स्वास्थ्य गाइड़ चुना जाएगा । जो व्यक्ति चुना जाए वह उस गाँव का स्थायी निवासी होना चाहिए,

उसकी आयु लगभग 30 वर्ष हो और वह जनसेवा के लिए हर रोज दो-तीन घंटे काम करने के लिए तैयार हो । स्वास्थ्य गाइड़ों के चयन में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी । चुने हुए उम्मीदवार को स्वास्थ्य परिचर्या का संवर्धक, निरोधक और प्रारम्भिक देखरेख का प्रशिक्षण दिया जाएगा । यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 200 घंटों का होगा जो तीन महीने तक चलेगा । इस अवधि में हर उम्मीदवार को 200/- रुपये प्रति मास के हिसाब से वजीफा मिलेगा । प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइड़ को एक मैनुअल, एक किट और 50/- रुपये प्रति मास का मानदेय मिलेगा, साथ ही प्रथम उपचार के लिए उसे हर महीने 50/- रुपये के मूल्य की दवाइयाँ दी जाएंगी । स्वास्थ्य गाइडों से आशा की जाती है कि वे छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने के अलावा पात्र दम्पत्तियों को अपना परिवार छोटा रखने के लिए शिक्षित और प्रेरित करेंगे । वे जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं भी सुलभ करायेंगे, संचारी रोगों विशेषकर मलेरिया के नियंत्रण हेतु सहायता करेंगे, विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वियन में मदद देंगे, लोगों को जल के स्थानीय स्रोतों को साफ सुथरा रखने और गंदे पानी के निकाय के लिए व्यवस्था आदि करायेंगे ।

इस योजना के अन्तर्गत लाए गये प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कुछेक अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था की गई है जो अतिरिक्त डाक्टर, दवाओं, आकस्मिकताओं आदि के रूप में होंगे ।

प्रत्येक गाँव में एक ग्राम स्वास्थ्य समिति गठित की जाएगी जिसके पांच सदस्य होंगे जो स्वास्थ्य गाइडों के काम की समीक्षा करेंगे और जिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ कारगर सम्पर्क भी स्थापित करेंगी ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 3.6 लाख स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षण देने का विचार है जिसका लक्ष्य अंततोगत्वा यह है कि हर गांव को कम से कम एक स्वास्थ्य गाइड जरूर मिल जाए ।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए वृहत योजना

2777. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री आर. के. महालगी :

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए बड़े अस्पतालों के परिसरों में उनके लिए होस्टलों, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार तथा सुलभ ब्याज पर ऋण आदि का व्यवस्था करने सहित यदि कोई वृहत योजना है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों में राज्य वार कितने लोगों को लाभ पहुंचा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें वांछित जानकारी दी गयी है; संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 2769/81] ।

गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की वृद्धि पर नियंत्रण

2778. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री ए० ए० रहीम : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि पर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में आज ऐसे कितने इंजीनियरिंग कालेज कार्य कर रहे हैं तथा राज्यवार उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का उन गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की वृद्धि वसूल की जाने वाली केपिटेशन फीस और इंजीनियरिंग शिक्षा के स्तर को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार, इंजीनियरी की डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए इन गैर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों पर नियंत्रण करने, इनमें समन्वय स्थापित करने और इनका पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद का कोई कानूनी अधिकार प्रदान करने का विचार कर रही है ; और

(ङ) इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के संबंध में सरकार की नीती क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अनुमोदन से स्थापित 38 प्राइवेट इंजीनियरी कालेज हैं, किन्तु इन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मंजूरी प्राप्त नहीं है, इनमें से 25 कर्नाटक में तथा 13 आन्ध्र प्रदेश में हैं ।

कुछ ऐसे अन्य अनाधिकृत प्राइवेट इंजीनियरी कालेज भी हैं जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकार से अनुमोदन के बिना भी शुरू किया गया है । ऐसे कालेजों की सही संख्या मालूम नहीं है ।

(ग) जी, हां । इस समय ऐसे कालेजों की वृद्धि को रोकने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को कोई अधिकारी नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) नए तकनीकी संस्थाओं की स्थापना या विद्यमान संस्थाओं में सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्तावों के बारे में विचार किया जाता है बशर्ते कि :-

1. राज्य सरकार जनशक्ति अनुमानों के माध्यम से इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे अध्ययन क्षेत्रों में जहां नई सुविधाएं देने अथवा उन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव है, या तो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय आधार पर जनशक्ति की बहुत ही कमी है ।

2. नई संस्थाओं द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम यथासंभव परम्परागत क्षेत्रों में नहीं हैं बल्कि वे ऐसी उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हैं जिनकी भविष्य में मांग हो सकती है ।

3. प्रारम्भ की जाने वाली नई संस्थाएं अथवा विद्यमान संस्थाएं जिनमें विस्तार किया जाना है या तो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां रोजगार के लिए बड़ी क्षमता उपलब्ध है अथवा वह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और/अथवा इन संस्थाओं का उद्देश्य कमजोर वर्गों का विकास करना है ।

विकलांगों के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में समिति का प्रतिवेदन

2779. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिये रोजगार के अवसरों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार विकलांगों को रोजगार के समान अवसर दिलाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष से सम्बंधित राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर श्रम मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सम्बन्धी एक कार्य दल स्थापित किया गया था । इस कार्यदल की रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष सेल स्थापित किए जाएं ;

2. शेष सभी राज्यों में यथासम्भव शीघ्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएं ;

3. विकलांग व्यक्तियों की रोजगार योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय उद्योगों के साथ निकट सहयोग से कार्यअनुकूलन प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते सभी व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएं ;

4. ग्रामीण युवकों को अपना रोजगार चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना का विस्तार किया जाए तथा उसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को भी लाया जाए ; तथा

5. विकलांग व्यक्तियों को अधिकाधिक अपना रोजगार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हे विना व्याज के ऋण और आर्थिक सहयता दी जाए ।

(ख) और (ग) विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु विधायी उपाय करने के औचित्य पर विचार करने के लिए एक कार्यदल स्थापित किया गया है । दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

महाराष्ट्र में दीवा-पनवेल सेक्टर में अधिक गाड़ियों का चलाया जाना

2780. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में मध्य रेलवे में दीवा-पनवेल सेक्टर में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि इस लाइन पर गाड़ियां की संख्या बढ़ाने और दीवा-पनवेल लाइन का विद्युतीकरण करने के बारे में बहुत मांग की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ; जी हां । दीवा-पनवेल खंड पर ढोये जाने वाले यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) दीवा-पनवेल लाइन पर दोनों और से चार सवारी गाड़ीयां आती-जाती हैं । अपेक्षित संसाधनों के अभाव में दीवा-पनवेल के बचि अतिरिक्त गाड़ियां चलाना व्यावहारिक

नहीं है । उन मार्गों पर विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जाता है जिन पर यातायत का घनत्व अधिक होता है । चूंकि इस खंड पर यातायात की मात्रा कम है इसलिए दीवा-पनवेल खंड को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है ।

छपरा, बिहार में राजेन्द्र विश्वविद्यालय की स्थापना करना

2781. **प्रो० सत्य देव सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में सारन डिवीजन के मुख्यालय और भारत रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद के जन्म स्थान छपरा में राजेन्द्र विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या प्रगति है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छपरा-वाराणसी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2782. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा-वाराणसी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) फेफना-इन्दारा और जोनपुर-औंड़िहार मीटर आमान की शाखा लाइन के खंडों सहित वाराणसी-छपरा खंड के आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है । आशा है कि इस सर्वेक्षण के लिय क्षेत्र कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा । सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद रिपोर्ट को संकलित किया जायेगा और उसे रेल मंत्रालय को पेश किया जायेगा । रिपोर्ट मिल जाने पर इस मामले कि सभी दृष्टिकोण से गहराई से जांच की जायेगी और यदि इस परियोजना को व्यवहार्य पाया गया तो इसके निर्माण का काम शुरू किया जायेगा, बशर्ते योजना आयोग द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाये तथा धन राशि आवंटित की जाये ।

पटना में गंगा पर रेलवे पुल

2783. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना के पश्चिम में गंगा नदी पर रेलवे पुल कब तक निर्मित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इस पुल को हाजीपुर, पटना शहर के सामने बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) इस पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के वास्ते केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे द्वारा नमूना प्रयोग किये जा रहे हैं। इस पुल का तकनीकी-व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी-यातायात सर्वेक्षण भी 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र की वितृस्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में अन्तिम निर्णय बिहार सरकार के साथ परामर्श करके किया जायेगा बशर्ते कि इसके लिए धन राशि उपलब्ध हो।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एम० फिल०, पी० एच० डी० में दाखिले में कदाचार

2784. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति को सामाजिक प्रणाली अध्ययन केन्द्र, समाज विज्ञान स्कूल में एम० फिल०, पी० एच० डी०, के दाखिले में कदाचारों के बारे में इस वर्ष विद्यार्थी संकाय समिति की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस शिकायत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को किसी संसद सदस्य से इस केन्द्र में दाखिले में किए गए घोटाले के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतें (क) मूल्यांकन की निष्पक्षता के बारे में आशंका और (ख) केन्द्र के सामान्य काम काज के सम्बन्ध में है।

विश्वविद्यालय, स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार उन छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिए सहमत हो गया जिन पर इसका असर पड़ा था।

इन शिकायतों पर उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान स्कूल समिति द्वारा विचार किया गया था, जो एम० फिल०/ पी० एच० डी० कार्यक्रम सम्बन्धी प्रवेश समिति है।

चुने गए उम्मीदवारों की सूची 31-8-81 को जारी की गई थी और कुछ चुने हुए उम्मोदबारों से उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो जाने पर प्रवेश के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है।

सभी प्रश्नों पर चर्चा करने और अपने क्षेत्राधिकार के अंदर उनका समाधान निकालने के लिए केन्द्र फिर से छात्र संकाय समिति की बैठक बुला रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गया (बिहार) की पवित्र पहाड़ियों में खनन और विस्फोट

2785. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया (बिहार) की रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ियां इतिहास प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है ;

(ख) क्या इन स्थानों पर हर साल लाखों तीर्थ यात्री "पिंडदान" और "श्राद्ध" अर्पण करने के लिए आते हैं तथा सरकार को तीर्थ यात्रा-कर के रूप में हर साल लाखों रुपए की आय होती है ;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्त क्षेत्र को 1970 में जनता के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था ;

(घ) क्या तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिशासी पुरातत्व वेता को 23 दिसम्बर, 1978 को यह आदेश दिया था कि वह इन पहाड़ियों में हो रहे खनन और विस्फोट के इस आपत्तिजनक कार्य को तुरन्त रोकने के बारे में राज्य सरकार को सलाह दें ;

(ङ) क्या इन पवित्र पहाड़ियों को अवैध खनन और विस्फोट से नष्ट करके करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) गया बिहार में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियां मुख्य रूप से धार्मिक-महत्व के स्थान हैं।

(ख) तीर्थयात्री नियमित रूप से इन स्थानों पर आते हैं और 'पिंडदान'' तथा "श्राद्ध'' अर्पण करते हैं। सीमावर्ती और तीर्थयात्री-कर राज्य सरकार के राजस्व में जाता है।

(ग) राज्य सरकार ने इन पहाड़ियों के कुछ भागों को आरक्षित घोषित कर दिया है।

(घ) से (च) इन पवित्र स्थानों के साथ जुड़ी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए तथा तत्कालीन प्रधान मन्त्री के अनुदेशों के अनुशासन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा विहार सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा उन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जहां खदान खोदने तथा विस्फोटक प्रकिया के परिचालन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आगे की कार्रवाई राज्य सरकार को करनी है जो पहाड़ियों के हिस्सों को खदान खोदने के लिए पट्टे पर देती है।

रेलवे की भूमि का व्यापारिक प्रयोजन के लिए आवंटन

2786. **श्री आर. एन. राकेश** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे व्यापारिक प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन करता है और जिसके लिए माप के अनुसार जमानत की राशि और वार्षिक राजस्व लिया जाता है;

(ख) क्या रेलवे की ऐसी भूमि का आवंटन गया और पूर्वी रेलवे के अन्य स्टेशनों पर किया गया है;

(ग) क्या अपेक्षित राशि जमा करने और आवंटन आदेश जारी किए जाने के बाद भी वर्षों तक भूमि का कब्जा नहीं दिया जाता है, यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) क्या रेलवे की भूमि का कब्जा न दिए जाने के कारण, उन स्थलों पर पड़े हजारों रुपए का सामान बरवाद हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों की जांच कराने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। सामान्यतया अलाटी द्वारा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने और अपेक्षित प्रतिभूति और किराया जमा करने के तुरन्त बाद भूमि का अधिकार दे दिया जाता है।

लेकिन, गया के मामले में, श्री राना मानेश्वर सिंह को भूमि का अधिकार नहीं दिया गया है। इस मामले में देरी के कारणों का पता लगाया गया और यह पाया गया कि उसने पहले प्रस्तावित प्लाट को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था।

(घ) रेलवे को ऐसी किसी क्षति की जानकारी नहीं है। पार्टी ने न तो लाइसेंस करार निष्पादित किया और न ही प्लाट का अधिकार लिया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर कोटा तालवाड़ भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 1980-81 के दौरान आवंटित राशि

2787. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर कोटा-तालवाड़-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल कितनी अनुमानित राशि व्यय होने और वर्ष 1980-81 के लिए कितनी रकम आवंटित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जयपुर-तालावाड़-भोपाल मार्ग में से जयपुर-ब्यौरा खंड फरवरी, 1981 में ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। चूंकि राज्य सरकार ने इस खंड के लिए धनराशि की कोई मांग नहीं की थी, इसलिए इसके लिए 1980-81 में धनराशि नियत करने का प्रश्न ही नहीं हुआ था। लेकिन इस मार्ग के ब्यौरा-भोपाल खंड के विकास के लिए जो पहले से ही राजमार्ग हैं, 1980-81 में 45.95 लाख रुपये नियत किये गये थे। जहाँ तक खर्च का संबंध है, राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों से इस मार्ग को सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेने का अनुरोध किया गया है। इस सर्वेक्षण के पूरे हो जाने पर इस खंड के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। ब्यौरा-भोपाल खंड के लिए जो 1980-81 में पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग था 1980-85 की योजना में कुल 295.22 लाख रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

राज्यों के विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय दर्जा

2788. **प्रो. के. के. तिवारी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षा मंत्रालय की उनके यहाँ के कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय दर्जा प्रदान करने के लिए लिखा है ;

(ख) क्या उन राज्यों का आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर की गई मांग तर्क संगत हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सितम्बर 1977 में, बिहार सरकार ने पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में

परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था, किंतु उसे स्वीकृत नहीं किया जा सका। इस प्रकार का प्रस्ताव अन्य किसी सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

धूम्रपान कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रयास

2789. **प्रो. रूपचन्द पाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए धूम्रपान करने वालों की संख्या कम करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास कर रहा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू आँकड़ों के हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि इस अवधि में तम्बाकू के उपयोग के पैटर्न में परिवर्तन आया है। इस शताब्दी के पाँचवे दशक के शुरू में जब कि एक प्रौढ़ व्यक्ति लगभग 100 सिगरेटें पीता था, छठे दशक के अन्त तक इनकी संख्या बढ़कर दुगुनी हो गई और सातवें दशक के दौरान यह संख्या 200 के आस-पास टिकी रही। 1950 और 1960 के दशकों में पी गई बीड़ियों की संख्या अनुमानतः प्रति प्रौढ़ व्यक्ति लगभग 1000 बीड़ियाँ बैठती हैं और 1970 के मध्य तक यह संख्या बढ़कर 1500 हो गई हैं। दूसरी ओर तम्बाकू चबाने, हुक्का और चुट्टा पीने की आदत में कमी आई है।

(ख) सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के होने वाले खतरों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिगरेट के उपयोग को कम करने के लिए धूम्रपान विरोधी अभियान और कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। एक ऐसी ही कार्यशाला 1978 में बम्बई में हुए चौथे एशियाई कैंसर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित की गई थी और दूसरी कार्यशाला 5वें एशियाई कैंसर सम्मेलन के अवसर पर कोलम्बो में चलाई जाने की सम्भावना है। इसके अलावा सिगरेट पीने की महामारी पर नियन्त्रण के विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1979 में प्रकाशित तकनीकी रिपोर्ट माला संख्या 636 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर धूम्रपान पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य नीतियां, मुख्य वर्गों और सरकार के रेट के लिए कार्य नीतियाँ निर्धारित की गई हैं।

(ग) सरकार ने देश में सिगरेट पीने की आदत को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं देखिए संलग्न विवरण।

विवरण

धूम्रपान की आदत को कम करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे इस प्रकार हैं:

1. सिगरेटों के उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर कतिपय पाबंदियां लगाने के लिए भारत सरकार ने सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 नामक कानून बनाया है जो 1.4.76 से लागू है, और उसे कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

2. कई राज्यों ने युवकों द्वारा सिगरेट पीने और सिनेमा हालों, बसों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर पाबन्दी लगाने संबंधी कानून पास कर दिए हैं।

3. स्वास्थ्य मंत्रालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने प्रकाशन और जनप्रचार माध्यम के जरिए धूम्रपान के कुप्रभावों के बारे में जन प्रचार अभियान चलाए हैं।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 और 10 के छात्रों के उपयोग के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम भी तैयार किया है जिसमें धूम्रपान के खतरों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों से संबंधित विषय शामिल किए गये हैं।

5. सिगरेटों से संबंधित विज्ञापनों में यह चेतावनी कानूनी तौर पर शामिल करनी होती है "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"। फिलहाल तम्बाकू के उत्पादों के स्केल के बारे में विज्ञापनों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार नहीं है।

6. आकाशवाणी और दूरदर्शन ने यह फैसला किया है कि वे अपनी वाणिज्यिक सेवाओं में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के बारे में कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे।

7. इन्डियन एयरलाइन्स ने विभिन्न वायुयानों में "धूम्रपान वर्जित" क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया है और उन्होंने "यदि आप चाहें तो धूम्रपान कर सकते हैं" नामक अनुमत घोषणा करनी बन्द कर दी है।

8. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने शैक्षिक/प्रचार सामग्री तैयार करने, बड़े-बड़े अखबारों/पत्रिकाओं में प्रदर्शन करने के लिए विज्ञापन जारी करने, "स्वस्थ हिन्द" और आरोग्य संदेश के विशेष अंक निकालने और लोगों को धूम्रपान के कुप्रभावों के बारे में चेतावनी देने के लिए राजधानी में प्रदर्शनियां लगाने और पोस्टर तैयार करने के कामों में सक्रिय भूमिका निभाई है।

जुबली पुल की मरम्मत

2790. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वी रेलवे में गंगा नदी पर बान्दल जंक्शन और नेहानी जंक्शनों को जोड़ने वाले जुबली पुल की मरम्मत का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उपर्युक्त पुल की मरम्मत के लिए कोई कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जुवली पुल में नैहाटी सिरे की ओर पुल के बीयरिंग के पेडेस्टल आधार में कुछ दरार पड़ गयी थी जिनकी वेल्डिंग द्वारा मरम्मत की गयी है। ये ठीक तरह से खड़े हैं। पुलों का निरीक्षण/मरम्मत करना एक सतत प्रक्रिया है।

ऐतिहासिक परियोजना 'टुवर्ड्स फ्रीडम'

2791. **श्री बी०डी० सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित 'द ट्रांसफर आफ पावर' के प्रभाव को समाप्त करने के विचार से भारतीय दृष्टिकोण पेश करने के लिए सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक परियोजना, 'टुवर्ड्स फ्रीडम' का काम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का काम कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है ;

(घ) इस परियोजना के काम को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी तो वह क्या है ; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) 1972-73।

(ग) 31-3-1981 तक 40.84 लाख रुपये।

(घ) कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का विचार इन खंडों को मार्च, 88 तक प्रकाशित कर देने का है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.बी.सी. द्वारा हिमालय क्षेत्र में शूटिंग किया जाना

2792. **श्री एन.के. शेजवलकर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. बी. सी. ने गृह मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही टेहरी बांध और टेहरी पुल के सामरिक स्थानों सहित हिमालय क्षेत्र के वर्जित क्षेत्रों में शूटिंग की है ;

(ख) क्या यह दूसरी अवज्ञा नहीं है, जब कि पहली अवज्ञा वस्तर घोटुलों पर फिल्म बनाने में हुई थी और यदि हां, तो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इन परिस्थितियों में बी. बी. सी. को काली सूची में रखा जाना चाहिए और उसे भारत में कोई और शूटिंग की अनुमति न दी जाये ?

विदेश मंत्री (पी. वी. नरसिंह राव) : (क) नवम्बर, 1980 में बी. बी. सी. ने "दि मस्क कनैक्शन" और "दि री-ग्री लिंग आफ दि हिमालयाज" नायक दो वृत्त चित्र बनाने के लिए अनुमति मांगी थी । बी. बी. सी. को टिहरी गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये फिल्में बनाने के लिए गृह मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय की सलाह लेकर इस शर्त के साथ अनुमति दी गई थी कि बी. बी. सी. दल टिहरी बांध और टिहरी पुल के चित्र नहीं लेगा । अतः बी. बी. सी. को इन स्थानों के चित्र लेने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी । बी.बी.सी. के इन वृत्त चित्रों के निर्माता ने विदेश मंत्रालय को यह आश्वासन दिया था कि वे इन शर्तों का पालन करेंगे । तथापि इस मंत्रालय ने "सूर्या इंडिया" के जून 1981 के अंक में और बम्बई से छपने वाली पत्रिका "ऑन लुकर" के 16 जुलाई के अंक में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है कि बी. बी. सी. दल ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जो उसकी वचनबद्धता के प्रतिकूल हैं । इन दोनों लेखों में बी. बी. सी. दल की हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गतिविधियों के बारे में आलोचनात्मक उल्लेख किया गया है । बी बी.सी. द्वारा फिल्म बनाने में ऐसी गतिविधियाँ शुरू करने की, जो निर्धारित और सहमत नियमों के प्रतिकूल हैं, रिपोर्टों को तत्काल बी. बी. सी. दल के दिल्ली स्थित आवासी प्रतिनिधि और लन्दन स्थित हमारे हाई कमिश्नर के माध्यम से बी बी. सी. के लन्दन स्थित मुख्यालय के साथ उठाया गया ।

इन वृत्त चित्रों के निर्माता श्री रिचर्ड टेलर ने समाचार पत्रों की इन रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों से लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन से 15 जुलाई को अधिकारिक रूप से इंकार किया है और साथ ही यह भी संकेत दिया है कि बी.बी.सी. इन पत्रिकाओं से औपचारिक रूप से यह अनुरोध करेगा कि वे इस समाचार को वापस लें अन्यथा बी.बी.सी इन आरोपों के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है । विदेश मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस बात का पता लगाने के लिए कहा है कि क्या बी.बी.सी. दल ने टिहरी बाँध और टिहरी पुल के चित्र लिए हैं क्योंकि इस मंत्रालय की सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बी.बी.सी. दल के साथ सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए थे । इस मामले में राज्य सरकार के निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है और जैसे ही ये उपलब्ध होंगे, उन्हें सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ख) जी नहीं । वस्तर में फिल्मांकन के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी सम्बद्ध विभागों से अनापत्ति लेने के बाद बी.बी.सी. को आवश्यक अनुमति प्रदान की गई

थी । बी.बी.सी. ने लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को सभी अंश दिखाए हैं और उन अंशों में कोई भी दृश्य ऐसा नहीं था जो बी.बी.सी. द्वारा फिल्म के संबंध में दिए गए बचन के प्रतिकूल हो ।

(ग) बी.बी.सी. की फिल्मांकन गतिविधियों का जहां तक प्रश्न है, सरकार को अभी तक ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं मिला है कि इस संगठन के विरुद्ध कोई विशिष्ट कार्रवाई की जाए । तथापि राज्य-सरकार की अंतिम रिपोर्ट से यदि यह पता चला कि बी. बी. सी. ने भारत सरकार को दिए गए वचन का उल्लंघन किया है तो सरकार इसके दोषों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने पर विचार करेगी ।

"जिन्नाह हाउस फार यूरोपियन और एन इण्डिया प्रिंस" शीर्षक समाचार

2793. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 16 से 30 जून, 1981 के "आनलूकर" में "जिन्नाह हाउस फार यूरोपियन और एन इण्डियन प्रिंस शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसी आधार पर पाकिस्तान अथवा बंगलादेश से भारत आने वाले आव्रजकों की सम्पत्ति वापस दिलाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) आव्रजकों की कितनी अचल सम्पत्ति अब भी पाकिस्तानी लोगों अथवा पाकिस्तान सरकार के कब्जे में है ; और

(घ) क्या आव्रजक इसी आधार पर अपनी सम्पत्ति का दावा करते हैं और पाकिस्तान में रह गई सम्पत्ति की देखभाल करने हेतु अपने इच्छुक व्यक्तियों से करा सकते हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सरकार ने 'आनलुकर' के 16 से 30 जून, 1981 के अंक में प्रकाशित समाचार देखा है । मालावर हिल्स, बम्बई के माउन्ट प्लेजेंट रोड पर स्थित सम्पत्ति, जो पहले स्वर्गीय श्री जिन्नाह की थी, के बारे में तथ्य इस प्रकार हैं :

इस सम्पत्ति को निष्क्रांत-सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था और विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 के परिच्छेद 12 के अधीन उसे सरकारी कब्जे में ले लिया गया था । मंत्रिमंडल के 14.2.1956, के निर्णय के अनुसार यह सम्पत्ति निर्माण और आवास मंत्रालय को अन्तरित कर दी गई थी ताकि वह इसके प्रबन्ध और बिक्री आदि की व्यवस्था करें ।

मार्च, 1957 में इसका कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बम्बई को दे दिया गया था। उसी समय से निर्माण और आवास मंत्रालय समय-समय पर उक्त सम्पति पट्टे पर देता रहा है।

यह सम्पति इस समय ब्रिटिश हाई कमीशन को पट्टे पर दी गई है और दिसम्बर, 1981 में पट्टे की अवधि समाप्त होने पर इसे पाकिस्तानी राजदूतावास, को कौंसलावास के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। इसलिए, भारत आप्रवासियों को, जिन्हें विस्थापितों से भिन्न माना जाता है, उसी तरह सम्पति का अधिकार पुनः देने का प्रश्न नहीं उठता।

'परियोजना' और 'निर्माण कार्यों' में अन्तर

2794. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'परियोजना' की परिभाषा क्या है और 'परियोजना' और 'निर्माण कार्यों' में क्या अन्तर है ;

(ख) परियोजना में तथा रेलवे के अधीन निर्माण कार्यों में काम करने के लिए श्रमिक (नैमित्तिक और नियमित दोनों) किन सुविधाओं के हकदार होते हैं ;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन परियोजनाओं में श्रमिकों को क्या सुविधायें दी जाती हैं;

(घ) डाक्टरी प्रमाणपत्र पर अपनी बीमारी अथवा किसी अन्य वास्तविक आधार पर 20 दिन से अधिक के लिए श्रमिक के अनुपस्थित रहने के लिए पूर्वी रेलवे के निर्माण कार्यों में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को सेवा में अंतराल, मजूरी में कटौती जैसे दंड दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) रेलवे के निर्माण विभागों के श्रमिकों के लिए एक समान नीति सुनिश्चित करने तथा उनके प्रति अन्याय को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 'परियोजना' का आशय नयी लाइनों, प्रमुख पुलों का निर्माण करने, उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाने तथा दोहरी लाइन बिछाने, सुरंगों आदि को चौड़ा करने जैसे प्रमुख चालू लाइन निर्माण कार्य जिन्हें एक निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है, का निर्माण करने से है। जब कि रेलों की वहन क्षमता सुधारने के उद्देश्य से भारी परिणाम में अतिरिक्त सुविधाओं की समय बद्ध व्यवस्था एक 'परियोजना' के रूप में मानी जाती है, रेलों के दिन-प्रतिदिन के कार्य कलापों के लिए आरम्भ किये गये निर्माण कार्य इस पद की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

'निर्माण कार्य' पद का उपयोग केवल सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की स्वीकृति दे दिये जाने और क्षेत्र में वास्तविक काम आरम्भ हो जाने के पश्चात किया जाता है।

(ख) 180 दिन की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात परियोजना और निर्माण कार्यों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को वेतन की न्यूनतम वेतनमान दर का 1/30 तथा मंहगाई

भत्ता स्वीकृत किया जाता है । परियोजना में नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारी वे होते हैं जो चालू लाइन रेलों से स्थानान्तरण पर लिये जाते हैं और वे अपने मूल विभागों में नियमित रेल कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तों से शासित होते हैं ।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड तथा स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय तथा इस्पात एवं खान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ।

(घ) और (ङ) वर्तमान आदेशों के अनुसार 20 दिन तक की अनुपस्थिति और उत्पादन कार्य उपलब्ध न होने के कारण होने वाले अंतराल को 180 दिन की निरंतर सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए सेवा भंग नहीं माना जाता है । सभी रेलों पर समान रूप से यह नीति अपनायी जाती है ।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद् के निदेशक का चयन और नियुक्ति

2795. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद् के निदेशक के पद पर चयन और नियुक्ति हो चुकी है, यदि हां, तो किस ढंग से हुई है तथा किस व्यक्ति का चयन और नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई है अथवा की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो नियमित आधार पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) परिषद् में निदेशक के पद पर नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों तथा परिषद् के नियमों, विनियमों तथा उप-नियमों के अनुसार शीघ्र ही की जाएगी ।

आँख के आपरेशनों के लिए विशेष शिविर अस्पताल खोलना

2796. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नेत्रहीन व्यक्ति हैं ;

(ख) कितने नेत्रहीन व्यक्ति आंख के आपरेशन के जरिए ठीक किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या आंख के आपरेशनों के लिए विशेष शिविर अस्पताल खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1973 में किए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 90 लाख व्यक्ति दृष्टिहीन हैं ।

(ख) अनुमान है कि इन 90 लाख व्यक्तियों में से लगभग 50 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बीमारी ठीक हो सकती है और शल्य चिकित्सा द्वारा उनके नेत्रों की ज्योति वापिस लौट सकती है ।

(ग) और (घ) छठी योजना अवधि के दौरान देश भर के लिए 80 मोबाइल यूनिटें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं जिनमें से 43 यूनिटें पहले ही कार्य कर रही हैं ।

मच्छरों को मारने के लिए धुंआ छोड़ने की कार्यवाही

2797. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी की विभिन्न कालोनियों में मच्छरों को मारने के लिए धुंआ छोड़ने की कार्यवाही की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धुंआ छोड़ने की इस कार्यवाही से कोई उपयोगी परिणाम निकले हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस कार्यवाही से पहले ही प्रदूसित वायु और दूषित हो जाती है और क्या सरकार आगे प्रदूषण रोकने और मच्छरों को मारने के लिए एक अन्य सुरक्षात्मक तरीका अपनाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । राजधानी में फागिंग का काम 1979 के दौरान शुरू किया गया था । 1978, 1979 तथा 1980 में मलेरिया के रोगियों की संख्या नीचे दी गई है जिसे देखने से पता चलेगा कि फागिंग कार्य के साथ-साथ मच्छर/मलेरिया रोधी प्रचलित तरीके भी मलेरिया रोग को क्रमिक तथा तेजी से कम करने के लिए उत्तरदायी थे ।

वर्ष	मलेरिया के रोगी
1978	389.035
1979	98.812
1980	68.227

इसके अतिरिक्त 8 अगस्त, 1981 तक मलेरिया के कुल **26,111 रोगियों** का पता चला है जबकि 1980 की इसी अवधि में यह संख्या 26.897 थी । फागिंग कार्य दूसरे मलेरिया रोधी तरीकों का एक पूरक तरीका है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर और अन्य शहरों में अन्तर्देशीय कण्टेनर डिपो

2978. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर तथा देश के अन्य शहरों में शुष्क पत्तनों (ड्राइपोर्ट) के स्थान पर अन्तर्देशीय कण्टेनर डिपो बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) तुगलकाबाद (दिल्ली), व्हाइटफील्ड (बेंगलूरु) तथा थलतेज (अहमदाबाद) में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है । ये डिपो शुल्क बंदरगाहों के रूप में काम करेंगे और इन डिपुओं पर कंटेनरों की भराई/उतराई और माल के सीमा-शुल्क की जांच की जायेगी । इन अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं की स्थापना होने तक बेंगलूरु छावनी तथा प्रगति मैदान साइडिंग, नयी दिल्ली में दो डिपो अग्रगामी परियोजना के आधार पर स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है । बेंगलूरु छावनी के डिपो में 10 अगस्त, 1981 से कार्य शुरू हो गया है और आशा है कि प्रगति मैदान साइडिंग के दूसरे डिपो में भी कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा ।

गैर-मान्यता प्राप्त मजदूर संघ के साथ बातचीत

2799. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प तथा मानक संगठन को स्पष्ट रूप से निदेश दिए गए हैं कि वे गैर-मान्यता प्राप्त मजदूर संघ (कर्मचारी संघ) के साथ कोई बातचीत न करें ;

(ख) यदि हां, तो वे निदेश क्या हैं ;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा की गई शिकायतों पर विचार करता है और क्या कर्मचारियों के कर्मचारी संघ द्वारा अग्रेषित पत्रों पर विचार किया जाता है और उनके उत्तर दिए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त परामर्श तंत्र योजना तथा रेलों पर अपनायी जा रही श्रमिक सम्बन्ध नीति के अनुसार केवल मान्यता-प्राप्त संगठनों को ही कर्मचारियों के मामलों पर सरकार के साथ बातचीत करने की अनुमति है। अतः गैर-मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के साथ बातचीत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार कहीं से भी प्राप्त कर्मचारियों की शिकायतों पर यथोचित विचार किया जाता है और उनके गुणावगुण के आधार पर जो कार्रवाई आवश्यक समझी जाती है, वह की जाती है। कर्मचारी संघ से प्राप्त पत्रों पर भी इसी नीति की परिधि के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

थान-चातिला मीटर गेज़ लाइन

2800. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थान-चातिला मीटर गेज रेलवे ने काम करना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या कुछ ऐसी अन्य मीटर गेज लाइनें हैं जिन्होंने काम करना बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि चातिला ही ऐसा एक मात्र क्षेत्र है तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। चातिला मीटर आमान लाइन चालू नहीं है।

(ख) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं निवेदन करना चाहता हूं । सीमेंट वितरण का कार्य केन्द्रीय सरकार के हाथों में है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका ध्यानाकर्षण से क्या संबंध है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं निवेदन करना चाहता हूं । मैं दो मिनट लूंगा । मैं टिप्पणी करना चाहता हूं उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा । सीमेंट नियन्त्रित वस्तु है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में मेरे समक्ष वह मद नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अन्तुले सम्बन्धी कार्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं । मैं किसी गंभीर कार्य का उल्लेख कर रहा हूं''' ।

अध्यक्ष महोदय : कोई नाम मत लीजिये अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमेंट नियन्त्रण अधिनियम का घोर उल्लंघन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु :''''और सीरा अधिनियम का भी घोर उल्लंघन किया जा रहा है । गन्ना उत्पादकों को सांविधिक रूप से इसका हक है परन्तु प्रति टन 2.50 रुपये की कटौती लगी हुई है''' ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझता हूं ; आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप चाहते हैं कि कोई न्यायालयों में जाये ।

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय तो जाने के लिये बने हुए हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप मुकद्दमे बाजी को प्रोत्साहन दे रहे हैं ? कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने जीवन में परस्पर-विरोधी बातों का समझौता करने की कोशिश की है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम बना हुआ है । ऐसे अधिनियम हैं जिनसे सीमेंट के वितरण का नियमन होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सभा के समक्ष नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत गंभीर मामला है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष मोहदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब हम संसद् में काम करते हैं, तब टेलीफोन खराब रहता है । आपका टेलीफोन भी आज खराब था । आप हमको बताइये कि बगैर टेलीफोन के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह डिसकशन हुआ है यहां हमने उस समस्या पर चर्चा कर ली है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपका टेलीफोन भी खराब था ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपका टेलीफोन भी खराब था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कब इनकार कर रहा हूं ? मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं मुझे मालूम है । आपने मेरे साथ हमदर्दी, दिखाई, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक जानकारी चाहता था टेलीफोन के खराब होने के कारण मेम्बर्ज के प्रिविलेज का हनन हुआ है इस पर आपका क्या रूलिंग है ?

अध्यक्ष महोदय . मैं इसको देखूंगा । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं चाहता हूं कि आप मंत्री को कहिए कि कम से कम जब लोक सभा चल रही हो, तो वह मेम्बरान के टेलीफोनों को ठीक रखने की व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में भी मेम्बरों का ध्यान रखना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : सिर्फ टेलीफोन ही खराब नहीं है; उसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है । मेरे यहां एस. टी.डी.नहीं है, लेकिन इसके बावूजद 4,000 रुपये का बिल भेजा गया है । हम लोग इस बारे में लिखते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है । आप मुझे लिख कर दीजिए । हम उनको लिखेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने पिछली बार इस समस्या पर चर्चा की थी । आप इसे मुझे दीजिए मैं उनको लिखूंगा ।

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 14 अप्रैल को अम्बेडकर स्टेडियम में डा० अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई । श्री मनीराम बागड़ी भी थे···।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ।·····(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप एश्योरेंस कमेटी को लिख कर दीजिए । आप ने एश्योरेंस कमेटी बनाई हुई है, उस को आप दीजिए ।·····(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : एश्योरेंस कमेटी को दीजिए न ।···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : किसी बात की भी अनुमति नहीं दी जाती हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार और ···।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न कहां है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बता रहा हूं, आप सुन तो लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : किस बात पर सुनूं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं सुखाड़ के बारे में कहना चाहता हूं···(व्यवधान)··· एक सेंटेंस तो सुनना चाहिए । ···(व्यवधान)··· उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि जगहों में बड़े जोर से सूखे की स्थिति विकसित हो रही है····।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप को नोटिस देनी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने उस पर डिस्कशन किया है, हाफ ऐन अवर डिस्कशन हुआ है ।

श्री रामावतार शास्त्री : उस पर नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह बड़ा अहम सवाल है, सूखे के सवाल पर किसी न किसी रूप में बहस होनी चाहिए ।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, आपको माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करनी चाहिये । न केवल टेलीफोन ही काम नहीं कर रहे हैं अपितु बढ़ी हुई राशि के बिल भी भेजे जा रहे हैं । मुझे वर्ष 1977 के लिये 3000 रुपये की राशी का बिल मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है । हमें इसकी जांच करनी चाहिये ।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, 1977 में उन्होंने मेरे बिल से राशि काट ली थी परन्तु अब वे 1977 से मांग रहे हैं । श्री स्टीफन को यहां बुलाया जाना चाहिये । (व्यवधान) यह एक गंभीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिए । हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसे मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है क्योंकि उसमें केन्द्रीय सरकार की एजेंसी अन्तर्ग्रस्त है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में केन्द्रीय बलों द्वारा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का प्रश्न है ।

श्री हरिकेश बहादुर : जी नहीं, इसमें केन्द्रीय सरकार के बल अन्तर्ग्रस्त हैं । सीमा-सुरक्षा बल का हाथ है । यह गंभीर मामला है ।

डा० सुब्रह्मण्यण स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं इस मामले को नियम 197 (2) के अन्तर्गत उठा रहा हूं । मुझे तंजावुर के उन किसानों, जो प्याज पैदा करते हैं, के अत्यधिक दुःख तथा उनसे प्याज न खरीदने के "नाफेड" के निर्णय की जानकारी है"""।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई प्रस्ताव दिया है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, हां, मैंने प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तथा भारतीय राजनयिक के बारे में भी, जिसे अमरीका में प्रत्ययपत्र देने से इनकार कर दिया गया है । हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : मेरा नियम 379 तथा 380 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे कल की कार्यवाही के रिकार्ड जिसे आपने निकाल दिया है, से पता चला है कि आपने अपने विवेक से कार्यवाही के वृतान्त से समूचे रूप में वाक्य निकालना उचित समझा हैं । (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए उसके बाद आप''' ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिख कर मुझे बता दीजिए । मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन : मैं यह जो कुछ बताना चाहता हूं वह यह है कि उस पर विचार करना सभा के लिये महत्वपूर्ण है । इस अधिकार, जो आपको नियम 380 के अन्तर्गत प्राप्त है, का आपके तथा पूर्वोदाहरणों के अनुसार, केवल कुछ असंसदीय अथवा अनुचित शब्दों के सम्बन्ध में ही प्रयोग किया गया है । केवल उन्हीं शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा सकता है न कि उसे समूचे रूप में, जितना मैंने बोला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइये, मै इसकी जांच करूंगा ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आप नियम 379 का उल्लंघन कर रहे होंगे'''।

अध्यक्ष महोदय : आप जरा मुझे बताइये तो सही ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मुझे बताना पड़ेगा । इस नियम के अन्तर्गत केवल शब्दों को निकाला जाता है । आप इस सभा में नये नियम नहीं रख सकते'''(व्यवधान)''' ।

अध्यक्ष महोदय : असंसदीय शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं निकाला गया है । मैं सदा के लिये स्पष्ट कर दूं'''(व्यवधान)''' ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में सदा के लिये स्पष्ट कर दूं कि जो कोई भी शब्द असंसदीय हों अथवा जो कुछ बिना अध्यक्ष पीठ की अनुमति के कहा जाये उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा'''(व्यवधान)''' ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह उन पर भी लागू होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस पक्ष या उस पक्ष से परे है । यह किसी व्यक्ति-विशेष से परे है । मेरे लिये तो यह पूरी सभा है । मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने जब तक कोई शब्द असंसदीय अथवा अपमान जनक न हो, नहीं निकाला है ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : केवल उन्हीं शब्दों को । वाक्य रहने चाहिये''''''।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां केवल उन्ही शब्दों को ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : ताकि कार्यवाही वृत्तान्त बोधगम्य रहे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि यदि कहीं पर कोई गलत बात हुई है तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हमने हर महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण की सूचनाएं दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण नहीं । इसे मेरे पास आने दें । मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री सोमनाथ आप सभापति है । आप जानते हैं कि हमें ध्यानाकर्षण पर किस प्रकार निर्णय लेना होता है । आप मेरे पास आइये और मेरे समक्ष इसे स्पष्ट कीजिए । आप किसी भी समय आ सकते हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष मोहदय, यह जो अखबार में खबर आई है इंडो यूस एस रो ओवर डिप्लोमैटिक पोस्टिंग" इस पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है···।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है । इस पर अनुमति नहीं दी जातो है । हम विदेश कार्य के समय इस पर चर्चा करेंगे···(व्यवधान)···।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मेरा निवेदन है कि समूचे देश में स्थिति पूरी तरह···।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी सूखे के बारे में चर्चा करने में रुचि रखता हूं मैं सभा के साथ हूं यदि हमें समय मिला···।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें समय निकालना पड़ेगा । शाम के 4 बजे नहीं, जब कि चर्चा हो रही हो तो सभा लगभग खाली हो ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यहाँ उपस्थित होने के लिये उत्तरदायी होना चाहियें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं निवेदन करूं की अव सूखे की स्थिति चिन्ताजनक बनती जा रही है । इस समय हमारे यहां सबसे भयानक अकाल पड़ा है । अत : आप पर्याप्त समय निर्धारित करें ताकि इस प्रश्न पर गंभीरता रहे ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहव, अभी जो टेलीफोन की वात की गई···।

अध्यक्ष महोदय : अब और क्या चाहते हैं आप ··?

श्री रसीद मसूद : मैंने 30 जुलाई को एक खत स्टीफन साहब को लिखा था। यह बहुत गम्भीर बात है, आप मुझे सुन लीजिए ···।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

असम विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1981 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मधु दंडवते ने असम विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1981 को लोक सभा पटल पर न रखे जाने के बारे में मुझे लिख कर दिया है तथा उन्होंने नियम 376 के अन्तर्गत 26 अगस्त, 1981 को इस मामले को सभा में उठाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने बताया था कि इस सभा द्वारा असम बजट एवं सम्बद्ध विनियोग विधेयक का पारण अनियमित रहा है और संविधान के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है।

मैंने इस मामले की गहराई से जांच की है। मैंने वित मंत्रालय से तथ्य भी प्राप्त किये हैं। वे तथ्य इस प्रकार हैं :—

असम विधान सभा ने 1981-82 के लिये असम बजट के सम्बन्ध में लेखों पर अनुदानों की मांगों पर मतदान किया और उसके बाद उसी दिन विधान सभा में विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पुरः स्थापित किया गया। उपाध्यक्ष ने गड़बड़ी वाली घटनाओं के कारण सम्बद्ध विनिगोग विधेयक पारित किये बिना ही 31 मार्च, 1981 को सभा को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया तत्पश्चात् सभा का सत्रावसान कर दिया गया तथा असम के राज्यपाल ने असम विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1981 प्रख्यापित कर दिया जिसमें असम राज्य की संचित निधि से चार महीनों के लिये, अर्थात्, 31 जुलाई, 1981 तक धन निकालने का प्राधिकार दिया गया।

जून, 1981 को असम विधान सभा पुनः समवेत हुई और यह तथ्य महत्वपूर्ण है। 30 जून, 1981 को राष्ट्रपति ने असम राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा प्रख्यापित की।

संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत उक्त अध्यादेश को 29 जून, 1981 को असम विधान सभा के पटल पर रखा जाना चाहिये था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत विधान सभा के पुनः समवेत होने की तारीख अर्थात् 29 जून 1981 से छह सप्ताहों की अवधि को गणना की जानी होती है। इस प्रकार इस अध्यादेश की वैधता 9 अगस्त, 1981 तक थी।

जैसा कि इस सभा के 17 अगस्त, 1981 को समवेत होने से पहले विवादास्पद अध्यादेश समाप्त हो चुका था इसलिये इसे सभा पटल पर रखने का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं था। तथापि, सरकार ने अध्यादेश की प्रतियां सदस्यों की जानकारी हेतु संसद ग्रंथालय में रखी थी।

अत: इस सभा द्वारा असम बजट एवं असम विनियोग विधेयक के पारण में न तो प्रक्रिया की कोई अनियमितता थी और न ही संविधान के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया था।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अब तक कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वह अध्यादेश तकनीकी कठिनाई के कारण अथवा विनिर्णय में अपने जिस तक का उल्लेख किया है उसके कारण वस्तुत: समाप्त हो गया था। मैं उसे कार्यवाही-वृतान्त में रखना चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कभी शून्यकाल में नहीं बोला, पर आज मैं एक गम्भीर मामले में आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश में देश के कई अन्य भागों में सूखे की वजह से गम्भीर हालत होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर डिसकशन करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कृपा करके मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। परसों शाम को हम बाढ़ के बारे में डिसकशन कर रहे थे। पांच बजे शाम का समय आपने रखा और चर्चा रात आठ बजे तक चली। हम सिर्फ सात-आठ मैम्बर हाउस में बैठे हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : इतनी समझ उनको होनी चाहिए।

श्री नाथू राम मिर्धा : जब इस देश के तमाम मैम्बर लोग गांवों से वोट लेकर यहां पर आते हैं और आप स्वयं काश्तकार हैं। इसलिए आप ऐसा समय दीजिए कि इस पर कम से कम चार-पांच घंटे बहस हो सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि किसानों की समस्या के लिए या गांव में जो लोग रहते हैं, तथा जो खेती पर आधारित है, उनकी समस्याओं का हमें निराकरण करना ही चाहिए। डिसकशन होना चाहिए और हाउस को उपाय भी सोचने चाहिए। लेकिन एक बात का मुझे दु:ख होता है, जब आप कहते हैं कि 70 प्रतिशत लोग जो गांवों और देहातों में

रहते हैं, उनको रिप्रजेंट करने के लिए यहां आते हैं, और मैं ऐसा टाइम रखूं, तो हाउस का टाइम तो किसी भी वक्त का हो सकता है, पहले या पीछे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब हम अपना उत्तरदायित्व महसूस करते हैं, तो क्यों नहीं हम चार बजे तक रहते हैं। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस वक्त पर सब लोग यहाँ पर हों।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौवहन विकास निधि समिति (लेखाधिकारी) भर्ती नियम 1981 जो दिनांक 16 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 483 में प्रकाशित हुए थे।

(2) नौवहन विकास निधि समिति (लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनाँक 20 जून 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 582 में प्रकाशित हुए थे ;

(3) नौवहन विकास निधि समिति (आशुलिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनाँक 20 जून 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 583 में प्रकाशित हुए थे।

(4) नौवहन विकास निधि समिति (तकनीकी सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम 1981 जो दिनाँक 20 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 584 में प्रकाशित हुए थे।

(5) नौवहन विकास निधि समिति (उप-निदेशक) (निरीक्षण) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 20 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 585 में प्रकाशित हुए थे।

(6) नौवहन विकास निधि समिति (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम 1981 जो दिनाँक 20 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 586 में प्रकाशित हुए थे।

(7) नौवहन विकास निधि समिति (संयुक्त सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनाँक 20 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा. सां. नि. 587 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2739/81]।

सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1979-80, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80, क्षेत्रीय इंजीनीयरी कालेज, हजरतबल, श्रीनगर के वर्ष 1979-80 आदि के लेखापरीक्षित लेखे

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2740/81]।

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखा-परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2741/81]।

(3) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हजरतबल, श्रीनगर (कशमीर) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2742/81]।

(4) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1979-80 के लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2743/81]।

(5) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी संस्करण*) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2744/81]।

(6) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

*अंग्रेजी संस्करण 8 मई, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2745/81]।

(7 (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरीक्षेत्र, कानपुर के वर्ष 1979-80 के परिशोधित आय-व्यय विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित विवरण को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2746/81]।

(8) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2747/81]।

(9) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) पंजाब स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (चण्डीगढ़ पहला संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी संस्करण*) जो दिनांक 16 जून, 1981 के चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-11/6/95/एस/डब्ल्यू 2/80/300 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (चण्डीगढ़) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 जुलाई 1981 के चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-11/6/95/एस डब्ल्यू 2/81/8514 में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त 9 (एक) में उल्लिखित नियमों का हिन्दी संस्करण इससे पहले अंग्रेजी संस्करण के साथ सभापटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त 9 (दो) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2748/81]।

*अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण 4 मई, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था।

(12) आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1980 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 675 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2749/81]।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2750/81]।

भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पदल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2751/81]।

रेलवे में रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भर्ती के बारे में प्रतिवेदन, आदि

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर उन्हें लिये जाने के संबंध में हुई प्रगति पर 30 सितम्बर, 1979 तक की छमाही के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर उन्हें लिये जाने के संबंध में प्रगति पर 31 मार्च, 1980 तक की छमाही के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल.टी. 2652/81] ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा । सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 1981 को अपनी बैठक में पारित किये गये ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1981 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 सितम्बर, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 1981 को अपनी बैठक में पारित किये गये दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 2 सितम्बर 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 1981 को अपनी बैठक में परित किये गये डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1981 पर विना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

याचिका समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी-तथा अंग्रेजी संस्करण) पेश करती हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली स्थित एक जल परिष्करण संयंत्र में लगभग तीन सप्ताह से सड़ रही लाश के पाये जाने के बारे में समाचार

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : मैं निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"कि जब परिष्करण संयंत्र में जिससे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली को पानी सप्लाई किया जाता है। लगभग 3 सप्ताह से सड़ रही लाश के पाये जाने का समाचार।"

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान के हैदरपुर जल शोधन संयन्त्र में जो पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिल्ली को जल सप्लाई करता है से एक सड़ी लाश के मिलने का समाचार कल कुछ पत्रों में छपा था। मामले की जाँच की गई है। इस सम्बन्ध में सही स्थिति जैसा कि उक्त संस्थान ने सूचित किया है, इस प्रकार है।

31-8-1981 को सायंकाल लगभग 4.15 बजे हैदरपुर जल शोधन संयंत्र को कच्चा पानी सप्लाई करने वाली पश्चिम जमुना नहर में एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। यह लाश संयंत्र के कच्चे पानी के पाम्पिंग स्टेशन के मुहाने की ओर बह रही थी। दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान में संयन्त्र में तैनात कार्यपालिक इंजीनियर ने तुरन्त ही पुलिस नियन्त्रण कक्ष को इसकी सूचना दी। पुलिस स्थल पर पहुंची और उन्होंने उसी शाम को शव को निकाल लिया। यह सही नहीं है जैसा कि एक समाचार पत्र में आरोप लगाया गया है कि हैदरपुर जल शोधन संयन्त्र लगभग तीन सप्ताह तक उसी मुहाने से पानी लेता रहा जहां कि अत्यन्त सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी।

दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान के विभिन्न जलकलों में कच्चे जल तथा शोधित जल के प्राचल की दिन रात प्रत्येक घण्टे जांच की जाती है। उस प्राचल ने, जो धुली

हुई आक्सीजन, क्लोरीन डिमाण्ड, नाइट्राइटस (एन०) तथा अमोनिया (एन०) जैसे जैवीय प्रदूषण बतलाता है, वे 31-8-1981 को हैदरपुर जल शोधन संयन्त्र के मुहाने पर पानी में कोई परिवर्तन नहीं बतलाया। तथापि, प्रचुर ऐतिहासिक उपायों के रूप में 31-8-1981 की शाम को प्रि० क्लोरीन तथा पोस्ट क्लोरीन की मात्रा को बढ़ाया गया था। इस संयन्त्र से निकलने वाले जल में क्लोरीन की 1.0 से 1.5 पी०पी०एम० की सामान्य मात्रा की जगह अवशिष्ट क्लोरीन की 1.6 से 1.8 पी०पी०एम० की मात्रा थी। वितरण पद्धति से भी सप्लाई किए गए जल के नमूने लिए गए थे और इनकी जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी जांच की गई थी। इसमें कोई असामान्यता नहीं पायी गई।

इसलिए यह आरोप लगाया सही नहीं है कि दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान के अधिकारी लाश के विद्यमान होने से अधिक चिन्तित नहीं थे। यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि कच्चे जल लेने के मुहाने में थोड़ी देर के लिए लाश के पड़े होने से जल की कोटि में कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं होती। जबकि नहर में बहने वाले पानी की मात्रा काफी अधिक है, और जनता को जल सप्लाई होने से पूर्व इसका पूर्ण शोधन किया जाता है।

दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान का जल स्वास्थ्यवर्धक है और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि माननीय मंत्री महोदय ने उनको दिये गये वक्तव्य के प्रारूप को ध्यान से नहीं देखा है। उनके वक्तव्य में कुछ परस्पर विरोधी बाते हैं। मैं अन्य प्रश्नों पर बाद में आऊंगा। पहले मैं वक्तव्य की कुछ परस्पर विरोधी बातों का उल्लेख करूंगा।

सबसे पहले, उन्होंने कहा है यह ठीक नहीं है, जैसा कि एक समाचार पत्र में कहा गया है कि लगभग 3 सप्ताह के लिये हैदरपुर जल परिष्करण संयंत्र उस स्थान से पानी लेता रहा जहां पर बहुत सड़ी लाश पड़ी थी। "उससे पूर्व उन्होंने कहा कि" 31 अगस्त, 1981 को लगभग 4.15 म.प. पर पश्चिम यमुना नहर में जिससे हैदरपुर जल परिष्करण संयंत्र को पानी सप्लाई किया जाता है, एक मृत शरीर तैरता देखा गया था।"

अच्छा होता कि सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के बीच तालमेल होता। जहां तक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय की बात है इसका संबंध निर्माण और आवास विभाग से है। कुछ जानकारी के लिये उसको पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट को देखते हुए पुलिस जांच कराने की आवश्यकता है। विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त जानकारी एकत्र करने के बाद माननीय मंत्री को सदन में वक्तव्य देना होता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

आपकी जानकारी के लिये मैं विभिन्न समाचार पत्रों में छपे इस समाचार का उद्धरण देना चाहता हूं कि श्री प्रदीप श्रीवास्तव, सहायक पुलिस आयुक्त किंग्सवे कैंप ने बताया है कि

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृत शरीर 20 दिन पुराना है। शरीर वहां पर तैर रहा था और उसकी जानकारी आम जनता को सहायक पुलिस आयुक्त किंग्सवे कैंप के इस वक्तव्य के द्वारा हो गई कि मृत शरीर वहां पर 20 दिन से है।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : क्या यह शरीर बिल्कुल सड़ गया था ?

प्रो मधु दन्डवते : यह पूरी तरह से सड़ा हुआ था। वास्तव में, रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर इतना सड़-गल गया था कि मृत शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। मृत शरीर पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो रहा था। इसके आगे समाचार में कहा गया है कि कटे हुए सिर वाला सड़ा-गला मानव शरीर वहां पर 20 दिन से था। यह सब सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा दिये गये समाचार के अनुसार है जो कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर आधारित है। यह कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है। यह समाचार इंडियन एक्सप्रैस में छपा है। परन्तु सरकार को इस समाचार पत्र से एलर्जी है क्योंकि उसमें परसों ही भंडा-फोड करने वाले कुछ अन्य समाचार छपे थे।

अत: इंडियन एक्प्रैस में छपे समचार को सच माना जाता है। भगवान का शुक्र है कि श्री अरुण शोरी का नाम उसमें नहीं था। यह केवल इस समाचार के बारे में है।

यदि आप इस वक्तव्य के तकनीकी एवं वैज्ञानिक अंश को देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि उन्होंने इस वक्तव्य को तैयार करने में बहुत बड़ी गल्ती की है मैं उनकी गल्ती की प्रतिशतता का उल्लेख करूंगा। एक स्थान पर वह कहते हैं कि :

"तथापि बहुत ही सावधानी के रूप में 31 अगस्त 1981 की शाम को "प्री. क्लोरीन तथा "पोस्ट क्लोरीन" की मात्रा बढ़ा दी गई थी"।

अब वह अंश आता है जिसमें इससे परस्पर विरुद्ध बात कही गई है :—

"संयंत्र से निकलने वाले पानी में 1.0 से 1.5 (पी. बी. एम.) की सामान्य मात्रा के स्थान पर 1.6 से 1.8 पी. बी. एम. (पार्टिकल्स पर मिलियम) अवशिष्ट क्लोरीन थी"।

परीक्षण से पूर्व एवं पश्चात के दोनों वर्गों के निम्नतम आंकड़े हम देखें। मूल रूप से यह एक पी. बी. एम. था और यह बढ़कर 1.6 पी. बी. एम. हो गया। अन्तर 0.6 का है। एक के पीछे 0.6 के अन्तर से साधारण गणित के आंकड़े के अनुसार पता चलता है कि पी. बी. एम. में ६0 प्रतिशत की वृद्धि है। यदि 60 प्रतिशत वृद्धि का यह अर्थ है कि संदूषण नहीं हुआ है तो फिर मैं यह नहीं समझ सकता कि "संदूषण" शब्द का अर्थ क्या है। मैं समाचार पत्र में छपे समाचार के आधार पर यह नहीं कह रहा। मैं माननीय मंत्री द्वारा सभापटल पर दिये गये वक्तव्य के आधार पर यह कह रहा हूं। इसमें दिये गये आंकड़ों के आधार पर भी सामान्य मात्रा मूल रूप से प्राय: 1 पी. बी. एम. होती है और यह बढ़ कर 1.6 पी. पी. एम. हो गयी थी। अत: आप

देखेंगे कि प्रतिशतता के अनुसार इसमें 60 प्रतिशत वृद्धि है। यह जल संदूषण का गंभीर मामला है और इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

हालांकि यह इनसे सम्बद्ध विषय नहीं है—चूंकि यह इसके प्रासंगिक है – दिल्ली में जल संदूषण की समस्या-मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि भूतकाल में भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। जून, 1981 में सेना भवन के पानी से बदबू आने का पता चला। प्रारम्भ में यह सोचा गया कि यह शायद मरे हुए बन्दर के कारण है जो उसमें पाया गया था परन्तु जब समस्या के बारे में जांच की गई तो पता चला कि उस कारण के अतिरिक्त इसका कारण गन्दे पानी के टैंक से पानी के भूमिगत टैंक में बहकर जाने से यह संदूषण पैदा हुआ। इसके परिणाम स्वरूप, स्वयं सेना भवन द्वारा यह जानकारी दी गई है। दिल्ली में पानी के संदूषण के कारण आंत्रशोथ, दस्त लगने तथा पीलिया के अनेक मामले हुए। यह रिकार्ड पर है। मैं माननीय मंत्री को चेतावनी देता हूं और उनसे जानना चाहता हूं। उन्होंने "बहुत ही सावधानी के रूप में "शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का प्रयोग प्रायः वकीलों द्वारा किया जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय द्वारा भी उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बहुत ही सावधानी के रूप में, कम से कम भविष्य में क्या वे इस बात को देखेंगे कि जो कुछ सेना भवन में हुआ वह अन्य स्थानों पर न हों और गन्दा पानी बहकर भूमिगत पानी के टैंक में न जाकर पेय जल को दूषित न करे। मुझे विश्वास है कि वे इससे बचने के तरीके का सुझाव देंगे।

वक्तव्य में एक अन्य परस्पर विरोधी बात है और वह भी उनकी कही गई बात से ही पैदा होती है। उन्होंने कहा है कि बार बार किये गये परिक्षणों से पता चला है कि संदूषण नहीं हुआ और न आगे कोई संदूषण होगा। जहाँ तक स्वास्थ्य और सफाई संबंधी मामले हैं मैं निर्माण और आवास के प्रभार मन्त्री के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर अधिक विश्वास करूंगा। यह माननीय मन्त्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है वे अपनी सीमाएं स्वयं जानते हैं ...।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड पार्बर) : 'माननीय' अथवा 'आदरणीय' ?

प्रो० मधु दण्डवते : 'माननीय'। जब आप की बारी आयेगी तो मैं आपको 'आदरणीय' कहूंगा।

जहां तक इस पहलू की बात है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक वरिष्ठ डाक्टर ने जो पानी के रोगों के विशेषज्ञ हैं। अपना यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार के सड़े गले शरीर के कारण बड़े पैमाने पर प्रदूषण होगा और उसके परिणामस्वरूप दस्त लगने के और पीलिया के गम्भीर मामले और आन्त्रशोथ के मामले हो सकते हैं। यदि जल परिष्करण संयंत्रों से इस प्रकार का पीने का पानी दिया जाये इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत नुकशान हो सकता है। अतः इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इन मुद्दों पर आवश्यक स्पष्टीकरण दे सकेंगे।

महोदय, मैं उनसे पूर्वोदाहरण के रूप में पूछना चाहूंगा कि क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि एक-दो वर्ष पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट पानी की टंकी में एक मामला हुआ था जिसमें लम्बे समय से एक शव पड़ा हुआ पाया गया था और जब उस शव का पता चला तो यह स्वीकार किया गया था कि पानी की टंकी में इस प्रकार का शव पड़े रहने से जल का अत्यधिक प्रदूषण होने की संभावना थी और उसके परिणामस्वरूप अनेक बीमारियां हो सकती थीं। यह दिल्ली में हुआ, यह सेना भवन में हुआ, यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, और अब यह इस विशेष जल-शोधन संयंत्र में हुआ है जहां से पश्चिम दिल्ली तथा उत्तर-पश्चिम दिल्ली को जल सप्लाई किया जाता है।

एक और मुद्दा हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और वह उन प्रदूषण-रोधी उपायों के बारे में है जो किये जाने हैं। उन्होंने किये जा रहे कुछ उपायों का निसंदेह उल्लेख किया है। परन्तु इस विशेष घटना से सबक सीखते हुए में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने न केवल इस जल-शोधन संयंत्र के सम्बन्ध में ध्यान दिया अपितु क्या उन्होंने अन्य जल-शोधन संयंत्रों के सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जो न केवल दिल्ली अपितु अन्य महत्वपूर्ण शहरों में जल सप्लाई करते हैं तथा बहुत से आयोगों द्वारा सिफारिश किये गये उपायों के बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है। सौभाग्यवश, हमारे देश में ऐसे बहुत अधिक अध्ययन समूह अथवा अध्ययन दल हैं जो प्रदूषण-वायु प्रदूषण तथा जल-प्रदूषण के बारे में कार्य कर रहे हैं और क्या उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिया है तथा क्या वे पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में विभिन्न आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सभा को आश्वासन दे सकेंगे जहां तक अप्रदूषित जल का सम्बन्ध है, संसद सदस्यों को कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम किसी विशेष विशेषाधिकार की मांग नहीं करते हैं चूंकि हम भी दिल्ली के अन्य नागरिकों के समान ही नागरिक हैं, इसलिये इस ओर ध्यान देने की कोई बात नहीं है कि वे पश्चिम दिल्ली में, रहते हैं अथवा उत्तर पश्चिम दिल्ली में, इस शहर में जो कोई भी जहां रहता है, जहां तक पेय जल का सम्बन्ध है, उनको प्रदूषण के इन सभी कारणों से पूर्णतया दूररखा जाना चाहिये। उस दिशा में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे क्या ठोस कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, मैं अपने माननीय प्रो० मधु दंडवते जी का सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं कि वह बहुत अच्छे सांसद हैं (व्यवधान) और वह यह जानते हैं कि मुद्दा किस प्रकार बनाया जाये। मैंने अपने उत्तर में बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जहां तक शव का सम्बन्ध था, यह संयंत्र के अन्दर नहीं था। शव तैरता हुआ जलग्रहण स्थल तक आ गया था। यमुना नहर छोटी नदी की तरह है, यदि यह वहां आगया तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। यह 130 फुट लम्बी है और कुल मिला कर, यदि आप चौड़ाई लें तो यह लगभग 50 फुट है। यह यमुना नहर में ही नहीं है अपितु यदि आप यमुना नदी या गंगा नदी पर जायें तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटना वहां होती है। न केवल मानव-शव ही वहां तैरते हुए दिखाई देते हैं अपितु पशु-शव भी तैरते हैं। ऐसा हो रहा है और यह वास्तविकता है। जहां तक

इस शव का सम्बन्ध है, यह संयंत्र के अन्दर नहीं गया। आपको वहां काम करने वाले अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहिये जिन्होंने ज्योंही शव को तैरता हुआ देखा, तो तुरन्त पुलिस को इस मामले की सूचना दी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने दिनों बाद ?

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैं कहता हूं, तुरन्त बाद। शव तैर रहा था परन्तु यह संयंत्र के भीतर बिल्कुल नहीं था परन्तु यह जलग्रहण स्थल पर था और उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एहतियाती उपाय के रूप में उन्होंने क्लोरीन आदि की मात्रा बढ़ा दी ताकि दिल्ली के नागरिकों को अशुद्ध जल सप्लाई न किया जाये। उन्होंने ये उपाय किये हैं। जहाँ तक जल-प्रदूषण का सम्बन्ध है, हमारी सरकार बहुत चिंतित है। आप जानते हैं कि हमने हाल में संसद में वायु प्रदूषण विधेयक पास किया है। उतना ही नहीं, सरकार ने पर्यावरण विभाग बनाया है तथा हम पारिस्थितिकीय संतुलन के बारे में बहुत चिंतित हैं और हम जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण और यहाँ तक कि शोर-प्रदूषण के बारे में बहुत अधिक चिंतित हैं। अतः हम इसके बारे में अत्यंत चिंतित हैं। मैं आपकी चिंता को समझता हूं। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं। जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिये दिल्ली में एक बोर्ड गठित किया गया है। वे भी इस समस्या से अवगत हैं और कार्यवाही कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जल प्रदूषण और इससे सम्बद्ध अन्य मामले अब पूरी तरह से नियंत्रणाधीन हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण माँगना चाहता हूं। मैंने उन्ही के आँकड़े उद्धृत किये थे और परस्पर विरोध का उल्लेख किया था कि ये 1 पी. एम. एम. से बढ़ कर 1.6 पी. एम. एम. हो गये थे। यह 60 प्रतिशत वृद्धि है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : निवारक उपाय के रूप में उन्हें यह कार्यवाही करनी पड़ी थी। जब उन्होंने यह अहतियाती उपाय भी किये थे तब भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि यह लाश अन्तर्ग्राही स्थल पर (इंटेक पाइंट) आया था लेकिन क्या उन्होंने महसूस किया कि इस लाश के आने से पूर्व दूषित जल अन्तर्ग्राही स्थल पर आ गया था। उन्होंने कहा है कि यह लाश केवल अन्तर्ग्राही स्थल पर आई और उस स्थिति में यह पता लगा था और इसे हटा लिया गया था लेकिन क्या वह महसूस नहीं करते हैं कि यह लाश नहर में कुछ समय के लिये पड़ी रही थी। सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा है कि शव-परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि यह लाश 20 दिन पुरानी थी। यदि यह लाश जमुना नहर में 20 दिन पड़ी रही थी तो दूषित जल अन्तर्ग्राही स्थल में 20 दिन तक आता रहा था और वह जल उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लोगों को सप्लाई किया गया था।

अन्त में हमें बताया गया है कि कोई क्षति नहीं होगी और पूरी जाँच की गई थी। मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक विशेषज्ञ को उद्धृत किया था जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ

हैं और उन्होंने कहा है कि यदि जल में कोई लाश पड़ी रहती है तो इससे प्रदूषण की कुछ मात्रा अवश्य उत्पन्न होगी और कुछ बीमारियाँ फैलेंगी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने कहा है कि अन्तर्ग्राही स्थल तक अपरिष्कृत जल आता है । हम इस स्थल से जमुना नहर से पानी लेते हैं और इसके बाद सप्लाई करने से पूर्व संयंत्र द्वारा जल शोधित किया जाता है । अतः शायद इस बारे में कुछ गलत फहमी है । अन्तर्ग्राही स्थल तक यह अपरिष्कृत जल है । कोई भी अपरिष्कृत जल नहीं लेता है । हम नागरिकों को अपरिष्कृत जल सप्लाई नहीं करते हैं । पहले यह शोधित किया जाता है । जहां तक डाक्टर के मत का संबंध है निश्चित रूप से प्रदूषण नहीं होना चाहिये । और लाशें नहीं होनी चाहिए । इस मामले में कोई मतभेद नहीं है । लेकिन जहां तक इस मामले का संबंध है, पर्याप्त अहतियात बरती गई थी और दिल्ली के नागरिकों को अस्वच्छ जल नहीं सप्लाई किया गया था ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर) : वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारे देश में अस्सी प्रतिशत एलमैंट्स जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं वे गन्दा पानी पीने की वजह से होती है । अगर सब लोगों को अच्छा और साफ पानी पीने के लिए मिल जाए तो एक तिहाई बीमारियां खत्म हो सकती हैं । दिल्ली शायद पहला शहर है जहां पर फिल्टर्ड वाटर लोगों को देने की व्यवस्था की गई है । इस पर हम को अभिमान है । 13 मई को हैदरपुर का सैकिंड फैज वाटर ट्रीटमेंट का पूरा हो गया । उस समय कहा गया कि अब दिल्ली में 303 मिलियन गैलन पीने लायक पानी लोगों को मिल जाएगा । लेकिन इसके विपरीत जब से इसको शुरू किया गया है तब से पीने के पानी की कमी पैदा होनी शुरू हो गई है । पानी लोगों को बहुत ही कम मिलता है । साउथ दिल्ली तक में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है । दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता है । ओखला का जो पानी है वह पौल्यूटिड है । मैं जानना चाहती हूं कि उस पानी के ट्रीटमेंट के लिए भी क्या कुछ किया गया है ।

एडीशनल चीफ इंजीनियर वाटर जो हैं और जो कारपोरेशन के हैं उन्होंने 20 अप्रैल को एक मीटिंग में कहा था कि दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा पानी स्वच्छ पानी पीने का मिलेगा और उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं । उसी मीटिंग में एक आदमी ने क्या कहा और उसकी इस पानी के बारे में क्या राय है, वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं । उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पानी के बारे में दिल्ली के आम आदमी की क्या राय है । उसने कहा कि दिल्ली में जो पानी है इसको पहले हमें उबालना पड़ता है और फिर उसको फिल्टर करना पड़ता है । इतना होने के बाद भी उस आदमी ने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं इसका बुरा असर न हो जाए इस वास्ते मैं बीअर पीता हूं । पिछले दो महीने में दिल्ली में बहुत सी बीमारियां बढ़ गई हैं । पार्लियामैंट में इस सवाल को उठाने की कोशिश भी की गई थी । जय प्रकाश नारायण अस्पताल में बच्चों की बीमारियां बढ़ गई हैं । पार्सल और टैम्पोरेरी पैरेलेसिस के कैसिस बढ़ गए हैं । कंजक्टीवाइटिस और गैस्टो एंट्राइटिस के कैसिस भी बहुत हो रहे हैं ।

31 अगस्त को चार बजे के करीब एक डेंड बाडी का पता चला था। डाक्टरों और पुलिस के मुताबिक यह डैड बाडी बीस दिन पुरानी थी। यह जो कहा गया है कि गंगा के पानी में ऐसी लाशें आती हैं यह सच नहीं लगता है। इस डैड बाडी का गला टूटा हुआ था वह इसके साथ नहीं था। कीड़े इसको खा रहे थे। एक्जैमिनेशन जो हुआ वह 31 तारीख के बाद हुआ। आपने जो डोज बढ़ाया क्लोरीन का वह बहुत बाद बढ़ाया। मैं जानना चाहती हूं कि क्लोरीन का डोज बढ़ाने के अलावा भी आपने कुछ और इंतजाम किया है ताकि दिल्ली के लोगों को पोल्यूटिड वाटर न मिल न सके ?

मैडीकल रिपोर्ट यह कहती है कि ज्यादा अगर क्लोरीन की डोज को बढ़ाया जाता है तो उसका बुरा असर हाई ब्लड प्रेसर से जो पीड़ित होते हैं उन पर पड़ता है। क्या आपने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे यह असर उन पर न हो ?

अगर प्रेस ने यह खबर न दी होती कि इस प्रकार की बात हो गई है तो दिल्ली के लोगों को इस चीज का पता भी नहीं चलता और पता नहीं चलता कि कोई लाश वहां पर थी जिसकी वजह से पानी गंदा हो गया है। इसके लिए प्रैस बधाई की पात्र है। इसके बाद जो कर सकते थे उन्होंने पानी को उबालना शुरू कर दिया होगा। लेकिन इस मंहगाई के जमाने में और मिट्टी के तेल के दाम इतने अधिक हो जाने से आम लोगों के लिए यह असम्भव है कि वे पानी उबाल कर पी सकें। अखबार वालों ने इस खबर को देकर बहुत अच्छा काम किया है। अगर दिल्ली में लोक प्रतिनिधि होते, मैट्रोपोलिटन काउंसिल आदि काम करती होती तो यह सारा मामला वहां डिसकस होता और तुरंत कार्रवाई हो जाती। लेकिन वह काम नहीं कर रही है। दिल्ली की मार्किट्स में गंदगी बढ़ रही है। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई लोक प्रतिनिधि कौंउसिल में नहीं है। 303 मिलियन गैलन को क्लोरीन का ट्रीटमैंट देने के अलावा आप कौन सी ट्रीटमैंट दे रहे हैं, यह मैं आप से जानना चाहती हूं ?

लाश बीस दिन पुरानी थी। पांच दिन वाड़ी की डी कम्पोज होने में लगते हैं। पंद्रह दिन तक लोगों को गंदा पानी मिलता रहा। इन दिनों में क्लोरीन की मात्रा को नहीं बढ़ाया गया। इसका असर क्या हुआ होगा क्या आप इसका जवाब देने की स्थिति में हैं और क्या इसके लिए भी तैयार हैं कि इसकी पूरी इनक्वायरी होनी चाहिये ? इसके साथ ही पुलिस और हैल्थ डिपार्टमैंट में बराबर कोआडिनेशन होना चाहिये। ला एंड आर्डर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। अगर एक लाश पानी में जाती है तो जाहिर है कि किसी ने उसको मारा होगा। आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि 15 दिन तक जो पानी दिल्ली के लोगों को मिल रहा था जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, मात्रा जो 1.5 से 1.8 तक करी है वह पहले नहीं थी, इसके लिये आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं कि लोगों की सेहत पर उसका कोई बुरा असर नहीं होगा ?

श्री भीष्मनारायण सिंह : मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्या का बड़ा आदर करता हूं और ऐसा कभी न सोचें कि प्रोफेसर साहब के प्रति ही मैंने आदर व्यक्त किया कि वह कुशल सांसद हैं, आप भी एक कुशल संसद सदस्या हैं इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। संसद कार्य मंत्री के नाते में तो ऐसा मानता हूं कि सारे कुशल सांसद हैं। मैं आपको वास्तविक स्थिति बता दूं। समाचार-पत्रों

की दोनों ने चर्चा की । इसमें कोई शक नहीं कि समाचार-पत्रों का बड़ा भारी महत्व है प्रजातंत्र में । लेकिन समाचार-पत्रों का जो आप सहारा ले रही थीं, ऐसा लगा कि आपने तथ्यों का सहारा नहीं लिया । अगर समाचार पत्र और तथ्य दोनों मिलते हों तो आप जरूर उनका उद्धरण करें । तथ्य यह है, जहां तक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का सवाल है आपको आशंका हुई कि सड़ी हुई लाश हैदरपुर ट्रीटमैंट प्लान्ट के इन्टेक पौइंट पर आ गई और उसी से यह सवाल उठा कि अशुद्ध जल दिल्ली के नागरिकों को पीने के लिये चला गया । मैंने अपने उत्तर में बताया कि ऐसा नहीं हुआ । वहां के कर्मचारियों ने इस लाश को देखा और पुलिस को सूचना दी । और इंटेक पौइंट तक तो पानी ट्रीट नहीं रहता है, उसमें क्लोरीन वगैरह नहीं मिलायी जाती है । वहां तो रॉ वाटर आता है । अब उसमें लाश भी आ गई । तो इंटेक पौइंट पर शुद्ध नहीं करते हैं, बल्कि प्लान्ट में लाकर करते हैं और तब नागरिकों को पीने के लिये पानी देते हैं ।

जहां तक यह बात है कि नदियों में या नहरों में पानी अशुद्ध न हो, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, मैं ऐसा मानता हूं कि गंगा हो या जमुना हो या और कोई नदी हो उसमें जितना सीवेज डिसपोजल ट्रीट करके जाना चाहिये उतना कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है । लेकिन उसके लिये कोशिश जरूर है और यहां तक कोशिश है, और कई प्लान्ट लगे हैं देहली में, कि जमुना में सीवेज डिसपोजल ट्रीट कर के किया जाय । हमने कानून में भी सख्ती बरती है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कर के ही जमुना में निष्पादित किया जाय । इस बारे में हम प्रीकाशन ले रहे हैं । हमने एक विभाग भी बनाया है इस सरकार के आने के बाद जो पर्यावरण में संतुलन रखने की कोशिश करेगा । इसलिये जितनी आपको चिन्ता है उतनी हमें भी है और इसीलिये इस विभाग को कायम किया है और कई स्टैप्स ले रहे हैं । दिल्ली में ही सेन्ट्रल वाटर और प्रीवेंशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है वह भी काम कर रहा है । लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि नदियों में जो रॉ वाटर है, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वह ट्रीट कर के ही नदियों में जाये, यह हमारी कोशिश है । यह कोशिश हमारी है । जहां तक आपने दूसरी-दूसरी, बातों का उद्धरण दिया, आपने खुद ही स्वीकार किया कि डैड बाड़ी कहां से आई ? इसका पता करना पुलिस विभाग का काम है, वह पता कर रहे होंगे । जहां तक दूषित पानी सप्लाई हुआ कहा गया है, इसमें सन्देह करने की जरूरत नहीं है, दूषित पानी बिल्कुल सप्लाई नहीं हुआ । दिल्ली में जो पीने के पानी की स्थिति है, उसकी तुलना आप बम्बई, मद्रास, कलकत्ता से करेंगे तो पायेंगे कि दिल्ली में हम जो नागरिकों को पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं वह एक व्यक्ति पर प्रतिदिन 55 गैलन है । इतना ही नहीं है, इससे हमें संतोष नहीं है कि यह सारी मांग पूरी हो गई । उसे पूरा करने की भी हमारी कोशिश है । इस हैदरपुर प्लान्ट की कैपेसिटी 50 मिलियन गैलन की है । प्रोफेसर साहब ने भी इसका जिक्र किया, हम लोगों ने मई महीने में बातचीत की हरियाणा के मुख्य मंत्री से, सिचाई मंत्री यहां आये और हमारे ही चैम्बर में बात तय हुई और 50 मिलियन गैलन पानी हमको मिलने लगा जिससे हैदरपुर की पूरी कैपेसिटी काम कर रही है जिसका वजह से पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली को पीने की पानी की सप्लाई में काफी राहत मिली है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भीष्म जी का नाम जल के साथ तो बड़ा उत्तम जुड़ना चाहिये क्योंकि महाभारत की कथा है कि भीष्म जी जब मरण शय्या पर थे तो जल की बात थी, उन्होंने अशुद्ध जल नहीं पिया, पाताल से शुद्ध जल निकाला, तब उन्होंने पिया। लेकिन महाभारत हो, भीष्म जी हों, दिल्ली के 60,70 लाख रहने वाले प्राणी, चाहे उन्होंने पानी पिया या नहीं पिया, इस पर आगे बात करेंगे, कम से-कम जितने लोगों ने सुना, जो बच्चे और औरतें थीं, उनमें से 30 फीसदी ने कै तो जरूर की है कि भीष्म जी आदमी का रस पिला रहे हैं, मुर्दा लाशों को पानी की जगह मिलाकर। यह सत्य कहां तक है ?

गंगा शुद्ध, यमुना शुद्ध नदियां शुद्ध या न लिया जो जमीन के नीचे गदले पानी की हैं और अच्छे पानी की हैं, यह आपस में मिल जाने और पानी के गन्दा होने के जो विभिन्न तरीके हैं, उनको छोड़िये, पहले आप लाश के सवाल पर आइये।

मैं खुश होता, अगर भीष्म जी यह कहते, यह भीष्म जी की साजिश नहीं है कि वह किसी को मारकर लाये हैं, या क्या किया है, यह सरकार की साजिश नहीं है, यह उन पर आरोप नहीं है। आरोप यह है कि मशीन से देश इतना सड़ गया है कि रोटी नहीं, गन्दी रोटी क्योंकि उत्पादन कम है, हवा गन्दी क्योंकि आबादी और गरीबों की दुर्दशा ज्यादा है, लेकिन पानी की गन्दगी, गंदा पानी मिलावट का रहे, वह मिलता ही था, लेकिन इन्सान की मुर्दा लाश और और वह भी 24 दिन की लाश। याद रखिये, आपकी सब दलीलें फेल हो जायेंगी, लाश का सिर कटा हुआ था, सिर तो उसमें चला गया होगा, आज आप कहते हो नहीं, शरीरका 24 दिन की लाश है, उसका पोस्टमार्टम क्या किया होगा, उसका चमड़ा और मांस तो अन्दर चला गया हैं। आप कहते हैं कि अन्दर नहीं गया, पानी शुद्ध कर दिया है। शुद्ध कहाँ से होगा ?

आखिर हिन्दुस्तान में कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो निरामिष हैं और ऐसे नरभक्षी भी कोई पूंजीपति हों या उसके कोई सरकारी शासन के लोग हों तो उसका पता नहीं, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति में जब मानव का सवाल आता है तो शुद्धता की बात आती है और इस तरह की गन्दगी से लोगों को बड़ी ठैस लगती है। सवाल यह नहीं है कि पुलिस जांच करेगी कि आपका महकमा जाँच करेगा, मैं तीन बुनियादी सवाल आपके सामने रखता हूं। मैं मानता हूं कि पुण्यता आप नहीं कर सकते, गंगा-यमुना की शुद्धता, हमारे धार्मिक नेता धर्म की जयजय करने वाले नाराज न हों, डा० लोहिया से लेकर हम समाजवादी लोग इस सवाल पर लड़ते रहे हैं कि गंगा.यमुना के जल को शुद्ध रखो, मोक्ष के लिए नहीं, पीने के लिए। शहर का गंदा पानी उसमें पड़ता है। धोबी के कपड़े उसमें धोए जाते हैं। दीन-दुखी, गरीब लोग ही उसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जो गन्दी बस्तियां में रहते हैं और वह गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर हैं।

गंगा और जमुना को शुद्ध करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वह लाश कौन सी जगह आ गई थी ? मैं मंत्री महोदय से ही सुनना चाहता हूं। इनटेक पायंट ? मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंगा और जमुना के पानी की शुद्धि के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, एक अभियान चलाने की भी जरूरत है। इसके लिए आकाशवाणी से भी मदद

लेने की जरूरत है। सामाजिक संस्थाओं की भी मदद लेने की जरूरत है। बेरोजगारी लोगों को वालन्टियर बनाकर एक जल शुद्धि सेना बनाई जाए, जो यह उपाय करे कि गंगा, जमुना और दूसरी नदियां के पानी को शुद्ध रखा जाए।

यह कहना कोई दलील नहीं है कि गंगा में जानवरों की लाशें होती हैं। दिल्ली में भी जानवरों की लाशें हैं। उसका क्या इलाज है ? गंगा और जमुना में जानवरों की लाशें होना गलत है। यह जिम्मेदारी समाज की है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शासन की है, जिसने सारी शक्ति को अपने पास एकत्रित कर लिया है। मैं तीन सवाल करूंगा।

यह बात मुझ से ज्यादा सम्बन्ध रखती है। यह जल मेरे घर का है। आप इसको कहीं भेज कर इसकी डाक्टरी करवा लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ लाये हैं उसे आपको सभा-पटल पर रखना है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको इस सदन में कहता हूं कि आप मेरे मकान का जल भीष्म जी पंद्रह दिन तक पी लें, तो उन्हें किसी अस्पताल की तलाश करनी पड़ेगी। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि वह आयें। एक एम पी का मामला है, इसलिए यह चर्चा आ गई। लेकिन खाना-बदोश लोगों, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों और ब्रिलोपावर्टी लाइन रहने वाले लोगों का जिक्र करना अब महत्व की बात नहीं रह गई है। पहली बात तो यह नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई सिर-कटी लाश आती है, तो वह ला एंड आर्डर का मामला है, वह जल से ताल्लुक नहीं रखता है, इसलिए उसका जवाब कोई और मंत्री देगा। यह भी ठीक नहीं है। कि अगर मंत्री महोदय के महकमे का कोई व्यक्ति पुलिस को वक्त पर इत्तिला दे और पुलिस न आए और मंत्री महोदय कहें कि यह पुलिस का दोष है, या पुलिस कहे कि हमें इत्तिला नहीं दी गई थी, इसलिए मंत्री महोदय के महकमे का दोष है। जिम्मेदारी सब की है। लाश का पता लगाना तो भिंडर साहब का काम था। यह काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन किसी स्त्री का अपमान हुआ, तो उन्होंने किसी अखबार वाले के प्रश्न के उत्तर में बिना मतलब माया त्यागी के बारे में बदतमीजी की बातें बक दीं, जिससे सारी नारी जाति का अपमान हुआ। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनकी पत्नी भी एक नारी है और इस सदन की सदस्या है। वह कहेगी कि कितना बदतमीज होता है, जो नारियों के बारे में ऐसे शब्द कहता है।

जल के बारे में मंत्री महोदय को तीन कदम उठाने चाहिए। गंगा और जमुना की शुद्धि की व्यवस्था की जाए। जमीन के नीचे गंदे पानी और अच्छे पानी की नालियां आपस में मिली हुई हैं और उनका पानी एक दूसरे के साथ मिला जाता है। आधी गन्दगी पीने के पानी में जाती है और आप सर्वे कीजिएगा उन जगहों का, जिनको आप दरिद्र कहते हैं और गांधी इस देश के दरिद्र-नारायण के पुजारी थे, जहां पर गन्दगी और पाखाने की नलकी बह रही हैं उसके ऊपर उठ कर वह पानी पीते हैं और रोटी खाते हैं, उन झुग्गी झोंपड़ियों की पानी की सफाई नहीं करेंगे तो इस दिल्ली में प्रधान मंत्री के घर में भी साफ पानी चला जायगा, नामुमकिन है क्योंकि उस पानी में भी गन्दगी का सम्बन्ध मिलेगा।

आप अधिकारियों की सफाई मत दीजिएगा । यह अच्छा काम नहीं है । ये तीन तरह से फेल हैं । आपका मुहकमा भी फेल है, पुलिस का मुहकमा भी फेल है और तीसरा वह बिजली वाला मुहकमा भी फेल है और अस्पतालों की जो हालत है, उनका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन बेचारों का नाम मैं नहीं लेना चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं क्या आप उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे ? क्या आप के पास ऐसी कोई योजना है कि जो इतने साल से पुरानी चीज चली आ रही है उसको ठीक करें ? अब आप ने खुद देखा होगा कि गन्दी नाली पर उसका ढक्कन नहीं, बच्चा उसके अंदर घुस गया, पप्पू नाम का बच्चा, भगवान ने उसको बचा लिया, 24 घंटे के बाद वह लाल किले के पास निकला । इसलिए यह सब जो गन्दगी है और मिलावट है इसको आप देखें ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुरानी नलकियाँ हैं नीचे की उनको शुद्ध करने के लिए और गंगा और जमुना को शुद्ध करने के लिए क्या कदम आप उठाएंगे और क्या आप जल-शुद्धि सेना बनाने का विचार कर रहे हैं जो इस किस्म की नालियों का जल शुद्ध रख सके ? तीसरे जो बिल्कुल झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग हैं उन तक शुद्ध पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री भीष्मनारायण सिंह : मान्यवर, श्री मनीराम बागड़ी जी से मुझे तो यह अपेक्षा थी कि वह कुछ ऐसी बात कहेंगे कि जिसमें हमको यह कहना पड़े हरयाना सरकार को या हरयाना के लोगों को वह धन्यवाद दें क्योंकि यह जो पानी आता है जमुना कैनाल का उसमें 50 परसेंट जो बढ़ोत्तरी हुई है, हैदरपुर ट्रीटमैंट प्लांट से दिल्ली के लोगों को ज्यादा पानी देने की जो बात हुई है, उसमें उनका बड़ा भारी योगदान है । उन्होंने सुझाव के तौर पर बहुत सारी बातें कही हैं जिनको मैंने नोट किया है । उन्होंने एक बात बहुत सही कही है कि सरकार की जितनी भी चेष्टा हो लेकिन जनता का भी जब तक सहयोग नहीं होगा, जनता भी जब तक अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक न हो तब तक काम नहीं चलता । इसलिए जैसा कि हमने एक अभियान चलाया हैं कि अशुद्ध चीजों को प्रवाह गंगा जमुना में न हो, इसमें मैं समझता हूं किसी की दो राय नहीं होगी । बाकी बातें तो उनकी सुझाव के तौर पर है । उन्होंने आवाज सुन लिया और शायद वह संतुष्ट हैं जवाब से इस वजह से उन्होंने और प्रश्न करना नहीं चाहा ।

जहां तक सफल असफल होने की बात है आप बुजुर्ग हैं, हम लोग तो आशावादी हैं, असफलता की बात हम लोग कभी सोचते नहीं ।

श्री भीष्मनारायण सिंह : इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए । मैंने बताया आप को कि सरकार की कितनी व्यग्रता है इस विषय पर और सरकार पूरी तरह सचेष्ट है इसको हल करने के लिए । हमारी पूरी चेष्टा है कि पीने के लिए किसी प्रकार के अशुद्ध जल की आपूर्ति किसी को नहीं हो ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने एक सवाल किया था कि क्या जल शुद्धि सेना बनाएंगे ?

श्री भीष्मनारायण सिंह : आपका यह सुझाव मैंने नोट किया है ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा मैं उसी सन्दर्भ में कुछ पूछना चाहूंगा ।

एक बात तो प्रारम्भ में ही कहना चाहूंगा । पिछली बार भी 18 जून को ऐसी एक घटना रेलवे स्टेशन वाली हुई । पानी की टंकी में एक लाश मिली और माननीय रेल मंत्री ने कह दिया कि वह जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि लाश कहां से आई ? ये भी यही कह रहे हैं कि लाश कहां से आई इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है । हमारी जिम्मेदारी तो यह है कि पानी साफ हो । लेकिन यह बहरहाल दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी है, यह आपको ईमानदारी से कहना चाहिए कि दिल्ली प्रशासन की खामियों की वजह से लाश 20 दिन तक सड़ती रही, गलती रही पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो आपके सामने है । इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है । दिल्ली के 52 लाख लोगों के लिए 312 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है और 253 मिलियन गैलन पानी आप दे रहे हैं । इसमें से 100 एमजोडी हैदरपुर का प्लान्ट दे रहा है । इसका मतलब यह है कि करीब आधा पानी वहाँ से आ रहा है । मजे की बात यह है कि शहर के आधे लोगों ने इस पानी को इस्तेमाल किया होगा । जैसा कि आपने कहा है कि जहां से पानी लिया जाता है उसके मोहाने पर लाश पाई गई थी । इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि जो पानी आप संचय करते हैं उसकी कोई व्यवस्था होगी; किसी एक जगह से आप वह पानी संचय करते होंगे तो क्या उसी स्थान के मोहाने पर यह लाश पायी गई या वहां से कुछ दूरी पर वह पाई गई । वह स्थान अगर इस संस्थान के जुरिस्डिक्शन में है तो इस संस्थान की जिम्मेदारी होगी और अगर जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो किसी और की जिम्मेदारी होगी ।

आपने यह भी कहा है कि एक-एक घंटे के बाद जाँच की जाती है और यह लाश वहाँ पर 4 15 पर पाई गई । इसका मतलब यह हैं कि इससे पहले 3.15 पर जाँच की गई होगी तो उसके बाद 20 दिन की सड़ी हुई लाश आधे घंटे में वहां पर कैसे पहुंच गई ? दूसरे जांच का क्या कोई रुटीन है कि कोई अधिकारी या अभियन्ता जाकर जांच करता है और एन्ट्री करता है या किसी अधिकारी ने जाकर वहाँ पर देख लिया और लाश मिल गई ?

दूसरी बात यह हैं कि पानी में स्पेशल ट्रीटमैंट देने के बारे में कुछ नहीं किया गया । एक अखबार ने यह लिखा है कि इस सम्बन्ध में जब आपके एक अधिकारी से सम्पर्क किया गया :

> "विशेषज्ञों के अनुसार जल को पूरी तरह से पेय और जीवाणु सह बनाने के लिये संयंत्र जल को एक विशेष शोधन की आवश्यकता हैं" ।

यह बहुत आवश्यक था लेकिन आपके अधिकारियों ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, केवल क्लोरीन वगैरह से जो सफाई की जाती है वही की गई जबकि किसी लाश के सड़ने पर जो जीवाणु पैदा हो जाते हैं वह इस प्रकार से समाप्त नही हो सकते । सही मायनों में तो इस घटना की जानकारी, जो स्वच्छ जल की व्यवस्था करते हैं, उनको भी नहीं थी । तो यह सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है । मैं जानना चाहता हूं क्या

इसके लिए आप पार्लियामेन्ट के सदस्यों की कोई कमेटी नियुक्त करेंगे जोकि इसकी इन्क्वायरी कर सके । यह ऐसी घटना है जिसका सारे दिल्ली निवासियों पर असर पड़ता है और हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं । मैं जुडीशियल इंक्वायरी की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप कहेंगे यह छोटी सी बात है इसके लिए जुडीशियल इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उसकी एक नकल आपको दे दी गई है कि इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी को भी आपको लेना चाहिए । जहां तक जल प्रदूषण की बात है, जैसा कि बागड़ी जी ने कहा, दिल्ली में यह आम शिकायत है । सीवर और पीने के पानी के आपस में क्रास हो गए हैं या कहीं पर पाइप टूट गए हैं । जिनसे पानी गन्दा आ रहा है । इस तरह की स्थिति चल रही है । मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी संसद सदस्यों की बनायें या नहीं ? दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां कोई गार्ड की व्यवस्था है या नहीं, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि यह आसान बात नहीं है कि कोई भी आए और वहां पर लाश फेंक कर चला जाए ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य श्री राजेश जी ने कोई नए सवाल नहीं पूछे हैं । लगभग उन्हीं सवालों के बारे में आशंका व्यक्त की है, जिनका कि मैंने उत्तर स्पष्ट तौर पर दिया है । मैंने आपको बताया है कि इस लाश को सबसे पहले वहां के कर्मचारियों ने 31 अगस्त को लगभग सवा चार बजे शाम को देखा । जैसाकि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ एक-एक घण्टे पर चैकिंग करते रहते हैं, सब बातों की । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए, जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, वे कितने जागरुक हैं, सजग हैं । उन्होंने लाश को देखा जो कहीं से बह कर आ रही थी ।

श्री राजेश कुमार सिंह : बीस दिन तक वहाँ लाश सड़ती रही है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं । वह काफी बड़ी नहर है, जिसकी लम्बाई 130 किलोमीटर है, उस एरिए को आपने भी देखा होगा और लगभग 50 फीट उसकी चौड़ाई है जो कि एक नदी की तरह है । उसमें इतना ज्यादा पानी आता है और बह कर लाश कहां से कहाँ पहुंच गई । वह लाश नहर में मिली ऐसा नहीं कि प्लांट में इन-टेक चली गई प्वाइंट पर एक जाल सा लगा रहता है, लोहे का, जिसके अन्दर कुछ नहीं जा सकता है । हमारे लोग इतने सजग रहते हैं कि वे एक-एक घण्टे पर देखते रहते हैं, सारी चीजों को । इसीलिए उन्होंने पुलिस में उसके बारे में कम्पलेंट की । इसलिए यह कहना कि लाश बहुत पहले से पड़ी हुई थी और उसकी वजह से गन्दा पानी हो रहा था तो गन्दा पानी तो रॉ-वाटर यानी कच्चा पानी तो आता ही है, इन-टेक प्वाइंट तक । उसके बाद जब पानी अन्दर जाता है, तो वहां यंत्र लगे हुए हैं और पानी को शुद्ध करने के लिए जो हम कैमिकल्स प्रयोग में लाते हैं, वे बिल्कुल स्टेंडर्ड के हैं हर शहर के लिए और सब जगहों पर मशीनों द्वारा सफाई की जाती है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या उसकी एक्सपर्ट से जांच करा ली गई ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह आपने ठीक कहा, उसका सैम्पल लिया गया और उसको एग्जामिन किया गया, वह शुद्ध मिला । इसलिए यहां पर कोई आशका की गुंजाइश नहीं है और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी की भी जरूरत नहीं है ।

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहूंगा । गत वर्ष जून के आखिरी सप्ताह में भी एक लाश दिल्ली स्टेशन पर पानी की टंकी में मिली थी और उस पर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था । उसकी तरफ पासवान जी और अन्य सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त करते हुए मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि जहां से जल की आपूर्ति होती है, उस सुरक्षा का ध्यान दिया जाना चाहिए । लेकिन मन्त्री जी मुझे ऐसा लगता है कि यह लापरवाही वहाँ के अधिकारियों द्वारा ही बरती जाती है । आपने भी जो स्टेटमेंट जल शोधन संस्थान ने बनाकर दिया, उसी को यहां पर आकर पढ़ दिया है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस पर विचार किया है कि आपके मन्त्रालय से दो-तीन लोगों की समिति चली जाए, और वह यह देखे कि वास्तव में तथ्य क्या है ?

दूसरा सवाल यह है कि आपने भी अभी कहा और संयंत्र के अधिकारियों का भी यह बयान आया है कि स्क्रीन के पास वहां पर पशुओं या आदमियों की लाशें आ जाती है ऐसा लगता है कि वह तो एक सामान्य बात है जो आपका बयान है, उससे ऐसा मालूम नहीं होता है कि जैसे ही लाश स्क्रीन के पास आई, वैसे ही उसको देख लिया गया । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्थायी तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, स्क्रीन के पास कुछ दूरी पर, कि इस प्रकार की लाश पशुओं या आदमियों की या कोई गन्दी चीज इस प्रकार से स्क्रीन के पास न पहुंच सके ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्री बी०डी० सिंह जी ने दो साल पूछे हैं, उनके उत्तर भी मैं पहले दे चुका हूं । इन-टैक प्वाइन्ट दूर होता है, जो नहर आती है और जहां से पानी प्लांट में लिया जाता है वे नजदीक नहीं होते हैं, दूर होते हैं । इसीलिये वहां पर लोहे का जाल बना होता है, जिस से कि कोई चीज अन्दर न जा सके, वहीं पर छन जाय । उनको स्टील-नेट कहते है ।

श्री बी० डी० सिंह : जहां स्क्रीन है, वहां पर अगर बाडी आकर रुकी तो वह बराबर वहीं रुकी रहेगी । वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उसको तुरन्त हटाया जा सके ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यहां पर भी तुरन्त हटाया गया है । ज्यों ही बाडी उस प्वाइन्ट पर आई, उसको तुरन्त लोगों ने देखा, उसकी इत्तिला दी···(**व्यवधान**)...पुलिस को खबर दी गई और इसके अलावा क्या कर सकते थे । हर घन्टे पर वहां पानी का सेम्पिल लिया जाता है, उसका कैमिकल एआलिसिज़ किया जाता है कि शुद्ध पानी की आपूर्ति हो रही है या

नहीं । यह एक परमानेन्ट व्यवस्था है जो हर ट्रीटमैन्ट प्लान्ट में होता है । चूंकि सब काम ठीक किया गया था इसलिये कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होगी और मध्याह्न दो बजकर बीस मिनट पर पुनः समवेत होगी ।

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर बीस मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई)

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर चौबीस मिनट पर पुनः समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कार्य मंत्रणा समिति

19 वाँ प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से जो 2 सितम्बर को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"इस संशोधन के अध्याधीन—

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर शीघ्र चर्चा की व्यवस्था करने के लिये यह प्रतिवेदन समिति को सौंप दिया जाये ।"

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई अत्तर पुर्व) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"इस संशोधन के अध्याधीन—

"कि निम्नलिखित मदों को शामिल न करने के कारण सभा प्रतिवेदन वापस भेजती है।"

(क) वैद्यालिंगम प्रतिवेदन की चर्चा।

(ख) मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन पर चर्चा।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

इस संशोधन के अध्याधीन—

"कि इस सिफारिश के साथ प्रतिवेदन कार्य मंत्रणा समिति को वापस भेज दिया जाये कि समिति प्राथमिकता निर्धारित करे और निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिये समय आवंटित करें।"

(1) विश्व बैंक का रेलवे के लिये कोई और आगे ऋण रिलीज करने से पूर्व अप्रतिष्ठाकर शर्तों का निर्धारण करके भारतीय रेलवे को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास और विक्रय के बारे में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की सहमति।

(2) विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण में लगे हुए श्रमिकों की स्थिति और दिल्ली में एशियाई खेलों के लिये अन्य सुविधायें और इन परियोजनाओं में लगे हुए बहुत से श्रमिकों की हैजे और अन्य बीमारियों के कारण हुई कथित मौतें। (3)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बनातवाला बोल सकते हैं। केवल तीन मिनट।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय मैं तीन दिन तक चुप रहा था। तीन दिन के बाद मैं बोल रहा हूं।

मेरे संशोधन का आशय यह है कि समिति को प्रतिवेदन वापस भेजा जाये। ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा को शामिल कर सकें। इसका कारण है कि बहुत सी महत्वपूर्ण गंभीर घटनायें हो चुकी हैं। कुछ मामलों में सरकार से समुचित प्रत्युत्तर भी नहीं मिला है। उदाहरणार्थ लीबिया की समुद्री सीमा में अमरीका द्वारा सीधा हमला और लीबिया के दो विमानों को गिरा दिये जाने का मामला है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, यह ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आपने वर्णित किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आज के समाचार-पत्रों में यह समाचार है कि लीबिया के कर्नल म्यूम्मर गैडाफी ने घोषित किया है कि लीबिया अन्तर्राष्ट्रीय संकट को उकसा सकता है और यदि अमरीका अपने खतरनाक इरादों पर टिका रहता है तो वह यूरोप स्थित अमरीका के परमाणु अड्डों पर हमला कर सकता है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की ओर से एक सराहनीय बात है जिसका हमें इस सदन में उल्लेख करना चाहिये। मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उसने 'मना करने में साहस दिखाया है ...।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने व्यंग्य के रूप में धन्यवाद दिया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सच्चे दिल से वास्तव में धन्यवाद कर रहा हूं कि भारत ने नई दिल्ली में एक राजनयिक कार्य के लिये एक अवांछनीय अमरीकी मनोनीत व्यक्ति को नामंजूर कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमरीका भारत के दृष्टिकोण को नहीं देख सका है कि यहां पर राजनयिक कार्य के लिये एक ऐसा व्यक्ति चाहिये जिसका भारत के प्रति उचित रवैया हो जो अच्छे संबंधों के बनाने में उपयोगी होगा। इसके बजाय, दुर्भाग्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जानबूझकर विपरीत रवैया अपनाया है और हमें आशा है कि भारत ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनेगा ...।

उपाध्यक्ष महोदय : समूची अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा न कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं केवल यह बता रहा हूं कि इस सदन को मेरा संशोधन क्यों स्वीकार करना चाहिए। अपने निकट पड़ौसियों के साथ भी भारत के सम्बन्ध तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं।

पश्चिमी एशिया को लीजिए, सऊदी अरब के राजकुमार फहद ने पश्चिम एशिया और इजरायल के सम्बन्ध में एक शांति प्रस्ताव रखा है। हमें इन सब पर चर्चा करने की आवश्यकता है। खासतौर पर इजरायल की कड़ी भर्त्सना करने की आवश्यकता है क्योंकि इस सदन ने रंगभेद—विरोधी विधेयक पारित किया है। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र भी इजरायल के यहूदी राज्य को एक जातिवादी राज्य के रूप में मानता है।

इस सभा द्वारा पारित रंगभेद विरोधी विधेयक की अनुसूची का आर्टिकल तीन भारत में अन्य देशों के उन प्रतिनिधियों पर भी लागू होता है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार होते हैं अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि से बम्बई स्थित इजरायल के वाणिज्य दूत को गिरफ्तार किया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए और इजरायल के वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया जाए।

अंत में, मैं एक और महत्त्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा जो यह है कि इंटरनेशनल एम्येचिर एथलेटिक फेडरेशन ने कथित रूप से इजरायल को एशियाई जोन से यूरोपीय जोन को ले जाने

ने मना कर दिया है जब तक कि राजनीतिक समस्याएं हल न हो जाएं। इसके भूतपूर्व प्रेजीडेंट ने यहां तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र भी इजरायल के, नई दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों के भाग लेने के अधिकार को नहीं छीन सकता। इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये और कुछ ऐसे ही और मामले हैं। जिन पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्पूर्ण सत्र में ही छाए रहे हैं। इसलिए उन्हें अब कुछ आराम कीजरूरत है। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए जिस पर विदेश मंत्री ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा मेरे संशोधन स्वीकार करे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, जहां तक मुझे समल दिए जाने का सम्बन्ध है, आपकी नियम 290 के अंतर्गत कुछ सीमाएं है, जैसा कि प्रोफेसर मधु दण्डवते ने कहा है। अतः जब तक मेरा समय समाप्त नहीं हो जाता आप मुझे बैठने के लिए न कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अपनी बात संक्षेप में कह देते हैं और यह भी कि श्री वेंकटसुब्बय्या को समझाना कठिन नहीं होता। आप तो यह कार्य एक मुस्कान मात्र से कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तो तमिलवासियों का एक सहज गुण है। अर्थात् वे अपनी बात संक्षेप में कह देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे 'साहसम्' कहा जाता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 'वीर साहसम' नहीं।

कल सरकारी पक्ष की ओर से, सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने इस सदन में वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट के बारे में एक अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाया। मैं वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट पर चर्चा किए जाने के लिए बार-बार मांग करता रहा हूं। मंत्री जी कहते रहे हैं, 'हां, हम इस पर विचार करेंगे। संसद में चर्चा हुए बिना कोई सदस्य उठ खड़ा होता है और उस रिपोर्ट को पढ़े बिना उसके बारे में गलत थोथे और आधारहीन आरोप लगाता है। वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बारे में एक नियमित जांच कराए जाने की मांग करता रहा हूं। मैं जनवरी, 1980 से इस पर संसद में चर्चा किए जाने की मांग करता रहा हूं लेकिन उन्होंने मेरी उस मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को कार्य मंत्रणा समिति के पास वापस भेज दिया जाए ताकि वे इसमें वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट के बारे में चर्चा किए जाने को भी शामिल कर सकें।

दूसरे, हमारे साथ धोखा हुआ है—मुझे सख्त शब्द प्रयोग करने का अफसोस है। हमें बताया गया था कि मीनाक्षीपुरम के सम्बन्ध में चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि सरकार गलत कदम रखते ही पकड़ी गई। मैं इसके लिए अलंकारिक भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। उनके सभी मंत्री श्री वेंकटसुब्बय्या के अतिरिक्त, गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देते रहे जिनसे हरिजनों के प्रति उनका रवैया क्या है--यह स्पष्ट होता है। (व्यवधान) श्री वेंकटसुब्बय्या

के अतिरिक्त सभी मंत्रियों ने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं और श्री वेंकटसुब्बय्या ने ही ठीक वक्तव्य दिया है (व्यवधान)। महोदय, मैं सुझाव देता हूं कि सभा को इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए। इस बात को लेकर भी यह रिपोर्ट वापस कार्य मंत्रणा समिति को भेज दी जानी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यह प्रतिवेदन वापस कार्य मंत्रणा समिति को भेजा दिया जाए। मेरा पहली बात विश्वबैंक द्वारा भारतीय रेलवे सिस्टम को उनके नियंत्रणाधीन किए जाने के बारे में है। इस विषय पर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं दी थीं और इस पर चर्चा उठाने का प्रयास किया था परन्तु दुर्भाग्य से हमें चुप कर दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार सितमगर के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में छपे समाचार से अवगत है जिसमें वे सभी शर्तें बताई गई हैं जिन्हें अब विश्वबैंक भारतीय रेलवे पर लागू करना चाहता है। शर्तें ये हैं"'।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य ने इस समाचार को देख लिया होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह एक महत्त्वपूर्ण बात है जिसका सभा को पता होना चाहिए जिससे सदस्य इस मामले की महत्ता से अवगत हो जाएं और मंत्री महोदय को इस विषय पर चर्चा के लिए राजी करा सकें। इसलिए, मैं उन शर्तों का उल्लेख करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शर्तें बहुत अधिक हैं। मैंने भी उस समाचार को देखा है और उन सभी शर्तों का उल्लेख करने में बहुत अधिक समय लगेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ; शर्तें निम्नलिखित हैं : (1) धातु से इत्तर वस्तुओं सहित आई० बी० एम० या आई० बी० एम० कम्पीटेबल संगणक की विदेशों से खरीद, (2) ढुलाई भाड़े की दरों में प्रतिवर्ष वृद्धि, (3) इन सेवाओं पर आने वाले पूरे खर्च की दृष्टि से दूसरे दर्जे के किराए सहित यात्री किराया दरों में भारी वृद्धि, (4) उपनगरीय सीजन टिकटों का अधिक मूल्य, (5) रेलवे के निगमित ढांचे में सुधार, (6) रेलवे के जोन और डिवीजन स्तर के ढांचे में परिवर्तन तथा नए ढांचे की रूपरेखा का प्रस्ताव, (7) रेलवे संचालन के वाणिज्यिक पहलू को अधिक महत्त्व दिया जाना, (8) रेलवे बोर्ड में सदस्य (वाणिज्य) के लिए एक नए पद का बनाया जाना, (9) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के सदस्यों की पदावधि अपेक्षाकृत लम्बी होनी चाहिए, (10) रेलवे में लगी पूंजी पर दिए जाने वाले लाभांश सहित प्रत्यक्ष खर्च के लिए प्रत्येक रेल-सेवा को भुगतान करना चाहिए, (11) माल भाड़े की दरों का पुनवर्गीकरण, (12) मुख्य आदानों को सम्मिलित करते हुए भाड़े की दरों में बढ़ी हुई लागत को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि भाड़े की दर मंहगाई के हिसाब से स्वतः ही बढ़ जाएगी, (13) प्रशुल्क इतना होना चाहिए कि लगी हुई पूंजी पर कम से कम 10 प्रतिशत की प्राप्ति हो जाए, (14) रेलवे को पूंजीगत विकास व्यय के लिए अपने राजस्व में से कम से कम 40 प्रतिशत का योगदान करना चाहिए, (15) मूल्यह्रास व्यय के रूप में आस्तियों के कुल मूल्य

का 4·7 प्रतिशत की दर से हिसाब लगाया जाना चाहिए, (16) विकास आरक्षित निधि में अपेक्षाकृत अधिक धनराशि दी जानी चाहिए, (17) लागत सम्बन्धी जानकारी का और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और लागत प्रबन्ध का क्षेत्र और व्यापक बनाया जाना चाहिए, और (18) रेलवे में कार्यकुशलता को उसी स्तर पर बनाए रखना होगा जो स्तर 1976-77 में प्राप्त किया जा चुका था।

उपरोक्त शर्तों से स्पष्ट होता है कि विश्व बैंक भारतीय रेलतंत्र को स्वयं चलाना चाहता है। इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन प्रत्येक ऐसी बैठक में, जिसमें विश्वबैंक से भेजे गए इन प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है, विश्वबैंक के पक्ष की वकालत करता है। इससे एक गंभीर प्रश्न पैदा होता है। इस क्षेत्र में कुल राशि 700 करोड़ रुपए है। भारतीय रेलों और भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य इस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। इस सभा में मैंने पहले उन शर्तों के बारे में चर्चा की थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोस पांच हजार करोड़ रुपए का ऋण देने के सम्बन्ध में लगाना चाहता था और अब सरकार इतनी राशि को अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सी से लेने का प्रयास कर रही है। अतः मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सहमत हो।

दूसरे, मैंने विभिन्न कम्पनियों में नियुक्त उन कर्मचारियों की दशा के बारे में एक मुद्दा उठाया है, जो एशियाई खेल के सिलसिले में आ रहे हैं और जिन्हें हम अगले वर्ष नियुक्त करना चाहते हैं। यहां फिर इस सदन में विचार-विमर्श करने का मुद्दा था। हमने यह देखने का प्रयत्न किया कि क्या हम विभिन्न प्रस्तावों द्वारा, जिन्हें हम दे सकते हैं, विचार-विमर्श कर सकते हैं। हमने अनेकों ध्यानाकर्षण सूचनायें, स्थगन प्रस्ताव दिये और सब किया किन्तु वास्तव में अध्यक्ष महोदय ने उन्हें नहीं सुना। गत तीन सप्ताह से सरकार को विचार-विमर्श करने के लिए राजी करने का प्रयत्न करते रहे किन्तु सरकार विचार-विमर्श करने को राजी नहीं हुई। संसदीय कार्य मंत्री को ध्यान होगा कि आज से एक पखवाड़े पूर्व मैंने इस अत्यावश्यक विषय पर जिसमें हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा, विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रश्न उठाया था। इसके अलावा, जो कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं, उनकी दशा अवर्णनीय है। उनमें से अनेकों व्यक्ति ऐसे स्थानों से बंधुआ मजदूर के समान लाये गये जहां के संसदीय कार्य मंत्री हैं यथा आंध्र प्रदेश तथा देश के और भी अन्य भागों से लाये गए हैं। शोषण का तरीका देखिए जिसके वे शिकार हुए हैं। कुछ सप्ताह पूर्व वे कर्मचारी राहत पाने के लिए प्रधान मंत्री की कोठी पर गये। मुझे इस तरह कहना चाहिए कि वे राहत पाने की आशा से गए थे किन्तु प्रधान मंत्री की कोठी से उन्हें आंसू गैस मिली। आंसू गैस और लाठियों की मार के साथ उनमें से कुछ को बन्दी बनाया गया है उन्हें वहां से भगा दिया गया। जहां एशियाई खेलों के निर्माण का कार्य चल रहा है, वह स्थान कांटेदार तारों से घेर दिया गया है जिससे कि कोई भी इन कर्मचारियों तक न जा सके और न उन से बात कर सके। जहां उन्हें बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया है वहां से उन्हें जाने की भी इजाजत नहीं है।

अतः महोदय, इस संसद की ठीक नाक के नीचे यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है। एक ओर तो हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है और दूसरी और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए, महोदय, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अगले सप्ताह के दौरान इस सदन में इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, मैं बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में श्री बनातवाला की चिंता का अहसास करता हूं। वह यहां इस पर विचार-विमर्श करना चाहते थे। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस पर विचार-विमर्श किया गया था। वहां इस बात पर मतैक्य था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया जायेगा। विदेश मन्त्री से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है और इसका प्रबंध हो जाएगा तथा इस प्रस्ताव के बारे में इस सदन में विचार-विमर्श किया जा सकता है। **(व्यवधान)**।

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी ने ठीक ही कहा था। वह केवल वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट पर विचार- विमर्श करने के इच्छुक थे जिसका कारण उन्हें ही ज्ञात है। इसका कारण हम दोनों को पता है। महोदय, इस रिपोर्ट में इस सदन में आंशिक विचार-विमर्श किया गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इस पर विचार-विमर्श किया गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस पर कभी विचार-विमर्श नहीं किया।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर मतैक्य था कि विचार-विमर्श के लिए इस मामले को सदन के समक्ष भी रखा जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कब ? उस दिन आपने वायदा किया था। मुझे पता है कि गणपूर्ति न होने के कारण विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया था।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : महोदय, हम लोगों को बहुत अधिक चिंता है और हमारे सदस्यगण इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने को ललायित हैं। श्री लकप्पा और श्री फैलीरो इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। **(व्यवधान)**।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये हमेशा उल्टी बात कहते हैं। यह इनकी आदत है। इनके पूरे आदमी यहाँ नही थे।

श्री पी० वेंकटसुबब्य्या : महोदय, परिवर्तन के बारे में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था और इस विषय पर मतैक्य पाया गया था कि विचार-विमर्श के लिए इस मामले को सदन के समक्ष समुचित ढंग से रखा जाए।

महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा था कि भारतीय रेल विभाग विश्व बैंक अथवा अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि के आश्रित है अथवा उनके आदेशानुसार कार्य करने को वाध्य हैं किन्तु मैं माननीय सदस्य तथा इस सदन को कह सकता हूं कि हमारी प्रभुसत्ता और अखंडता अक्षुण्ण वनी रहेगी । हमारी प्रधान मंत्री ने यह वार-वार कहा है कि हम उन शर्तों को कदापि नहीं मानेगें जिनसे हमारे देश की प्रभुसता और अखंडता को चोट पहुंचती हो । महोदय, मैं माननीय सदस्य से केवल यह निवेदन करूंगा कि अभी हाल में हम लोग रेलवे मंत्रालय के अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर विचार-विमर्श करने जा रहे हैं और उस समय इस विषय पर चर्चा की जा सकती है । जहाँ तक कर्मचारियों की दशा का सम्वन्ध है, उन्होंने स्वयं ही कहा है कि इस मामले को अध्यक्ष को सौंप दिया गया है और अध्यक्ष उस प्रक्रिया के वारे में विचार कर रहे है जिससे इस मामले पर चर्चा की जा सकती है । अतः यह मामला अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है किन्तु मैं माननीय सदस्य की भावना को कार्य मंत्रणा समिति तक पहुंचा दूंगा ।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अपने संशोधन वापिस लेने का अनुरोध करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वनातवाला, क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री जो. एम. बनातवाला – महोदय, माननीय मंत्रीजी के इस विशेष आश्वासन पर कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के वारे में विचार-विमर्श किया जायगा, मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की बात सदन पर छोड़ता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन सदन से वापिस लेने की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, आप क्या चाहते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी—महोदय, वैधलिंगम समिति की रिपोर्ट के वारे में विचार-विमर्श करने के वारे में उन्होंने कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया है । यह सदन में दो वार पेश किया गया किन्तु हर वार उनके दल के सदस्य भाग गये । उन्हें पक्का वायदा करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पक्का आश्वासन कैसे दे सकते हैं ? तारीख का फैसला तो कार्य मंत्रणा समिति को करना पड़ेगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैंने इतने सारे शब्दों है कहा है कि हमारे सदस्यगण इस पर विचार-विमर्श करने को आतुर हैं···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपका मकसद पूरा हो गया है । क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे ?

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : जी हाँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस की क्या राय है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैं मंत्री जी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूं । विश्व बैंक के मामले पर अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुश्किल से लगभग एक घन्टे का समय दिया जाता है । थोड़े समय में हम विश्व बैंक के बारे में कैसे विचार-विमर्श कर सकते हैं ? मैं बार-बार के विवरणों से भी प्रभावित नहीं हूं जिनके बारे में प्रधान मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिये जाने की आशा की जाती है कि वह इस बारे में क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं करना चाहती है । रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विश्व बैंक की सहायता से स्थिति संभाले हुए हैं । वह हमारे रेलवे बोर्ड का हमारा अध्यक्ष है और आप प्रधान मंत्री का हवाला दे रहे हैं । यह मामला इतना गंभीर है कि इसे अनुपूरक अनुदानों की दो घन्टे की बहस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ।

श्री पी०बेंकटसुब्बय्या : जिसके बारे में प्रधान मन्त्री निर्णय लेती हैं, वही सरकार की नीति होती है और जो आप या मैं कहते, हैं उसका कोई महत्व नही रह जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं महोदय, यदि उनका ऐसा रुख है तो मैं इसे किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं आपके संशोधन पर सभा में मतदान करा लेता हूं ।

संशोधन सभा में रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से जो 2 सितम्बर 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव पारित हुआ ।

टिकट घर और छोटा सा प्रतीक्षालय वहां पर बने हैं जहां काला घाट ताप बिजली परियोजना के लिए कोयला लेजाने के लिए नयी रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। अब यात्रियों को निर्माण कार्य के कारण टिकट खरीदने में परेशानियां होंगी।

बस स्टेण्ड एक नयी जगह में ले जाया गया है जिसके लिए स्टेशन में ऊपरी पुल का विस्तार जरूरी है। स्टेशन परिसर में वर्तमान टट्टी घर और शौचालय का प्रबन्ध अपर्याप्त और अस्वास्थ्य कर है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मछेड़ा स्टेशन की समस्याओं पर विचार करे तथा स्टेशन का विस्तार करे और आधुनिक बनाये।

(तीन) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा श्रम दिवसों की हुई हानी मजूरी, लाभ और मूल्यों के बारे में किये गये अध्ययन की रिपोर्ट

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान की एक अध्ययन रिपोर्ट ने विवादास्पद हड़ताल विरोधी अध्यादेश के समर्थन में सरकार द्वारा दी जा रही तमाम दलीलों को भ्रामक और गलत साबित कर दिया है। इस अध्ययन रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि सरकार व अन्य निहित स्वार्थों के ये दावे कि "हड़तालों के कारण औद्योगिक विकास की दर में कमी आती है तथा मजदूरों के" वेतन बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है सरासर झूठ और बेबुनियाद है।

सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री प्रो• कमलनयन काबरा, अनिल इत्यारा और विजय ओझा ने अपने अध्ययन के दौरान काम के दिनों की क्षति, वेतन मुनाफा और कीमतों का सामूहिक और गुणात्मक अध्ययन किया है। उनका कहना है कि हड़तालों आदि के कारण काम के दिनों की क्षति का औद्योगिक विकास की दर पर जो कुप्रभाव पड़ता है वह नगण्य है। निवेश, रोजगार तकनीकी क्षमता तथा अन्य ऐसे अनेक मुद्दे और हैं जिनका औद्योगिक विकास दर पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है।

इन विद्वानों ने हड़ताल विरोधी अध्यादेश के अर्थिक पक्ष की ही अधिक समीक्षा की है क्योंकि कहा यही जा रहा है कि यह अध्यादेश सरकार द्वारा उठाये जाने वाले मुद्रास्फीति विरोधी कदमों में से ही एक है। अध्ययन में इस दलील को एक दम बेबुनियादी करार दिया गया है कि मजदूरों का वेतन बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। उक्त विद्वानों ने आँकड़े देकर बतलाया है कि 1978-79 के दौरान मजदूरों का वास्तविक वेतन घटा है फिर भी मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है। उनका यह भी कहना है कि इन वर्षों के दौरान जहां एक ओर मजदूरों का वास्तविक वेतन घटा है वहां मुनाफों, लाभांशों और सूद की दरों में वृद्धि हुई है।

अध्ययन रिपोर्ट में आँकड़े देकर बताया गया है कि 1968-75 के दौरान मजदूरों का वास्तविक औसत वेतन 1384 रुपये प्रतिवर्ष से घटकर 984 रुपये प्रति वर्ष रह गया। बाद के वर्षों में भी यहाँ क्रम जारी रहा।

अध्ययन में यह बात भी खास तौर से नोट की गई है कि यदि उत्पादक क्षेत्र में 197 -79 के दौरान कुल अदायगी का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि इस में वेतन के रूप में दिया जाने वाला अंश निरन्तर कम हुआ है तथा मुनाफों, लाभांश व सूद के रूप में दिया जाने वाला अंश बढ़ा है ।

अध्ययन में इसी दौरान की एक और दिलचस्प बात सामने आई है । वह यह कि, जब कभी भी कुछ अदायगी में मजदूरों के वेतन वाला अंश बढ़ा है तो कीमतें नहीं बढ़ी हैं । इसके विपरीत मुनाफे या लाभान्शों में वृद्धि होने का सीधा प्रभाव थोक मूल्यों के सूचकांक पर वृद्धि के रूप में दिखाई दे जाता है ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, वेतन कम होने से आम उपभोक्ता वस्तुओं की माँग घटती है जिससे क्षमता के उपयोग में कमी आती है, उत्पादन कम होता है तथा कीमतें बढ़ जाती है ।

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि, यदि मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना है तो मजदूरों के वेतन और उनके अधिकारों पर चोट करने वाली नीतियां कारगर साबित नहीं होंगी, इसके लिए तो वही नीतियां कारगर साबित हो सकेंगी जिन्हें बनाते समय बढ़ते मुनाफों और लाभांशों को ध्यान में रखा गया हो ।

(चार) तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में चमड़े के कारखानों के निस्सारी जल का उपयोग

*श्री एस० मुरुगैयन (तिरुपत्तूर) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक बहुत महत्व पूर्ण विषय के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं जो तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले की चमड़ा फेक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी के उपयोग के बारे में है ।

तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में 264 चमड़े की फेक्ट्रियां है । इन फेक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से उपजाऊ जमीन को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, इसके अलावा वहां पालार नदी का पीने का पानी भी दूषित हो रहा है । एक तरफ इससे कृषि उत्पादन में कमी हो रही है तो दूसरी तरफ लोगों को पीने का शुद्ध पानी नही मिल रहा है । इस गम्भीर समस्या का हाल ढूंढने के लिए भारतीय चमड़ा निगम 50 लाख रुपये की धन राशि से दूषित पानी की व्यवस्था करने के लिए अलग संगठन बनाने की योजना बना रहा है, अनुमान है कि इन फेक्ट्रियों से प्रतिदिन 15,00,000 गेलन दूषित पानी निकलता है । भारतीय चमड़ा निगम के इस प्रयास से ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत याद आती है ।

इससे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी जुड़ा है, केन्द्र को चमड़ा निर्यात से प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये की आय होती है । जल प्रदूषण के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड है । इस बारे में एक केन्द्रीय

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

कानून भी है । फिर भी चमड़ा फेक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से होने वाले प्रदूषण से निबटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए । केवल 47 फेक्ट्रियों ने दूषित पानी को साफ करके बाहर निकालने की मशीनें लगायी हैं । इस बारे में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय कानून लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए । तमिलनाडु सरकार सोचती है चूंकि केन्द्र को इससे 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हो रही है, इसलिए इस बारे में सारा दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा सभी चमड़ा फैक्ट्रियों में दूषित पानी को शुद्ध करने की मशीनें लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिएं । यदि जरूरी हो तो केन्द्र को इसके लिए अनुदान देना चाहिए । केन्द्र को विदेशी मुद्रा कमाने के लिए लोगों की जिन्दगी के साथ हेरा-फेरी नहीं करनी चाहिए । चमड़ा फेक्ट्रियों के उत्पादन को प्रभावित किए बिना केन्द्र को ऐसे दूषित पानी से होने वाले प्रदूषण को रोकने की नीति लागू करनी चाहिए ।

(पांच) बिहार के वैशाली जिले में पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि होना

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्दर अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

बिहार का वैशाली अिला जहां से मैं चुनाव जीतकर आया हूं, में पुलिस जुल्म चरम सीमा पर है । इन्सान एवं गरीब का जानमाल बिल्कुल असुरक्षित हो गया है । पुलिस द्वारा गरीबों पर जुल्म ढाना, उनके घर को उजाड़ना आम बात हो गई है । दिनांक 12.8.81 की शाम को हाजीपुर नगर में पुलिस द्वारा एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसे बेरहमी से पीटा गया । थाने पर ले जाकर बूट से उसके छाती एवं पेट को इतना कुचला गया कि वह बेचारा वहीं दम तोड़ गया । मैं स्वयं वहाँ से (घटनास्थल) होकर आया हूं । दिनांक 31.8.8 को इस जुल्म के विरोध में विशाल आम सभा हुई । एक स्वर से लोगों ने दोषी पुलिस अधिकारी के मुअत्तल एवं घटना की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराने की मांग की । स्थिति विस्फोटक है । यदि सरकार ने अविलम्ब वहां के पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर वहां से नहीं हटाया तो किसी भी क्षण अप्रिय घटना घट सकती है ।

दूसरी घटना वैशाली जिले के ही विदूपुर प्रखण्ड की है, जहां अधिकारियों ने सशत्र पुलिस की मदद से विगत बीस वर्षों से बसे चालीस परिवार हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी जमीन से उजाड़ दिया । जिस जमीन पर बसे हुए थे, वह एक सरकारी जमीन है और बिल्कुल अनुपयोगी है । जिस समय उन लोगों की झोंपड़ी को उजाड़ा जा रहा था, उस समय भीषण बारिश हो रही थी । एक नवजात शिशु की मां को पुलिस द्वारा इस बेरहमी से घसीटा गया कि उस नवजात शिशु की तत्काल मृत्यु हो गई । इस संबंध में घर उजाड़ने हेतु जिला अधिकारी या उच्च अधिकारी का आदेश भी नहीं था ।

सरकार से मांग है कि उजाड़े गए गरीबों को फिर से बसाया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए ।

इसी तरह वैशाली जिले के ही जन्दाहा में पुलिस जुल्म चरम सीमा पर है और पुलिस जुल्म के खिलाफ 5.9.81 को जन्दाहा के मजदूर किसान एवं व्यवसायीयों ने बाजार बन्द रखने का निर्णय किया है ।

अतः सरकार से माँग है कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बिहार सरकार को निर्देश दे ।

(छ) कन्याकुमारी जिले के समुद्री तट पर समुद्र से भूमिकटाव को रोकने के लिए दीवार बनाने के लिए कदम

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : हाल में कन्याकुमारी जिले के समुद्र तटों के विभिन्न क्षेत्रों में समुद्र से भूमि का कटाव हुआ है जिसके कारण गरीब मछुओं को भारी हानि तथा क्षति पहुंचती है । तूफानी समुद्र से अनेक मकान बह गए हैं । उनकी मतस्य नौकाओं तथा जालों को तूफानी समुद्रों का सामना करना पड़ा । समुद्र का जल मुख्य भूमि के अन्दर घुस आया है और मुख्य भूमि के हिस्सों को भी डुबो दिया है । हाल के वर्षों में ये घटनायें लगातार होती रही हैं । हम जिले के प्रभावित कुछ क्षेत्रों में समुद्र के कारण भूमि कटाव रोकने के लिए दीवारें बनाई गई हैं । किंतु इन दीवारों का निर्माण उस प्रकार नहीं किया गया है जिस प्रकार कि केरल के कुछ प्रभावित क्षेत्रों में किया गया है जिसमें समुद्र के अन्दर पत्थरो को एक सीध्र से इकट्ठा करके लगाया गया है । अतः कन्याकुमारी जिले में मानसून के मौसम के दौरान तेज लहरों तथा समुद्र के कारण भूमि कटाव को रोकने हेतु दीवारों के न होने से मछुओं के जान और माल को क्षति पहुंची है और उन्हें भी आई हैं । यहां पर मानसून मौसम में मछली पकड़ने का काम बड़े पैमाने पर होता है । अतः मछुओं को काफी हानि पहुंची है क्योंकि वे अपनी मत्स्य नौकाओं को काम में नहीं ला सकें और वे मछली पकड़ने के मौसम में वे मछली नहीं पकड़ पाए हैं । अतः सरकार को इस जिले के उन स्थानों पर जहां समुद्र के कारण भूमि कटाव को रोकने के लिए दीवारें खड़ी की गई है आधार स्ट्रक्चर उपलब्ध कराने हेतु जिससें कि मछुओं को अपनी मत्स्य नौकाओं का उपयोग करने में सुविधा रहे, तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए और सरकार को इस जिले के ऐसे स्थानों पर, जहां इनका निर्माण अभी तक नहीं किया गया जो समुद्र के कारण भूमिका कटाव रोकने के लिए समुद्र के अन्दरूनी हिस्से में पत्थरों को सीधा खड़ा करके दीवारों का निर्माण करना चाहिए, जैसा कि केरल में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक नियम 377 के अन्तर्गत मामलों का सम्बंध है, माननीय सदस्यों को वही पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने लिखित रूप में दिया है । यदि कोई माननीय सदस्य उसके अलावा कुछ पढ़ता है, तो उसे कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जाएगा । अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे वही कहें जो उन्होंने लिखित रूप में कार्यालय को दिया है ।

(सात) कपास की खड़ी फसल को बचाने और लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नहर में पानी का बहाव बढ़ाने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : राजस्थान नहर 18000 क्यूसेक की क्षमता की नहर है। लेकिन इस समय राजस्थान नहर में 2500 क्यूसेक्स पानी ही चल रहा है। इतनी बड़ी नहर में यह पानी नहीं के बराबर है। इस नहर पर बोई हुई फसलें प्रायः नष्ट हो चुकी हैं। फिर भी कुछ फसलें बची हुई हैं। उसके लिये केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके राजस्थान नहर में पर्याप्त पानी चलाने के आदेश सम्बन्धित सरकार को दे ताकि करोड़ों रुपयों की चावल और काटन की फसल बच सके। वरन् राष्ट्र में इस भारी क्षति से अन्न की कमी आयेगी। सरकार को इस बात का ध्यान होना चाहिये कि राजस्थान का यह क्षेत्र अधिकतम कपास उत्पादक क्षेत्र है और इस समय कपास और चावल की फसल खड़ी है। अतः इस क्षेत्र के किसानों और देश के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री इस पर बी० बी०एम०बी० से पानी दिलाने की तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश देने का कष्ट करें। केन्द्रीय सरकार कपास का निर्यात तक कर रही है, अतः इस सम्बन्ध में राजस्थान और पंजाब के मंत्रियों की तुरन्त मीटिंग बुलाकर पानी के इस अभाव को दूर किया जाय।

राजस्थान नहर द्वारा इस क्षेत्र को जो पीने का पानी मिलता था वह गत एक मास से नहीं मिल रहा है जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो गई है और जनजीवन और पशु-जीवन खतरे में पड़ गया है। अतः शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान नहर में पानी की इस कमी को पूरा किया जाय।

(आठ) उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत-उपाय

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : मिर्जापुर, वाराणसी तथा सभी उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में सूखे की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रारम्भ में अवर्षण के कारण खरीफ की बुवाई पूरी नहीं हो सकी। जो फसल बोई हुई है वह सूख गई है। बांधों में पानी की कमी के कारण फसल को बचाना कठिन हो गया है। मवेशियों के लिये चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लाखों किसानों तथा खेत मजदूरों में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। सूखे का मुकाबला करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सूखा क्षेत्र में अधिकतम घन्टे बिजली की आपूर्ति करके नलकूप तथा लिफ्ट नहरें चलाई जांय। लोगों को रोजगार देने के लिये राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये जांय तथा आगामी महीनों में पेय जल का भी संकट उत्पन्न होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए पेय जल योजनाओं के काम में तेजी लाई जाय। सरकारी देयों की वसूली में सख्ती न बरती जाय। प्रदेश के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूखा समस्या के स्थायी समाधान के लिये योजना बनाई जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को उचित निर्देश तथा सहायता प्रदान करें।

(नौ) शिवपुरी, मध्य प्रदेश में पुलिस कैम्प में रखी गयी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में रिपोर्ट प्राप्त होने के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की स्वीकारोक्ति

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि शिवपुरी के पुलिस खेमों में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में उन्हें एक रिपोर्ट मिली है बहुत ही शर्म तथा खेद की बात है।

यदि कानून और व्यवस्था के रक्षक ही ऐसे घिनौने अपराध करते हैं और इनसे बच निकलते हैं तब तो अपराधी लोग भी आसानी से मुक्त हो सकते हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि पास के एक गाँव में पुलिस खेमों में अनेक महिलाओं को 18 दिन तक रोके रखा गया और यहाँ तक कि उनकी 'नंगी परेड' कराई गई। यदि यह सच है तो इस बात का सन्देह है कि पुलिस दल में कुछ अपराधी सक्रिय हैं।

पुलिस के उच्चाधिकार का रवैया तब सामने आये जब दिल्ली के पुलिस माया त्यागी के साथ किए गए व्यवहार को उचित ठहराया और कहा कि डकेत किसी अच्छे व्यवहार के पात्र नहीं हैं। यदि पुलिस विभाग में उच्चतम अधिकारियों के ऐसे विचार हैं तब इस बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कान्स्टेबल तथा निचले पद के लोग जिस ढंग से उचित समझें व्यवहार करें।

पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने, जैसा कि माया त्यागी अथवा मोदीनगर के कपड़ा मजदूरों की गृहणियों के मामले में हुआ है, सरकार की विफलता से पुलिस जनों के बीच यह बात घर कर जाएगी कि सरकार पुलिस द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किए जाने पर आँखें मूंदे रहना चाहती है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल तथा ठोस कार्यवाही करें, जो भविष्य के लिए एक सबक हो।

(दस) बिहार के शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर अस्वच्छता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, शेखपुरा रेलवेस्टेशन, जिला मुंगेर बिहार बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जहां विश्राम घर है वहीं पर एक खुला हुआ शौचालय है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमारी का घर है। गंदगी का अंबार चारों ओर लगा रहता है। सारे समय यात्रियों को मल-मूत्र के बीच ही रहना पड़ता है। शेखपुरा मुंगेर जिला में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूं कि द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय स्थित शौचालय को अन्यत्र हटाया जाए एवं साथ ही साथ स्टेशन के बाहर की

गंदगी को समाप्त करने के लिए बाउंड्री वाल (दीवाल) का निर्माण किया जाए । नहीं तो सैकड़ों लोगों को महामारी का शिकार होना पड़ेगा ।

(ग्यारह) भिखारियों को रोजगार देकर उनकी स्थिति सुधारने के लिए उपाय

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 33 वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी आज भी देश के लाखों व्यक्ति भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । रेलवे स्टेशनों, बस स्टापों और बड़े तथा छोटे शहरों में उनकी संख्या को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आतंकित हो जाता है । जब भी हम किसी विदेशी पर्यटक को चिथड़ों में लिपटे भारतीय भिखारियों से घिरा देखते हैं तभी हमारी 34 वर्षों के तथा कथित सामाजिक तथा आर्थिक विकास की वास्तविकता नग्न रूप में सामने आ जाता है और हमारा सिर शर्म से झुक जाता है ।

सरकार को चाहिए कि वह इन लाखों व्यक्तियों को जिन्होंने भिक्षावृत्ति को अपनाया है, सहायता प्रदान करे, ताकि ये लोग सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके और देश के अच्छे नागरिक बन सकें । भिक्षा की विभीषिका को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिएं । जब तक सरकार इस जन-शक्ति को उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों में नियोजित करने की एक निश्चित योजना नहीं बनाती, तब तक यह विभीषिका और अधिक भीषण होती जाएगी और भारत की प्रतिष्ठा कम होती जाएगी ।

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह समाज के इस वर्ग को, जो कि भिक्षावृत्ति में लगे हैं तथा पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सम्माननीय जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने में तथा आगामी पीढ़ियों को इस विभीषिका से बचाने के लिए उपाय करे और इस संबंध में कानून भी बनाए ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब हम अगले विषयों पर विचार करते हैं, विषय 11 तथा 12 इसके लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है । डेढ़ घंटे से ज्यादा समय हमने पहले ही बिता दिया है । दो तथा तीन वक्ता और हैं, दो विपक्ष के और एक सत्तारूढ़ दल का है । मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे तीन या चार मिनट से ज्यादा का समय न लें । हमें 3 30 बजे तक विधेयक पर चर्चा पूरी करनी है । अब मैं श्रीमती प्रमिला दण्डवते को बुलाता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह विधेयक का दूसरा वाचन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप सभी सहयोग करेंगे । श्री रामावतार शास्त्री हमेशा ही मेरे मित्र हैं ।

———

सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक

श्रीमती प्रतिभा दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वसंत साठे जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। रोज-रोज हमारी ओर से आलोचना सुनते हैं, हमें करनी पड़ती है- आज उन्होंने धन्यवाद देने का मौका दिया है। मैं फीसदी धन्यवाद तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी यह जो प्रयास है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक करोड़, 25 लाख लोग रोजाना पिक्चर देखते हैं। इतना प्रभावशाली माध्यम है। अगर सरकार चाहती तो इसके जरिए समाज में पूरा परिवर्तन कर सकती थी। जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, एक नया समाज बनाना चाहते हैं, शोषण विहीन समाज बनाना चाहते है और उसके अनुरूप लोक धारणा, मानसिक धारणा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिल्में सर्वोत्तम माध्यम सिद्ध हो सकती है। कोई और इतना अधिक प्रभावशाली माध्यम इसके लिए आपको नहीं मिल सकता है सिवाय फिल्मों के नैशनल इंटेग्रेशन लाने में भी फिल्में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण के लोगों में जहां हिन्दी का विरोध हुआ करता था वहां पर आज हिन्दी पिक्चर्ज बहुत पापुलर हो रही है। हिन्दी पिक्चर्स की कापियां भी वहां बनने लगी हैं। इसका साफ मतलब है कि फिल्में बीहिक्ल फार नैशनल इन्टेग्रेशन भी हो सकती हैं। इस माध्यम के बारे में इतने सालों के बाद जो आप सोचने का काम कर रहे हैं यह अच्छा काम है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

हमारे देश में सुन्दर-सुन्दर पिक्चर्स भी बनती हैं और गन्दी भी बनती हैं। कहा जाता है कि समाज में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनके लिए भी फिल्म इण्डस्ट्री बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसा सोशल थिंकर्ज का विचार है और दूसरे लोगों का भी विचार है। साथ ही इस क्षेत्र में एक्सप्लायटेशन भी बहुत भारी होता है। कोई कोई तो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 32-32 लाख रुपया एक पिक्चर का लेते हैं। फिल्म इण्डस्ट्री में मेरी भी दिलचस्पी है। मैं फिल्में देखती हूं, मैगजीन पढ़ती हूं। मैंने पढ़ा है कि 32-32 लाख रुपया एक-एक आर्टिस्ट एक-एक पिक्चर का लेता है। दो तीन या छः सात लाख लेना तो मामूली बात है। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब उनके पास कुछ नहीं रहता। जो आर्टिस्ट व्यावहारिक रूप से जिन्दगी नहीं बिताते ऐसा भी देखने में आया है कि आगे चल कर वे पापर बन जाते हैं। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होशियार लोग भी बन गए हैं। उन्होंने इनवैस्टमेंट पैसे का करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इंडस्ट्री, कारखाने आदि भी चलाने शुरू कर दिए हैं। इटली आदि में उन्होंने अपने होटल भी खोल रखे हैं। आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं है। अगर किसी की हालत फिल्म इण्डस्ट्री में खराब है तो वह टैक्नीशियंस की है, एक्टर्ज की है। उनके बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिए।

मंत्री महोदय ने एक पिक्चर पर एक प्रोड्यूसर से एक हजार रुपया लेने की बात कही है। मैं समझती हूं कि यह बहुत कम है। एंटरटेनमेंट टैक्स न लगता हो तो यह भी न लेने की शायद बात उन्होंने कही है। मैं नहीं समझती हूं कि इस तरह के कैसेशन देने की कोई जरूरत

है । सर्टिफिकेट देते समय एक हजार फी लेने की व्यवस्था की गई है । इससे इनमें काम करने वालों को जरूरत पड़ने पर राहत पहुंचाई जाएगी । जो लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके भविष्य के बारे में हमें कुछ निर्णय करना चाहिए । मुझे तो लगता है हमारे मंत्री महोदय को कलाकारों के बीमे के लिए एक विधेयक लेकर आना चाहिए ।

जब वे इतना पैसा कमाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा इन्श्योरेंस के लिए भी उनसे लिया जाना चाहिए ताकि जब उनके पास कोई काम न हो तो उस पैसे से उनके वैलफेयर की व्यवस्था की जा सके ।

मैं यह भी समझती हूं कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे भी अलग से पैसा लिया जाना चाहिए । जो बड़े ऐस और आराम में रहते हैं, चमक दमक के साथ रहते है उनको अपने ही क्षेत्र में रहने और काम करने वाले गरीब आर्टिस्टों के वास्ते कुछ न कुछ करना चाहिये, जिन को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है उनके लिए कुछ करना चाहिये । यह उनका कर्तव्य भी है । काला या सफेद जो भी धन उनको मिलता है उस में से एक परसेंट उन से सरकार को लेना चाहिये ।

फिल्म उद्योग यौन-शोषण का अड्डा है ।

एक्सट्राज और एक्ट्रेसिस के बारे में हम तरह तरह की कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं । इनको पढ़ सुन कर हमें दुख होता है । इनका जो एक्सप्लायटेशन होता है इसको रोका जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिल्म स्वयं श्वेत-श्याम होती है ? हमें पता नहीं है, जो हम पढ़ते हैं । वह बता रहे हैं । उनके लिए भी कुछ करना चाहिये । जो वैलफेयर मैंशर्ज आप ले रहे हैं उस में इस एक्सप्लायटेशन को रोकने की भी आपको कोशिश करनी चाहिये । एक्सट्राज की हालत आज बहुत खराब है । जगह जगह पर स्टूडियोज के बाहर महिलाएं बैठी रहती है खुशामद करती रहती हैं और कुछ भी करने के लिए वे मजबूर होती हैं । उनके एक्सप्लायटेशन को खत्म करने के लिए वैलफेयर मैशर्ज जो हैं उन में इसको भी स्थान मिलना चाहिये ।

आप कहते हैं कि साढ़े सात लाख एकत्र होगा । यह बहुत कम है । जिन के लिए आप इस पैसे को खर्च करने वाले हैं उनके लिए इससे कुछ नहीं होगा । कैसे आप इसको खर्च करने वाले हैं इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा है । आपने यही कहा है :

संभवतः केवल सलाहकार समिति ही निर्णय करेगी । घर देंगे, तनख्वाह देंगे, कैसे आप खर्च करेंगे आपने कुछ नहीं बताया है । हमारी फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया में आज भी दूसरा नम्बर है । आपको देखना चाहिये कि इस पैसे को कैसे दुगुना और तिगुना किया जा सकता है । जैसे मैंने सुझाव रखे हैं आप करें तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है । मेरा कहना है कि फिल्म उद्योग के साथ अन्य उद्योगों जैसा वर्ताव किया जाना चाहिये । यह हमारे देश में

सबसे बड़ा उद्योग और शोषण का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अगर यह हमें करना है तो मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग उसमें काम करते हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए, कितना उनको पैसा दिया जाता है उसका रजिस्टर होना चाहिये। ऐसा अगर करेंगे तो जो उनकी बाकी सुविधायें हैं वह हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट और लेबर ऐक्ट के अन्दर देने की कोशिश कर सकते हैं। माननीय साठे जी एक जमाने में ट्रेड यूनियन लीडर थे इसलिए वर्कर्स के लिए खासकर जिनको कम पैसा मिलता है उनके प्रति उन्हें हमदर्दी होना स्वाभाविक है। आपने जो बिल रखा है वह पहला कदम है, लेकिन अधूरा है उसको पूरा करने के लिए कामप्रीहेंसिव कानून बनाने की जरूरत है मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं यह कह कर हमारी इंडस्ट्री मर जायगी। लेकिन उससे ज्यादा प्रैशर इस देश के गरीब लोग आप पर डालेंगे कि इस इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री बना दीजिए ताकि वहां काम करने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। आपने जो सोशल वेलफेयर फंड बनाया है यह अच्छा है, लेकिन इसकी रकम को बढ़ाना चाहिये। और इस अधूरे कानून को पूरा कानून बनाने का आप प्रयास करें, यही मेरा निवेदन है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, हमारे सुयोग्य सूचना मंत्री जी ने जो सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। विरोधी पार्टी के एक सज्जन ने शुरूवात करते हुए एक बात कही कि यह विधेयक मजदूर विरोधी है और दूसरी बात की कि राज्य के अधिकारों के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को चमन में हरियाली होते हुए भी नजर नहीं आती। यों देखने वाले का दोष है, दोष चमन का नहीं है। कल्याण की योजना से बनाया गया यह विधेयक है। यह हकीकत है कि इस सिनेमा क्षेत्र के अन्दर बड़े बड़े कलाकार अपने युग में कई ऐसे देखे जो उच्च स्थान पर थे, परन्तु बुढ़ापा आते ही उनकी बड़ी दयनीय स्थिति रही। डागा जी ने कल एक बात कही कि फिल्म कलाकार और राजनीतिक नेता जितने बूढ़े होते हैं, उन्होंने रंगा जी का नाम लिया, उन पर रौनक आती है। पर डागा जी ने सेन्ट्रल हाल में नहीं देखा कि जो मेम्बर नहीं रहे या मंत्री नहीं रहे उनके चेहरों की क्या हालत है। वहां जो कलाकार हैं उनके चेहरे उन्होंने नहीं देखे। यह हकीकत है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। श्रीमती दंडवते ने एक बात कही कि आज कल के कलाकारों ने अपने पैसे का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पर उन्हें मालूम होना चाहिये कि इस बिल का सम्बन्ध बड़े बड़े लोगों से नहीं है, बल्कि जो गरीब हैं और जिनकी स्थिति दयनीय है या हो गई है उनके लिये यह बिल है। यह हकीकत है कि यदि सिनेमा उद्योग को एक उद्योग घोषित किया जाता और उनको सुविधायें मिल जाती तो यह बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह लाया ही इसीलिये गया है कि उद्योग अभी तक घोषित नहीं हुआ है और कई कलाकार ऐसी गरीब हालत में है कि वह खाने के लिये मोहताज हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात तो दूर रही। हमें आशा है कि जो कलाकार रहे हैं मंत्री जी उनका अवश्य कल्याण करेंगे।

कई शंकायें खड़ी की गई कौन सी कमेटी होगी, कैसी कमेटी होगी, उसके आफिस पर इतना खर्च होगा। हमेशा कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसकी रूप रेखा तैयार होती

है । उपाध्यक्ष जी, सिनेमा क्षेत्र के अन्दर कुछ मित्र लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, अनेक लोग जो जीवन के उतारे और चढ़ाव से गुजरे हुए हैं । ऐसे बहुत से बड़े कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में । स्वर्गीय नरगिस दत्ता के बारे में भी आप जानते होंगे···उन्होंने भी एक संगठन खड़ा किया कल्याण की दृष्टि से, अशोक कुमार भी अपनी तरफ से मदद करने के कुछ प्रयास करते हैं, राजकपूर और प्राण भी करते हैं । जो पुराने व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन में उतार-चढ़ाव देखे हैं, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते हैं लेकिन सामूहिक रूप से कोई प्रयास नहीं किया गया । यह प्रयास हमारे माननीय मंत्री महोदय ने किया है, जो कि बहुत सुन्दर है ।

परम आदरणीय श्री कमलापति जी कह रहे थे, जिस दिन शुरुआत हुई, कि न सिर्फ फिल्म क्षेत्र में काम करने वालों के बारे में सोचें, जैसे रंगा जी ने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नाटक दिखाते हैं, या रास लीला, कृष्ण लीला पर रामलीला करने वाले जो कलाकार हैं उनके बारे में भी ध्यान रखें । परन्तु उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसके बारे में भी अगर मंत्री जी कोई योजना बनाये तो बहुत अच्छा है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपके आकाशवाणी के केन्द्रों में आकर अपनी जवानी के टाइम में बहुत सुन्दर-सुन्दर गीत गुनगुनाकर जनता का जन-मनोरंजक करते रहे हैं । वंसी-वादक भी रहे हैं जो अपनी जवानी में बहुत सुन्दर वंसी बजाते थे लेकिन बुढ़ापा आने पर उन लोगों को पान-बीड़ी बेचते हुए देखा गया है । ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनका आपके आकाशवाणी से सम्बन्ध रहा है, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, मेरा निवेदन है कि उनके बारे में भी आप विचार कीजिये । उनकी बड़ी दयनीय स्थिति बन चुकी है, आप देखें कि वे कौन-कौन हैं, उनके बारे में भी योजना बनाइये । ऐसे बहुत कम केसेज मिलेंगे जो कि अब भी जीवित हैं जिन्होंने अपने टाइम में बहुत सुन्दर गाया है अच्छे संगीत पेश किये है और मनोरंजन पेश किया है । परन्तु उनका बुढ़ापा आते ही न उनके स्वर में ताकत रही और न शरीर में दम रहा, वह न नाटक पेश कर सकते हैं न सुन्दर गा सकते हैं । उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । उनका भी सम्मान किया जाना चाहिये । उनकी कठिनाइयों को भी दूर करने की आवश्यकता है । न सिर्फ कलाकार की तरफ ध्यान देने की जरूरत है बल्कि कलाकार के परिवार और उनके बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है । मंत्री जी जो विधेयक ला रहे हैं, उसमें जो कल्याण की योजना बना रहे हैं उसमें उनके बच्चों को सुविधा देने के प्रयास हो सकें तो अच्छा है । फिल्म लाइन के लोगों के लिये जो आप कमेटी बना रहे हैं उसमें जो व्यक्ति लिये गये हैं वह स्वागतयोग्य हैं । उसमें सरकार के भी सुयोग्य व्यक्ति हैं । डागा जी ने तो मंत्री जी को सर्टिफिकेट दे दिया कि फिल्म लाइन की पत्रिका का उन्हें अच्छा ज्ञान है मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा किये गये प्रयासों से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी ।

मैं आशा करता हूं कि जो कलाकार रह चुके हैं, उनके लिये, उनके परिवारों के लिये और बच्चों के लिये मंत्री महोदय पूरा ध्यान रखेंगे लेकिन इसके साथ साथ रेडियो स्टेशनों के साथ जिन कलाकारों का सम्बन्ध रहा है जिन्होंने वहां अपना जीवन लगा दिया है, उनके सम्बन्ध में भी कोई ठोस योजना रखेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं हृदय से इस विधेयक का स्वागत करता हूं यह बहुत ही सुन्दर और अपने आप में पूर्ण विधेयक है । अभी तक इस उद्योग को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया है किंतु यह अच्छा प्रयास है । रासलीला, रामलीला करने वालों के बारे में भी कोई प्रयास हो और इस कमेटी को इस तरह के आदेश दे सकें जिससे कलाकारों का सम्मान हो तो बड़ा अच्छा है । इस तरह की आशा मैं मंत्री जी से रखता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के. ए. ाजन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष विचारार्थ दो विधेयक हैं, अर्थात सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक और सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष विधेयक यह एक अच्छा उपाय है । पहली बार उन फिल्म कलाकारों को, जो गरीबी की स्थिति में हैं, कुछ संरक्षण दिया गया है यद्यपि इसकी अपनी सीमाएं हैं । लेकिन मैं, प्रतिष्ठित स्टूडियोज और उद्योग के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़ी संख्या में कर्मकारों के कार्यकरण के साथ साथ उद्योग के सम्पूर्ण निष्पादन के सम्बन्ध में एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि वास्तव में उन्हें (कर्मकारों-को) किसी भी कानून के अन्तर्गत कोई संरक्षण नहीं मिलता है । इस अवसर पर मैं मंत्री जी से इस बात के लिए जोर देना चाहूंगा कि इस मामले विशेष में फिल्म उद्योग को सभी प्रयोजनों के लिए एक उद्योग घोषित किया जाना चाहिए जिससे कर्मकारों को वर्तमान कानून के अन्तर्गत सभी प्रकार का संरक्षण मिल सके ।

अब मैं उपकर विधेयक के उस खंड तीन के संबंध में कहूंगा जिस पर उत्पादन शुल्क, अर्थात फीचर फिल्मों पर लगभग 1000 रुपए के कर के संबंध में मुझे भारी आपत्ति है । सभी फीचर फिल्मों को एक ही सी लागत से नहीं बनाया जाता है । फीचर फिल्में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाती हैं । कुछ फिल्में कुछेक लाख रुपयों की लागत से बनाई जाती हैं । और कुछ फीचर फिल्में इससे भी कम धनराशि की लागत में बनाई जाती हैं । लेकिन आपने प्रत्येक फीचर फिल्म के लिए 1000 रुपए का उपकर निश्चित कर दिया है । उससे देश में कल्याणकारी उपायों का खर्च पूरा करना संभव नहीं होगा । प्रत्येक फिल्म में जो वास्तविक धन लगाया गया है उसका फिल्म के वास्तविक उत्पादन से सम्बन्ध होना चाहिए । यह मेरा अनुरोध है । आपके अनुमान के अनुसार, आपकी मन्शा 7.5 लाख रुपए एकत्रित करने की है । मैं नहीं समझता कि यह उन 1.5 लाख कर्मकारों के लिए जो अत्यन्त खराब स्थिति में हैं और जिनको कोई संरक्षण नहीं है पर्याप्त होगा । इसलिए उसे प्रत्येक फिल्म की वास्तविक लागत से जोड़ा जाना चाहिए ।

खंड 6 को पढ़कर भी मुझे आश्चर्य हुआ है । आप कुछ फिल्मों को छूट दे रहे हैं । मैंने कभी इस तरह की छूट नहीं देखी है । आप बीड़ी या सिगरेट से संबंधित किसी विधेयक को अथवा अन्य किसी विधेयक को देख लीजिए । उनमें कल्लाणकारी उपायों की खातिर इस तरह की कोई छूट नहीं है । कुछ फ़िल्मों को छूट देने के लिए इस विधेयक में खण्ड 6 को क्यों जोड़ा जाए ? इस विधेयक के सम्बन्ध में यह मेरी दूसरी आपत्ति है ।

अब मैं इसके दूसरे मुद्दों पर बात करता हूं। एक प्रश्न यह है कि जो धन इक्ट्ठा किया जाए उसे भारत की समेकित निधि में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि उसे कर्मकारों का कोई कल्याण नहीं होने जा रहा। उसके लिए आपको अलग धनराशि रखनी चाहिए। और उसका अलग खाता रखा जाना चाहिए। केवल उसी से कर्मकारों के कल्याण के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

मुझे इस विधेयक में सलाहकार समितियों से संबंधित प्रावधानों को देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ है। मुझे नहीं मालूम कितनी सलाहकार समितियां प्रस्तावित की जाने वाली हैं। क्या ये सलाहकार समितियां प्रादेशिक आधार पर या राज्य के आधार पर कायम की जाएंगी? और इन सबके अलावा आपकी केन्द्रीय सलाहकार समिति होगी। इसलिए मुझे इस बात की चिंता और आशंका है कि सलाहकार समितियां और उनके सदस्य इकट्ठा किया हुआ सारा धन खा जाएंगे। गरीब कर्मकारों को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन सलाहकार समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसकी एक समुचित रूप से जांच करने के लिए एक केन्द्रीकृत प्रणाली होनी चाहिए।

जो अन्तिम दलील मैं देना चाहूंगा वह यह है कि कल्याण निधि कोष के खंड 4 में इस बात को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि कल्याणकारी उपाय क्या होंगे। वे कलाकारों के लिए किन कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने जा रहे हैं? मैं उस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं। उसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। सलाहकार समितियां कौन से कल्याणकारी उपायों पर विचार करने जा रहीं हैं? मैं नहीं जानता।

इन सब बातों के साथ मैं पुनः एक बार आपसे इस बात पर जोर देता हूं कि खंड 3 को संशोधित किया जाना चाहिए। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। वह यह है कि जो उत्पादन शुल्क आप एकत्र करने वाले हैं, उसके साथ उत्पादन में किए गए पूंजी निवेश को सम्बन्धित किया जाना चाहिए।

अन्तिम प्रश्न खंड 2 के बारे में है जिसमें यह बताया गया है कि उस सिनेमा कर्मकार ने, जो यह लाभ प्राप्त करने का हकदार हो, कम से कम पांच फीचर फिल्मों में काम किया हो। उसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अन्य खंड के बारे में, जिसमें आपने जो पारिश्रमिक निश्चित किया है, वह पर्याप्त नहीं है। उन नैमित्तिक कर्मकारों के बारे में भी, जो इस उद्योग में कार्य करते हैं, आपने 1000 रुपए प्रतिमास का पारिश्रमिक निश्चित किया है जो कि पर्याप्त नहीं है और इसलिए इसे बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाना चाहिए। दूसरे कर्मकारों, के जिनके लिए आपने 5000 रुपए की दर से पारिश्रमिक निर्धारित किया है, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

मैं समझता हूं, कल्याणकारी उपायों के प्रयोजन से आप इन सभी बातों पर विचार करने की कृपा करेंगे।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इन दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा में भाग लिया । कुल मिलाकर दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस उपाय का स्वागत किया है । माननीय सदस्यों ने कुछ अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिया है । उनमें से कुछ को मैं स्वीकार कर रहा हूं और मैं स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें सदस्यों द्वारा दी गई सलाह और सुझाव शामिल है । मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ को स्वीकार करना, कम से कम इस स्थिति में, संभव नहीं होगा ।

एक बात जिससे हमें अफसोस होता है, वह यह है कि जब इस पर प्रथम वक्ता श्री अजीत बाग बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा उपाय है, लेकिन उन्होंने इसको राज्य सरकार के विरुद्ध बताते हुए केन्द्रीय सरकार पर बेबुनियाद, आरोप लगाए । मैं वास्तव में यह नहीं समझ सका कि यह विधेयक कैसे किसी भी रूप में राज्य सरकार के हितों के खिलाफ है ? उन्होंने केन्द्रीय सरकार की निरंकुश होने की तीखी आलोचना की है और बताया है कि इस तरह का कार्य केन्द्रीय सरकार के निरंकुश रवैये के एक और उदाहरण है । मैं उनकी बात को समझ नहीं सका । उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनी सिनेमा, सिनेमा प्रदर्शन—ये एक राज्य का विषय है ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : नहीं उन्होंने कहा कि यह केन्द्र का विषय है ।

आचार्य भगवान देव : जो बोले हैं । वह बोलें तो ठीक है । आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बसंत साठे : आप यह भी नहीं जानते । मेरे पास उनके भाषण की प्रति है । उस समय आप कहां थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा, मंत्री महोदय के पास उस भाषण की प्रति है । यदि माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं तो वह आपत्ति कर सकते हैं । आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं ? व्यर्थ आपत्ति नहीं करिए । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : संभवतः सदस्य महोदय ने इसी तरह बोला हो ।

श्री बसन्त साठे : अच्छा होता, यदि श्री बाग यहां उपस्थित होते । उनका आशय यह था कि, चूंकि यह मामला राज्य सूची के अन्तर्गत आता है, केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामले पर, जो कि राज्य सूची के अन्तर्गत आता है, कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं हैं । लेकिन यह बात सर्वविदित हैं कि जहां तक सिनेमा प्रदर्शन का सम्बन्ध है, वह राज्य विषय है । यही कारण है कि सभी फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर राज्य का विषय है लेकिन फिल्म तैयार करना और उसके लिए प्रमाण पत्र देना, यह केन्द्रीय विषय है कर्मचारियों के कल्याण का विषय समवर्ती

सूची में आता है और दोनों ही कल्याणकारी उपाय कर सकते हैं। अतः ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कल्याण उपायों के लिए किसी प्रकार का विधान लाने के लिए राज्य सरकारों को रोका जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अथवा एक बेहतर कानून लाने से।

श्री बसन्त साठे : न केवल सिनेमा कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपितु सिनेमा थियेटर कर्मचारियों जो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आते, के कल्याण के लिए। वस्तुतः इस विधेयक का अनुकरण करने के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए क्योंकि राज्यों के मनोरन्जन कर के रूप में पर्याप्त धनराशि मिल जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार केवल फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर से प्रतिवर्ष 23 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित करती है। राज्य सरकार सिनेमा थियेटरों में काम कर रहे उन कर्मचारियों, जिनकी स्थिति खराब है, के कल्याण के लिए कुछ प्रतिशत धनराशि भी क्यों नहीं खर्च करती ···।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप जानते हैं कि हमने केवल कर्मचारियों और कलाकारों की खातिर छायागृहों (स्टूडियो) को पुनर्जीवित किया है ···।

श्री वसंत साठे : यह मैं जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और आप समर्थन करते रहे हैं।

श्री बसंत साठे : हां, मैं समर्थन करता रहा हूं। और उसके लिए हम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से भी धनराशि देते रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का सम्बन्ध है, सिनेमा कर्मचारियों के कल्याण के किसी भी उपाय को हम केन्द्र से अपना पूरा-पूरा सहयोग देते रहे हैं ···।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उस विधेयक को क्यों नहीं स्वीकार करते ?

श्री बसंत साठे : उस विधेयक का इस बात से कोई वास्ता नहीं है। वह अन्यत्र विचाराधीन है। वह मेरे पास विचाराधीन नहीं है मैंने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। यदि यह बात संविधान की राह में आती है, तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान) मुझे संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता होगी। उसका सुझाव भी मैंने दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार उसे स्वीकार नहीं कर रही है। मैंने कहा, "कम से कम इस बात को स्वीकार कीजिए जिससे मैं देश में फिल्म-वितरण पर नियंत्रण रख सकूं।" पश्चिम बंगाल की फिल्में देश में अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई जा सकती। यह अफसोस की बात है। मैंने सुझाव दिया था कि फिल्मों के प्रदर्शन को कम से कम समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाया जाए। उस मामले में भी, मैंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इससे उनके मनोरन्जन कर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार उसे स्वीकार नहीं कर रही है। अब मैं क्या कर सकता हूं ? हर बात में आप घबराते है। यही मुसीबत है। पश्चिम बंगाल सरकार और

खासकर हमारे मार्क्सवादी दल के मित्रों को एक अच्छी बात में भय दिखाई देता है, जैसाकि अभी इस तरह के एक अज्ञानिका और अच्छे उपाय में भी श्री अजित बाग को डर लगा। यही कारण है, कि मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके एक अच्छे कार्य को भी रंगीन और धुंधलाई आंखों से न देखिए। इसी बात का मैं अनुरोध करता हूं।

एक अन्य मुद्दा भी उठाया गया था और वह यह था कि एक हजार रुपया जो इकट्ठा किया जाएगा वह बहुत ही कम होगा। यह एक शुरुआत है। कम से कम हम इससे शुरुआत करें। और सारा मामला वहीं खत्म नहीं हो जाता। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि दूसरे संभावित तरीके क्या हैं जैसाकि एक माननीय सदस्य ने इसको पूंजीनिवेश से जोड़ने अथवा अन्य किसी तरीके का सुझाव दिया ; हम अन्य तरीकों का पता करेंगे।

श्री डागा तथा अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने उस खण्ड के बारे में एक सुझाव दिया था, जिसमें कहा कि एक हजार रुपया इट्ठा करने के लिए एक नोटिस देना जरूरी होगा। यदि उसे प्रमाणपत्र मिल जाता है और वह चला जाता है— श्री चटर्जी, यह जानते हैं— यदि मुझे 1000 रुपए के लिए मामले का अनुसरण करना पड़े तो उसमें दो वर्ष लग जाएंगे और इसके गठित किए जाने वाले प्रशासी तंत्र पर उससे ज्यादा धनराशि खर्च हो सकती है जितनी कि एकत्र की जानी है। इसलिए मैंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। उस सम्बन्ध में मैं एक संशोधन ला रहा हूं जिससे यह रकम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी। यदि उसे प्रमाणपत्र नहीं मिलता तो उसे यह रकम ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है ?

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी (नरसारावपेट) : इससे आपको कितनी धनराशि मिलने की आशा है ?

श्री बसंत साठे : 7.5 लाख रुपए-इससे ज्यादा नहीं। वहां केवल यही धनराशि नहीं होगी।

वहां ऋण होंगे, अनुदान होंगे और चन्दा भी होगा। इसलिए, मुझे इस बात की आशा है कि यह धनराशि कम से कम 25 से 30 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जैसाकि मैंने कहा है, यह केवल एक शुरुआत है।

मुझे इस बात की आशंका है कि यह विधेयक सभी कलाकारों पर लागू होगा। श्रीमती प्रमिला ने कहा कि धनी कलाकारों को भी इससे लाभ होगा, और जो कलाकार गरीबी की स्थिति में नहीं हैं उन्हें भी लाभ मिल सकता है उन्हें इससे लाभ नहीं मिलेगा। यह विधेयक निचले दर्जे के उन तकनीशियनों और एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए, जिनके बारे में श्रीमती प्रमिला ने कहा है जिन्हें प्रति फिल्म एक हजार रुपया या पाँच फिल्मों में कुल 5000 रुपए की रकम भी नहीं मिलती, लाया गया है यदि तकनीशियनों, एकस्ट्रा कलाकारों और नैमित्तिक कर्मचारियों आदि जैसे इस तरह के लोग वास्तव मे गरीबी की स्थिति में हैं तो उनकी सहायता के लिये

हम एक शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अन्य सुझावों से पूरी तरह सहमत हूं। इस पर भी विचार किया जायगा कि अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को किस प्रकार इसके अर्न्गत लाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसी अधिवेशन में सिनेमा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक ला रहा हूं। सौभाग्य से विधि मंत्रालय ने इसे-इसके प्रारूप शाम को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसे विधेयक मैं इसी अधिवेशन में प्रस्तुत करूंगा। तब आप कर्मचारियों के कल्याण के वृहत विषयों पर अपनी सलाह मुझे दे सकते हैं।

यह गरीब कर्मचारियों के कल्याणकारी कोष के लिए एक सीमित उपाय है। उन सभी अच्छे सुझावों को, जो आपने दिए हैं, हम ध्यान में रखेंगे, जहां तक सलाहकार समिति का सम्बन्ध है, एक केन्द्रीय सलाहकार ससिति बनाई जानी है, कुछ समय के लिए देश भर में कार्यान्वियन के काम को हमने अपने अधिकार में रखा है। उत्तरी प्रदेशों की तुलना में दक्षिणी प्रदेशों में उन कर्मचारियों की संख्या अधिक है; दक्षिणी प्रदेशों के छायागृहों (स्टूडियो) में कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इसलिए, केवल एक सलाहकार समिति पर्याप्त नहीं होगी। अंततः, हमें ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में हमें विचार करना है जो गरीबी की स्थिति में है, समिति इस बात पर कि किस प्रकार अधिक से अधिक अच्छी तरह से उनकी सहायता की जा सकती है। उसके लिए स्वयं मंत्रालय द्वारा कोष का उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य द्वारा नहीं। हम इस क्षेत्र के सक्षम व्यक्तियों से सलाह लेंगे। इसी कारण से, इन समितियों में इस क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है, वे व्यक्ति, जो वास्तव में इस उद्योग में कार्य कर रहें हैं। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को कुछ चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके बच्चे को छात्रवृत्ति देने का कोई उपयोग नहीं है। आप समझते हैं उसे किस चीज की आवश्यकता है ? उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उसी तरह, सलाहकार समिति इस बात को देखेगी कि किस अच्छे तरीके में सहायता की जा सकती है।

यही उद्देश्य है, जितने भी अच्छे सुझाव दिए गए हैं। उन सभी को नोट कर लिया गया है। जैसा कि हम विधेयक के सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं, हमें इस बात का भी पता चलेगा कि—हम ऐसा पहली बार कर रहे हैं—हम अन्य सभी क्षेत्रों को कैसे इसके अन्तर्गत ला सकते हैं। प्रो॰ रंगा तथा अन्य सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के उन कलाकारों के बारे में बताया है जो महाराष्ट्र में तथा अन्य स्थानों पर रामायण और नवटंगी आदी का कार्य कर रहे हैं। वे चाहते थे कि इन कलाकारों को भी इसके अन्तर्गत लाया जाये। मुझे बताया गया है कि रेडियो के लिए हमारे यहां एक कोष है जिसका शीर्षक 'समाप्त न होने वाला कोष' है। रेडियो तथा दूरदर्शन के ऐसे कलाकारों को धनराशि दिये जाने के लिए निधि हेतु एक उपबन्ध किया गया है जो गरीबी की हालत में हो। इस पर स्वीकृति भी दी जा चुकी है और ऐसा किया जायेगा।

जहां तक ग्रामीण कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं इस पर विचार करूंगा कि उनको भी इसके अन्तर्गत लाने के लिए मैं कौन सा विधेयक लाऊं। मैं एक

बार फिर कहना चाहूंगा कि यह काम राज्य सरकारों का है आपकी वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक की आय होती है । आप इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के कल्याणार्थ एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित क्यों नहीं करते ? मैं आपको बताऊं कि इससे आप विपत्सेवा कर सकेंगे । मैं इस सभा और सदस्यों के माध्यम से राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे इस निधि के भाग का उपभोग करें । आप अपने राज्यों से मनोरंजन कर के भाग का उपयोग करने के लिए भी आग्रह कर सकते हैं जो उनके द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए फिल्मों से अर्जित किया जाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पहले सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने दें, और सभी प्रक्रय पूरे करने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ सिनेमा कर्मचारी के कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों को अग्रसर करने हेतु वित्तपोषण करने के लिए कथा फिल्मों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार करेगी । खंड 2 पर सरकार का संशोधन संख्या 8 है ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ट 2.—

पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए—

(घ) किसी कथा फिल्म के सम्बन्ध में "निर्माता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :
(i) ऐसी फिल्म का निर्माता ; या

1952 का 37 (ii) जहाँ चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन ऐसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति ।(8)

(श्री वसंत साठे)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंश बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मूल चन्द डागा (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2- पंक्ति 13 और 14. —

"यह उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे," का लोप कर दिया जाए। (1)

पृष्ठ 2. पंक्ति 16 और 17.—

"प्रमाणित प्रत्येक कथा फिल्म पर एक हजार रुपये की दर से" के स्थान पर

"प्रमाणपत्र देने से पूर्व प्रत्येक कथा फिल्म पर दो हजार रुपये की दर से" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट 2, पंक्ति 16.—

"एक" के स्थान पर "पाँच" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

श्री मूलचंद डागा : महोदय, खंड 1 के अनुसार—

"यह उस तारीख, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा .....को प्रवृत्त होगा"।

पुनः इसमें खंड 3 में यही बात दोहराई गई है। अतः मेरे संशोधन का उद्देश्य इन शब्दों—

"यह उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे," का लोप कर दिया जाए।

इस पुनरावृत्ति का क्या लाभ है ? मेरा दूसरा संशोधन इस आशय का है कि एक हजार रुपये के स्थान पर दो हजार रुपये होना चाहिए। 3.5 लाख कर्मकार हैं तथा इस तुच्छ राशि से हम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसी राशि में से सलाहकार समिति आदि पर धन व्यय किया जाये। इसलिए मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। अभी कहा गया है कि इस बिल के अनुसार आप प्रत्येक कथा फिल्म पर 1 हजार रुपया शेष वसूल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कहीं हम भिक्षा तो नहीं मांग रहे हैं ? आप कलाकारों की सहायता करना चाहते हैं, मैं एक फिल्म से 1 हजार रुपया मांगना मुनासिब नहीं समझता, जब कि एक एक फिल्म पर लाखों रुपये, बल्कि करोड़ों भी हो सकते हैं, खर्च होते हैं और इसी तरह से वे उस फिल्म से करोड़ों रुपये कमाते हैं।

मेरा संशोधन यह है कि यदि आप सचमुच में कलाकारों की मदद करना चाहते हैं तो 1 हजार के बजाय 5 हजार कीजिये। मेरी दृष्टि में तो यह भी कम है, इससे भी ज्यादा होना चाहिये, लेकिन कम से कम इतना मान लीजिये। इससे यह लाभ होगा कि पैसा आपके पास कुछ ज्यादा आयेगा जिससे आप लोगों की ज्यादा मदद करने की स्थिति में हो जायेंगे। इसलिये आप इस संशोधन को जरूर स्वीकार कीजिये। वे गरीब नहीं हैं—गरीब से तो आप ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन अमीरों से एक हजार रुपए भिक्षाटन कर रहे हैं। साठे साहब आप सरकार चला रहे हैं एक हजार के बजाए 5 हजार इसको कीजिए।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी और शास्त्री जी ने जो कहा, उनकी भावना को मैं भी समझ रहा हूं। अगर इसमें करोड़ों रुपया आता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अभी जरा इब्दताए इश्क है—आगे-आगे देखिए होता है क्या।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 और 16,—

1952 का 37 "चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5क के अधीन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित" का लोप कर दिया जाये। (11)

(श्री वसंत साठे)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 1, 2 और 5 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 1, 2, 5 में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड—4

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 और 23,—

"ऐसे संदाय के लिए उस सरकार द्वारा जारी की गई माँग की सूचना की तारीख से" का **लोप कर दिया जाए।** (3)

महोदय, प्रक्रिया बहुत जटिल है तथा उन्होंने इसे स्वीकार किया है। इसीलिये मैं यह संशोधन लाया हूं।

श्री बसंत साठे : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री डागा, आपको और कुछ कहना है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : ज्योंही उनको राशि मिले, उन्हें इसे जमा कराना चाहिये। वसूल करने की प्रक्रिया और ऐसी अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूं कि वह इसे मान चुके हैं।

श्री बसंत साठे : अन्य संशोधनों में उन्होंने जो कुछ बताया है उसे मैं स्वीकार कर चुका हूं। अतः मैं उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने मेरे संशोधन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सरकारी संशोधन संख्या 12 और 13 लेते हैं।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,—

"4" के स्थान पर "4" (1) प्रतिस्थापित किया जाये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 और 23.— (12)

"ऐसे संदाय के लिए उस सरकार द्वारा जारी की गई माँग की सूचना की तारीख से, एक मास के भीतर," शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—(13)

1952 का 37 "उस तारीख को या उससे पूर्व जिसको वह ऐसी फिल्म की बाबत चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करता है :

परन्तु ऐसी फिल्म का निर्माता उस शुल्क के, जो उसने ऐसी फिल्म की बाबत संदाय किया है, आधार पर आवेदन कर सकेगा कि—

1952 का 37 (क) ऐसी फिल्म की बाबत प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करने वाला आदेश चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5क के साथ पठित धारा 4 के अधीन किया गया है ; और

(ख) उसका, यथास्थिति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का आशय नहीं है या वह ऐसे आदेश का पुनरीक्षण नहीं चाहता है, अथवा उक्त आदेश को उक्त अधिनियम के अधीन अपील कर या पुनरीक्षण में पुष्टि कर दी गई है :

परन्तु यह और कि यदि किसी फिल्म की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कोई प्रमाण-पत्र, उसकी बाबत संदत्त शुल्क के पूर्वगामी परन्तुक के अधीन प्रतिदाय के पश्चात् किया गया है तो निर्माता इस बात के लिए दायी होगा कि वह ऐसे प्रतिदाय किए गए शुल्क का केन्द्रीय सरकार को प्रतिसंदाय, ऐसे प्रमाण-पत्र के दिये जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर करे ।

(2) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी फिल्म के सम्बन्ध में शुल्क की उस रकम पर जिसका कि उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन उसके द्वारा प्रतिदाय किया गया है, ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख से ऐसे प्रतिदाय की तारीख तक संदेय होगा ;

(ख) किसी फिल्म के निर्माता द्वारा शुल्क की किसी ऐसी रकम पर जिसका कि उसे उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रतिदाय किया गया है और जिसका उसने उपधारा से द्वितीय परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रतिसंदाय कर दिया है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख से ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख तक संदेय होगा ।"

(श्री वसंत साठे)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, मैं समझता हूं कि आप संशोधन संख्या 3 वापस ले रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होने सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । मैं संशोधन संख्या 3 को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

(संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया) ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है ;

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 और 26,—

"भारत की संचित निधि" के स्थान पर "सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि" प्रतिस्थापित किया जाए । (4)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 और 26,—

"भारत की संचित निधि" के स्थान पर "सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि ।" प्रतिस्थपित किया जाए । (6)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, आप अपने संशोधन के बारे में बोल सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह राशि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि में जानी चाहिये । इस भारत की 'संचित निधि' को यहां क्यों लाया गया है । अन्यथा उसे फिर सरकार के पास जाना पड़ेगा और भारत की संचित निधि से धनराशि निकालनी पड़ेगी । इसलिये मैंने कहा है कि यह 'सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि' होना चाहिये और यह राशि 'भारत की संचित निधि' में नहीं जानी चाहिये । मेरे संशोधन का यही प्रयोजन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री । कृपया संक्षिप्त भाषण दीजिए ।

श्री रामवतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें धारा 5 में कहा गया है कि जो भी पैसा जमा होगा वह "संचितनिधि" में जमा किया जाएगा । मैं इसको गलत मानता हूं और मेरा संशोधन है कि "सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981" की धारा 3 के अधीन स्थापित "सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि" में जमा किया जाए । क्यों मैं ऐसा कहता हूं ? निधि की कृपा पर आप क्यों रखना चाहते हैं । आप तो रहिए सो रहिए, लेकिन बेचारे गरीब कलाकारों को उनकी कृपा पर क्यों रखना चाहते हैं ? एक स्वतंत्र निधि उनके फायदे के लिए बनाने में जिस का नाम मैंने और डागा जी ने भी सुझाया है, आपको क्या आपत्ति है, क्या

कठिनाई है यह मेरी समझ में नहीं आया है। और कोई कठिनाई हो तो बताएं। संचित निधि से और कुछ ज्यादा कलाकारों को मिलने की उम्मीद हो तो वह भी बताएं। तब मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। मेरा निवेदन है कि इस पैसे को आप संचित निधि में न रखें और एक विशेष निधि की स्थापना करें और उसी में इसको रखें।

श्री बसंत साठे : महोदय, हमने क्यों इसे संचित निधि में रखा है, इसका सीधा-सा कारण यह है कि यह उत्पादन-शुल्क का एक भाग बनता है। इसलिये, मैं इसे किसी और निधि में नहीं रख सकता। मैंने इसे संचित निधि में रखा है जहां सारा उत्पादन-शुल्क जाता है। यह विधेयक पारित होते ही बजट में इसके लिये प्रावधान किया जायेगा तथा इसे पृथक रूप से दिखाया जायेगा और जैसा कि मैंने कहा कि इतना ही नहीं, अपितु मैं इस निधि के लिये वित्त मंत्री से कुछ और अधिक राशि प्राप्त करूंगा। अतः इसके संचित निधि में चले जाने से मुझे बिलकुल ही आशंका नहीं है। यही कारण है कि इसे संचित निधि में क्यों जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं। मैं उनका संशोधन मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 5 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 7, संशोधन संख्या 7—

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 38—

"पचास" के स्थान पर—

"तीन सौ" प्रतिस्थापित किया जाये" । (7)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सरकारी संशोधन संख्या 14 पर विचार करेंगे ।

श्री बसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्तियां 34, 35—

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 और 35,—

"इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसे सरकार को संदाय नहीं किया गया है" शब्दों के स्थान पर ।

"(जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा उत्पाद शुल्क भी है जिसका प्रतिदाय कर दिया गया है किन्तु जिसका उस धारा की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उस सरकार को प्रति-संदाय किया जाना अपेक्षित है), यथास्थिति, उस तारीख के पूर्व या उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस सरकार को संदाय नहीं किया गया है" ।

प्रति स्थापित किया जाए । (14)

श्री रामावतार शास्त्री : इस विधेयक की धारा 7 में प्रत्येक फिल्म निर्माता को उत्पाद शुल्क देना होगा और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है और यह शुल्क उस समय के भीतर अदा कर दिया जाना चाहिये और अगर वह समय पर अदा नहीं करता है तो उसको इसके अधीन जुर्माना देने की बात कही गई है । यह कहा गया है कि जितने महीने यह शुल्क अदा नहीं किया जाएगा उतने महीने के लिए प्रत्येक महीने का पचास रुपया उसको देना होगा । निर्माता बहुत बड़े लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, खूब पैसा कमाते हैं । उनसे पचास रुपया प्रति महीना लेने की बात समझ में नहीं आई है । यह सजा पचास रुपये की जगह पर तीन सौ रुपये महीना होनी चाहिये । उनसे प्रति माह तीन सौ रुपया लिया जाना चाहिये । 300 रु० उनसे लीजिये । नहीं तो 50 रु० का कोई मतलब नहीं होता है । वह उत्पाद शुल्क समय पर नहीं देगे । इसलिये अगर समय पर वसूल करना चाहते हैं तो थोड़ी शख्ती करनी होगी निर्माताओं पर ताकि वह समय पर उत्पाद शुल्क दे सकें । इसलिये मेरा संशोधन है कि 50 की जगह पर 300 रु० कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : चार बजे हमें प्रस्ताव पर विशेष चर्चा आरम्भ करनी है मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाये क्योंकि यह पिछले तीन दिनों से लम्बित है । हम इसे पूरा करेंगे । इसमें बहुत समय नहीं लगेगा । अब श्री साठे ।

श्री बसन्त साठे : मैं नही समझता इसका उत्तर देने की आवश्यकता है । आखिरकार, मैंने कहा है कि हम शुरुआत कर रहे हैं ।

50 रु० से 500 रु० करो उससे काम नहीं चलेगा । पेनल्टी बढ़ाने की नौबत ही नहीं आयेगी ।

"तीन सौ" प्रतिस्थापित किया जाये" । (7)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सरकारी संशोधन संख्या 14 पर विचार करेंगे ।

श्री बसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्तियां 34, 35—

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 और 35,—

"इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसे सरकार को संदाय नहीं किया गया है" शब्दों के स्थान पर ।

"(जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा उत्पाद शुल्क भी है जिसका प्रतिदाय कर दिया गया है किन्तु जिसका उस धारा की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उस सरकार को प्रति-संदाय किया जाना अपेक्षित है), यथास्थिति, उस तारीख के पूर्व या उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस सरकार को संदाय नहीं किया गया है" ।

प्रति स्थापित किया जाए । (14)

श्री रामावतार शास्त्री : इस विधेयक की धारा 7 में प्रत्येक फिल्म निर्माता को उत्पाद शुल्क देना होगा और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है और यह शुल्क उस समय के भीतर अदा कर दिया जाना चाहिये और अगर वह समय पर अदा नहीं करता है तो उसको इसके अधीन जुर्माना देने की बात कही गई है । यह कहा गया है कि जितने महीने यह शुल्क अदा नहीं किया जाएगा उतने महीने के लिए प्रत्येक महीने का पचास रुपया उसको देना होगा । निर्माता बहुत बड़े लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, खूब पैसा कमाते हैं । उनसे पचास रुपया प्रति महीना लेने की बात समझ में नहीं आई है । यह सजा पचास रुपये की जगह पर तीन सौ रुपये महीना होनी चाहिये । उनसे प्रति माह तीन सौ रुपया लिया जाना चाहिये । 300 रु० उनसे लीजिये । नहीं तो 50 रु० का कोई मतलब नहीं होता है । वह उत्पाद शुल्क समय पर नहीं देंगे । इसलिये अगर समय पर वसूल करना चाहते हैं तो थोड़ी शख्ती करनी होगी निर्माताओं पर ताकि वह समय पर उत्पाद शुल्क दे सकें । इसलिये मेरा संशोधन है कि 50 की जगह पर 300 रु० कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : चार बजे हमें प्रस्ताव पर विशेष चर्चा आरम्भ करनी है मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाये क्योंकि यह पिछले तीन दिनों से लम्बित है । हम इसे पूरा करेंगे । इसमें बहुत समय नहीं लगेगा । अब श्री साठे ।

श्री बसन्त साठे : मैं नही समझता इसका उत्तर देने की आवश्यकता है । आखिरकार, मैंने कहा है कि हम शुरुआत कर रहे हैं ।

50 रु० से 500 रु० करो उससे काम नहीं चलेगा । पेनल्टी बढ़ाने की नौबत ही नहीं आयेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 14 पहले लूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 और 35,—

"इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसे सरकार को संदाय नहीं किया गया है" शब्दों के स्थान पर

"(जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा उत्पाद शुल्क भी है जिसका प्रतिदाय कर दिया गया है किन्तु जिसका उस धारा की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उस सरकार को प्रतिसंदाय किया जाना अपेक्षित है), यथास्थिति, उस तारीख के पूर्व या उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस सरकार को संदाय नहीं किया गया है"। (14)

(प्रतिस्थापित किया जाये)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ट 2, पंक्ति 38—

"पचास" के स्थान पर "तीन सौ" प्रतिस्थापित किया जाये"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 8 से 10 में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 से 10 विधेयक के अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय ।

श्री बसन्त साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम अगला विधेयक लेंगे । इसमें केवल 2 अथवा 3 मिनट लगेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : जी, नहीं । मेरे 6 संशोधन हैं । मैं उन सब पर बोलूंगा ।

श्री बसन्त साठे : क्या विपक्ष सहयोग नहीं करेगा ? यह एक कल्याणकारी विधेयक है । केवल 5 अथवा 10 मिनट का समय दें और इसे स्वीकार कर सकते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : जी नहीं । ऐसा नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सरकार के अनुरोध पर विचार नहीं कर रहे । उनका अनुरोध यह है कि यह एक कल्याणकारी विधेयक है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जी नहीं ।

वर्तमान मूल्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा वर्तमान मूल्य स्थिति और उससे निपटने के लिये सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करती है"। मैं एक छोटा सा वक्तव्य दूंगा और उसके बाद मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का विस्तार से उत्तर दूंगा। देश में मूल्य स्थिति के कारण सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। चर्चा के दौरान सरकार की कार्यवाही का बचाव करते समय अथवा सरकार के पक्ष में बोलते हुए कुछ कठोर भाषा का यदि मैं उपयोग करूं तो उसे इस रूप में न लिया जाये कि सरकार इस चिंताजनक प्रकृति, से अर्थात देश में मूल्य स्थिति के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

सरकार चर्चा का स्वागत करती है क्योंकि हमें आशा है कि चर्चा के दौरान अनेक सुझाव दिये जायेंगे और सरकार चर्चा के दौरान दिये गये प्रत्येक सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। मैं मोटे तौर पर कुछ तथ्य बताऊंगा। वर्ष 1979 के दौरान, देश में मुद्रास्फीति की दर 22.2 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा वर्ष 1980 के दौरान उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणाम-स्वरूप मुद्रास्फीति की दर को 22.2 प्रतिशत से घटा करके 14.8 प्रतिशत तक किया गया। चालू वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान अर्थात 15 अगस्त 1981 तक, देश में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक आधार पर 10.4 प्रतिशत बैठती है।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि देश में थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है और यह प्रवृति बहुत ही उत्साहजनक है। मैं जानता हूं कि थोक मूल्य सूचकांक में यह गिरावट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तत्काल प्रतिबिम्बित नहीं हुई है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हमेशा अन्तराल रहता है। परन्तु तुलना के लिये, चूंकि दोनों में अन्तराल है, हमने हमेशा थोक मूल्य सूचकांक को विचार में लिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हालांकि गिरावट आई है फिर भी यह लोगों को कोई जवाब नहीं है क्योंकि मुद्रास्फीति की यह 10.4 प्रतिशत वार्षिक दर 1979 की 22.2 प्रतिशत दर तथा वर्ष 1980 की 14.8 प्रतिशत की दर के आधार पर है। अतः जहां तक उपभोक्ता का संबंध है, वर्ष 1980 में 1 प्रतिशत वृद्धि भी, चाहे वह सरकार के लिये काफी बड़ी बात है, किसी परिणाम अथवा लाभ को नहीं है क्योंकि यह 22.1 प्रतिशत है केवल 1 प्रतिशत नहीं है। हम इसे पूरी तरह समझते हैं। परंतु जब हम स्थिति के बारे में वक्तव्य देते हैं तो केवलमात्र इतना कहते हैं कि हमारे द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के प्ररिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटा दी गई हैं। यह प्रवृति बहुत ही स्वस्थ है और 1981-82 की प्रथम तिमाही के उत्पादन के स्तर पर मुद्रास्फीति की दर और भी कम हो जायेगी।

मैंने अपने 1980 तथा 1981 के बजट भाषणों में यह कहा था कि यह सरकार मुद्रा-स्फीति का सामना करने के लिये सप्लाई प्रबन्ध की नीति अपनाएगी। प्रायः सैद्धान्तिक अर्थ-शास्त्री हमें कम मुद्रास्फीति का सामना मांग प्रबन्ध के संदर्भ में, अर्थात ऋण पर रोक लगाकर, मुद्रा को परिचालन से हटाकर, धन सप्लाई पर अधिक से अधिक रोक लगा कर करते हैं। मैंने कहा था कि हम सप्लाई प्रबन्ध पर अधिक बल देंगे जिसका अर्थ है कि हम देश में न केवल उत्पादन को बढ़ाएंगे परंतु आयात नीति के द्वारा देश में वस्तुएं विशेषरूप में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे।

यदि माननीय सदस्य चाहें तो 24 अप्रेल अथवा उसके लगभग के मेरे भाषण को देखें जिसमें मैंने कहा था कि सप्लाई प्रबन्ध के बारे में सरकार की नीति देश में केवल उत्पादन को गति देने और बढ़ाने की ही नहीं है परन्तु ऐसी आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की भी होगी जो समाज के लिये जरूरी हैं।

इस नीति के अनुसरण में, हमने 15 लाख टन गेंहू, 2 लाख टन चीनी का आयात किया है और हम काफी मात्रा में खाद्य तेल का भी आयात करने वाले हैं। मैंने खाद्य तेल के बारे में आंकड़े नहीं दिये हैं क्योंकि भारत ने एक बार मार्किट में प्रवेश किया तो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तत्काल वृद्धि हो जायेगी। भारत ने क्योंकि अधिक खरीदारी करनी है अतः कीमतों में वृद्धि हो जायेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : जैसे कि वे नहीं जानते।

श्री आर. वेंकटरामन : उनको पता हो सकता है। परन्तु में उसको औपचारिक नहीं बना रहा। आपने भी वही तरीका अपनाया जो मैं अपना रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं सैद्धान्तिक अर्थशास्त्री नहीं हूं।

श्री आर. वेंकटरामन : प्रायः हम इसे औपचारिक नहीं बनाते। यह अनुमान का क्षेत्र है। हम इसे औपचारिक नहीं बनाते। यह कहा जा रहा है कि जब देश में भरपूर फसल हुई है तो गेहूं का आयात क्यों किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हमने गेहूं के आयात के लिये 190 रु० क्विंटल का भाव दिया है और यदि हम यह भाव देते तो पूरी मात्रा की देश के बाजार से खरीद कर सकते थे। मैं इस समय इसका उत्तर देना चाहूंगा क्योंकि यह बार-बार होने वाला है। यदि हम गेहूं के वसूली मुल्य को बढ़ा कर 190 रु० प्रतिक्विंटल करते हैं तो यह केवल 15 लाख टन के लिये नहीं होगा परन्तु यह मूल्य हमें 90 लाख टन के लिये देना होगा। और एक बार मूल्य को बढ़ाकर 190 रु० कर देने के बाद गेहूं का बेचे जाने का मूल्य भी बढ़ेगा। यदि बिक्री मूल्य बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मूल्य वृद्धि होगी और यदि सरकार बढ़े हुए मूल्य को उपभोक्ता पर नहीं आगे लादती तो सरकार को इसे वहन करना होगा और यदि सरकार इसको बहस करती है तो बजट घाटा बढ़ेगा और घाटे की बजट व्यवस्था के कारण अन्ततोगत्वा मूल्यों में और वृद्धि होती है।

दूसरे, हम उपलब्ध भंडार में 15 लाख टन की वृद्धि कर रहे हैं ताकि सप्लाई स्थिति में सुधार हो सके जबकि यदि अधिक कीमत अदा करके आप उपलब्ध भंडार को ही उपयोग में लायेंगे तो आप देश में उपलब्ध भंडार में वृद्धि नहीं कर रहे और उससे कीमतों में कमी नहीं आएगी। इस सिद्धांत के अनुसार हमने न केवल गेहूं का अपितु चीनी तथा कमी वाली अन्य वस्तुओं का भी आयात करने का फैसला किया है।

मैं अब संक्षेप में मूल्य नियन्त्रण तन्त्र के महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करूंगा। इसमें से हर कोई जानता है कि उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों को तभी बनाए रखा जा सकता है जब आपके पास पर्याप्त एवं संगठित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हो। सरकार वितरण प्रणाली का विस्तार करने, इसे व्यापक बनाने और इसे यथासम्भव विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए कुछ आंकड़े दूंगा। 1979 के वर्ष में उचित दर की दुकानों की संख्या केवल 2,36,000 थी। 1980 में इन दुकानों की संख्या बढ़कर 2,75,000 हो गई। जुलाई, 1981 तक हमारे यहां उचित दर की दुकानों की संख्या 2.97 लाख थी। उचित दर की ये दुकानें काफी अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएं वितरित करने में सफल हो रही हैं। यह उन आंकड़ों से स्पष्ट है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। 1979-80 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 11.66 मिलियन टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। 1980 में इसके अन्तर्गत 14.48 मिलियन टन खाद्यान्न का वितरण किया गया था। 1981 के पहले सात महीनों में 5.12 मिलियन टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है ? इसलिए इससे जाहिर होता है कि हम न केवल वितरण एजेंसियों की संख्या बढ़ा रहे हैं अपितु हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं। मुद्रा उपलब्धि को नियंत्रित करने और मांग प्रबंध के बारे में किये गए उपायों की चर्चा भी किए बिना मूल्यों पर कोई भी चर्चा पूरी नहीं होगी। हम मुद्रा उपलब्धि को काबू में रखने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास करते रहे हैं। सर्व प्रथम हमने कैश रिजर्व अजपात को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि कैस रिजर्व अजपात के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक जमा धनराशि की एक निश्चित मात्रा बैंक में रखने के लिए बाध्य हैं। हमने सांविधिक लिक्विडिटी अनुपात को 34 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया है। इससे लगभग 500 करोड़ रुपया सर्कुलेशन से निकल जायेंगे। ये कुछ उपाय हमने किए हैं। अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए ऋणों के लिए अग्रिम धन देने के बारे में हमने विशिष्ट ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत ब्याज दर बढ़ा दिया है और हमने अत्यन्त कड़ी शर्तें लागू कर दी हैं। इसलिए, इससे किसी व्यक्ति के लिए जमाखोरी करना और उससे मुनाफा बटोरना सम्भव नहीं हो सकेगा। हमने वस्तुओं की मांग के सम्बन्ध में भी कई अन्य उपाय किए हैं।

एक माननीय सदस्य : काले धन के बारे में आपने क्या उपाय किए हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं धन के बारे में जो बैंकों से बाहर परिचालित किया जाता है, बात कर रहा था। बैंकों से बाहर परिचालित धन के बारे में हम कड़े उपाय कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी, 1981 से मारे गए छापों से हमें जो सामान प्राप्त हो रहा है वह लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह बैठता है। हाल ही में, खासतौर पर तिलहन और खाद्य तेल के व्यापारियों के यहां जो छापे मारे गये हैं उससे बम्बई के खाद्य तेल के बारे में हडकम्प मच गया है। हमने अनेक मामलों में कुछ व्यक्तियों से 92 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जब्त की है और अन्य व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण तथा अन्य सामान जब्त किया है। इस दिशा में सरकार अत्यन्त सख्ती और तेजी से कार्य कर रही है। इसलिए, माननीय सदस्यों को ऐसे कोई आशंका नही होनी चाहिए कि जहां तक बैंकों से बाहर परिचालित धनराशि का सम्बन्ध हैं, कि इसे उतनी सख्ती से कार्यवाही नहीं की जा रही है जितनी कि होनी चाहिए। इसके विपरीत इस सम्बन्ध में पिछली सरकार जो कार्य पहले कर रही थी और वर्तमान सरकार जो अब कर रही है, उनके तुलनात्मक आंकड़े मैं उद्धृत कर सकता हूं लेकिन वह प्रश्न से परे की बात है और मैं कभी इस तरह की बातों में नहीं उलझता।

जिस दूसरे मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा वह यह है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार के लक्षण हैं आशाप्रद लक्षण ये हैं कि कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन में वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि हुई है। इस वर्ष की पहली तिमाही में कोयले के उत्पादन में गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वस्तुत: स्वयं, गत वर्ष का उत्पादन उससे पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक था। इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 24.8 प्रतिशत बढ़ा है। बिजली-उत्पादन में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कच्चे तेल, जो आज की सबसे बड़ी वांछित सम्पत्ति है, के उत्पादन में वर्ष की पहली तिमाही में 63.8 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि हुई है अर्थात इसका उत्पादन 2.312 मिलियन टन से बढ़ कर 3.788 मिलियन टन हो गया है। उर्वरकों का उत्पादन भी 65·3 प्रतिशत बढ़ गया है।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जैसाकि मैंने अन्य दिन सरकारी क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा था कि पहली बार सरकारी क्षेत्र मुनाफ़ा अर्जित करने की ओर अग्रसर है। वास्तव में कुल पूंजी निवेश की तुलना में, वर्ष की तिमाही में कुल मुनाफा 8 प्रतिशत है। यदि यही प्रवृत्ति बनी रहती है तो मुझे आशा है कि मैं सदन में एक अत्यन्त ही अच्छा बजट लेकर आऊंगा जिसमें हम उस समृद्धि को प्रतिलिम्बित कर सकेंगे जो इसमें हुई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपको विश्वास है कि उस समय तक आप वित्त मंत्री रहेंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : मनुष्य नश्वर है। और जवान आदमी सदा जीवित नहीं रहता।

मैं एक बार पुन: इस बात पर बल देते हुए अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करना चाहूंगा कि सरकार जागरूक बनी हुई है। हम कीमतें कम करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के

लिए और राष्ट्र की सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य में, मैं सभा के सदस्यों के मूल्यवान सुझावों का स्वागत करूंगा।

सभापति महोदय : मेरे पास स्थानापन्न प्रस्तावों की सूचनाएं हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाए, अर्थात :—

"वर्तमान मूल्य-स्थिति और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की राय हैं कि सरकार खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, दालों और जनसाधारण के उपयोग की अन्य वस्तुओं को उचित मूल्य पर और पर्याप्त शुद्ध रूप में उपलब्ध कराने तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इनका समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे।"

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

2. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"वर्तमान मूल्य स्थिति और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में पूर्णतया असफल रही है।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

3. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"वर्तमान मूल्य स्थिति और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में पूर्णतया असफल रही है और सिफारिश करती है कि. —

(क) सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि सभी आवश्यक विनिमित वस्तुओं के मूल्य सभी करों एवं उन पर लाभ समेत विनिर्माण लागत से 1-1/2 गुना से अधिक नहीं होने चाहिएं ;

(ख) किसानों को उनकी उपज का उतना मूल्य मिलना चाहिए जिससे उनका लागत मूल्य निकल सके और वह सामान्य उचित स्तर का जीवन व्यतीत कर सके ;

(ग) कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के बीच साम्य तथा औचित्य होना चाहिए ; और

(घ) दो फसलों के बीच खाद्यान्नों के मूल्यों में 16 प्रतिशत से अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिए ।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

4. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"वर्तमान मूल्य स्थिति और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि —

(क) सभी वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जायें ।

(ख) शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाये ।

(ग) पूरे देश में सभी 18 आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई उचित दर की दुकानों से की जायें, जैसा कि केरल में किया गया है ।

(घ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक व्यापक तथा मजबूत बनाने के लिए सरकार को आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ।

(ङ) कालाबाजारियों और मुनाफा खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिए ; और

(च) किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने चाहिये और सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने की नीति का परित्याग कर देना चाहिए ।

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

5. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"वर्तमान मूल्य स्थिति और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार सरकार अपने नियंत्रण में ले ले और पूरे देश में सुसंगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को इन वस्तुओं की उचित मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित करे ।"

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, जब से श्री वेंकटरामन ने इस देश के वित्त मन्त्री के रूप में कार्य भार संभाला है, वे देश के लिए आशा बंधाते रहे हैं। अब, ऐसा लगता है कि वह आशा मृग-मरीचका बन गई है और वे इस मृग मरीचका के पीछे भागते रहे हैं । आज हमारे देशवासियों की आशाओं की बर्बादी पर खड़े होकर वे (वित्त मंत्री)

सदन से प्रोत्साहित हुआ अनुभव करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि, क्योंकि वह कहते हैं कि मूल्यों में गिरावट आई है। यही बातें वित्त मंत्री महोदय गत 18 महीनों से कहते रहे हैं।

16 जून को उन्होंने कहा कि मूल्य स्थिर हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने यह वक्तव्य दिया था तो वे यह बात नहीं जानते थे कि कीमतें फिर ऊपर चढ़ जाएंगी। 16 जून को एक स्थिरता पर पहुंचने के पश्चात् 25 अगस्त के टाइम्स आफ इंडिया ने इस तरह लिखा है :—

> "सात वर्षों में पहली बार दिल्ली के औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में केवल एक महीने, के जून से जुलाई तक के दौरान 15 अंक की एकदम वृद्धि हुई है जिससे मूल्य सूचकांक 476 तक पहुंच गया है।".

1980-81 का बजट पेश करते समय वित्त मन्त्री महोदय ने यह विश्वास व्यक्त किया था कि कीमतों पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन जून, 1980, जब उन्होंने इस सदन में बजट पेश किया था, से फरवरी 1981 के बीच श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 से बढ़ कर 418 हो गया अर्थात उसमें 32 प्वाइंट की वृद्धि हुई। इस वर्ष फरवरी, 1981—28 फरवरी को उन्होंने बजट पेश किया—और जून, 1981 के बीच श्रमिक कार्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—यह 1960 में 100 अंक था—418 से बढ़कर 439 हो गया अर्थात इसमें 21 प्वाइंट की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति काबू से बाहर हो रही है। यह मूल्य वृद्धि उस सब की पृष्ठ भूमि में हो रही है जो वित्त मंत्री महोदय ने अभी कहा है। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की एक अत्यन्त लुभावनी तस्वीर पेश की है। उनका कहना है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया है कि प्रायः हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है। गत वर्ष हमारे यहाँ खाद्यान्न का 133 किलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था, तिलहनों के उत्पादन में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, गन्ने के उत्पादन में 19 प्रतिशत में वृद्धि हुई और कोयला, जिसका उत्पादन 101 से 104 मिलियन टन के बीच रहा है, का उत्पादन गत वर्ष 114 मिलियन टन तक पहुच गया, औद्योगिक उत्पादन में 3·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 1980-81 में घरेलू उत्पादन में 1979-80 की 4.5 प्रतिशत की कमी के विपरीत 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह है वह तस्वीर जो सरकार ने देश के समक्ष प्रस्तुत की है। इसलिए, यह बात इस तस्वीर के विरुद्ध है कि हमें मूल्य वृद्धि के इस तथ्य के बारे में मूल्यांकन करना है और केवल तभी हम समस्या की गंभीरता और मूल्यों के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाये जाते रहे उपायों की निरर्थकता को समझ सकते हैं।

इस सदन में अनेक बार यह बात कही गई है कि जनता और लोकदल-सरकार के शासन काल के दौरान मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई और अब मूल्य अत्यन्त ही धीमी गति से बढ़ते रहे हैं। मैं हमेशा ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार ही बात करता हूं। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार नहीं, क्योंकि जब गृहणियां बाजार में जाती हैं तो उन्हें थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार कोई वस्तु नहीं मिलती।

जनवरी, 1980 से, जब आपने शासन संभाला, जून 1981 तक, जब तक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध है, मूल्य सूचकांक 371 से बढ़कर 439 हो गया अर्थात 18 महीनों के दौरान 68 प्वाइंट की वृद्धि। मार्च 1977 से जुलाई, 1979 तक जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान मूल्य सूचकांक 31.2 से बढ़कर 350 अंक तक हो गया अर्थात 30 महीनों में 38 प्वाइंट की वृद्धि हुई। अगस्त, 1979 से दिसम्बर 1979 तक, लोकदल शासन के दौरान सूचकांक 360 से बढ़कर 374 अंक हो गया अर्थात पांच महीनों में 14 प्वाइंटस की वृद्धि हुई। इसलिए सदन को इसका मूल्यांकन करना है और एक सही निष्कर्ष निकालना है क्योंकि 18 महीनों में, जब से आपने शासन संभाला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 68 प्वाइंट बढ़ गया है।

इस वर्ष का बजट पहले से ही समन्वय विहीन है। इस वर्ष के बजट में आपने 1000 करोड़ रुपए धारक बांडों के विक्रय से प्राप्त होने का अनुमान लगाया था, लेकिन सरकार को 380 करोड़ रुपए मिल पाए हैं। इन धारक बांडों की बिक्री की अन्तिम तारीख से एक दिन पहले वित्त मन्त्री ने बम्बई में कुछ ऐसी बात कही थी जो अत्यन्त ही अशोभनीय थी। वित्त मन्त्री ने कहा था कि अगर सरकार इन बांडों से 1000 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं कर पायी तो लोगों को भारी करों का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वित्त मन्त्री ने कहा था कि यदि काला बाजारिए जमाखोर और मुनाफाखोर ये बांड नहीं खरीदते क्योंकि वह उनका कुछ नहीं कर सकते तो वित्त मंत्री का कहना है कि लोगों को भारी करों का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और वास्तव में भारी कर लगाए गए। क्योंकि संसद का सत्र आरम्भ होने से तीन सप्ताह पूर्व भारत सरकार ने एक घोषणा की कि पेट्रोल और उसके उत्पादो के मूल्यों में वृद्धि की जाएगी। जनवरी, 1980 से जुलाई, 1981 के बीच सरकार ने पेट्रोल और उसके उत्पादों में तीन बार वृद्धि की 1980 में 2,100 करोड़ रुपए तक, जनवरी 1981 में 1,200 करोड़ रुपए तक और जुलाई, 1981 में 1,500 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की। जनवरी, 1980 में एक लिटर पेट्रोल का मूल्य 5.10 रुपए हुआ करता था और अब इसका मूल्य 6.60 रुपए प्रति लिटर है। जनवरी, 1981 में आपने हाई स्पीड डीजल के मूल्य 37 पैसे लीटर बढ़ा दिए और जुलाई, 1981 में 32 पैसे प्रति लिटर। जनवरी 1981 में आपने मिट्टी के तेल के मूल्य में 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की और जुलाई 1981 में 15 पैसे प्रति लिटर की। आपने खाना बनाने की गैस के मूल्य, में जनवरी 1981 में 5.3 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की और जुलाई 1981 में फिर 5 रुपए प्रति सिलेंडर की। आपने नाफ्था के मूल्यों में जून 1980 में 475 रुपए प्रति किलोलीटर की वृद्धि की और जुलाई 1981 में 300 रुपए प्रति किलोलीटर की। इस बार, जब आपने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की तो आपने इसका यह कह कर औचित्य बताया कि तेल की खोज के लिए मूल्यों में बृद्धि करने की आवश्यकता हुई है। पिछले अवसरों पर, जब आपने इनके मूल्यों में वृद्धि की तो कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक थे। अब, इस बार अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अत्यन्त कम हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी भरमार है और अब अमेरिका में पेट्रोल 2.60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेंचा जा रहा है। यहां मैं आपको इस जानकारी का स्रोत भी बता रहा हूं। यह बात 13 जुलाई, 1981 के 'न्यूजवीक' में प्रकाशित हुई है। (व्यवधान) इसमें बताया गया है :

"उदाहरण के लिए, न्यूजेरसे में मध्य जून के दौरान नियमित गैसोलाइन के मूल्य का औसत 1.34 डालर था, फिर भी कुछ केन्द्र एक गैलन का 1.23 डालर जितना कम मूल्य भी ले रहे थे।"

मैं 1.34 डालर प्रति गैलन को 2.66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लेता है। इसी मूल्य पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजारों में पेट्रोल बेचा जा रहा है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का यह मूल्य है तो आपने इसके मूल्य बहुत ज्यादा अदा किए हैं और अब आप कह रहे हैं कि तेल की खोज के लिए इस धन की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि यह एक अन्य अप्रत्यक्ष कराधान है और यह धनराशि तेल की खोज के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के पास पहुंचेगी। भारत सरकार तेल की खोज हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड दोनों का वित्त पोषण करती है। यदि आज पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के जरिये प्राप्त 1500 करोड़ रुपए आयल इंडिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को प्राप्त हो जाते हैं तो उसी हद तक आयल इंडिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वित्त पोषण करने की सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। अतः यदि यह अप्रत्यक्ष कराधान नहीं है तो और क्या है ? बजट में डाले गए भार के बावजूद आप सभी प्रकार से कर लगा रहे हैं परन्तु आप उन्हें करों की संज्ञा नहीं दे रहे हैं हालांकि वास्तव में वे कर ही हैं।

प्रो० एन० रंगा (गुंटूर) : घाटे की अर्थव्यवस्था में आप इससे कैसे बेच सकते हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : जहां तक गेहूं के आयात का सम्बन्ध है। वित्त मंत्री का कहना है कि 15 लाख टन गेहूं का आयात करना होगा। हमें यह बताया गया है कि गेहूं का यहां पहुंचने पर मूल्य 190 रुपए प्रति क्विंटल है। यदि यहां पहुंचने का मूल्य 190 रुपए प्रति क्विंटल है तो खुदरा व्यापार केन्द्रों तक पहुंचने तक इसका मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बासरहाट) : 250 रुपए।

श्री सुनील मैत्रा : जी हां जैसे उन्होंने कहा है कि इसका मूल्य 250 रुपए हो जाए आप गेहूं की वसूली 130 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कर रहे हैं। यदि 15 लाख टन गेहूं 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उपभोक्ताओं को मिलता है तो इसका भुगतान आपको करना होगा। क्या यह सच नहीं है। इसकी बढ़ी हुई कीमत का भार किसको वहन करना होगा ? क्या आप इसके लिए राजसहायता देंगे ? यदि आप 15 लाख टन गेहूं के मूल्य पर राजसहायता देंगे तो उसकी इतनी बड़ी राशि कहां से आएगी अन्ततोगत्वा आप यह राशि अमरीको किसानों को देते हैं। और भारतीय लोगों से निचोड़ते हैं। आप यह कर रहे हैं ? हमारे देश में आज यह कठोर वास्तविकता है गत वर्ष हमारे देश में 1330 लाख टन का कीर्तिमान उत्पादन हुआ था लेकिन कि आप उसे खरीद न सके। आप किस प्रकार से इतना अनाज खरीद सकते हैं जब कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री, जैसे लोग आपके साथ हैं—जब कि आप भ्रष्ट लोगों अर्थात जमाखोरों और व्यापारियों आदि के साथ सांठ गांठ किए हैं ? आपके

लिए इन लोगों को पकड़ना संभव नहीं है आप केवल उनसे अपील कर सकते हैं उन्हें रिझाने की कोशिश कर सकते हैं, या उनकी आत्मा से अपील कर सकते हैं लेकिन आप उन लोगों से अपील कर रहे हैं जो आत्मा की आवाज सुनते ही नहीं ; जो भारतीय लोगों का खून चूस रहे हैं। क्योंकि आपके दल और आप की पूर्ण व्यवस्था का वे वित्त पोषण करते हैं और धनी जमीदारों तथा धनी व्यापारियो से अनाज खरीदना आपके लिए संभव नहीं है क्योंकि आप अपने देश से अनाज न खरीद सके इसलिए आपको अमरीका से अनाज खरीदना पड़ा। आपने अमरीका के गल्ला व्यापारियों से 190 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनाज खरीदा है और इसके लिए अधिक राशि का भुगतान किया है और यह बढ़ी हुई कीमत आप भारतीय लोगों से किसी न किसी तरीके से वसूल करेंगे।

दूसरा उदाहरण खाद्य तेलों का है। वित्त मंत्री ने कहा है कि वह यह नहीं बताएंगे कि कितने खाद्य तेल का आयात किया जाएगा जबकि पहले किसी दिन इस सभा में यह बताया गया था कि 10 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया जाएगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे पता नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : इसी सभा में आपके किसी साथी ने हमें यह बताया था। अब आप लोगों ने खाद्य तेलों का मूल्य बढ़ा दिया है। आपने कस्टम टेरिफ 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 190 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक कर दिया है।

स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल कीकीमत कम है। व्यापारी वर्ग कम मूल्य में तेल का आयात करके यहाँ के वर्तमान मूल्यों में इसे बेचता है इसलिए आपने सीमा शुल्क 40%, 50%, 60% से बढ़ाकर 190% और 200% तक कर दिया है। क्या सरकार दस लाख टन खाद्य तेल का आयात नहीं कर सकती ? पर वे ऐसा नहीं करेंगे, ओ० जी० एल० के अन्तर्गत व्यापारी वर्ग को खाद्य तेल आयात करने की अनुमति क्यों दी गई ? सरकार ने भारतीय लोगों की जरूरत के अनुसार कुल आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से क्यों नहीं किया ? आपने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से इसका वितरण क्यों नहीं किया ? बल्कि आपने उन्हें दस लाख टन तेल आयात करने की अनुमति दी, मात्रा कुछ भी हो, यह एक रहस्य है कि आप सीमा शुल्क को 40%, 50%, 60% से 190% से 200% तक बढ़ाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और कुछ हद तक पुनः खाद्य तेल के माध्यम से बजट के अन्तर में सन्तुलन रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें (भारतीय लोगों को) अधिक खर्च करना पड़ेगा। आपकी नीतियों का आखिर यही परिणाम होना है।

जब आप कहते हैं मूल्यों में कमी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं मूल्यों में कमी होने के कोई आसार नहीं है। इसके विपरीत मूल्यों में वृद्धि हो रही हैं, यदि आप पिछले दशक को देखें मूल्यों का झुकाव वृद्धि की तरफ है। ग्राफ में वृद्धि की तरफ झुकाव है। शायद एक साल कुछ कमी हुई। लेकिन 1971 और 1981 के बीच कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जब मूल्यों में वृद्धि न हुई हो।

तब इस भयावह मूल्य वृद्धि के लिए वास्तव में क्या किया जा सकता है ? हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था । यदि पिछले 34 सालों की मूल्य स्थिति का आप विश्लेषण करें, तो अपवाद स्वरूप । या 2 सालों को छोड़ कर प्रायः प्रत्येक वर्ष आप को मूल्यों में वृद्धि मिलेगी, ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी कुछ मूल नीतियां हैं जिन्हें आप कार्यान्वित कर रहे है ।

आप की कर नीति क्या है ? 1950 में कुल करों का 60% अप्रत्यक्ष करों से और 40% प्रत्यक्ष करों से वसूल किया गया था । इस वर्ष 83% अप्रत्यक्ष करों से और 17% प्रत्यक्ष करों से वसूल किया गया, अप्रत्यक्ष करों में भी सर्वाधिक धनराशि उत्पादन शुल्क से जमा की गई । 1950 में इस देश के लोग 62 करोड़ रुपये उत्पादन शुल्क देते थे, और इस वर्ष के बजट के अनुसार वे केवल उत्पादन शुल्क के रूप में 7200 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं । एक कप चाय, चीनी, सिगरेट, दिया सलाई, कपड़ा, चश्मे, जूते, दैनिक उपयोग की प्रत्येक चीज पर आपने उत्पादन शुल्क लगा दिया है, जीवन की हर जरूरत पर आपने उत्पादन शुल्क लगा दिया है और प्रायः हर वर्ष बेरोक-टोक आप उत्पादन शुल्क बढ़ाये जा रहे है उत्पादन शुल्क जितना अधिक होगा मूल्य उतने ही चढ़ेंगे ।

तब, घाटे की अर्थव्यवस्था ही आपके पास इसका उपाय है, मैं जनता सरकार और लोकदल सरकार का भी उल्लेख करूंगा, 1978-79 में यह घाटा 2003 करोड़ था - 1979-80 में 2780 करोड़ था और 1980-81 में यह 1975 करोड़ था' इस वर्ष आय के बजट में 1539 करोड़ घाटे की व्यवस्था है । इस साल वित्त मंत्री जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है—जब कुछ घाटे का सवाल आया, तो वे रुके और उन्होंने हमसे पूछा - "अन्दाजा लगाए कितनी राशि होगी" और फिर उन्होंने कहा यह 1539 करोड़ है । वे इस बात के लिए सराहना चाहते थे कि यह घाटा पिछले साल का आधा है ।

क्या मैं उनका ध्यान दूसरे पहलू की तरफ भी आकर्षित कर सकता हूं ? सरकार के पास बैंकों का कुल ऋण कितना है ? 1978-79 में जनता सरकार के दौरान बजट में 2003 करोड़ के घाटे का बजट था और सारे बैंकों से 2460 करोड़ का ऋण था, 1979-80 के बजट में 2700 करोड़ घाटे की व्यवस्था थी और कुल बैंक ऋण 3823 करोड़ रुपये था । श्री वेंकटरामन आपके बजट में 1975 करोड़ का घाटा है लेकिन कुल बैंक ऋण 5437 करोड़ रु० का है । आपके द्वारा तैयार किए गए बजट में मुद्रा प्रसार की स्थिति ऐसी है । इतनी मुद्रा प्रसार लागू करने पर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मूल्य नहीं बढ़ेंगे । जितना अधिक मुद्रा प्रसार होगा उतनी मुद्रा स्फीति बढ़ें गेऔर जितनी अधिक मुद्रा स्फीति होगी उतनी ही मूल्यों में वृद्धि होगी । आपने बैंक ऋणों के इस पहलू का कभी उल्लेख नहीं किया ।

अब मैं आपकी सार्वजनिक ऋणों की नीति पर आता हूं । आज आन्तरिक ऋण कुल 47,000 करोड़ रुपये के है । और आप की नीति ऐसी है कि आप एकाधिकारी घरानों को लाभ कमाने दे रहे हैं ।

जितना अधिक लाभ होगा आप उतना अधिक धन इकट्ठा करेंगे। आपकी कर नीति घाटे के बजट की नीति, आपकी बैंकों से ऋण लेने की नीति आपकी सार्वजनिक ऋण नीति, आपकी एकाधिकार वाले पूंजीपतियों को करोड़ों रुपये लाभ कमाने देने की नीति, ये सभी नीतियां केवल राजनैतिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं। पिछले 34 सालों में इस देश में पूंजीवाद की स्थापना करने का राजनैतिक उद्देश्य रहा है जो इस देश में 17वीं और 18 वीं सदियों में था, 17वीं और 18वीं सदी में एक तरफ वे किसानों को उनकी आजीविका वंचित कर और उनको उत्पादन के साधनों से वंचित करते थे ; और उनको भूखा रखकर और किसानों को भूमिहीन कामगार बनाते थे। दूसरी ओर उन्हें लूटकर और उनका धन छीनकर पूंजीपति दूसरे लोगों की जमीन पर कब्जा करके कालोनियां बनाते थे। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारत पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, आप एक बात भूल रहे है कि भारत का बहुत देर में—200 साल बाद पूंजीवादी देश के रूप में जन्म हो रहा। इसके बावजूद आप इस देश में पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा दे रहें हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए आप पिछले 34 सालों से कोशिश कर रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है ; और मूल्य वृद्धि के कारण आज आपको ऐसे संकट का सामना करना पड़ रहा है जैसा इस देश में कभी नहीं पड़ा। यह ऐसा संकट है जिसे आप हल नहीं कर सकते क्योंकि इस संकट को हल करना आपके बल बूते की बात नहीं है। जब तक आप मूल्यों के क्षेत्र की मूल नीतियों में परिवर्तन नहीं करते, तब तक आप स्थायित्व नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी कहें। आज स्थिति यह है। आप कहते हैं कि मुद्रा स्फीति की दर घट रही है। भले ही यह घट जाए फिर भी आप बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जब तक आप मूलभूत आर्थिक नीतियों में परिवर्तन नहीं करते तब तक आप मूल्य स्थिर नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री को सलाह दूंगा कि वे अपनी नीतियों में परिवर्तन करें।

चावल, दाल और ऐसी ही 14 दैनिक आवश्यकताओं की आवश्यक वस्तुओं को ले लीजिए, दैनिक उपयोग की 14 वस्तुएं जिनके बगैर गरीब आदमी जिन्दा नहीं रह सकता। आप उनक संग्रह करें। केन्द्र सरकार उनका संग्रह करे और राज्यों को उपलब्ध कराये ताकि राज्य अपने यहां की वितरण व्यवस्था से उन्हें वितरित करें। लोगों की क्रय शक्ति की सीमा के अन्दर उनके दाम निश्चित कीजिए। तभी आप लोगों को राहत दे सकते हैं। आपके 21 सूत्री कार्यक्रम और गरीबों को राहत देने की सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, कृपया अब ऐसा (नीतियों में परिवर्तन) करें, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मूल्य बढ़ेंगे और यदि मूल्य बढ़ते रहेंगे तो आगामी दो या तीन वर्षों में आपको गम्भीर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आप 1985 तक इंतजार नहीं कर सकेंगे। यहां ऐसे सभी आसार है। देश में बैचेनी और व्यग्रता के सारे लक्षण मौजूद हैं।

इसलिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए शीघ्र ही कुछ व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दोसा) : सभापति जी, देश की बढ़ती हुई कीमतें सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है ।

एक माननीय सदस्य : चलिए आपने माना तो ।

श्री नवलकिशोर शर्मा : सही बात मैं सभी मानता हूं—आप भी यह आदत सीख लें तो बड़ा अच्छा हो ।

सभापति महोदय, देश में बढ़ती हुई कीमतों के बारे में यह अच्छा किया जो वित्त-मंत्री महोदय ने इस विषय पर, इस सदन में स्वयं चर्चा उठाई ।

जार्ज फर्नान्डिस : हम लोगों की मांग पर ।

श्री नवलकिशोर शर्मा : माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कुछ कारगर सुझाव पेश करेंगे । वैसे आज दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। हिन्दुस्तान दुनिया से अलग मुल्क नहीं है । किसी भी डिवेलेपिंग देश में कीमतें बढ़ना स्वाभाविक होता है । मेरे मित्र सुनील मैत्रा कह रहे थे कि 1950 के बाद कीमतें बराबर बढ़ी हैं । कोई साल ऐसा नहीं गया जब न बढ़ी हों । असल में 1950 के बाद इस देश का विकाश शुरू हुआ । विकास-शील देशों का दुनियां का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनमें कीमतें न बढ़ें यह सम्भव नहीं है । इसको हम आइसोलेशन में नही देख सकते हैं । यह जरूर चिन्ता की बात है कि आदमी की जरूरत की चीजों की कीमतें भी बढ़ी हैं जो नहीं बढ़नी चाहिये । सरकार ने जैसा वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कोशिश की है कि कीमतें घटें । लेकिन कीमतों को घटाने का काम एक दिन में सम्भव नहीं हो सकता है । उन्होंने ठीक ही कहा है कि हम सप्लाई मैनेजमैंट की नीति पर चलना चाहते हैं जिसके मुताबिक प्रौडक्शन बढ़ाना एक काम है और उसके साथ ही साथ साथ ऐसे कदक भी उठाना चाहते हैं ताकि कीमतें घटें । यह जरूरी चीज है ।

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जनता और लोकदल की सरकारों के जमाने में हमारे देश में जो इनफ्रास्ट्रक्चर था वह अस्तव्यस्त हो गया, चरमरा गया, चाहे बिजली की बात हो । कोयले की बात हो, स्टील की बात हो, ट्रांस्पोर्ट की बात हो, मनी सप्लाई की बात हो, जो हालत जनता रजीम में हुई उसका परिणाम एक दिन में नहीं आ सकता था । परिणाम दूरगामी हुआ करते हैं । बिगड़े हुए उन हालात को ठीक करने में समय लगता है । हम सब जानते हैं कि बिजली के बिना चाहे खेती का उत्पादन हो या औद्योगिक उत्पादन हो, बढ़ नहीं सकता है । दुर्भाग्य से बिजली का उत्पादन जनता राज के जमाने में, लोक दल सरकार के जमाने में लौएस्ट हो गया था । उस स्थिति को आज सम्भाला गया है । आज बिजली का कैपेसेटी युटिलाइजेशन 48 परसेंट है । उस में और सुधार की गुंजाइश है । कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है । मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता । रेल ट्रांस्पोर्ट की मूवमैंट भी बढ़ी है । इस सबका नतीजा यह हुआ है कि हमारा जी.एन. पी. हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है । फिर भी हमको उन कारणों को तलाश करना होगा जिनकी वजह से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ।

यह सही है कि हम देश में जितना प्रोक्योरमैंट हमको करना चाहिये था नहीं कर पाए। मेरे मित्र राज्य सरकारों को दोष दे रहे थे। उनको भी दोष दिया जा सकता है। एक बात मुझे कहनी पड़ती है। आप जरा अपने दिल को भी तो टटोलिये, आपके यहां क्या हालात है? अभी वह पैरवी कर रहे थे किसानों की कि हम अपने देश के किसानों को बढ़ा कर कीमत नहीं देते हैं और अमरीका से 190 के भाव पर गेहूं खरीद रहे हैं। वह भूल गए कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जब एक बार बढ़ जाती है तो उसको कभी कम नहीं किया जा सकता है। आज अगर हम 1.5 मिलियन टन के लिए बढ़ी हुई कीमत दे रहे हैं और उतनी ही कीमत इस देश के किसान को देने लग जाएं तो फिर आइंदा के लिए इस कीमत को घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आप बैठे हैं जिनका काम आन्दोलन करना है। देश कितनी भी मुश्किल में हो, देश की कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब हो आपका काम तो यह है कि जितनी भी विपदायें हैं, मुश्किलें हैं उनका राजनीतिक फायदा उठायें। इसीलिये तो आपने किया था नागपुर मार्च। और आपने इस देश में मजबूर किया सरकार को. कुछ तो जस्टीफिकेशन था, मैं भी मानता हूं, किसान की कीमत बढ़ाने का, लेकिन आपने वह आन्दोलन करके किसान के मन में एक भावना पैदा कर दी कि प्रोक्यौरमेंट की रेट पर माल न दो। और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार के प्रौक्यौरमेंट में बाधा आयी। और इस सब कारणों से, क्योंकि हमारे देश की इकोनामी मार्जिनल इकोनामी है और मार्जिनल इकोनामी जिस मुल्क की हो वह मुल्क खतरे मोल नहीं ले सकता। इसलिये देश में बफर स्टाक की जरूरत है, और मैं इस बात का स्वागत करता हूं, इस कदम को अच्छा कदम मानता हूं कि देश में बफर स्टाक बनाया जाय, भले ही हमें वह इम्पोर्ट करके बनाना हो।

एक बात और नहीं भूलनी चाहिये कि इस देश में ज्यों ज्यों जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है। त्यों त्यों कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। हम इस बात को भूल जाते हैं आज हमारे देश में शुगर का कंजम्पशन 55 मिलियन टन के प्रोडक्शन के बाद थोड़ा है, वह हमारे लिये कम है। उसका कारण है। और कारण यह है कि देश में स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के साथ साथ जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका कंजम्पशन बढ़ता है। और वह बढ़ना चाहिये। तो देश में आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह स्वागत योग्य कदम हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में जब तक आप काले धन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश नहीं लगायेंगे, जब तक पैरलल इकोनामी चलती रहेगी, आपके सारे कदम उतने कारगर नहीं होंगे जितने कि होने चाहिये।

धारक बौंड का मैं तो समर्थक रहा हूं और हूं। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट के कारण इस देश में धारक बौंड के मामले में जो सफलता मिलनी चाहिये थी वह सरकार को नहीं मिली। वरना बहुत कुछ हद तक वित्तमंत्री का जो बजट का फोरकास्ट था वह सम्भवतः सही साबित होता और ब्लैकमनी एक हद तक निकल जाता लोगों के हाथ से। लेकिन मुझे आज यह जानकर खुशी हुई पिछले कुछ दिनों से वित्त मंत्री जी ने जो रेड्स और सीजर्स का अभियान चलाया है वह कुछ नतीजे देने लगा है। लेकिन यह अभियान और तेजी से चलना चाहिये। अब तक यह अभियान तेजी से नहीं चलेगा यह ब्लैकमनी निकालने वाला नहीं है क्योंकि इसकी जड़े बहुत गहरी हैं।

साथ ही साथ मुझे इस बात पर संतोष नहीं है, जैसा कि वित्तमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया है, आंकड़े देकर उन्होंने कहा हमने 1984 के अन्दर 2 लाख 90 हजार पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अन्दर दुकानें खोली हैं। इतने बड़े देश में यह 2 लाख 90 हजार दुकानें यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिये हम बात तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि अगर वास्तव में इस देश में हम कीमतों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसे कारगर बनाना होगा। खाली क्वान्टिटी के बारे में और नम्बरों के आंकड़े देकर इस देश के लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसका कोई नतीजा नहीं है, नीचे से आपको काम का जजमैंट करना पड़ेगा। इसलिये वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि इस मामले में सख्ती से आपको कदम उठाने चाहिये।

हमारे देश में ब्लैक मार्किट आम चीजों में काफी तादाद में होता है। लोगों को शिकायत यह होती है कि ब्लैक मार्किट में वही चीज मिल जाती है। अब तक हमने जो कदम उठाये हैं, उनका कोई नतीजा नहीं है। पिछले दिनों संसद् में जब एसैन्सियल कमोडिटीज के बारे में चर्चा हो रही थी तो बताया गया था कि 30,000 मुकदमे एक और 10,000 मुकदमे एक अदालत में पैंडिंग हैं। अगर इस तरह के मुकदमे बनाने से ही आपका काम चलने वाला है और आप समझते हैं कि इस रफ्तार से आप देश की ब्लैक मार्किट को बन्द कर सकेंगे, कीमतों को नीचे ला सकेंगे तो मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह धोखे में हैं। जरूरत इस बात की है कि इस ब्लैक मार्किट को और ऊंची कीमतों पर माल बेचने वाले लोगों को सख्ती से निपटा जाये। आपने संसद से यह अधिकार भी ले लिये हैं। अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। अब तक तो आपको बहाना भी था, लेकिन अब देखना यह है कि इस परीक्षा की घड़ी में आप कितने खरे उतरते हैं?

मैं एक-बात और कहना चाहता हूं कि इस देश में आपको कंज्यूमर्स मूवमैंट खड़ी करनी पड़ेगी। आप जब तक यह नहीं करेंगे, इस देश के लोगों में यह कांशसैनस नहीं लायेंगे कि वह जीवन की आवश्यक वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर न खरीदें, उनकी तरफ भागने की मनोवृत्ति को छोड़ें, तब तक काम होने वाला नहीं है।

मैंने पहले कहा है कि इस देश में मार्जिनल इकनामी है और हमें इस मार्जिनल इकनामी के आधार पर चलना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बढ़ती हुई आबादी के मुल्क में इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिये इस मार्जिनल इकनामी के जमाने में इस बात की जरूरत है कि एक स्ट्रांग कंज्यूमर मूवमैंट खड़ी की जाये और उस काम में मैं अपने विरोधी दल के भी जो सद्-विचार वाले लोग हैं, जिनमें राष्ट्र प्रेम है, उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि वह भी इस काम में सरकार को सहयोग दें।

मैं इस मौके पर सुनील मैत्रा साहब की एक बात की तरदीद करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस देश और सरकार की नीति पूंजीवादी है। मैं कहना

चाहूंगा कि इस सरकार की नीति पूंजीवादी कभी भी नहीं रही और पूंजीवादी नीति के कारण यह बीमारी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में हमने मिक्सड् इकनामी को स्वीकार किया है और इस आधार पर हम सोशलिज्म के रास्ते पर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आपको असल में यह बातें गले नहीं उतरतीं इसलिये कि यह आपके लिये करारी चोट है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूंजीवादी नीति होने के कारण इस देश की बीमारी नहीं, अगर समाजवादी नीति ही देश की बीमारी का इलाज होता तो जैसा में अखबार में पढ़ता हूं, अन्दर की बात तो डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जाने या हमारे मार्क्सवादी दोस्त जाने, चीन में भी भुखमरी है। चीन में भी मंहगाई की समस्या है। वहां भी बढ़ती हुई कीमतों की समस्या हैं। वह देश तो शुरू से एक रास्ते पर चल रहा है। उसने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर लिया ?

जैसा कि मैंने निवेदन किया है, कीमतों का सवाल चिन्ता का विषय है। वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदम दूरगामी कदम हैं। उनके परिणाम एक दिन में सामने नहीं आ सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके उठाए हुए कदमों से इंडस्ट्रियल प्राडक्शन बढ़ा है, जी.एन.पी. बढ़ा है, हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है, मनीइनफ्लेशन घटा है-22 परसेंट से 10 परसेंट पर आगया है। ये सब उपलब्धियां हैं। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं, यह चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन और इस देश के सभी प्रबुद्ध लोग कीमतों को गिराने में सरकार की मदद करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग और प्राफिटियरिंग करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे और संचय की मनोवृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठायेंगे।

मैं सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे देश में उत्पादन के बढ़ने का अवसर दें। उत्पादन के बिना बंटवारा किसका होगा ? उत्पादन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, तो कीमतें बढ़ेंगी। वे कभी कभी वोटों के लिए आन्दोलन करते हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का सही और गलत समर्थन करते हैं। वे देश-हित में इस प्रवृत्ति को भी त्यागें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : क्या श्री नवल किशोर शर्मा बताएंगे कि मार्जिनल इकानौमी क्या है ? क्या वह मार्जिनल इकानामी पर रोशनी डालेंगे ? (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि वित्त मंत्री के जो बयान यहां पर हुए हैं, उन पर विश्वास करना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने बहुत आंकड़ों का खेल खेल कर, जिसमें वह काफी होशियार हैं, और कुछ ऐसी बातें कह कर कि स्थिति सुधर रही है, कुछ मिला कर परिस्थिति में आशा नजर आ रही है इत्यादि, कुछ उत्साह की बातें सदन के सामने रखने का प्रयास किया। मैं उनकी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं कर सकता कि पिछले बीस महीनों से उनकी कथनी और करनी में, उनके वायदों और देश में पैदा हो रही स्थिति में कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं है।

मैं पुराने साल की बात अभी नहीं करूंगा, हालांकि इस लोक सभा के पहले ही सत्र में मैंने उस तरफ बैठने वाले-सरकारी दल के सदस्यों से यहां से एक अपील की थी कि अगर हर मामले में वे जनता-लोकदल का ही एक भूत खड़ा करके देश की समस्याओं की ओर देखते रहेंगे, तो वे कभी भी उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। मुझे अफसोस है कि अभी भी यह भूत बहुत से लोगों के सिर से उतरा नहीं है, और इसलिए बुनियादी समस्याओं पर विचार न तो नेतृत्व की ओर से हो पा रहा है और न ही साधारण सदस्यों की ओर से आज भी इस सदन में अभी नवल किशोर जी ने अपने भाषण के दौरान यही कहा कि स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और उसे दुरुस्त करना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम लोग करने की ओर जा रहे हैं। मैं आपको यह आप की ही सरकार की तरफ से निकाला हुआ परचा दिखा रहा हूं जो 1980 के जनवरी महीने में आपने निकाला है—1980 इयर आफ न्यू इनीशियटिव्ज। यानी एक साल का आपका जो भी काम रहा है उस में कैसे आपने सारी स्थिति को पलटने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

इस वर्ष हम प्रत्येक देशवासी के लिए अच्छे दिन लाने के लिए वचन बद्ध हैं। 1980 के दौरान किए गए कठिन परिश्रम के अच्छे आसार दिखायी देने लगे हैं। वर्ष 1980 के समाप्त होते-होते नवीनतम उपलब्ध आर्थिक लक्षणों से स्पष्ट है कि हमारा आर्थिक तंत्र पुनः पट्टी पर आ गया है और 1980 के आने वाले महीनों में अब और सुधार होगा और फिर आप शुरू करते हैं दाम, फिर वही आंकड़ों का खेल आप खेलते हैं कि पिछले महीने से 6 परसेंट नीचे उतर गया, पिछले सप्ताह से 2 प्ररसेंट नीचे उतर गया। यह खेल खेलने के बाद आप यह निवेदन करते हैं, आपकी सरकार की ओर से एक निवेदन है —

आने वाले महीनों में दूर-दूर तक हुयी शीत कालीन वर्षा, बढ़ा हुआ उत्पादन, और बिजली का अधिक उत्पादन इत्यादि सभी का मूल्यों के क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर भी सरकार यह देखने के लिए लगातार इन पर दृष्टि रखेगी कि मूल्य स्तर नियंत्रण में रहें और इस क्षेत्र में हुयी उपलब्धियों पर और अधिक सुधार हो सके ।

यह आप का बयान है। अब यह बयान आप करते हैं जनवरी महीने में और इस के बाद लगातार वित्त मंत्री एक के बाद एक ऐसे मजेदार बयान करते आए, 27 मई को बोले—

सरकार मूल्यों की असन्तोषजनक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए मुद्रा स्फीति विरोधी उपायों पर कार्य कर रही है।

यह 27 मई का बयान है। इसके ठीक एक महीने बाद 26 जून को बोले —

केन्द्रीय बित्त मंत्री श्री वेंकटरामन ने दिल्ली में कहा कि हम शीघ्र बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के उपाय लागू करेंगे। यू० एन० आई० से बात करते हुए श्री वेंकटरामन ने कहा कि मैं अभी इन उपायों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे लोग कल्पना करने लगेंगे। मैं इसके लिए सही समय चुनूंगा।

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सही समय आ गया है।

फिर यह सत्र शुरू होने के बाद अगस्त महीने में, इस बारे में सुना कि कोई टेलिविजन वाली प्रेस कान्फरेंस हो गई जिसमें कि आप पांच छः लोग बैठकर लोगों को सुनाये। मैं टेलिविजन देखता नहीं, इसलिए मैंने सुना ही है, अखबारों में पढ़ा मैंने, अखबारों में जो इसकी रिपोर्ट आई उस में यह बोले—वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन बोले और यह 13 अगस्त का अखबार है जिसमें आप की टेलिविजन पर कही हुई बात है :

वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन ने कहा कि मैं एक निर्धारित सीमा से उपर कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा"।

माननीय वित्त मंत्री महोदय क्या निर्धारित सीमा तक मूल्य बढ़ गए है ? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है आप बताएं कि क्या निर्धारित स्तर तक मूल्य वृद्धि हो गई है।

असल में जब वित्त मंत्री का बयान हो रहा था, तब मैं इस उम्मीद में था कि हमें रीजनेबल लेवेल का हिसाब बताएंगे। किसी को वहां ब्रेच मार्क की याद आई। मुझे उम्मीद थी कि वह हमें यह बताएंगे कि वह रीजनेबल लेवेल क्या है ताकि देश को मालूम हो, देश यह उम्मीद रखे कि हम लोगों के दाम प्रति महीने इतना बढ़ना यह रीजनेबल है। यह वित्त मंत्री का बयान एथाँटिक ऐंड एथारिटेटिव है। तो सब लोग अपनी लाचारी समझ कर बैठ जाएंगे, जिस तरह से उनको जीना है जिस तरह से मरना है, अपना अपना फैसला करके वह सब बैठ जाएंगे। हमें ऐसा क्यों रखते हो आप बयानों पर जिसमें आप यह कहते हो।

"घोषणा", 'उत्साहजनक झुकाव', 'पूर्ति प्रबन्ध' बहुत महत्वपूर्ण समझौता वित्त मंत्री महोदय इस प्रकार के वक्तव्यों से हम आजिज आ गए हैं।

कोई सुधार की उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें राजनीति है। प्रधान मंत्री, जिनके भरोसे आप सब लोग यहां बैठे हैं—आपने कहा था कि हम लोग कुछ नहीं हैं, वही अकेली हैं—वही प्रधान मंत्री अभी जून के महीने में 9 तारीख को कहती हैं :

"उन्होंने कहा कि सरकार मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कठोर उपाय करेगी, और ऐसा बिना आपातस्थिति लगाए किया जा सकता है।

देश की वर्तमान स्थिति का उत्तरदायित्व 1977 से 1980 तक जनता पार्टी और लोक दल सरकारों की अकर्मण्यता है। यदि मूल्य वृद्धि में नियंत्रण करने में हम असफल होते हैं तो कोई भी सरकार इन पर नियंत्रण नहीं कर सकती उन्होंने कहा"।

यह बड़ा खतरनाक बयान है। सिर्फ इमर्जेन्सी के लिए नहीं क्योंकि उसकी हमें फिक्र नहीं है, लेकिन यह बताना (1) कि जो भी दाम बढ़ रहे हैं वह जनता और लोकदल की वजय से और (2) कि अगर हम हल न करें तो कोई भी नहीं कर सकेगा। मतलब यह कि दामों में

कमी की उम्मीद को छोड़ो और हमारे पीछे लगकर हमारा साथ दो। (व्यवधान) तब फिर हम लोग यहाँ पर कौन सी चर्चा करने के लिए बैठे है ?

आज मैं आंकड़ों से परेशान नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं हैं, आपको उसमें विश्वास नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पिछले 18 महीनों में— जनवरी 12, 1980 से लेकर जुलाई 18, 1981 तक यह दस्तावेज जनता सरकार का नहीं है, आपकी रिजर्व बैंक का ही बुलेटिन हैं जिसके मुताबिक होलसेल यानी थोक के भाव आपने 27 फीसदी बढ़ा दिए। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें दालों के भाव 43 प्रतिशत बढ़ा दिए, आयल-सीड्स के दाम 40 प्रतिशत बढ़ा दिए, क्रूड पेट्रोल के 31 प्रतिशत बढ़ा दिए, फ्यूयल, पावर लाइटल्यूब्रिकेन्ट्स के दाम 45 प्रतिशत बढ़ा दिए, मिनरल आयल्स के 59 प्रतिशत बढ़ा दिए, चीनी, गुड़ और खाण्डसारी के दाम 53 प्रतिशत बड़ा दिए, एडिबल आयल्स के दाम 40 प्रतिशत बढ़ा दिये, टायर ट्यूब्स में 22 प्रतिशत दाम बढ़ा दिए। और आपने सबसे बड़ा हमला किसानों पर किया जब आपने खाद के दाम 70 प्रतिशत बढ़ा दिए। (व्यवधान) यह सब आपने 18 महीने में कर दिया। यह सारे आंकड़े रिजर्व बैंक के हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि आप आंकड़ों का खेल हमसे मत खेलें। और यह सारे आंकड़े होलसेल के हैं, रिटेल के नहीं हैं। रोज बाजार में क्या चीज किस दाम पर बिकती है इसकी जानकारी हमारे वित्त मंत्री जी को नहीं है लेकिन वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि थोक भावों को नीचे परकोलेट होने में समय लग जाता है। अगर अभी भी थोक भावों को नीचे रिट्ल के भावों में परकोलेट होना है तो हम नहीं जानते वित्त मंत्री हम को कहां पहुंचाना चाहते हैं ? आज ही हम लोग परेशान हैं और अभी दामों का परकोलेट होना बाकी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं :

जुलाई 1979 में जिस ब्रान्ड के मूगफली के 4 किलोग्राम के टिन की कीमत मात्र 47.55 रुपया की कुछ महिने पूर्व उनकी कीमत बढ़ कर 57.40 रुपये हो गई थी। इस पर हल्ला हो गया कि कितने दाम बढ़ गए। उसके बाद फिर अखबार लिखता है :—

जुलाई 1979 में 4 कि० ग्रा० का जिस ब्रान्ड का टिन 57.40 रु० में बिकता था उसकी नवीनत कीमत 90.00 से अधिक हो गयी है। और व्यापारियों का अन्दाजा है कि अक्तूबर से पहले त्यौहारों के मौसम में इसके दाम 100.00 रु० से उपर पहुंच जायेंगे।"

4 अगस्त 1981 को यह स्थिति थी।

यह एक उदाहरण है। टोमैटो आपने आठ रुपए किलो बिकवाया। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले आलू 25-30 पैं० किलो बिक रहा था। खाद्य मंत्री जो यहां पर बैठे हुए हैं, वे इसकी गवाही देंगे। मुजफ्फरपुर, बांदा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, जहां पर आलू की बड़ी फसल है, वहां 25-30 पैसे किलो में किसानों को आलू बेचना पड़ा।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिलकुल गलत।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको मालूम नहीं है, आपको जानकारी नहीं है—मुझे बहुत अफसोस है। प्याज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। लोग एक बार फिर मारे गए। प्याज का दाम ठीक नहीं मिला, और आज प्याज का दाम दिल्ली में 2 रु० और 2.50 रु० तक पहुंच गया है और 2 रु० और 2.50 रु० बिक रहा है। सभापति जी, इस तरह से दिल्ली में आपने दाम बढ़ाए और अभी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि सारी चीजें गलत हैं। आप किस दुनियां में हैं, इतनी आपको जानकारी नहीं है।

एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दाम पर रोक लगाना इस सरकार के बस का काम नहीं है। मैं उसके तीन मुख्य कारण रखूंगा और कुछ कारण हमारे मित्र, श्री सुनील मैत्रा, बोल चुके हैं। पहला, इनका जो बजट है, वह बजट नाम की कोई चीज नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हमें आश्चर्य हुआ कि दाल, पैट्रोल, डीजल और कैरोसिन आयल तथा इसके साथ-साथ खाद के दाम आपने बढ़ाए। दो हजार करोड़ रुपया वसूल करने का काम आपने इस संसद अधिवेशन के शुरू होने से चन्द दिनों पहले किया और आपकी सरकार ने, अधिकारियों ने, बयान दिया कि ओ.एन.जी.सी. के लिए पैसा लेने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तेल की खोज के लिए इस साल आप कितना पैसा खर्च करेंगे, क्या यह आपने फरवरी महीने में बजट पेश करते वक्त नहीं सोचा था, वित्त मंत्री बतायेंगे ? तो कहाँ है, आपका बजट, फरवरी महीने में आपने बजटपेश किया, मई महीने में फाइनेंस बिल पास किया, जुलाई में आप बोलते हैं कि हमें दो हजार करोड़ रु० इसलिए वसूल करना है क्योंकि हमारा ओ.एन.जी.सी. का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : 2600 करोड़ रुपया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 2600 करोड़ रुपया, तो इस तरह से आप कहां लोगों को** बोल कर फसायेंगे।

सभापति महोदय : वह अन-पार्लियामेंट्री शब्द है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : असत्य बोलकर फसायेंगे।

मगर, सभापति जी, सवाल यह है कि अगर इनके पास बजट नाम की कोई चीज न हो, अगले 12 महीनों का लेखा-जोखा न हो, कितना पैसा आना है कितना पैसा खर्च होना है, तो ये कैसे दामों पर रोक लगाने का काम करेंगे, किस तरह से इस मसले को हल करेंगे ?

दूसरे काले-पैसे का सवाल है। अभी श्री नवल किशोर शर्मा जी बोल रहे थे कि काले-पैसे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हरकतें की हैं। पिछली बार एक माननीय सदस्य ने कहा कि जार्ज फर्नान्डीस ने हल्ला किया कि स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक पर रोका जाए। इसके चलते पैसा नहीं

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

आया । मैं आपको फिर बोलता हूं कि यदि इसको फिर कोशिश में लाओगे, तो फिर हम वही काम करायेंगे । मेरी बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बात ठीक है ।

लेकिन एक चीज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने आज से चार सप्ताह पहले श्रीनगर में यह कहा कि मैं इसके पक्ष में नहीं थी । धारक बाण्ड योजना मंजूर करते समय मुझे गुमराह किया गया, मैं आज ही वित्त मंत्री से स्थिति का स्पष्टीकरण जानना चाहूंगी । प्रधान मंत्री को किसने गुमराह किया ? प्रधान मंत्री का कथन कार्यवाही प्रथा में है वे कल को यहां आकर कहेगी कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा । वे इस सदन में ऐसा कहने में माहिर हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा । लेकिन सच्चाई यह है कि एक बार ऐसा कहा गया है । यह एक से अधिक बार प्रकाशित हुआ है । प्रधान मंत्री को किसने गुमराह किया ? लेकिन जिनके लिए आपमें से कोई भी यहाँ नहीं हैं, और दुनियां में जिनके लिए आपको कोई उम्मीद नहीं है । ···(व्यवधान)···क्यों चिल्लाते हो (व्यवधान)···आजाद जी क्यों चिल्लाते हो । आपके घोषणा पत्र में लिखा है । आपकी पार्टी को क्या हो गया है ?(व्यवधान) "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) ही एक मात्र पार्टी है और श्रीमती इन्दिरा गांधी ही एक मात्र नेता है । देश की रक्षा कौन करेगा." यह आपने लिखा है, इसलिये परेशान मत होइये । उनको आप मिसलीड क्यों करते हो ? मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा-किसने उनको गलत दिशा दिखलाने का काम किया ? आज आप काले-पैसे पर रोक लगाने की स्थिति में नहीं हैं ।

अन्तुले साहब की चर्चा हो गई-लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूं—वित्त मंत्री जी, जब आप 15 : रुपये में सीमेन्ट बेचने का काम कर रहे हैं, जब आप दिल्ली शहर की जमीन को 10 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 50 हजार रुपये गज तक आक्शन करने का काम कर रहे हैं तो क्या इससे दाम गिराने का काम होगा या दाम बढ़ाने का काम होगा ? हम जानना चाहेंगे अगर सीमेन्ट के दाम बढ़ाने का फैसला, जमीन के दाम बढ़ाने का फैसला कंस्ट्रक्शन के दाम बढ़ाने का फेसला, दूसरी चीजों के दाम बढ़ाने के फैसले सही हैं, कानूनी हैं तो क्या ये काला पैसा बनाने के पोषक नहीं हैं । कालेधन के बाण्ड कालेधन के निर्माण के लिए प्रेरक है अगर दाम बढ़ाने के ये फैसले सही हैं, तो देश में जो हो रहा है, उस पर आप रोक लगाने की हालत में नहीं है ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जल्दी समाप्त करूंगा···(व्यवधान)···जिस फिजूलखर्ची में यह सरकार लगी हुई है···(व्यवधान)···आप वर्ल्ड बैंक के पास 700 करोड़ रुपए के लिए जा रहे हैं, आप इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड के पास 5000 हजार करोड़ रुपये के लिये जा रहे हैं—इन हालात में हमको अब भी यह बात जंच नहीं रही है । सरकार के साथ हमारे लाख मतभेद हो सकते हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है ··(व्यवधान)···दिल्ली में आप होटलों के 3000 कमरे बनाने जा रहे हैं और आपने इस देश के राष्ट्रीयकरण किये हुए बैंकों से कहा है कि विदेशों से कर्जा लेकर आप यहां होटलों के कमरे बनाने में लगा दो···।

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप की तरफ से एक शब्द भी इन्कार करने की बात आज तक नहीं आई है, हालांकि कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही है कि आप एक हजार करोड़ रुपया इस काम पर खर्च करने जा रहे हैं, इसी तरह से मारुति की चर्चा है—कितना रुपया उसमें डालने जा रहे हैं, क्योंकि बजट में तो एक पाई भी नहीं है, पंच वर्षीय योजना में भी उसका जिक्र नहीं है—तो बतलाइये यह पैसा आप कहां से लेने जा रहे हैं ?

तो यह फिजूलखर्ची चल रही है, मैंने दो उदाहरण दिये हैं, ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । इस फिजूलखर्ची के चलते मैं नहीं मानता कि इस सरकार की तरफ से दामों पर लगाम लगाने का काम कभी हो पायेगा । ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री जी को हम लोगों से सुझाव मांगना बेमतलब है । आपकी नीतियों में फर्क करना, मेरे ख्याल से आपके लिये सम्भव नहीं है, इसलिये मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि जो बात आप लोग कह कर यहां आये थे कि हम ऐसी सरकार चलायेंगे जो काम करेगी, इन्होंने एक ही काम किया दामों को बढ़ाने का, उसकी रफतार को बढ़ाने का । जब आप के बस का यह काम नहीं है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके आप यह स्वीकार कर लीजिए कि हमारे बस का यह नहीं है और मेहरबानी करके आप यहां से हट जाइए ।

इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय, अभी हम लोगों ने श्री सुनील मैत्रा के मार्क्सवादी तर्क और मेरे माननीय सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीस का उत्तेजक वक्तव्य सुना है । महोदय, जिस प्रस्ताव पर आज बहस हो रही है वह आर्थिक प्रस्ताव है । आर्थिक समस्याएं केवल आर्थिक समाधानों से हल हो सकती है न कि राजनैतिक समाधानों से, यह जानते हुए मैं केवल इसके अर्थशास्त्र तक ही सीमित रहूंगा । हम एक ऐसी राष्ट्रीय समस्या के बारे में बहस कर रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरा, विश्वास है कि कम से कम सदन में मूल्य और मिजाज एक के बाद एक नहीं बढ़ने चाहिएं । बाजार में ऐसा हो सकता है कि मिजाज और मूल्य साथ-साथ बढ़ें लेकिन जब मिजाज ठंडा हो जाता है, तब मूल्य कम नहीं होते । जिन्दगी के इस अनुभव से हमें समस्या के बारे में युक्तिपूर्वक' तर्कसंगत ढंग से और बिना किसी पूर्वाग्रह के सोचना चाहिए ।

आज मैं फिर दोहरा दूं कि हम वर्तमान मूल्यों की स्थिति पर विचार कर रहे हैं न कि जनता और लोकदल सरकारों के दौरान मूल्यों की स्थिति कैसी थी, इस पर विचार कर रहे हैं । भले ही आर्थिक क्षेत्र के किसी भी विश्लेषण के लिए अतीत के आंकड़े आवश्यक होते हैं क्योंकि आर्थिक बुद्धिमत्ता बहुत हद तक पूर्वापेक्षी होती है । हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए । क्योंकि हम इस बहस के दौरान उत्तेजना नहीं चाहते हैं बल्कि वास्तविक तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्य

ऐसा चाहते हैं, भले ही अब तक ऐसा दिखाई न दिया हो, जब भी हम वर्तमान मूल्यों के झुकाव के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें इसके सकारात्मक दृष्टिकोण को याद रखना चाहिए। यह सच है कि 12 जनवरी 1980 को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक के सम्बन्ध में मुद्रा-स्फीति की दर 22.2 प्रतिशत थी जो 10 जनवरी 1981 को घट कर 14.8 प्रतिशत रह गयी 8 अगस्त 1981 को समाप्त होने वाले सप्ताह में यह 10.3 प्रतिशत थी। मुझे इस बात का खेद है कि मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि हमने गलत आंकड़े सुने हैं। और मैं स्थिति की सही जानकारी देना चाहता हूं।

पिछले साल 8 अगस्त को थोक मूल्य सूचकांक में पहले साल की अपेक्षा 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी लेकिन इस साल इसमें केवल 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। यहां मैं इस बात को नजर अन्दाज नहीं कर रहा हूं कि देश में अब भी मुद्रा स्फीति की दर काफी ऊंची है। मुद्रास्फीत दर में कभी इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती कि वास्तव में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे ही बढ़ी है। इससे पूर्व इसी साल हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन ने कहा था कि इस साल दाम एक नये पठार को छुएंगे। परन्तु दामों का नये पठार को छूना पर्याप्त नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पठार के बाद भाव तलहटी में उतरेंगे। मैं मूल्य वृद्धि के कारणों को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है लेकिन यदि कोई तेजी से मूल्य वृद्धि के उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण करे, मुझे विश्वास है कि विपक्ष में बैठे हुए सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि आपभी इस के उत्तर दायित्व से नहीं बच सकते। जनता के धन से की गई सबसे बड़ी हेरा फेरी और आधार ढांचे का पूरी तौर से चरमरा जाना हमारे आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी दुखद घटना है जिसकी छाया आज भी हमारे ऊपर पड़ी है। मैं संसार में हो रही कच्चे माल और अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की चर्चा यहां नहीं करूंगा जिन का हमें आवश्यक तौर पर आयात करना पड़ता है ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर हमारा बहुत कम नियंत्रण है। फिर भी सामान्य मूल्य वृद्धि के इन कारणों पर तुलनात्मक रूप से हमें विचार करना होगा। चालू वित्त वर्ष में परिवर्तन स्वतः ही दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए इस साल पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि कुल मूल्य वृद्धि का 18% है जो पिछले साल से कुछ कम है। चीनी, खांडसारी और गुड़ के मूल्यों में काफी कम वृद्धि हुयी है यह इस साल केवल लगभग 2% है जो कि पिछले साल 39% थी। इसी तरफ साग भाजी, दूध, दूध के बने पदार्थ, मछली और मांस, दाल, तिलहन और खाद्य तेलों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुयी है। हर प्रकार से यदि देखा जाय तो मूल्य वृद्धि का एक विशेष रुख है। वस्तुकोई भी हो, मौसम का प्रभाव कम हो गया है। यह अच्छा लक्ष्य है।

मैं मौसम को भी कुछ हद तक इसके लिए उत्तरदायी मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे पोट्री और डेरी क्षेत्रों की असफलता पर भी प्रकाश डालें। आज मक्खन गायब हो गया है। यह दिल्ली और दूसरे शहरों में दुलर्भ हो गया है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पर आप प्रकाश डालें।

कुछ और भी संदेहजनक मामले हैं। कृषि मन्त्रालय से हमें जानकारी मिली थी कि इस साल गन्ने की अच्छी फसल होगी। यदि ऐसा हुआ होता तो हम इस साल क्यों 2 लाख टन

चीनी का आयात करते । हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर कृषि मन्त्री भी उपस्थित हैं । मैं चाहता हूं कि वे इस बारे में प्रकाश डालें ।

श्री वेंकटरामन से इस छोटी सी सूचना की जानकारी देने का अनुरोध करते हुए मैं उन मुख्य बातों की चर्चा करना चाहूंगा जिन्हें अब सरकार लागू कर रही है । मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण करने के लिए कोई खास नीति लागू कर रही है क्यों कि इससे पूर्व तीन साल तक जनता सरकार थी जिसकी कोई नीति नही थी । यहां तक की जो भी योजना थी उसे परिवर्तनशील योजना कहा गया था । यही कारण है कि मैं किसी नीति के बारे में पूछ रहा हूं । मेरा यह इरादा नहीं है कि मैं यहां पर नीति निर्धारित करूं या शोधार्थी की तरह वक्तव्य दूं क्योंकि संसद में शोधानुकूल वक्तव्य नहीं होते बल्कि यहाँ पर सामान्य बातें होती हैं । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक सामान्य तौर पर कोई बात समझ में नहीं आती कोई थ्योरी उपयोगी नहीं हो सकती । संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की आर्थिक नीति आठव दशक में अतीत से बिल्कुल भिन्न होगी । पिछले दो दसकों यानी छठे और सातवें दशकों की नीतियों में बहुत कम अन्तर था उन दिनों पूर्ति की परवाह किए बिना मांग का प्रबन्ध किए जाने की तरफ ध्यान दिया जाता रहा उन दिनों के नीशियन शोधार्थियों का योजना प्रक्रिया पर दबदबा था जिनका विचार था कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार का काम केवल माग की उपयुक्त स्तर पर पूर्ति करना है ।

केवल सरकार ही धनराशि छाप सकती है, जो मांग का प्रमुख साधन है, इसलिये यह मान लिया लगाया गया था कि केवल वित्तीय उपाय ही समस्त अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं । इस प्रकार सभी सरकारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु मांग है और धीरे-धीरे सप्लाई पक्ष गौण हो जाता है । अतः जब बाजार में वस्तुओं की भरमार थी तो यह सोचा गया था कि एक वित्तीय उपाय के रूप में बचत को निरुत्साहित करके और खर्च को प्रोत्साहन देकर संकट को टाला जा सकता है । इसी प्रकार कमी की स्थिति में पहली बात सरकार जो करेगी वह वस्तुओं पर भारी कर लगाना है और इस प्रकार कृत्रिम तरीकों द्वारा खपत को कम करने का प्रयास करना है । इस सब का प्रमाण सातवें और आठवें दशक के दौरान सभी बनाई गई लाइसेंस प्रक्रियाओं, पेचीदे कानूनों और व्यापार गतिविधियों के कानूनों का ताना-बाना है । एक वाक्य में उस समय मार्गदर्शी सिद्धान्त यह था- मांग से पूर्ति उत्पन्न होती है । मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस दृष्टिकोण में संसोधन किया है । मांग पक्ष की बजाए पहली बार हमने सप्लाई पक्ष को सुलझाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है । अब हम यह कहना चाहते है कि यदि मूल्यों में कमी नहीं होती है और यदि मुद्रा-स्फीति की दर में वृद्धि होती है तो सरकार केवल वस्तुओं पर कर लगाकर और कानून पारित करके समस्या को हल नहीं कर सकती है क्योंकि इससे केवल खपत को बढ़ावा नहीं मिलेगा अथवा यह कम होगी : हमारी सरकार की नई नीति सप्लाई पर बाधाओं को दूर करना, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कृत्रिम अवरोध को दूर करना है और निर्माण क्षेत्र को अवसर देना है ताकि वह बिना किसी कठिनाई अथवा बाधा के कार्य कर सके । सप्लाई पक्ष में विकास पर जोर दिया गया है और न कि वितरण पर ।

वास्तव में सप्लाई पक्ष माँग पक्ष के बिलकुल विपरीत है जिसका हम पहले अनुसरण कर रहे हैं।

यद्यपि में इस सैद्धान्तिक परिवर्तन से पूरी तरह सहमत हूं जो अब इस सिद्धान्त द्वारा पूरी तरह से बदल दिया जा रहा है कि सप्लाई मांग उत्पन्न करती है तथापि मैं प्रसन्न होता यदि सप्लाई में सुधार करने के लिए समग्र उपाय किये जाते।

सप्लाई पक्ष व्यवस्था में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग आधारभूत ढांचा है आधारभूत ढांचे में सुधार अधिक प्रयास और अधिक गति से किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधारभूत ढाँचे में सुधार हुआ है। इस तिमाही के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान बिजली उप्पादन में 17 प्रतिशत, कोयले के उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत और रेलवे द्वारा वस्तुओं की ढुलाई में लगभग 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में लगभग 26 प्रतिशत तक, सीमेंट में लगभग 19 प्रतिशत तक, अशोधित पेट्रोलियम में लगभग 64 प्रतिशत तक, पेट्रोलियम उत्पादों में लगभग 21 प्रतिशत तक और उर्वरक के उत्पादन में 65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि इन सभी सुधारों के बावजूद मेरा अभी तक विचार है कि हमारा आधारभूत ढांचा कमजोर है। हालाँकि कोयले के उत्पादन में इतनी भारी वृद्धि हुई है तथापि उद्योग में प्रयुक्त श्रेष्ठ ग्रेड के कोयले के लिये स्थायी कमी है। रेलवे में माल की ढुलाई में वृद्धि हुई है लेकिन अभी तक सोचना पड़ता है कि इसमें से कितनी वृद्धि ट्रक पर माल की ढुलाई के लिए अधिक मूल्यों के कारण है और कितनी वास्तविक है।

हमें यह भी देखना है कि अच्छी बरसात के कारण, जिससे पन बिजली के उत्पादन में वृद्धि है, बिजली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। यदि हमारी सप्लाई पक्ष को कार्य करना है तो सप्लाई पक्ष की व्यवस्था के अनुरूप आधारभूत ढांचा बनाना होगा जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में आगामी कुछ महीनों के भीतर हमारा प्रयास आधारभूत ढांचे को दुगुना करने का हो।

हम सभी के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण धन सप्लाई की स्थिति के बारे में होना चाहिए। जहाँ मैं देश में धन सप्लाई की स्थिति में कमी करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करता हूं, वहाँ मैं अभी भी महसूस करता हूं कि हमारी मुद्रा पद्धति में करेंसी को हाल में जब्त करना बहुत पर्याप्त नहीं है। नकद रिजर्व अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि की गई है। इससे बैंकों की नकदी में कमी हो सकती है। मैं महसूस करता हूं कि अत्यन्त महत्वपूर्ण बात व्यापार क्षेत्र को बैंक ऋण में कमी करना है। इस समय हमारे व्यापार क्षेत्र, अखाद्य व्यापार क्षेत्र, में बैंक ऋण 3,500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक का हो सकता है। यदि मैं गलती पर हूं तो वित्त मंत्री मुझे ठीक जानकारी दे सकते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : यह वित्त सरकार के आरक्षित भंडार कार्यों के लिए है।

श्री कमल नाथ : जब तक हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में अपनी धन स्थिति का उपचार और रोक नहीं लगा सकते हैं, जब तक हम उत्पादन, उत्पादिकता की कुछ तुलना

में अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि नहीं करते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी जारी रहेगी । सर्वोच्च आर्थिक विधि है कि मुद्रा-स्फीति उत्पादन की प्रति यूनिट धन की मात्रा मे वृद्धि द्वारा होती है । व्यापार क्षेत्र के लिए धन सप्लाई पर रोक लगाने के लिए किसी पद्धति और नियन्त्रण की युक्ति सोचना और दूसरी ओर निर्माण क्षेत्र को ऋण सुविधाओं में वृद्धि करना बहुत जरूरी है ।

पिछले सत्र में मैं वित्त विधेयक पर बोला था और मैंने विशेष धारक बॉड योजना बनाने पर वित्त मंत्री को बधाई दी थी । मैंने सोचा था कि यह एक अच्छी योजना है । इस योजना से 387 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और यह सरकार की मुद्रा-स्फीति रोधी नीति का अभिन्न अंग था । मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने कल के निर्णय द्वारा इसकी संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया है और सरकार के दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराया है । मेरे विचार से हमें 387 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हो जाती यदि केवल यह निर्णय थोड़ा पहले दे दिया जाता ।

खाद्यान्नों और कृषि मूल्यों के बारे में उल्लेख किया गया है । खाद्यान्नों के वसूली मूल्य के मामले में जिसके बारे में इस वर्ष बहुत मतभेद है कि वसूली मूल्य क्या होना चाहिये हमें कुछ बातों को समझना चाहिये । मैं किसानों से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्हें अदा किये गये मूल्य और आदान मूल्यों के बीच कोई सम्बन्ध होना चाहिये । कहीं न कहीं तर्काधार हो क्योंकि वसूली मूल्य में किसी वृद्धि से खुदरा मूल्य में वृद्धिहोगी जिससे मुद्रा-स्फीति संबंधी चक्र में पुनः वृद्धि शुरू हो जायेगी । इसका एक मात्र अन्य तरीका इसे राज सहायता देना है और यदि हम इसे राजसहायता देते हैं तो इससें बजट में और घाटा होगा और परिणामतः और कर लगाने पड़ेंगे ।

ये कुछ विरोधाभास हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा हैं । इस विरोधाभास का एकमात्र उत्तर सप्लाई को बढ़ाने के लिये वित्तीय व्यवस्था के प्रयासों में वृद्धि करना है और मांग को केवल उस सीमा तक सीमित करना है जिससे यह अर्थव्यवस्था पर प्रतीकूल प्रभाव न डाले । जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय अधिक उत्पादन करना है । यह मूल आर्थिक विधि है और इसके लिये कोई राजनीतिक हल नहीं है । जैसे मेरे मार्क्सवादी मित्र कहते हैं । कि चाहे यह चीन हो अथवा रूस अथवा अमरीका अथवा जर्मनी अथवा फ्रांस अथवा श्रीलंका अथवा नेपाल हो, यह मूल आवश्यक आर्थिक विधि है और जैसा मैंने कहा है आर्थिक रोगों का प्रतिजीवाणुओं द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है । एनासीन अथवा एस्प्रो जैसी कोई औषधि नहीं है जो आर्थिक रोगों का उपचार करे । जैसा मैंने कहा है जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय अधिक उत्पादन करना है । बहुत से उपाय और बहुत उपचारों का सुझाव दिया जायेगा लेकिन यह सभी चालें हैं । हमें आर्थिक समस्याओं को नीति ने सुलझाना होगा न कि चालों द्वारा । अलगाव से शुरू की गई कोई नीति अथवा कोई कार्यक्रम दीर्घ काल में केवल अधिक समस्याओं को उत्पन्न करेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस पक्ष के अपने मित्रों से इस अपील के साथ भाषण समाप्त करना चाहता हूं··· (व्यवधान)। मुझे विश्वास है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। मूल्य वृद्धि, जिसके बारे में शिकायत की जा रही है और जो आज के प्रस्ताव का विषय है, पर काबू पा लिया जायेगा बशर्ते कि यहां के मेरे मित्र सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों में गड़-बड़ी न करें और आर्थिक व्यवस्था में व्यवधान न डालें और अव्यवस्था पैदा न करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता—दक्षिण) : महोदय, मैं अपने मित्र से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान) श्री कमल नाथ ने कहा था कि सप्लाई अपनी स्वयं मांग उत्पन्न करती है। श्री वेंकटरामन आप जानते हैं यह 'से' के नियम के रूप में जाना जाता है। अब अर्थशास्त्रियों ने इसका विखंडन किया है आप यह किस प्रकार कह रहे हैं··· (व्यवधान)।

सभापति महोदय : अब डा. सुब्रहमण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्री वेंकटरामन के नियन्त्रण में स्थिति नहीं हैं और चाहे वह कुछ कहते हों लेकिन अब यह इस देश में अच्छी तरह पता चल गया है। कि यह सरकार मूल्यों को रोकने में असफल रही है और श्री वेंकटरामन के गत 18 महीनों के वक्तव्यों से इसका संकेत मिलता है श्री फर्नान्डीस इनमें से कुछ बातों का उल्लेख कर चुके हैं, और मैंने भी कुछ बातों को थोड़ा नोट कर लिया है····।

सभापति महोदय : क्या आप जार्ज फर्नान्डीस के साथ सहमत हैं ?

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : जब हम इस बेंच पर बैठे हुए हैं तो हम सहमत हैं। केवल जब वह उस पक्ष की ओर बैठते हैं तो हम असहमत होते हैं (व्यवधान)।

महोदय, गत वर्ष 23 अगस्त को श्री वेंकटरामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया था कि तीन महीनों के भीतर मूल्यों में गिरावट आ जायेगी। और ये मूल्य उस पठार पर पहुंच चुके हैं और बुरी स्थिति समाप्त हो गयी है। तीन सप्ताहों के अन्दर गत वर्ष 15 सितम्बर को श्री वेंकटरामन जब अहमदाबाद में थे तो उन्होंने कहा था "ठीक है, मूल्य काबू में नहीं थे", लेकिन उन्होंने कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी थी यदि मूल्य नहीं गिरते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने मूल्यों को चेतावनी दी थी अथवा मूल्यों को निर्धारण करने वाले व्यक्तियों को मद्रास में 13 सितम्बर को श्री वेंकटरामन ने एक अजीब वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था जो गृहिणी महसूस करती है वह उससे बहुत अधिक अलग है जो अर्थशास्त्री उन्हें सलाह दे रहे हैं। अन्य शब्दों में अर्थशास्त्री उन्हें बता रहे हैं कि मूल्य स्थिर है लेकिन गृहिणी ऐसा महसूस नहीं करती हैं और वह कहते हैं कि गलती गृहिणी की है और न कि अर्थशास्त्रियों की। इस वर्ष 1 सितम्बर को श्री वेंकटरामन ने जो कहा है वह 'डेकन हेराल्ड' में प्रकाषित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मूल्यों में कभी नही होती है तो मैं उन्हें काबू में लाऊंगा। क्या वह आपात स्थिति की घोषणा करेंगे अथवा क्या उनका आशय है कि वह इन पर काबू पाने के लिये कानून को लायेंगे···।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : बढ़ते मूल्यों को रोको ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बढ़ते हुए मूल्यों को काबू में लाओ—मुझे नहीं मालूम कि वह ऐसा किस प्रकार कर रहे हैं । अतः मामला यह है कि श्री वेंकटरामन योजनाओं को ला रहे हैं और ये सभी असफल रही हैं । 11 जुलाई को वह 'एकमुश्त' योजना लाये हैं । वह 'सप्लाई व्यवस्था' की बात करते हैं लेकिन 'एकमुश्त योजना' शत प्रतिशत मांग व्यवस्था की है-इसमें नकद रिजर्व, ऋण प्रतिबंध और व्याज दरों में वृद्धि है । वह सभी मांग व्यवस्था की तकनीकें हैं । लेकिन वह कहते हैं कि मैं 'सप्लाई व्यवस्था' ला रहा हूं । वह असफल हो चुकी है । 11 जुलाई को उन्होंने यह कहा था । आज वह संसद का सामना कर रहे हैं और वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वह मूल्यों पर किस प्रकार नियंत्रण करेंगे । उनका सामान्य बहाना है-सभी कुछ स्थिर हो गया है जो ठीक भी नहीं है—कि वे गलती पर हैं । मैं श्री वेंकटरामन को संसद के प्रति वचनबद्धता का ध्यान दिलाता हूं ।उन्होंने कहा था "यदि मैं मूल्यों को स्थिर नहीं कर सका तो मैं चला जाऊंगा । मैं इस बारे में स्पष्ट हूं । अतः मैं उनको याद नहीं दिलाऊंगा क्योंकि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं । वह गलत लोगों के साथ हैं । यह मैं जानता हूं मुझे विश्वास है कि वह त्याग-पत्र देना चाहते हैं तथापि प्रधानमंत्री उन्हें त्याग-पत्र देने की अमुमति नहीं दे रही है । यह भी मैं जानता हूं ।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि आप उनका उत्तर सुनने के लिये रुकेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यण स्वामी : जी हां । मैं केवल करूंगा···(व्यवधान) ।

हम भाषणों में सामान्य बहाना 'जनता शासन की देन' का सुनते हैं । वास्तव में वे 'जनता लोक दल शासन देने' की बात करते हैं । लेकिन मैं केवल 'जनता शासन देन' के लिये जिम्मेदार हूं । 'जनता शासन देन' क्या है ? हमने सुरक्षित भंडार में 230 लाख टन खाद्यान्न छोड़ा था । वह इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं । मेरे पास रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं । एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री द्वारा सप्लाई किये गये नवीनतम आँकड़ों के अनुसार अब इस समय यह भंडार 110 लाख टन रह गया है । 230 लाख से यह 130 लाख टन रह गया है यदि यह 110 लाख टन नहीं हैं । हमने विदेशी मुद्रा रिजर्व में 350 करोड़ रुपये छोड़े थे । श्री वेंकटरामन ने चुपके से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सूचना दे दी है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अर्थशास्त्री ने, जो मेरे भूतपूर्व छात्र हैं, मुझे बताया था कि सरकार ने उन्हें सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा रिजर्व 3,600 करोड़ रुपये रह गया है । हमने जो 5,300 करोड़ रुपये की राशि छोड़ी थी इतनी कम होकर वह अब 3,600 करोड़ रुपये रह गई है ।

सोने का भंडार भी कम हो गया है । जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो यह 260 टन था । अब यह 245 टन है । अतः मैं जानना चाहता हूं । कि वह देन क्या है जिसके बारे में वह शिकायत कर रहे हैं ? मैं इसको समझ नहीं सका हूं ।

दूसरा बहाना उन्होंने 'विश्वव्यापी कारण' का दिया है। 'विश्व व्यापी कारण' हमारे पर केवल ईधन और लुब्रीकेंट के जरिए प्रभावित कर सकता है। यदि आप मूल्य सूचकांक को देखें तो आपको पता चलेगा कि खनिज तेल केवल 4½ प्रतिशत है। यदि ईधन मूल्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती ···।

श्री वाई० एस० महाजन : 8½ प्रतिशत।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोयले सहित 8½ प्रतिशत है। यह आपका दायित्व है। यह विश्व व्यापी कारण नहीं है। मेरे विचार से आप अभी तक कोयले का आयात नहीं कर रहे हैं। सूचकांक में आयातित तेल का हिस्सा केवल 4½ प्रतिशत है यदि इसमें 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है तो आप देखगे अशोधित तेल में 50 प्रतिशत की वृद्धि से मुद्रा स्फीति में कुल योगदान केवल 2½ प्रतिशत है। मुद्रा स्फीति की दर 14 प्रतिशत है। इसमें केवल 2½ प्रतिशत आयातित हिस्से के कारण है। शेष के बारे में क्या है ? इसके लिये स्पष्टीकरण क्या है। हम सामान्य तर्क स्वीकार नहीं कर सकते है। आज की मुद्रा स्फीति का सबसे खराब हिस्सा यह है कि व्यापार की शर्तें किसानों के खिलाफ हो रही हैं। अन्य शब्दों में किसानों को जिस मूल्य पर वस्तुयें खरीदनी पड़ती हैं उनके मूल्यों की तुलना में किसानों को अदा किये जा रहे मूल्यों में धीमी गति से वृद्धि हो रही है।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : यह गलत है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृषि भवन के अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर आप यह नहीं जानते हैं।

लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जो आँकड़े दिये गये हैं उनसे व्यापार की शर्तें किसानों के विरुद्ध हैं। इस बारे में किसानों का शोषण किया जा रहा है। उर्वरकों के मूल्य, डीजल के मूल्य इन सभी में हुई वृद्धि सर्वविदित है और स्वभावतः किसान इसकी शिकायत कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वे संगठित नहीं हैं। उनका संघ नहीं है। अतः वे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह मामले का एक पहलू है।

दूसरा पहलू है कि इस मुद्रा स्फीति से सट्टा बाजार को बढ़ावा मिल रहा है।

यह गरीब और माध्यम आय वर्ग है जिसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है और वह पीड़ित है। यह आवश्यक वस्तुओं के मूल्य हैं जिनमें तेजी से वृद्धि हो रही है। व्यापार की शर्तें गरीब और मध्यम आय वर्ग के खिलाफ हो रही हैं।

ये दो पहलू हैं जिनके लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं जानता हूं कि उत्तर में वह इन सभी बातों का जवाब नहीं देंगे जो मैंने अपनी ओर से अच्छी तरह उठाये हैं। वह ऐसी बात की ले लेंगे जो मैंने विगत में कही है और उसको एक बड़ा मामला बना देंगे।

यह उनको लाभ है। लेकिन इस मामले की वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के उत्तर से देश संतुष्ट नहीं होगा।

श्री आर० वेंकटरामन : आप पराजय क्यों स्वीकार करते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने उनसे आशा छोड़ दी है।

सभापति महोदय : आपकी आशा कहां पर विद्यमान है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आगामी चुनाओं में सत्ता में आना। यदि हमारी पार्टी आगामी चुनाओं में सत्ता में आ जाती है तो देश के लिये पूरी आशा है। अन्यथा हमारे शासन के दौरान मुद्रा स्फीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। जनता शासन के दो वर्षों के दौरान मूल्यों में पूरी स्थिरता थी और मूल्य वृद्धि केवल 4.5 प्रतिशत थी। अब यह वृद्धि 15 से 16 प्रतिशत तक हो रही है। फिर भी मैं इस मुद्दे पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा।

मैं श्री आर० वेंकटरामन के आर्थिक विचारों के बारे में चिंतित हूं। वह बिलकुल वही हैं जो श्री रोनाल्ड रीगन अमरीका के बारे में कह रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री चक्रवर्ती ने कहा था और जान मेयनार्ड कोन्स के बाद पश्चिमी देसों में अप्रचलित अतिश्वसनीय अर्थशास्त्री 'जे० बी० से' ने कहा था – लेकिन नवीनतम अर्थशास्त्र ऐसा नहीं कहेगा कि सप्लाई अपनी मांग स्वयं बनाती है। लेकिन मामले की वास्तविकता यह है कि वह सप्लाई पक्ष के बारे में यह कह सकता है लेकिन प्रतिबन्धों के सन्दर्भ में, जो उन्होंने हाल ही में लगाये हैं, वह मांग पक्ष के बारे में कार्य करना जारी रखे हुए हैं।

वर्तमान सरकार के साथ, मैं कह सकता हूं, समस्या यह है कि वह मूल्यों को स्थिर रखने में असमर्थ है। जनता शासन के खिलाफ आम आलोचना क्या थी ? वह यह थी कि हम बहुत से अन्य आयोगों जैसे शाह आयोग, बावेजा आयोग और बहुत से अन्य आयोगों की स्थापना कर रहे थे। इस सरकार के खिलाफ शिकायत क्या है। यह कमीशन ले रही है जो मूल्यों में वृद्धि के लिये जिम्मेदार है। मैं श्री अंतुले का नाम नहीं लूंगा। मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कमीशन ली है। यदि किसी अमरीकी किसान को 180 रुपये अथवा 190 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है तो दिये गये सभी तर्क बेकार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार वे एक भारतीय किसान को 180 रुपये देते हैं तो वे उसे इससे कम नहीं दे सकते हैं।

आचार्य भगवान देव : मि० स्वामी, सैनिक तानाशाह जनरल जिया के विशेष निमंत्रण पर आप पाकिस्तान गये, वहां से कितने कमीशन लाये, वहां क्या सांठ-गांठ कर के आये, वहां की अर्थ व्यवस्था वगैरह भी बता दें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शेक्सपीयर में वे कहते हैं "प्रत्येक गंभीर नाटक में हास्य का पुट होना चाहिये।" अत. मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूं। उन्होंने यह दलील दी है कि

एक अमरीकी किसान को 180 रुपये दिये जाने चाहिए न कि एक भारतीय किसान को क्योंकि यदि आप एक भारतीय किसान को 180 रुपये देते हैं तो आप उसे कम नहीं दे सकते हैं। यह गलत दलील है। उन्हें 180 रुपये तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। वे बाजार में जा सकते हैं और खुले बाजार कार्य संचालन के जरिए बाजार मूल्य पर खरीद सकते हैं। सरकार की ओर से कोई वचनबद्धता नहीं होगी कि वह आगामी वर्ष इसी मूल्य पर खरीदेगी। वे अमरीकी बाजार में खरीद रहे हैं। इसकी बजाए वे भारतीय बाजार में खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि एक भारतीय किसान कमीशन नहीं दे सकता है जबकि एक अमरीकी किसान उन्हें कमीशन दे सकता है। और वास्तविकता यही है कि क्यों एक अमरीकी किसान को तरजीह दी जा रही है।

सभापति महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उन्हें समाधान बताकर भाषण समाप्त करूंगा। मैं जानता हूं कि वह पूरी तरह से बेबस हैं और उनके पास कोई संकेत नहीं है कि वह किस प्रकार समस्याओं को हल करेंगे।

सर्वप्रथम मैं श्री कमलनाथ के सुझावों का समर्थन करता हूं अर्थात् धन की सप्लाई पर रोक लगानी होगी और धन की सप्लाई और राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर के बीच कोई संबंध होना चाहिये। व्यवहार के रूप में धन की सप्लाई राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर से दुगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिये। मुझे मालूम नहीं है कि क्या उनके शासन में राष्ट्रीय आय में वस्तुतः वृद्धि हो रही है। लेकिन यह अनुमान लगाते हुए कि प्रति वर्ष 3½ प्रतिशत की विकास दर है तो धन की सप्लाई में वृद्धि की दर 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह ऐसी एक कार्यवाही है, यदि वे ले सकते हैं, जिससे मूल्य स्थिर बने रहेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं आपको बताता हूं कि सरकार को निविल बैंक ऋण के संदर्भ में जनता सरकार ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। घाटे को मत देखें। घाटे की कल्पना पुरानी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये ऋण के आंकड़े देखें। तब आपको पता चलेगा कि जनता सरकार ने उस सीमा को बनाए रखा था।

दूसरे, बहुत से नियन्त्रण पुराने ठेके के हो चुके हैं जो कि वस्तुतः पैसा जमा करने का तरीके है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति द्वारा आपको अपना भाषण समाप्त करने को कहा गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं देश की समस्याओं को हल करने के लिये सुन्दर हल बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पीठासीन होते समय उनकी बात सुनी थी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरे विचारों की सराहना करते हैं । वे नियन्त्रण, जिनका उपयोग कीमतों का गलत लाभ उठाने के लिये किया जा रहा है, इन नियन्त्रणों को हटाया जाना चाहिये । जनता सरकार ने चीनी की कीमतों में कमी किस प्रकार लाई थी ? हमने चीनी की बिक्री से नियन्त्रण हटा लिया था । आप भी वैसा कर सकते हैं । परन्तु आपको कमीशन नहीं मिलेगा । यही समस्या है । यदि आप अपना कमीशन छोड़ने को तैयार हैं तो आप चीनी की कीमत में कमी ला सकते हैं । (व्यवधान) ।

इसी प्रकार जनता सरकार के शासन काल में चीनी का भाव 2 20 रु० प्रति किलो था और हर जगह पर लोग इस बात को जानते हैं । आपको शायद पता न हो । देश में आप कहीं पर भी जाएं तो लोग जानते हैं । (व्यवधान) ।

हमने उनको उत्पादन लागत से अधिक पैसा दिया । प्रति क्विंटल 12 रु०·· (व्यवधान) चीनी कारखानों के मालिकों ने किसानों को ऐसा करने को बाध्य किया हमारी सरकार ने नहीं । वे आपके समर्थक थे, चीनी मिलों के मालिक, उनमें से कुछ खराब भी बनाते हैं । सरकार नियन्त्रण को तत्काल समाप्त कर सकती है । चीनी की कीमतें कम हो जायेंगी । देश को इससे लाभ होगा ।

दूसरे, खाद्य जोन समाप्त करदें । उन्होंने खाद्य जोन बनाए । यह भी कमीशन जमा करने का तरीका है । उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश से गेहूं का आवा-जावी बन्द कर दी गई । गुजरात और महाराष्ट्र के बीच खाद्य तेल के लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई । जब सामान इधर-उधर लाया-लेजाया जा रहा है तो वे रोक लगा देते हैं । पुलिस तथा उनके साथियों को कमीशन मिलता है । यदि ऐसा किया जाये तो खाद्य तेलों की कीमतें गिर जायेंगी ।

इसी प्रकार लेवी की बात है । यह फिर से बढ़ जायेगी । दिवाली को आने दें । यह बढ़ जायेगी । आप और रियायतें देना शुरू करें, इस प्रकार अनेक नियन्त्रण हैं जिनको हटाया जा सकता है परंतु यह नियमित बात बन गई है । यदि आप कमीशन छोड़ दें तो कीमतें कम हो सकती हैं ।

आज कीमतों में वृद्धि कर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार इन नियन्त्रणों के कारण हैं । यदि ये नियन्त्रण हटा लिए जायें तो कीमतों में कमी हो जायेगी ।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि वे एक और कदम उठायें, अर्थात यदि किसी व्यक्ति द्वारा बचत की जाने वाली तथा बैंक में जमा की जाने वाली सारी राशि को आयकर प्रयोजनों के लिये छूट योग्य कर दिया जाये तो इससे खर्चे में कमी करने को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे मांग में स्वतः कमी आएगी तथा परिणामस्वरूप कीमतों में कमी सरकार को यह कदम उठाना चाहिये । श्री वेंकटरामन "आयकर कानूनों में सुधार" की धमकी दे रहे हैं । परन्तु वे

ऐसा कर नहीं रहे। ये धमकियां ठोस कार्यवाही का स्थान नहीं ले सकती। वास्तव में यह धमकियां पैसा इकट्ठा करने का तरीका है क्योंकि इन धमकियों के आगे कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक निश्चित दृष्टिकोण अर्थात सारी बचत को आयकर से छूट-योग्य करना जिससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। रखना अच्छी बात है। इससे कीमतें कम हो जायेगी। मैंने ठोस सुझाव दिये हैं। परंतु मुझे इस सरकार से कोई आशा नहीं है। मैं तो केवल अगले चुनावों की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिससे कि अच्छी सरकार का शासन स्थापित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर सिंह।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि···।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम सभा में किस समय तक बैठने वाले हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : सात बजे तक।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी बोले। वह सदन छोड़कर जा रहे हैं। भाषण देने वाला हर व्यक्ति सदन छोड़कर चला जाता है और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जब महत्वपूर्ण चर्चा होती है···।

श्री आर. वेंकटरामन : मंत्री केवल खाली कुर्सियों को उत्तर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि पहले बोलने वालों को अधिक समय नहीं लेना चाहिये जिससे कि हर एक को अवसर मिल सके। अनेक वक्ता है और हमें समय नियत कर लेना चाहिये। हम अब तक बैठने वाले हैं ? मैं सभा का मार्ग दर्शन चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : अधिक से अधिक सात बजे तक। हम सात बजे के बाद नहीं बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है, अभी बहुत लोगों ने बोलना भी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सरकारी पक्ष के सदस्यों को नहीं बोलना चाहिये क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा तो उत्तर दिया ही जायेगा। उससे समय की कुछ बचत हो सकेगी।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय वित्त मंत्री को 6.30 बजे बोलने को कहा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सुझाव दूंगा कि हम सात बजे से पूर्व चर्चा पूरी करलें, वित्त मंत्री सात बजे उत्तर देंगे। प्रत्येक माननीय सदस्य को 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लेना चाहिये। श्री चन्द्र शेखर सिंह।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : महोदय, आपने क्या निर्णय किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रशेखर सिंह बोलेंगे ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं इस मामले की सैद्धांतिक पेचीदगियों की ओर नहीं जाऊंगा। वास्तविकता यह है कि आज के मुद्रास्फीति पाठ्यपुस्तकों की स्थिति नहीं है और इसे पाठ्यपुस्तकों के हल के अनुसार हल नहीं किया जा सकता । श्री सुनील मैत्रा को यह समझ लेना चाहिये कि पाठ्यपुस्तकों के हल के अनुसार विश्व में पूरी तरह से नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है । मैं जनता-लोक दल सरकारों के भूत को खड़ा करना चाहता और फिर उसे गिराना नहीं चाहता । वे प्रेत के और एक बुरे स्वप्न के समान नष्ट हो गये । मैं श्री जार्ज फर्नाण्डीस को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगा और उनके लिये कोई चिंता का कारण नहीं बनूंगा । वे काफी उत्तेजना, पैदा कर रहे थे । मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वे वर्तमान स्थिति का विश्लेषण भी नहीं करते और बजट तथा उस घाटे पर आम चर्चा करते रहे जो साल की समाप्ति पर होने की संभावना है ।

वर्तमान मुद्रास्फीति उस समय पैदा हो रही है जिस समय पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि तथा अन्य कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं तथा हमें मुद्रा-स्फीति को एक तरह से देश में आयात करना पड़ रहा है ।

मुझे इस बात से खुशी है कि हमारी सरकार ने स्थिति को यर्थाथवादी रूप से लिया है। इसने अपने आपको किसी वाद अथवा एक-पक्षीय दृष्टिकोण से नहीं बांधा है और स्थिति का सामना करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं ।

वास्तव में आज क्या स्थिति है ? इस मामले पर भावनाओं को उभारना बहुत आसान है परन्तु हमें स्थिति को अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से देखना है और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि 1979-80 में मुद्रास्फीति की दर 22.2 प्रतिशत थी । यह आपकी—इस सदन के विपक्ष— उपलब्धि थी । डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह बताने की कोशिश की कि जनता शासन के पहले वर्ष में मूल्य स्थिरता थी । परन्तु मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह किस कीमत पर थी ? हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वह समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता का समय था ।

फिर, आपने योजना को समेटना आरम्भ कर दिया और विकास व्यय में कमी आरम्भ कर दिया मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु तथ्य यह है कि उससे पिछले वर्ष में 27 प्रतिशत वृद्धि एवं उससे पिछले वर्ष 1976-77 में 31 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा योजना निवेश में केवल 17 प्रतिशत वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त, सरकार विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा ले रही थी और सोना बेच रही थी और खाद्यान्नों के भन्डार को बुरी तरह से समाप्त कर रही थी, विशेष

रूप से चीनी के भन्डार को जिसके कारण चीनी को कीमत बहुत गिर गई जिसका प्रभाव किसानों द्वारा गन्ने की उपज पर हुआ। इसका बहुत उल्टा प्रभाव हुआ और हमें विरासत में 22.2 प्रतिशत मूल्य वृद्धि प्राप्त हुई। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृतियों के बहुत सी दुरुह होने के बावजूद इस दर को 1980-81 में कम कर के 138 प्रतिशत पर लाया गया, जैसा कि वित्त मन्त्री ने बताया है और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष अर्थात 1981-82 में इसे घटाकर एक अंक के स्तर पर लाया जायेगा। मई में 0.8 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है और जून में केवल 0.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सच्चाई यह है कि मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृति निरन्तर जारी है और स्थिति से चतुराई से निपट कर हमारी सरकार नई दिक्कतों का सामना कर सकी है।

सरकार ने, जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया अपनी नीति ऐसी बनाई है जो न केवल सप्लाई-प्रबन्ध की है परन्तु मांग प्रबन्ध की है जैसा कि डा० सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा भी स्वीकार किया गया है सरकार ने मुद्रास्फीति की प्रवृति पर बहुमुखी हमला किया है अर्थात कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि लाना, अच्छे कार्य निष्पादन तथा अच्छे समन्वय के द्वारा आधार, ढाँचे में आने वाली रुकावटों को दूर करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना तथा मांग-प्रबन्ध की ओर धन सप्लाई और बैंक ऋण के विकास पर रोक लगाना और सार्वजनिक व्यय की ओर मोड़ना।

मैं सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि विश्व में हमारी क्या स्थिति है। इस वर्ष हमारी मुद्रास्फीति की दर का घट कर एक अंक के आँकड़े में आ जाने की आशा है परन्तु विकसित और विकासशील देशों में से कुछ देशों को छोड़कर, शेष अन्य में स्थिति और भी चिंतनीय हुई है। 1970 तथा 1980 के बीच, अमरीका, इंगलैंड, पाकिस्तान तथा बहुत से अन्य देशों में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक रही है। पाकिस्तान की मुद्रास्फीति की दर भारत से लगभग तीन गुणा है; ब्रिटेन का दो-गुना से अधिक है और अमरीका की वार्षिक वृद्धि, पिछले वर्ष के दौरान, लगभग उसी स्तरकी रही है। परन्तु हाल की प्रवृति यह है कि जुलाई में यह 15.2 प्रतिशत है यह विश्वव्यापी घटना है और हम अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों से अपने आपको अलग नहीं कर सकते सम्पूर्ण विश्व में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हुई है।

विपक्ष के बहुत-से सदस्यों ने बताया है कि हमारी अर्थव्यस्था खराब हालत में है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण कृषि उत्पादन 13.30 लाख टन के कीर्तिमान तक पहुंच गया है जो इस वर्ष की 18 प्रतिशत वृद्धि है। तिलहनों का उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ा है, चीनी का उत्पादन 52 लाख टन तक हुआ है। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अप्रैल से जुलाई (1981-82) के बीच विद्युत उत्पादन 17 प्रतिशत बढ़ा है। कोयले का उत्पादन 8 प्रतिशत तक बढ़ा है तथा रेलवे के सामान की ढुलाई में 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में 26 प्रतिशत तक, सीमेंट में 20 प्रतिशत तक, उर्वरकों के उत्पादन में 65 प्रतिशत तक, अशोधित पेट्रोलियम के उत्पादन में 64 प्रतिशत तक, पेट्रोलियम उत्पादों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है आदि। अप्रैल-जून 1981 के दौरान

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 1980-81 को 4.1 प्रतिशत वृद्धि तथा 1979-80 के 4.1 प्रतिशत के आपके कीर्तिमान की तुलना में 11.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है अतः समूची अर्थ-व्यवस्था का भविष्य सामान्यरूप से उज्वल है।

महोदय, सरकार ने हाल ही में साथ-साथ कई उपाय किये हैं। इस बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं ये एक मुश्त उपाय मूलतः मुद्रास्फीति-रोधी है। अर्थमिति आदर्श प्रणाली जिसके द्वारा मुद्रास्फीति की दर के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी की गई है, के अनुसार यद्यपि पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम का उपयोग करने वाली सेवाओं और सामान के मूल्यों के माध्यम से लगभग 0.7 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, तथापि इस वर्ष 1000करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिसमाधान से मुद्रास्फीति की दर में 0.5 प्रतिशत तक की कमी होने की संभावना है। इसके कुल परिणामस्वरूप इस वर्ष जुलाई में हुई पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि के कारण 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हो सकती है। अतः संकटग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त गेहूं, खाद्य तेल और चीनी का ऐसे समय में आयात किया गया है जबकि इनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक नहीं थे। इसका बाजार पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सरकार प्रभावीरूप से धन सप्लाई की वृद्धि को प्रतिबन्धित करने की नीति अपना रही है। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है कि मांग को कम करने के लिये बैंक दर तथा धन-सम्बन्धी अन्य उपाय किये गये। इन उपायों का कुल परिणाम यह होगा कि मुद्रास्फीति की दर कम हो जायेगी। गत जुलाई में आरंभ किये गये हैं उपायों से मुद्रास्फीति की दर में 2 6 प्रतिशत तक की कमी हो जायेगी। अर्थशास्त्री इस वर्ष मुद्रास्फीति में 12 प्रतिशत की वृद्धि की भविष्य-वाणी करते हैं परन्तु वर्तमान एक मुश्त उपायों से हमें पूरी आशा है कि इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर कम करके एक अंक तक कर दी जायेगी जो किसी भी सरकार तथा यहां इस सरकार के लिये बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, हम अपनी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के विनाशकारी और अस्थिरता लाने वाले प्रभाव के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं तथा इसका विशेष रूप से सामाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों पर प्रभाव पड़ता है परन्तु तथ्य यह है कि भारत उत्तरोत्तर विदेशों के कारण होने वाली मुद्रा-स्फीति से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान स्थिति विश्वव्यापी है और भारत का कार्यकरण विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में अच्छा है। हमें उत्पादन और उत्पादिता बढ़ाने तथा गैर-विकास सम्बंधी व्यय और अनुत्पादक रोजगार को कम करने के लिये लगातार प्रयास करना होगा परन्तु मुद्रास्फीति पर पूर्णतया नियन्त्रण करना कठिन है तथा हम सबको इस तथ्य को समझना होगा। मुझे विश्वास है कि यदि इस सरकार ने अधिक दृढ़तापूर्वक अपने उद्देश्यों के लिये कार्य किया तो वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगी तथा मूल्य एक उचित स्तर तक कम किये जा सकते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस को आश्चर्य हो रहा था परन्तु डा. स्वामी ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। परन्तु कोई भी

अर्थव्यवस्था मामूली मुद्रास्फीति को सह लेती है। इस मामले पर अर्थशास्त्रियों द्वारा सर्वत्र व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया है तथा कुछ निष्कर्ष निकले हैं।

जैसा कि मैंने आरंम्भ में सभा को बताया था कि बहुत कम वस्तुओं के लिये बहुत अधिक धन खर्च करने को ही मुद्र-स्फीति कहा गया है तथा सरकार बाजार में वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने और धन सप्लाई कम करने की भरसक कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री का कार्य बहुत कठिन होता है। उनको खर्च, बचत तथा निवेश करने के लिये इस देश के 70 करोड़ लोगों के अनगिनत निर्णयों को ध्यान में रखना होता है। मुझे विश्वास है कि इन परिस्थितियों में वित्त मंत्री तथा सरकार पूरी-पूरी कोशिश कर रही है। हमें आशा है कि सरकार इस देश में मुद्रा-स्फीति तथा इसके दबाव पर विश्वासपूर्वक तथा भली-भांति नियन्त्रण कर सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य-स्थिति पर वाद-विवाद आरंभ करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैंने इस पक्ष तथा उस पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा दिये भाषणों को भी गौर से सुना।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस समस्या को राजनीतिक ढंग से देखा है। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने इस विचार-विमर्श को आर्थिक ढंग से लिया है परन्तु मैं एक आम आदमी की दृष्टि से स्थिति को देखता हूं और यही एक अच्छा कारण है कि हम सभी अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में इस सुझाव पर सहमत हुए कि यह वाद-विवाद आरंभ करने तथा सरकार की निन्दा करने एवं नीतियाँ बनाने की अपेक्षा यह सरकार पर छोड़े कि वह स्वयं इस विषय पर चर्चा आरंभ करे जिस पर संसद सदस्यों सहित प्रत्येक व्यक्ति को चिंता हो रही है क्योंकि छठी योजना में विकास और उपलब्धियों की समूची प्रक्रिया देश में बहुत कुछ मूल्य-स्थिरता पर निर्भर करती है।

सभा को पूरी जानकारी है कि इस वर्ष वार्षिक योजना पर हम जो कुछ खर्च करने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में 80 प्रतिशत राशि चालू परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी। यदि मूल्यों में स्थिरता नहीं रहती तो हम छठी योजना में जितनी धनराशि खर्च करेंगे वास्तविक उसका मूल्य वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति से बहुत कम होगा। कम होगा। हमें इस तथ्य की जानकारी है कि परियोजनाओं की लागत हजार प्रतिशत तक बढ़ गई है। गत 34 वर्षों के दौरान एक भी ऐसी परियोजना नहीं रही है जिसका वित्त मंत्री उल्लेख कर सकें कि वह समय पर पूरी हुई हो, संसद तथा सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि में पूरी की गई हो। केन्द्रीय सरकार की एक भी परियोजना मंजूरी सीमा तथा निर्धारित समय में पूरी नहीं हुई है। यह एक ऐसा मामला है जिससे सबको चिंता हो रही है। हमें बहुत-सी अन्य परियोजनाओं की जानकारी हैं, चाहे यह सलाल परियोजना हो या मेट्रो रेलवे परियोजना हो अथवा राजस्थान नहर परियोजना हो या विभिन्न अन्य पन-बिजली तथा सिंचाई परियोजनाएं हो, जहां लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि आरंभिक अवस्थाओं में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी तो अब यह बढ़ कर

6000 करोड़ रुपये अथवा अधिक हो गई है। विभिन्न विकास परियोजनाओं की लागत में इस भारी वृद्धि के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार ही क्षीण हो रहा है। यह एक ऐसी बात है जो सरकार के लिये अत्याधिक चिंता का विषय है जिसे यह सुनिश्चित करना है कि मूल्य-स्थिरता बनाई रखी जाये ताकि हमारी विकास परियोजनाओं की लागत में कोई भारी वृद्धि न हो।

जहां तक मूल्य-स्थिति का सम्बन्ध है, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि जनता सरकार के समय या लोकदल सरकार का कांग्रेस (इ) सरकार के समय क्या-क्या तथ्य थे। अब कांग्रेस (इ) पार्टी सत्ता में है और मुझे माननीय वित्त मंत्री को उस समय सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब वह अपने आंकड़ों की 1979-80 के आंकड़ों से तुलना कर रहे थे जब हमारे साथ लोकदल और कांग्रेस (यू) थे तथा उनमें श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जो आपकी ओर चले गये हैं, शामिल थे तथा श्री वाई बी. चव्हाण भी शामिल थे जो स्वयं और बहुत से आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रतीक्षारत हैं।

इसलिए मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। किंतु माननीय वित्त मंत्री जी आप वर्ष 1979-80 के आंकड़ों के साथ तुलना करके कब तक संतोष प्राप्त करेंगे। वर्ष 1979-80 राष्ट्र के जीवन में एक असाधारण वर्ष था। इस अवधि में तीन प्रधानमंत्री रहे और तीन सरकारें रहीं। आप तो इस प्रकार संतुष्ट हो रहे हैं जिस प्रकार कैंसर का रोगी टी०बी० के रोगी को देखकर सन्तुष्ट होता है। आप तो उन आंकड़ों में संतोष प्राप्त कर रहे हैं जो तुलना के योग्य नहीं हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रिकार्ड को सीधा पेश करे - क्या यह सच नहीं है कि मार्च, 1977 में क्षेत्र मूल्य सूचकांक 84 था ? क्या यह सच नहीं है कि जुलाई 1979 में यह 211 था ? क्या यह सच नहीं है कि जनवरी, 1980 में जब आप सत्ता में आये थे तो थोक मूल्य सूचकांक 226.6 था ? और क्या यह सच नहीं है कि जनता शासन के 21 महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में प्रति माह 1 अंक की वृद्धि हुई थी ? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस (आई०) द्वारा समर्थित लोक दल-कांग्रेस सरकार शासन के दौरान प्रत्येक पखवाड़े में थोक मूल्य सूचकांक में 1 अंक की वृद्धि हुई ? क्या यह सच नहीं है कि इस वर्ष अर्थात् 1981 के पिछले 30 महीनों के दौरान मूल्य वृद्धि में 60 अंक की अर्थात् प्रति सप्ताह एक अंक की वृद्धि हुई है ? यदि ऐसी स्थिति है तो यह चिन्ताजनक बात है। इससे हमें चिन्ता होती है और आपको यह राय लेनी होगी कि इन स्थितियों में किस प्रकार सुधार किया जाए। हमारे पास 10। सुझाव हैं, जिन्हें सदन में नहीं पढ़ा जा सकता। किंतु मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पिछले वर्ष आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप वित्त प्रबंध का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद आपने यह बताया कि आप मांग प्रबंध का भी सहारा ले रहे हैं। अब आप आयात प्रबंध का सहारा लेने पर आ रहे हैं। और अब आप, जैसा कि कुछ सदस्यों ने सदन में बताया है 'ट्रस्ट प्रबंध' का सहारा ले रहे हैं। मुद्रा के प्रसार के बारे में आपका ऐसा दृष्टि

कोण है । यदि इन बातों का सहारा लिया गया तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि इससे अपेक्षित परिणाम निकलने वाले नहीं हैं ।

आपको 15 अगस्त में इकानामिक टाइम्स में एक लेख लिखने का समय मिल सकता है । इस लेख में आपका मुख्य दृष्टिकोण यह रहा है कि मुद्रा स्फीति की दर में कमी आई है । दूसरे आयातित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति का स्वत: आगमन होता है ।

जहां तक मुद्रा स्फीति की दर में कमी आने का सम्बन्ध है, यह केवल प्रतिशतता में कमी है । मान लीजिए कि 100 में 5 अंको की वृद्धि होती है तो यह प्रतिशतता 5% है । किन्तु 105 से ऊपर वृद्धि 5% वृद्धि नहीं कहलाएगी । 150 से ऊपर 5 अंकों की वृद्धि 5% नहीं कहलायेगी । उपभोक्ता प्रतिशतता वार खरीद नहीं करते । प्रश्न तो यह उठता है कि उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है और यह कटु सत्य है कि इस देश के उपभोक्ता में, इस देश की गरीब जनता को जो जनवरी, 1980 में 226 रु० का भुगतान करना होता था 19 महीने बाद उसी वस्तु तथा उसी सेवा हेतु अगस्त, 1981 में 289 रु० का भुगतान करना पड़ रहा है । जहाँ तक अंकवार वृद्धि का सम्बन्ध है हमें स्थिति का विश्लेषण करना होगा । जो आँकड़े आपने दिए हैं । वे आंकड़े झूठे हैं । आप आंकड़ों के मायाजाल का सहारा न लीजिए । इससे स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है ।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा और रिकार्ड को सीधे पूछना चाहूंगा, क्या मार्च, 1977 में रुपये का मूल्य 32·05 था ? जनवरी, 1980 में जब आप सत्ता में आये थे रुपये का मूल्य 32.05 था । अब 33 महीने में इसके मूल्य में 5.10 की कमी हुई, जबकि जून, 1981 में रुपये का मूल्य 22.78 था । 17 महीनों में इसके मूल्य में 4.17 पैसे की कमी हुई है । इस प्रकार मार्च, 1977 से जनवरी, 1980 के दौरान प्रति माह रुपये के मूल्य में 0.15 पैसे की कमी हुई है जबकि तथाकथित इस 'निधि-प्रबंध' युग के दौरान रुपये के मूल्य में 0.23 पैसे की दर से कमी आ रही है । इस प्रकार 4 महीनों में रुपये के मूल्य में एक पैसे की कमी हुई है । हम इस प्रकार इन बातों पर विचार करते हैं । हम तथ्यों का पता लगाते हैं और उनका हल खोजने का प्रयत्न करते हैं तथा आंकड़ों के मायाजाल में नहीं जाते ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप एक अच्छे सेल्समैन सिद्ध हुए हैं । आप पिछले वर्ष अपना बजट अच्छी तरह से बेच सकते थे ; आप इस वर्ष भी अपना बजट बेचने में सफल रहे हैं । जहाँ तक अगले वर्ष का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । आप सप्लाई प्रबंध में विफल रहे हैं, और जहाँ तक 'ट्रस्ट प्रबन्ध' का सम्बन्ध है, आपकी जगह कोई और व्यक्ति आने वाला है क्योंकि आपसे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है । मैं आपको शुभ कामनायें देता हूं क्योंकि आप मेरे निजी मित्र भी हैं । यह बात मैं थोक मूल्यों के बारे में बता रहा हूं । अब मैं खुदरा मूल्य सूची की बात करता हूं । आप मेरा प्रतिशोध कर सकते हैं । ये सभी आंकड़े सरकारी आंकड़े है मुझसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती

हैं। मैं एक अनुभवहीन व्यक्ति हूं। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ट्रिब्यूनलों के प्रशासन के रूप में 22 वर्ष रहे हैं। आप मद्रास में उद्योग मंत्री रहे हैं और आप योजना आयोग में भी रहे हैं। आपकी उम्र मेरे पिता की भांति 75 वर्ष है। आपको काफी अनुभव है। आप आंकड़ों का माया-जाल फैलाने का प्रयास न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वित्त मंत्री की सही उम्र नहीं बता रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : व्यक्ति की उम्र की पहचान उसके सोचने के ढंग से होती है और औरत की उम्र की पहचान इस बात से होती है कि वह कैसी दिखाई देती है।

मार्च, 1977 में खुदरा मूल्य सूचकांक 312 था। जनवरी, 1980 में यह 371 था। 33 महीनों में 59 अंक की वृद्धि हुई। किन्तु जून 1981 में थोक मूल्य सूचकांक 439 था। 17 महीनों में 68 अंकों की वृद्धि हुई। 33 महीनों में मूल्य वृद्धि एक माह में 2 अंकों से कम थी। किन्तु 17 महीनों में यह वृद्धि प्रतिमाह 4 अंकों की वृद्धि थी। और इन सभी आंकड़ों के, जो रिजर्व बैंक बुलेटिनों में प्रकाशित हुए है, बावजूद वित्त मंत्री जी और यह सरकार ऊंचे स्वर में यह दावा कर रहे हैं कि मुल्यों में कमी आई है। मूल्यों में यह कमी कहां हुई है ? यह कमी पिछले सप्ताह की तुलना में है। यह कमी पिछले महीने की तुलना में हो सकती है। यदि आप सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करें, तो आप देखेंगे कि मूल्यों में कोई कमी नहीं आई है, यह कमी मात्र आंकड़ों का माया जाल है—और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आप को तथा इस राष्ट्र को धोखा न दें। उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिसका उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया है।

इसी प्रकार थोक मूल्यों के बारे में भी मैं पहले ही कुछ बातों का उल्लेख कर चुका हूं। आपके लेख में दूसरा मुद्दा स्वतः स्थानांतरण बल्कि यूं कहिए कि आयातित मुद्रा स्फीति के बारे में था, जो इस देश में प्रवेश दिया जा रहा है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र अमरीका, चीन, यू० के०, कनाडा, आस्ट्रेलिया अथवा जर्मनी में इसकी तुलना कर रहे थे। जापान और अमरीका सहित सभी देशों में मुद्रा स्फीति हो रही है। किन्तु इसमें तुलना करने की क्या बात है ? हमारे देश में कर राजस्व की कुल राशि 20 मिलियन रु० है जबकि अमरीका का कुल कर राजस्व 500 मिलियन डालर है। इसमें तुलना की कोई बात नहीं है। अमरीका में प्रति व्यक्ति आय क्या है ? वहां की दर हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। उदाहरणार्थ एक ड्राइवर अथवा चालक की आय हमारे देश के प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा है। वहां पर ड्राइवर का काम हमें कार में ले जाना है। वह अपनी कार में आता है, कार को खड़ी करता है और तब कहीं जाकर हमें कार में ले जाता है। आप ऐसे लोगों से तुलना क्यों करते हैं ? आप उनके साथ तुलना नहीं कर सकते।

आप गरीबी के रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ओर देखिए। पिछले 34 वर्षों में हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या लगभग 50% से 60 प्रतिशत है। आपने उनके लिए क्या किया ? उन लोगों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वह यह है कि हम मुद्रा स्फीति का आयात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य 2 डालर प्रति बैरल कम है ? उन्हें यह सस्ते दाम पर कैसे मिल सकता है। आप कह सकते हैं : हमने विदेशी करार कर रखे हैं। हम उन करारों में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे और मौके पर खरीद के लिए जैसा कि एअर इण्डिया ने किया है। हम बाजार में क्यों नहीं जाते ? उन्होंने 1.5 करोड़ रु० की बचत की है। उसने अपने पिछले करारों को रद्द कर दिया है और तेल की मौके पर खरीद की है। उन्होंने 1.5 करोड़ रु० की बचत की है। भारत सरकार भी ऐसा क्यों नहीं करती ? क्या यह सरकार ने सभी बातों को पूरा करने का ठेका ले रखा है ?

यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आज यह 2 डालर कम है तो पिछले वर्ष तो यह और सस्ता होगा। यह हमारे लिए मंहगा है क्योंकि हमें उत्पाद-शुल्कों का भुगतान करना होता है क्योंकि सरकार धन संचित करना चाहती है।

आपको खाद्य तेल प्राप्त हो रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल काफी सस्ते हैं ? और ये सस्ते हैं, तो उपभोक्ता को ये खाद्य तेल सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा, सरकार ने सोचा : "कि हमें भी इससे कुछ मुनाफा कमाना चाहिए।" इसलिए आप उत्पाद शुल्क टैरीफ (संशोधन) विधेयक था। आपने एक अध्यादेश जारी कराया और 150% अथवा 200% का उत्पाद-शुल्क लगा दिया। क्यों ? आपको कम से कम खाद्य तेलों के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए थी, ताकि उपभोक्ताओं को यह मद सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जा सके। किंतु आप इसे सहन नहीं न कर सके।

खाद्य तेलों के सस्ता होने का क्या कारण है। चीनी में प्रति किलो 1 रु० की कमी आई और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अनेक वस्तुएं सस्ती हैं। अतः मुझे यह कहते हुए दुःख है कि जहाँ तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, हम मुद्रा स्फीति का आयात नहीं कर रहे हैं।

आप गेहूं का आयात कर रहे हैं। आपने पहले कहा था कि "हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वृद्धि करने के लिए, ऐसी प्रत्येक वस्तु का आयात कर रहे हैं, जो सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं।" किंतु इससे कोई अपेक्षित परिणाम नहीं निकल रहे हैं। अतः इन दो कारणों से यह एक विडम्बना बन गई है, झूठा प्रचार मात्र बनकर रह गया है। हम जो कुछ भी आयात कर रहे हैं, वह अपेक्षाकृत सस्ता है किंतु सरकार आयात शुल्क लगाने और इसे मंहगा बनाने का प्रयास कर रही है। इससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसी प्रकार से गेहूं के सम्बन्ध में भी यही बात है कि न तो उत्पादक को अधिक मूल्य मिल रहा है और न ही उपभोक्ता को यह कम दर पर प्राप्त हो रहा है, इसके बीच में कोई और ही व्यक्ति है, यह बिचौलिया है जो इस सरकार की दोषपूर्ण नीति इन सब बातों का लाभ उठा रहा है। उपभोक्ता को अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ रहा है। इस स्थिति में सुधार करना होगा। उत्पादन को अधिक मूल्य देना होगा और उपभोक्ताओं को इसे कम दर पर उपलब्ध कराना होगा।

इतने कम समय में, इन सभी सुझावों को बताना सम्भव नहीं है। वे विभिन्न दलों के संसद सदस्यों की एक बैठक बुला सकते है। हम मूल्य स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें कुछ सुझाव दे सकते । किन्तु मुझे शंका है और मुझे यहाँ केन्द्रीय हाल में मुझे ऐसा कुछ सुनने में आया है कि सरकार अब आर्थिक मोर्चे पर विफल हो गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी बुरी है, यह काफी अव्यवस्थित है और संकट से अव्यवस्थ की स्थिति में पहुंच चुकी है, दयनीय स्थिति हो चुकी है, और इन बातों पर नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है, और श्री बेंकटरमन, मुझे आप से सहानुभूति है आप सभी अच्छी धारणाओं के साथ अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। दो वर्षों पूर्व पूर्णतः अकुशल प्रबंध हो सकता था किंतु अब कुप्रबंध कुशलता के कारण चला है। इन सभी ट्रस्टों तथा निधियों के जरिये हवाला सौदे चल रहे हैं। इस प्रकार आप मुद्रा प्रसार को रोक रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्या आप सदन में इस पर प्रकाश डालेंगे ?

क्या बम्बई के एक अमुक सज्जन ने सूचना दी थी तथा राज्यपाल को कुछ जानकारी दी थी—मैं उस व्यक्ति का नाम बताना नहीं चाहता कि उसने 20 लाख रु० की श्वेत राशि तथा 30 लाख रुपये जो काले धन का भुगतान किया था ? आसूचना ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की गई थी। मामला और कागजात प्रधान मंत्री के पास लम्बित हैं। वह आज उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे परन्तु मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री से पता करने के पश्चात वे इस सदन को आश्वासन देंगे कि यह सच है अथवा नहीं। यह केवल मात्र एक उदाहरण है। मुझे बहुत अफसोस है। परन्तु श्री तुलमोहन राय, संसद सदस्य का मामला है जिसने 40,000 रु० लिये और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है तथा उसे जेल भेजा गया। 40,000 रु० के लिये आप संसद सदस्य को जेल भेजते हैं। अब क्या हो रहा है—2½ करोड़ रु० गन्ना उत्पादकों का लिया गया, 5 करोड़ चीनी मिल मालिकों से, 97 करोड़ रु० एक ट्रस्ट से तथा इस प्रकार की बातें हैं। यदि सरकार स्थिति से नहीं निपट सकती और ग्रामीण विकास नही कर सकते तो ट्रस्टों की स्थापना करने एवं उनके माध्यम से काम करने की क्या आवश्यकता है। क्या भारत सरकार अथवा आप यह कह सकते हैं कि अगले बजट में ऋण की समेकित निधि से 20,000 करोड़ रु० की राशि ट्रस्टों को अन्तरित की गयी चूंकि यह सरकार कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकती, आप ग्रामीण विकास नहीं कर सकते और इसलिये आप यह ट्रस्ट बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप धारक बॉंड योजना पुनः आरम्भ कर रहे हैं, क्या आप विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, जैसा कि किन्हीं अवसरों पर सुना जा रहा है : और क्या आप योजना तथा गैर योजना व्यय में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इसके कारण मूल्य वृद्धि हो रही है तथा इस देश में मुद्रा स्फीति कम बढ़ रही है ? क्य वित्त मंत्री उस पद्धति को अपना रहे हैं, जो डेनमार्क अथवा स्वीडन जैसे छोटे देशों में है, जहां पर देश में मजदूरों के वेतनों में तथा मजूरों पर मूल्य वृद्धि होने के साथ स्वतः साधन हो जाता है। मुझे विश्वास है कि अन्य अनेक सुझाव भी होंगे। परन्तु जब तक विकास तथा गैर-विकास व्यय में 10 प्रतिशत कटौती न की गई तब तक आप धन सप्लाई को रोक नहीं सकते। आपको इस और व्यर्थ के व्यय पर ध्यान देना है।

हमने आप को सब शक्तियां दी हैं—कालाबाजारी अवरोधक अधिनियम, आवश्यक वस्तुएं की सप्लाई अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आदि इन सब शक्तियों के बावजूद, लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए आश्वासनों के बावजूद, यह इस सदन में दिए गए आश्वासनों के बावजूद, सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में असमर्थ रही है। कीमतें बिना रोकटोक, अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही हैं और मुझे दुख है कि यह सरकार मूल्य वृद्धि को नहीं रोक सकेगी। सरकार को कुछ करना चाहिए। कीमतों को रोकने के लिए आप इस सभा से जो भी शक्तियां चाहते हैं, मेरे दल तथा विपक्ष से आप जो भी सहयोग चाहते हैं, हम उसे देने को तैयार हैं। परन्तु इन सांख्यिकीय आंकड़ों में न उलझें। इस से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप को उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका हमें 1980 में करना पड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को फिर से यह याद दिलाना है कि किसी सदस्य को 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

श्री बी० आर० नहाटा (मन्दसौर) : माननीय सदस्य कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की समस्या पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्य यह कह रहे हैं कि वित्त मंत्री को आंकड़ों का मायाजाल नहीं फैलाना चाहिये। परन्तु एक ओर वे यह कहते हैं तो दूसरी ओर वे स्वयं आंकड़े उद्धृत कर रहे हैं। क्या यह केवल हम पर ही लागू होता है अथवा उन पर भी लागू होता है। यदि आंकड़ों से परिणाम नहीं निकलने वाले तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मुद्रास्फीति तथा कीमतों में वृद्धि की सारी समस्या एक बात पर निर्भर करती है। आप को पहले यह देखना होता है, चूंकि यह नहीं कहा जा सकता कि आप तुलना नहीं कर सकते। परन्तु तुलना तो इस कारण किया जाना जरूरी है कि कीमतों को रोकने के लिये इस बात का पता चल सके कि जो प्रयास किये गये, जो भी प्रतिबन्ध हमने लगाये और जो भी कदम उठाये हैं, क्या वे प्रभावी सिद्ध हुए हैं अथवा नहीं।

महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूं कि मुद्रास्फीति की दर जो 22.3 प्रतिशत थी, क्रमशः गिर रही है। जब उसमें क्रमिक गिरावट आ रही है तो यह नहीं कहा जा सकता। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप कभी बाजार नहीं जाते।

श्री बी० आर० नहाटा : यह बाजार की बात नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं वह इस स्थिति के लिये जिम्मेदार है। यदि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि अर्थशास्त्र में धन की मात्रा सिद्धांत बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं। धन के मात्रा सिद्धांत के अनुसार यदि परिचालन में कुल धन तथा उसके वेग को सौदों की संख्या से विभाजित किया जाये तो तब आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है। इस आधार पर हमें आज की स्थिति को देखना चाहिये। उत्पादन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण है। जब तक उत्पादन में प्रतिदिन वृद्धि नहीं की जाती उत्पादन को भी विचार में रखना होता है—परन्तु एक बात है कि केवल उत्पादन द्वारा भी लोगों की

आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जब हम जनसंख्या पर नियन्त्र ा की बात करते हैं तो हमारे मित्र अनेक प्रकार की बातें करते हैं। परिवार नियोजन यह है और वह है और उन्होंने कहा कि मूल्यों में वृद्धि का कारण परिवार नियोजन का न होना है क्योंकि उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं की जा सकती। और तब उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं की गई है। तब एक बात और आती है। वे क्या कर रहे हैं? वे प्रत्येक अवस्था पर रुकावटें पैदा कर रहें हैं। जब भी सरकार उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये कदम उठाती है और गलत गतिविधियों को रोकती है तो वे सरकार को वैसा नहीं करने देते। वे शोषण के द्वारा पैसा वसूल करना चाहते हैं। इस प्रकार के सारे कानूनों का वे विरोध कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि अब हड़तालें नहीं होंगी वे कहते हैं कि हम जनता की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम लोगों की स्वतन्त्र ा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। परन्तु हम उत्पादन में कभी भी नहीं आने देना चाहते। कीमतों को काबू करने की सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन को बढ़ाया जाये। उत्पादन को बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि हम कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ायें। उत्पादन बढ़ाने के बाद क्या हुआ?

उन्होंने हमें किस स्थिति में डाला? यदि आप उस स्थिति को देखें तो पता चलता है कि सारे विकास के पीछे बिजली के उत्पादन में वृद्धि थी। वर्ष 1979-80 में जब वह शासन में थे तो स्थिति बहुत ही विकट थी। यह इतनी विकट थी कि बिजली की कमी 16·1 प्रतिशत थी जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में 7000 करोड़ रु० की हानी हुई। इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। तब जब आप यह कहते हैं कि जो भी कदम उठाये जाएं हम चाहते हैं कि धन पर रोक लगे। यही हम कर रहे हैं। यह ठीक है कि काला धन पचिालन में है इस बारे में किसी को शक नहीं हो सकता। परन्तु जब हम काले धन को रोकने के कदम उठाते हैं और इसे बाजार से हटाते हैं तो पहली बात यह है कि काले धन की मात्रा को बाजार से जाना है। अतः मूल्यों को घटाने के लिए, भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने प्रतिबन्ध लगाये हैं और नीति बनाई की धारक बांड होने चाहिये। कुछ लोगों ने अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिये उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाया और महीनों खराब किये और इसके कारण काला धन पर रोक लगाये जाने से रोका गया।

उन्होंने यह कहते हुए भाषण दिया कि यदि उच्चतम न्यायालय ने धारक बांड कानून को संविधान विरोधी करार दिया तो आप सब को क्या होगा? इस प्रकार यद्यपि वे यह कहते रहे हैं कि वे मूल्यों को रोकने में सरकार को सहयोग देना चाहते हैं परन्तु उनके कहने और करने में बहुत अन्तर है। इससे परिचालन में काले धन को कम करने में सहायता नहीं मिलेगी। काले धन के प्रसार को रोके बिना स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अंतः हमें इस बात पर विचार करना है कि उस प्रयोजन के लिए क्या कदम उठाये जायें।

एक अन्य विचार करने योग्य बात यह है कि केवल उत्पादन में ही वृद्धि नहीं होनी चाहिए अपितु समुचित वितरण व्यवस्था का भी होना जरूरी है। उसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिये। वे कहते हैं कि हम कालाबाजारी करने वालों तथा जमाखोरों से

कमीशन लेते हैं परन्तु सच्चाई यह है कि विपक्ष के कुछ दल कालाबाजारी करने वालों तथा जमाखोरों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी जरूरी है। वे चीनी की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे राज्य से हूं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था और श्री सखलेचा मुख्य मंत्री थे। उन्होंने गन्ने का मूल्य 12 रु० नियत किया परन्तु किसानों को असल में 8.50 रु. भी नहीं दिये। अतः उस समय सभी कृषकों को अपनी गन्ने की फसल को जलानी पड़ी। जनता सरकार का यह एक ऐसा काम है जिसके कारण चीनी का उत्पादन गिरा। गन्ने की खेती के अधीन क्षेत्रफल में कमी हो गई। उन्होंने खुली बिक्री के द्वारा चीनी का सारा भंडार समाप्त कर दिया। उस समय हमने कहा कि वे देश में अभाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उनके शासन के तीस महीनों के दौरान उत्पन्न अभाव की स्थिति के परिणामों का हमें अभी भी सामना करना पड़ रहा है।

कीमतों को कम करने और मुद्रा-स्फीति की दर को कम करने के लिए हमें दो बातें करनी है। हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है और उसके कार्यान्वयन के लिए समुचित वितरण प्रणाली स्थापित करनी है। छाप तथा इसी प्रकार की अन्य बातें हुई हैं। माननीय वित्त मन्त्री को कालाबाजारी करने वालों तथा जमाखोरों के विरुद्ध और अधिक कठोर कदम उठाने चाहिएं। उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाये जाने चाहिए जिससे परिचालन में काले धन की मात्रा कम हो सके। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है और यदि समुचित वितरण होना है तो उससे कीमतें ऐसे स्तर पर आजायेगी जिसको लोग सहन कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की हमें सराहना करनी चाहिए।

*श्री सी. पलानीअप्पन (सेलम) : अपने दल द्रविण मुनेत्र कणगम की ओर से मैं आवश्यक वस्तुओं के विशेष संदर्भ में वर्तमान मूल्य स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

वित्त मंत्री द्वारा 1981-82 का बजट पेश कर दिये जाने के बाद एक अंग्रेजी दैनिक इण्डियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अर्थपूर्ण कार्टून छपा था। वित्त मंत्री ने इस बजट में आयकर से छूट की सीमा बढ़ा दी और लगभग 3 लाख करदाता कर अदायगी सीमा से बाहर आ गए। उन्होंने किसी आवश्यक वस्तु पर कर भी नहीं बढ़ाया। गृहीणी की भावनाओं का प्रदर्शन इस आईने में इस प्रकार किया गया कि वह हमारे वित्त मंत्री के गाल का चुम्बन ले रही थी। कि मैं यह सोच रहा हूं कि आज उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी और इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहूंगा।

हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण मुद्रा-स्फीति है 1979 में मुद्रास्फीति की दर 22.2 प्रतिशत थी जो 1980 में घटकर 14.8 प्रतिशत हो गई तथा 15 अगस्त 1981 तक यह दर कम होकर 10.4 प्रतिशत हो गई है। जिसके परिणाम स्वरूप थोक मूल्य सूचकांक में भी कुछ प्रतिक्रिया अवश्य हुई होगी। परन्तु खुदरा मूल्यों में यह अभी तक लक्षित नहीं

*तमील में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने हाल ही में यह दावा किया कि मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित कर लिया गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा यह मूल्य स्थिति में भी परिलक्षित होना चाहिए था। यदि मूल्य नहीं गिरे तो भी कोई बात नहीं। कल से मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करने से कम से कम मूल्य स्थिर तो होंगे। मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करने का प्रमाण मूल्यों की स्थिरता में है। दुर्भाग्य वश वह भी नहीं है। कभी-कभी ऐसी स्थिति से माननीय वित्त मंत्री के दावे के बारे में संदेह पैदा हो जाता है।

ऐसा हो सकता है कि सरकार द्वारा दिये गये आँकड़ों में कोई कमी हो परन्तु यहां तो मूल्य वृद्धि का प्रमाण सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मंजूर करके दिया है। ऐसा समझा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तें देय हैं। अतः हम यह नहीं कह सकते कि मूल्य नहीं बढ़े हैं।

गत सप्ताह इस सभा ने आवश्यक वस्तु विधेयक पर अपनी स्वीकृति दी है तथा काला-बाजारी निवारक विधेयक पर भी स्वीकृति दी है। इन अधिनियमों को लागू करने का उत्तर दायित्व राज्य सरकारों का है। मुझे आश्चर्य है कि यह दायित्व राज्य सरकारों द्वारा किस प्रकार निभाया जाता है जहाँ प्राधिकार अनेक अधिकारियों के पास है। उदारण के लिए, तमिलनाडु में पांच पुलिस महा-निरीक्षक हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि इन दोनों विधेयकों को लागू करने का निदेश किस महा-निरीक्षक को दिया जायेगा। किसी भी वितरण नीति की सफलता इन दोनों अधिनियमों को दृढ़तापूर्वक लागू करने पर निर्भर करती है। मुझे विश्वास है कि यह सभा जानना चाहेगी कि राज्य सरकारों द्वारा इन दोनों कानूनों को किस प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

हमारी माननीया प्रधान मन्त्री प्रशासनिक व्यय को कम करने की आवश्यकता पर बार-बार बल दे रही है क्योंकि वह मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण करने का एक बहुत सशक्त उपाय है। संभवतया इसीलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री केन्द्रो सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता रोकने के बारे में विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्री को राज्यों में किये जा रहे फिजूल खर्च की भी जांच करनी चाहिए। तमिलनाडु में 5 मुख्य सचिव है। आप राजकोष पर भार की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक व्यय में सख्ती से कटौती की जानी चाहिए।

पूर्ति की व्यवस्था के रूप में गेहूं, चीनी तथा खाद्य-तेलों का आयात किया जा रहा है। परन्तु दुर्भाग्यवश आयातित गेहूं का मूल्य स्वदेशी गेहूं के मुल्य से कहीं ज्यादा है। मैं नहीं जानता कि इस पृष्ठभूमि में गेहूं का मूल्य किस प्रकार कम किया जायेगा। हमारे देश में इस समय जन-संख्या लगभग 65 करोड़ है जिनके लिए केवल 2,97,000 उचित दर की दुकानें हैं। आप सार्व-जनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव का निर्णय कर सकते हैं। वे सभी उचित दर की दुकानें महा-नगरों तथा नगरीय केन्द्रों में है। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की कितनी दुकानें हैं। केन्द्रीय योजना आयोग ने यह माना है कि 40 करोड़ लोगों की औसत कमाई 75 पैसे प्रति-

दिन है । बढ़ते हुए मूल्यों के वातावरण में हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं कि वे जीवित रह सकें ?

प्रशासनिक व्यय में भारी कटौती की जानी चाहिये । इसकी शुरुआत करने के रूप में इस सभा को निर्णय लेना चाहिये । इस समय अन्ततः सूत्रावधि में मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें देश में जगह-जगह हो रही हैं उनको निदेश दिया जाये कि उनकी बैठकें केवल दिल्ली में ही हों । इस प्रक्रिया में हम काफी धन बचा सकेंगे परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन देने के रूप में केन्द्रीय मंत्रियों तथा अधिकारियों को भी बार-बार किये जाने वाले अपने विदेशों के दौरों में कमी करनी चाहिये । हाल ही में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले एशियाई खेलों के लिये खेल-कूद का सामान खरीदने हेतु केन्द्रीय सरकार के दो अधिकारियों ने होनोलूल की यात्रा की थी । इस प्रकार के फिजूल प्रशासनिक व्यय में बहुत कटौती की जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस साहब कह रहे थे कि हमारे वित्त मंत्री ने जो कुछ भी किया है, वह विश्वास करने लायक नहीं है । उन्होंने कहा है कि मैं इनकी जगलरी आफ फिगर्स में इंडलेंजस नहीं करना चाहता ।

वह इस समय सदन में बैठे नहीं हैं, जवाब सुनने के लिये यहाँ नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहती हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो औद्योगिक विकास में ह्रास हुआ, जो कि शून्य तक पहुंच गया था, जितने मैन डेज का लास हुआ, जितने लाक-आऊट हुए, उनके जो फिगर्स और इकनामिक्स का डाटा अखबारों में हमें पढ़ने को मिला, जो हकीकत थी, क्या उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है ?

हमारे देश में जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसके लिये किसको चिन्ता नहीं है । हमारी सरकार हमें और सभी को इसकी चिन्ता है और उसकी रोक-थाम के लिये, मूल्य नियंत्रण के लिये हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्री जी जो भी कदम उठा रहे हैं, उसके लिये वे सिर्फ प्रशंसनीय कार्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे धन्यवाद के पात्र हैं । आपने देखा होगा कि काले धन को बाहर लाने के लिए और चोरबाजारी एवं तस्करी को रोकने के लिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और करोड़ों की सम्पत्ति बरामद हो रही है । इससे लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि सरकार जो कुछ कर रही है, वह आम जनता की भलाई के लिए कर रही है ।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि मूल्य-वृद्धि से जनता की तबाही हुई है, मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग की क्रय-शक्ति में ह्रास हुआ है और उनकी कठिनाइयां बढ़ी हैं । लेकिन क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि उनके समय एनुअल रेट आँफ इनफ्लेशन 22 2 परसेंट था, उसको घटाकर 10.4 परसेंट पर लाना क्या उनकी करामात है या हमारी सरकार की करामात है ?

यह ठीक है कि चीनी, अन्न और तेल आदि एसेंशल कामोडिटीज की कीमतें बढ़ने से आम परिवारों में परेशानियां पैदा हुई हैं और विशेष रूप से औरतों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। जब लोग बाहर से काम करके घर आते हैं, तो वे पत्नियों के साथ उलझ पड़ते हैं। मंहगाई के कारण आम परिवारों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ महीने पहले टाइम्ज आफ इंडिया में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था : दिवर्ल्ड इज इन ए मैस, जिससे प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपकी इजाजत से इसके कुछ अंश को पढ़ना चाहती हूं "जब यह मुद्रास्फीति पर आता है तो भारत का रिकार्ड सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय ढंग से अच्छा है। 1970 तथा 1979 के बीच ब्राजील में मूल्य 854 प्रतिशत तक, ईरान में 200 प्रतिशत से अधिक जापान में 124 प्रतिशत तक, ब्रिटेन में 227 प्रतिशत तक और अमरीका में 97.8 प्रतिशत तक बढ़े। इस अवधि में भारत में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति बुरी नहीं है।

गत वर्ष हम लोग अफ्रीका गये थे। साथ श्री अटल विहारी वाजपेयी भी थे। वहां की मंहगाई को देखकर उन्होंने एक कविता बनाई थी। वहां 100 क्वांचा में नाश्ता मिलता था, 10 रुपये में अंडा मिलता था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कहां।

श्रीमती कृष्णा साही : हम अफ्रीका गए थे। यह लूसाका की बात है। इनके भी बहुत से लोग हमारे साथ थे।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि मूल्य-वृद्धि के कारणों में जाना होगा। सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है। थोड़ी देर पहले श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा कि वित्त मंत्री उनसे रचनात्मक सुझाव मांगते हैं, जिससे मंहगाई दूर हो, लेकिन ये सुझाव देना बेकार होगा। क्यों बेकार है ? वास्तव में रचनात्मक कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं है। वे क्या करेंगे ? तोड़-फोड़, अराजकता। अभी मेरे पूर्ववक्ताओं ने हड़तालों को बन्द करने की बात कही। इस पर उनको दर्द होता है। वे कहते हैं कि हड़ताल होनी चाहिए। अगर हड़तालें होंगी, तो प्राडक्शन नहीं होगा।

हमारे देश में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है प्रति-मिनट 40, 45 बच्चे पैदा होते हैं। हमारे यहां 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है. जो पुरुषों पर निर्भर करती है। इस स्थिति में हम किस तरह से मूल्य-वृद्धि को रोक सकते हैं ? 1979-80 में जो ड्राउट हुआ, वैसा सूखा तीस वर्षों में नहीं हुआ था। तब हमारे देश में 31.56 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ। जो हमारे देश में पूरा नहीं हो सका। लेकिन वही आगे के वर्ष में 36 मिलियन टन पैदा हुआ। इन सबके बावजूद भी मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे यहां एकोनामिक कंडीसन

हैं उसमें आर्थिक अनुशासन की जरूरत है और उसको करना ही चाहिए। उसको करने के लिए वह खुद भी चिंतित हैं और करेंगे। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

हमारे यहां जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था है वह जर्जर हो गई है। उसके कारण काफी आर्थिक कठिनाइयां हमारे यहां हो रही हैं। जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलाप हैं वह सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। मंत्री महोदय ने कुछ देर पहले कहा था कि उसमें कुछ इस बार आमदनी हुई है और नफा होने के लक्षण दिखाई दिए हैं। यह खुशी की बात है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में अपार धनराशि का विनियोजन हुआ है। जहां 1951 में पांच इकाइयों में 30 करोड़ की पूंजी लगी थी वहां 1981 में वह विनियोजन राशि बढ़कर 18,225 करोड़ हो गई है। ऐसी विशाल राशि के विनियोजन का अभिप्राय यही था कि सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र से हमारे विकास का काम हो, हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन में हमें मदद मिले जिससे बजट का संतुलन भी हो। लेकिन 1978-79 में 40 करोड़ का घाटा 1979 और 80 में 80 करोड़ के आस पास पहुंच गया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की विश्वसनीयता घटती है और उसकी क्षमता पर लोगों को सन्देह होने लगता है। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार से कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से हमारी औद्योगिक क्षमता बढ़ी है इसी प्रकार से यदि मानसून अच्छा रहा तो कृषि के क्षेत्र में भी हमारा आगे का भविष्य बहुत सुन्दर नजर आता है। हमारे जितने भी काम हुए हैं इतने अच्छे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे जो हमारा बजट प्रस्तुत होगा वह सबके हित के लिए होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार वित्त मंत्री को धन्यवाद देती हूं। जो भी वह काम कर रहे हैं वह देश के हित में कर रहे हैं।

एक बात और कहना चाहती हूं। हमारी सरकार की मंशा नहीं है कि वह काम करे। नाटक या इस तरह कुछ और करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि दिखाने के लिए दूसरों को कुछ और कहा जाय। आलोचना अच्छी चीज है। आलोचना होनी चाहिए। स्वास्थ्य आलोचना होती है तो उससे कुछ लाभ होता है। लेकिन जब अटर फ्रस्ट्रेशन से आलोचना होने लगती है, जब वह यह सोचते हैं कि इस तरह वह यहां नहीं आ सकते हैं तो ऐसी उखड़ी-उखड़ी बातें करते हैं। और गलत बयानी करके जनता को गुमराह किया जाता है। जब वह सत्ता में थे, तो जार्ज फर्नान्डीस साहब की पत्नी, क्षमा कीजिएगा मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि हमारी सरकार की मंशा है काम करने की, नाटक रचने की नहीं है, लेकिन उस समय जो मंत्री पद पर थे उनकी पत्नियों ने डिमांस्ट्रेशन किया था मंहगाई के खिलाफ और वह अखबारों में निकला था जो अभी भी है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूं वह सबूत के तौर पर है। ऐसा क्यों हुआ था ? इसीलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों से कि हमारी जनता सतर्क है वह समझती है कि हकीकत क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद देती हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे उन बातों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है जो सभा के इस पक्ष के बहुत ही योग्य वक्ताओं द्वारा पहले ही कही जा चुकी हैं।

1980-81 के बजट पर चर्चा के दौरान मैंने एक बात कही थी जिसे मैं यहां संक्षेप में दोहराना चाहूंगा— वस्तुतः इसके बारे में मौलिक कुछ भी नहीं है— प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिये अत्यधिक मुद्रा-स्फीति की अवधि न केवल एकमात्र बुराई ही है, यह एक ऐसी बात नहीं है जिसका पूंजीवादी प्रणाली में सभी वर्ग के लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अपितु मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रास्फीत की अवधि वस्तुतः बड़े नियमित क्षेत्र के लिये बहुत बड़ा वरदान और आशीर्वाद है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिये कि मुद्रा-स्फीति के कारण देश में हर आदमी को तकलीफ हो रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने इसे यहां बताया है— मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं यह दर्शाने के लिये आंकड़े उद्धृत करता कि बड़े व्यापारिक घरानों तथा एकाधिकार वादी कम्पनियां, देश के बड़े औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में यदि आप 1979-80 और 1980-81 की सही-सही तुलना करें तो इस अवधि में भारी मुद्रा-स्फीति हुई है। आपको पता चलेगा कि अपनी आस्तियों को बढ़ाने की कर से पहले लाभों और जो लाभांश ये कम्पनियां वितरित करती हैं अनके सम्बन्ध में इन कम्पनियों का इतना अच्छा समय पहले कभी नहीं आया। अतः यह एक ऐसी बात है जिसे हमें याद रखना चाहिये कि मुद्रा-स्फीति को वे रोक-टोक जारी रहने देकर कुछ लोगों के इस मुद्रा-स्फीति मे निहित-स्वार्थ पैदा हो गए हैं। वे इससे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। वे किसी भी तरह कुछ नहीं खो रहे हैं।

एक और बात जो मैंने 1981-82 के बजट पर गत वर्ष की चर्चा के समय कही थी, शायद बेंकटरामन को थोड़ी खीझ हुई थी, क्योंकि मैंने कहा, "यह जुआरी का बजट है" और मैंने कहा, "वह जुआरी हैं" और "राष्ट्र के धन को दांव पर लगा रहे हैं जिसे करना उनका काम नहीं है।" मैंने वाहक बांड़ों के संदर्भ में यह बात विशेष रूप से कही थी। चाहे न्यायालय ने इसकी संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया हो, वह अलग बात है परन्तु क्या यह जुआ नहीं था ? उन वाहक बांडों की मद में उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि 1000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तथा उन्होंने अपने बजट में आय की ओर इस राशि को पहले ही प्रविष्ट कर लिया। उन्होंने यह निश्चित मान लिया कि इन वाहक बांडों से उनकी आय 1000 करोड़ रुपये होगी। इसीलिए मैंने कहा था, "यह मात्र जुआ है जिसे वह खेल रहे हैं।" बाद में क्या हुआ ? अब हम इस वर्ष के बजट में देखते हैं कि वाहक बांडों से जो लगभग 625 या 635 करोड़ रुपये प्राप्त होने चाहिये थे वे नहीं हुए हैं। केवल 365 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। (व्यवधान) उस जुए से छुटकारा नहीं मिला है। 650 करोड़ रुपये या 625 करोड़ रुपये काफी बड़ी राशि होती है और चूंकि वह प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह घाटे के रूप में है जो उन्हें किसी न किसी तरह पूरा करना है। मुझे जो संक्षिप्त समय मिला है उसमें मैं जो अपना पूरा विचार रखना चाहता हूं वह यह है कि इन घाटों, बजट में घाटे, भुगतान संतुलन में घाटे, विदेशी-ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण घाटा जो हर समय होता रहता है, के दबाव में इन भारी घाटों के कारण समूची अर्थव्यवस्था पूर्णतया नियन्त्रण से बाहर हो रही है। उनको हमें बताना चाहिए कि इसके लिए क्या नीति

और क्या समाधान है क्योंकि पहले-पहले उन्होंने हमें पूर्ति व्यवस्था के बारे में बताया था। बहुत से मित्रों ने उस पर भली भाँति विचार किये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि—जब देश में वर्तमान उत्पादन क्षमता, उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का औसतन 50 से 5 ६ प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं किया जा रहा है तो यदि वह पूर्ति की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहते है, अर्थात्, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इस बारे में उन्हें हमें बताना चाहिए था। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या नीति है कि सरकारी क्षेत्र सहित उद्योग की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता वास्तव में पर्याप्त रूप से बढ़ रही है या नही ; अन्यथा पूर्ति पक्ष का एकमात्र अर्थ यह होगा —पूर्ति प्रबन्ध का अर्थ यह होगा – कि आपको आयात पर अधिकाधिक निर्भर करना पड़ेगा। आज के जगत में आयात पर निर्भर करने का मतलब है कि आपको भारी कीमत देनी पड़ेगी। यही बात हमें भुगतान संतुलन में अत्यधिक घाटे की ओर ले जा रही है। ऐसा इसलिये है कि हम जिस मूल्य पर अपनी वस्तुएं विदेशों में बेचना चाहते हैं उस पर नहीं बेच सकते। पश्चिम के, पूंजीवादी जगत के औद्योगीकृत देश रक्षावादी उपायों में लगे हुए हैं और उनके यहां व्याज की दरें बहुत अधिक हैं। दूसरी ओर हम उनसे जो कुछ खरीद रहे हैं, उन वस्तुओं के मूल्य देश में उन्पादन बढ़ाने के आपके स्वदेशी प्रयासों के बावजूद बार-बार बढ़ते रहते हैं।

मुझे इस प्रकार का उत्तर भी नहीं चाहिए जिसमें वाद-विवाद में बातों के हेर-फेर द्वारा यह कहा जाये कि इस विरोध पक्ष के सदस्य उत्पादन को बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके द्वारा लाये गये अध्यादेशों के बावजूद आपके स्वयं के आंकड़ों से पता चलता है कि यह हड़तालें इतनी जिम्मेदार नहीं हैं जितनी तालाबंदियां जबरी छुट्टी और कारखाना बंदियां, जिसके लिये श्रमिक जिम्मेदार नहीं हैं: उत्पादन में कमी के लिये जिम्मेदार हैं। इसके बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। मैं केवल कुछ दिन पूर्व देख रहा था कि श्री डावर ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है जिसमें वह कहते हैं, 'औद्योगिक रुग्णता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वे कुछ उत्पादन प्रतिष्ठान और कुछ उत्पादन क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संकट ग्रस्त एककों में 2000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक निधि लगी हई है। क्या यह धन की बरबादी नहीं है ? क्या इस बारे में विचार करने के लिये यह देखने हेतु कि यह संकटग्रस्त उत्पन्न करने और इसके प्रभाव के लिए कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं, कोई कारण नहीं है इनमें से यह विचार करना पर्याप्त नहीं है कि ये छोटे एकक अथवा मध्यम एकक हैं जो बिजली की कमी अथवा विपणन कठिनाइयों अथवा इस प्रकार की दिक्कतों के कारण संकटग्रस्त हुए हैं। श्री डावर कहते हैं कि इन संकटग्रस्त एककों की कुल संख्या में से 384 बड़े एकक हैं जिनमें 1243.16 करोड़ रुपये की सार्वजनिक निधि, बैंक निधि और इसी प्रकार की अन्य राशि लगी है।

उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आप संकटग्रस्तता के कारणों का विश्लेपण करें तो आपको पता चलेगा कि वे मुख्य रूप से घोर कुप्रबंध, प्रबंधकों के कदाचारों, धनराशि का गबन, इन उद्योगों से कुछ अन्य कार्यों के लिये धनराशि को उपयोग में लाने आदि के कारण है। वह

इस बारे में क्या करेंगे ? वह इन समस्याओं को हल किये बिना सप्लाई व्यवस्था की किस प्रकार बात करते हैं ?

किसी दूसरे दिन हमारे विधि मंत्री श्री शिवशंकर ने भी एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अथवा कम्पनी कानून पर बोलते हुए कहा था--यह सब कुछ समाचार-पत्रों में है कि व्यक्तिगत लाभ के लिये निगमित धनराशि को निकालने में वृद्धि हो रही है अर्थात् कम्पनी कानून के उल्लंघनों में वृद्धि हो रही है। लेकिन किसके द्वारा ? श्रमिकों द्वारा अथवा उन लोगों द्वारा जो संकटग्रस्तता के लिए जिम्मेदार हैं जो कम्पनी कानून के उल्लंघनों के लिये जिम्मेदार हैं ? ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अनुचित प्रश्रय दिया गया हैं, प्रोत्साहित किया गया है, सहायता दी गई है और नई रियायतें दी गई हैं और आप उन पर यह कह कर भरोसा कर रहे हैं कि सप्लाई पक्ष और उत्पादन पक्ष की सफल व्यवस्था से बहुत बढ़ावा मिलेगा।

दो वर्ष पूर्व उन्होंने जो कुछ कहा था, उसे डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गलत उद्धृत किया था—उन्होंने कहा था—"यदि मूल्य नहीं गिरते हैं तो मैं चला जाऊंगा।" मैंने एक प्रश्न पूछा था, "यदि वे लोग, जिन पर आप निर्भर कर रहे हैं, आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे ?" उन्होंने कहा था, "यदि वे मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा।" लेकिन यहां पर श्री शिवशंकर और श्री डावर उल्लेख कर रहे हैं कि कदाचारों, कुप्रबंध, गबन और इसी प्रकार की अन्य सभी बातों में वृद्धि हो रही है। इन मामलों में बहुत अधिक सार्वजनिक निधि रुकी हुई है। उसके लिये उन्हें बिलकुल कोई चिंता नहीं है।

एक अन्य बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से सच नहीं है कि उनकी निर्भरता केवल सप्लाई व्यवस्था पर है। एक बात का उल्लेख नहीं किया गया है जो उनकी मुद्रा-स्फीति रोधी पैकेज का एक हिस्सा है। यह पर्दे के पीछे एक प्रकार का छुपना है और स्टेज पर प्रकाशपुंज की पूरी चमन में न आना है अर्थात् 32 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को जब्त करने का मामला है। 32 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने परिवारों, आश्रितों और बच्चों सहित लगभग 1½ करोड़ व्यक्ति हो जाते हैं वे ऐसे लोग हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार का समस्त प्रशासन चलता है।

हर बार सदन में इस मामले में प्रश्न पूछे जाते हैं और श्री वेंकटरामन अथवा उनके विभाग के सहयोगी मंत्री यह कह रहे हैं "हमने अभी तक अपना निर्णय नहीं लिया है।" लेकिन मंहगाई भत्ते की दो अतिरिक्त किस्तें, जिसकी उन्होंने मंजूरी दे दी है, अदा नहीं की गई है। क्या इसका आशय लगभग 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपये की राशि जब्त करना नहीं है ? सचाई यह है कि मंहगाई भत्ता रोक लिया गया है और यह राशि अदा नहीं की गई है और यह राशि परिचालन में नहीं आई है अर्थात् इसे जब्त किया जा चुका है और क्या इसका मूल्यों के मामले में बिलकुल कोई प्रभाव है ?

मैं पाता हूं कि केवल दो दिन पूर्व ही मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के अपने उत्तर में हमारे नये योजना मंत्री ने कहा है :

"केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सलाह दे चुकी है कि वे अपने कर्मचारियों—राज्य सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के एक भाग को उनकी भविष्य निधि में जमा करें जिसका आशय जब्त करना है - और अन्य राज्यों को विशेषकर जो रिजर्वबैंक से निरन्तर ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, इसी प्रकार के तरीकों पर विचार करने के लिए सलाह दी गई है। जहां कुछ राज्य इस प्रकार की नीति क अनुसरण करने के लिए सहमत हो गए हैं वहां कुछ अन्य राज्यों ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।"

अतः जब यह सलाह दी गई है जो केन्द्रीय सरकार के योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दी है तो यह बिलकुल स्पष्ट है कि उनका विचार अपने स्वयं के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनकी संख्या 22 लाख है, के प्रति यही बात लागू करने का है और मंहगाई भत्ते की इन दो किस्तों, जो मंजूर की जा चुकी हैं, को रोकने के अतिरिक्त वे अब मंहगाई भत्ते की आगामी किस्तों के बारे में कर्मचारियों को प्रस्ताव कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि होगी, मूल्यों में वृद्धि होगी। वे मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस मंहगाई भत्ते की राशि का 50 प्रतिशत तो जब्त किया जाना चाहिए। मैं उनसे स्पष्ट जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है क्योंकि जब वे मूल्य रेखा को रोक नहीं सकते हैं तो उन्हे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की राशि का 50 प्रतिशत जब्त करने और उन पर वास्तविक आय की कटौती लागू करने का क्या अधिकार है ? क्या लाभाँशों पर कोई रोक है ? क्या ये बड़ी निर्गमित कम्पनियाँ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार की ये कम्पनियाँ और ये बड़े औद्योगिक गृह जो अप्रतिबंधित तरीके से लाभाँशों की घोषणा कर रहे हैं 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत—आप इन कम्पनियों के प्रतिवेदनों को पढ़ें—उनके लाभांशों पर कोई रोक नहीं है। उनके लाभाँशों में कोई, अधिकतम सीमा कटोती नहीं हुई है। वे अप्रतिबंधित लाभांशों को दे सकते हैं लेकिन जब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के गरीब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का, जो अपना गुजारा नहीं चला सकते हैं, मामला आता है तो वे सुझाव देते हैं कि उनके आधे मंहगाई भत्ते में कटौती की जानी चाहिए। यह सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। यह बदले की भावना से मांग व्यवस्था है और मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वह दोबारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के साथ मुकाबला करने का जोखिम न उठायें। कम से कम मंत्रियों अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा हमें कोई कटौती करने के लिए नहीं कहा गया है। आप हमारे पर और अपने पर भी कटौती क्यों नही लगाते हैं ? आपने पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की थी। लेकिन आप अपने मंत्रालयों की कारों अथवा सरकारी कारों अथवा सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रबंधकों, जो इन विभागों अथवा संगठनों के खर्च पर जाते हैं की कारों के पेट्रोल के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं देते हैं। यदि अन्ततः करदाता पेट्रोल के लिए राशि अदा कर रहा है जो आप अपनी सरकारी कारों में प्रयोग कर रहे हैं तो यह किस प्रकार की समानता और न्याय है ? हम यह नहीं समझ सके हैं।

एक माननीय सदस्य : संसद सदस्यों को भी कारें मिलनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी नहीं, संसद सदस्यों को कारें नहीं मिलनी चाहिएं।

एक अथवा दो अन्य बातें हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसका उल्लेख नहीं किया गया है और वह यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितना घाटा है। ऐसा दिखाई देता है कि हांलाकि वेंकटरामन ने आज अपनी यह टिप्पणी कहकर भाषण शुरू किया था कि स्थिति अत्यन्त आशाजनक और अच्छी है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं और मुद्रा स्फीति की दर में कमी हो रही है और यह अत्यन्त उत्साहवर्धक है तथा सरकारी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हो रही है आदि। इस समय ही जब उनके विचार से प्रत्येक बात अनुकूल दिशा में चल रही है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5,00 करोड़ से अधिक राशि का ऋण लेने के लिए निर्णय लेते हैं। यह ऋण लेना ही पड़ेगा क्योंकि वे इन घाटों पर कार्यवाही नहीं कर सके हैं। अब मेरी जानकारी यह है कि 5000 करोड़ रुपये की राशि, जो वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ले रहे हैं, में से लगभग 2600 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खुद के संसाधनों से होगी। उस पर 6.25 प्रतिशत का ब्याज है। लेकिन बाकि ऋण की राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अन्य स्रोतों, वाणिज्यिक बाजार से उधार लेनी पड़ेगी। उस पर 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक ब्याज दर लगेगी। यदि आप गणना करे तो इस समस्त ऋण पर यदि यह तीन वर्षों में लिया जाता है, संभवतया वार्षिक ब्याज शुल्क ही परिणामतया 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठेगा। इस ऋण के लिए ही, जो हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेंगे, हमें केवल ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष विदेशी वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज की बहुत ऊंची दर पर और विभिन्न ब्याज दरों पर 95 करोड़ डालर उधार लिए गए हैं और वह देश को नहीं बता रहे हैं कि उनका विचार विदेशों में स्थिति प्राइवेट वाणिज्यिक, बाजार से और कितनी राशि उधार लेने का है। अब हमें केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बताया जा रहा है। अतः ये बातें गंभीर हैं। क्योंकि अन्ततः इसका पूरा भार लोगों पर पड़ेगा।

यहां पर किसी सदस्य ने उल्लेख किया था कि अगस्त, 1981 के मध्य तक 8 सप्ताह के समय में उसके पहले के आठ सप्ताहों में समाचार-पत्रों ने प्रकाशित किया था कि विदेशी मुद्रा रिजर्व 8 सप्ताह में 500 करोड़ रुपये से अधिक कम हुआ है। यह कमी की दर गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दुगुनी से अधिक है और मै एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात का मुख्य कारण यह है कि धनराशि की बड़ी राशि, जो सरकार ने विदेशी प्रतिभूतियों में में रखी हुई थी और जो लाभांशों की अच्छी दर दे रही थी, को उन्होंने इन विदेशी प्रतिभूतियों पूंजी निवेश को समाप्त कर दिया है। यदि यह सच है तो यह अत्यधिक संकट का सूचक है जो उन्हें भुगतान-शेष के संकट के कारण हुआ है।

जैसा कि श्री सतीश अग्रवाल ने बताया है, विदेशी मुद्रा के भण्डार में काफी कमी आयी है और यह बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गया है, और हम यह जानना चाहेंगे कि इन सब बातों के बारे में सरकार की क्या नीति है। मैं नहीं जानता कि क्या वे हमें यह बता भी पायेंगे। यह एक भिन्न मामला है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पहले उन्हें तो पता होना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों की शर्तों के बारे में उन्होंने अन्यत्र यह कहा है, मैं समझता हूं कि सदन में बताया है कि अवमूल्यन का कोई भय नहीं है । यदि वे रुपये का अवमूल्यन करने जा रहे है यदि उनके मस्तिष्क में यह बात है तथा वे आखिरी क्षण से इ सबात से इंकार करते रहेंगे, यह बात स्पष्ट है, कोई भी इस बात की घोषणा नहीं करता कि वे रुपये का अवमूल्यन करने जा रहे हैं । किसी भी मामले में रुपये का अवमूल्यन किया जा रहा है । श्री वेंकटरामन अपने पुराने परम्परागत ढंग से यह कहते रहे हैं कि रुपये का अवमूल्यन अब वास्तविक नहीं रहा क्योंकि रुपया अब करेंसी की टोकरी से जुड़ गया है । किंतु सचाई हमेशा बनी रहती है, यहाँ पर आंकड़ों का उल्लेख किया गया, और हर बार पैसे के रूप में रुपये का मूल्य कम हुआ है और घटकर 26 पैसे अथवा ऐसा कुछ रह गया है ।

एक माननीय सदस्य : 22 पैसे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अन्य शर्तों के बारे में ज्यादा चिंतित हूं । मैं यह कहना चाहूंगा, कि यहां तक कि एक समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' जो कुछ पूंजीपतियों का अखबार है जैसे पत्र में भी उन बातों पर चिंता व्यक्त की है जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्ववैंक जोर दे रहे हैं। इन बातों पर चिन्ता व्यक्त की है जिन्हें वे "मूलभूत वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक मूल्य लगाया जाना" कहते हैं—इसका तात्पर्य है मूल्यों का बताया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल करना, लाइसेंस दिए जाने में छूट दिया जाना, नियन्त्रण तथा विनियमन, सरकारी अनुदानों को समाप्त करना—हमारी सम्पूर्ण सार्वजनिक, वितरण प्रणाली अनुदानों पर निर्भर है और बाजारोन्मुख दृष्टिकोण, निर्यात संवर्द्धन आदि को वे नही चाहते, और वे इस देश विदेशी निवेश अथवा बड़े पैमाने पर आ रही बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को अधिक सुविधायें दे रहे हैं। क्या ये वही शर्तें हैं, जिनके बारे मे हम चिंतित हैं । श्री वेंकटरामन ने कहा है कि, 'हम ऐसी किसी शर्त को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, जो राष्ट्र के गौरव तथा सम्मान के प्रतिकूल हो ।" यह बात ठीक है । हो सकता है कि सीधा अवमूल्यन अभी न हो । किंतु ये अन्य बातें इस देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को छिनती हैं । यदि हम किसी ऐसे ऋणदाता से ऋण लेने जा रहे हैं, जो इस प्रकार की शर्तें निर्धारित करने जा रहा है कि आपको अपनी सम्पूर्ण आर्थिक नीति में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा आपको यह ऋण नहीं मिलेगा, इसका तात्पर्य है कि इससे हमारी आर्थिक प्रभूमत्ता छिन गई है और मुझे भय है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और विकसित होने की वजाय अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है । जब वे यह कहते हैं कि आपको अनुदान छोड़ने होंगे तो इसका यही अर्थ है । इस सरकार द्वारा 'काम के बदले अनाज योजना' को पहले ही समाप्त कर दिया गया है । मैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक आवश्यक अंग मानता हूं और यह सबसे मूल्यवान हिस्सा है, जो लाभ भी प्रदान करता है—और यह कि काम के बदले आप अनाज देते हैं । यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे गांवों में निर्धन वर्गों की आप मदद कर सकते हैं; और कोई कार्यक्रम उनकी मदद नहीं कर सकता देश के ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के क्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानें नहीं हैं । किंतु आप

इन्हें सुदृढ़ बनाने की बजाए काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही समाप्त कर दिया और ये शर्तें ऐसी शर्तें हैं जिनके जरिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्वबैंक अब हमें और सुदृढ़ करने जा रहे हैं कि कोई अनुदान न दिए जाए। अतः महोदय मुझे भय है कि देश की जनता अब कठिन दौर में आ रही है।

मैं मात्र इतना कहकर कि यह बात मेरी कल्पना भी नहीं है अपितु जहां एक लेख है जिसे एक ऐसे सज्जन ने लिखा है, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन का एक सदस्य है। श्री मैनुअल गुइशियन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुद्रा तथा व्यापार सम्बन्ध विभाग के सलाहकार का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्वबैंक के 'फाइनैंस एण्ड डिवलेपमैंट' नामक एक तिमाही पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ है। यह काफी रोचक लेख है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने इसे पढ़ा भी है अथवा नहीं। एक स्थान पर वे कहते हैं, —

"मार्गदर्शी निर्देशों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सदस्यों को उनके समायोजन कार्यक्रम तैयार करने में, यह फंड उनके सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का पर्याप्त ध्यान रखेगी।"

वे इन सब बातों की जांच करने जा रहे हैं, और हमें उनके प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा और यदि हमारी राजनैतिक तथा आर्थिक प्रथमिकतायें एवं उद्देश्य उनकी रुचि के अनुकूल नहीं हैं, तब यह ऋण, जिसके लिए हम इतने उत्सुक हैं; इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। इसका क्या तात्पर्य हुआ ? हम एक ऐसे खतरनाक पथ की ओर बढ़ रहे हैं जहां इन लोगों द्वारा हमारी नीतियों की जांच तथा मंजूरी दिए जाने की शर्त जुड़ी हुई है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अर्थ — शास्त्रियों ने, जिनकी संख्या 23 अथवा 25 हैं, जिन्होंने अभी हाल में एक सेमिनार आयोजित की थी, मुझे पूरा विश्वास है, वित्तमंत्री जी ने इनकी सिफारिशों को पढ़ लिया होगा।

एक माननीय सदस्य : वे वामपंथी हो सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे वामपंथी नहीं है। मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूं। मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ वामपंथी हैं किन्तु इस बात में कोई बुराई नहीं है। किन्तु उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं —

1. प्रो० आई. एस. गुलाटी, सेन्टर फार डवलमेंट स्टडीज त्रिवेन्द्रम
2. डा० बलवन्त रेड्डी, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद
3. डा० आर.राधाकृष्णन, हैदराबाद विश्वविद्यालय
4. डा० देव कुमार बोस, भारतीय सांख्यिकी संस्थान
5. डा० एन. एन. ओझा, सेन्ट जेवियर कालेज, बम्बई

6. डा० आर. के. रंगनेकर, सम्पादक बिजनेस स्टैण्डर्ड

7. डा० कान्ता रानादिव, बम्बई विश्वविद्यालय

8. डा० अतुल शर्मा, सरदार पटेल इन्सटिट्यूट आफ इकानामिक्स, अहमदाबाद

9. एच. के. परांजपे, गोखले इंसरिट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकानमिक्स, पुणे

10. श्री कृष्ण राज ।

श्री कृष्ण राज को प्रत्येक व्यक्ति मानता है । ये कुछ व्यक्ति हैं । ये सभी एक मुद्दे पर केन्द्रित हैं । मैं माननीय मंत्री के समक्ष यह प्रस्तुत करूंगा । जब तक वे स्वयं तैयार नहीं होते और कालाबाजारी के इस आंतक से लड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं होते, तब तक मुद्रा-स्फीति और बढ़े हुए मूल्यों का कोई हल नहीं है । धारक बाण्डों जैसे उपायों से इसका हल नहीं निकलने वाला । उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनमें से कुछ का उल्लेख कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । एक सुझाव यह है कि आपको कदम उठाने चाहिये— हमें कि सभी राजनीतिकों के दलों द्वारा प्राप्त किए गए तथा व्यय किए गए धन को सुनिश्चित करने की उत्तरदायित्वा पर सहमत होना चाहिए । उनके द्वारा प्राप्त तथा व्यय किए जाने के साथ धन आर्थिक उत्तरदायिता की शर्त होनी चाहिए । इससे काफी काला धन सामने आ जाएगा ।

इसके बाद हमने सुझाव दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की विनियमकारी शक्तियों का विस्तार गैर-बैंककारों, वित्तीय संगठनों तथा साझेदारी फर्मों पर भी किया जाना चाहिए । साझेदारी फर्में तथा गैर-बैंककारी संगठन प्रायः काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करते । भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह उन पर अपनी विनियमकारी शक्तियों का प्रयोग करे । साझेदारी तथा शहरी सम्पति के स्थानान्तरण,— सम्पत्ति का कम मूल्य दर्शाये जाने का भी एक प्रश्न है जिसे कम मूल्य पर दर्शाकर बेचा अथवा स्थानांतरित किया जाता है । जबकि हाल में कुछ विधेयक पारित किए गए हैं, किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि पिछले आठ वर्षों में सरकार द्वारा केवल पांच सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है । यद्यपि सरकार द्वारा इन शक्तियों का उपयोग जानबूझकर रोका गया है और पिछले आठ वर्षों में ऐसी पांच सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है । इसका मतलब है कि इसमें घपला है । कोई भी इसे गम्भीरता से नहीं लेता । निस्संदेह उन्हें आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर वसूली तथा वितरण का सुझाव दिया है । वसूली मूल्य उसके उत्पादन मूल्य से सम्बद्ध होनी चाहिए । यदि कोई सहायक वर्ग हैं, जो वास्तव में काफी सहायक रहे हैं, जो ग्रामीण वर्ग है, ग्रामीण जनसंख्या है और जो काफी सहायक तथा धनवान है, उन पर आय कर लगना चाहिए । क्यों नहीं ? उन्होंने आयकर से हमेशा के लिए छूट क्यों दी जाए ? उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः शुरू किया जाना चाहिए, और वास्तव में सरकार खाद्यान्न के भण्डारों पर यह पहला दावा होना चाहिए । यदि आप उन लोगों के बारे में सचेत है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और जिनके लिए आप प्रतिदिन आंसू बहाते है, तो 'काम के बदले अनाज, कार्यक्रम सबसे जरूरी है ।

अन्त में उन्होंने ऐसा साजोसमान प्रोद्योगिकी तथा पूंजी का, जो हमारे में उपलब्ध है अनावश्यक आयात समाप्त करने का सुझाव दिया है। और उन पर भारी नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इस समय आयात में उदारता बरतना सरकार का उद्देश्य अथवा नारा बन गया है और आयात के द्वार खोल दिए गए हैं। मैं एक रोचक तथा व्यंग्यात्मक बात का उल्लेख किए बिना नहीं रहूंगा, जो काफी बाद मेरी जानकारी में आई हैं। यहां जब हम अपने निजी इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में यथा संम्भव वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। और आधारभूत सुविधाओं में सुधार के कारण कुछ वृद्धि भी हुई है जैसा कि उन्होंने ठीक ही बताया है, और हमारे इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के अध्यक्ष ने स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि० की एक पत्रिका में लेख दिया है कि इस्पात संयंत्र में उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है और यह तथ्य है कि जबकि वे इस्पात के उत्पादन में इस्पात उत्पादों की सभी किस्मों में, कोल्ड स्टील तारों' स्ट्रियों में तथा सभी उत्पादों में वृद्धि कर रहे हैं और आयात नीति के कारण इन सभी उत्पादों का देश में असीमित मात्रा में उत्पादन करने से उनका कहना है कि उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने इस्पात संयंत्रों में इन सभी उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। किन्तु इन उत्पादों की बिक्री हम कहां करेंगे ? हमारे गोदाम उसी आयातित माल से भरे हैं जिनका हमारे यहां उत्पादन हो रहा है।

जैसे कोई व्यक्ति जिसे 105 डिग्री सन्निपात का बुखार हो मुझे सोंपा गया हो, वैसे ही 14 जनवरी 1980 को इस देश की अर्थव्यवस्था मुझे मिली थी जिसमें 22.4 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति थी 2700 करोड़ रुपए का घाटा था, उद्योगों में 1.4 प्रतिशत नकारात्मक विकास दर थी ; और इन सब बातों के साथ मैं कहूंगा कि मुझे अर्थव्यवस्था के इस सन्निपात को कम करना था। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि उस बीमार व्यक्ति के सम्बन्ध में यदि आपने गत एक वर्ष के दौरान उसका औसत बुखार देखा होता तो यह 105 डिग्री से कम बैठता (एक माननीय सदस्य: यह बात विवादास्पद रहती) यह अर्थव्यवस्था है। मैं इस बात को ऐसी भाषा में आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसे आप समझते हैं। मैं इस बात में उलझूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का वक्तव्य इस बारे में दिया है। और जब अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई जिसमें यह अत्यन्त ही खराब स्थिति में थी उसे धीरे धीरे उस स्थिति से निकाल लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ··· सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जब मैं यह कहता हूं कि इसके स्तर को 22 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत के स्तर पर कर दिया गया है और अब इसे 10 प्रतिशत के स्तर पर कर दिया गया है निश्चय ही मैं बताता हूं कि इस देश के विकास और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लेकिन यदि आप यह कहें कि पिछले अपने बुखार और सन्निपात की तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त उत्तम था और इसलिए आपको इसकी तुलना इसकी उस अवधि से करनी चाहिये जबकि इसका स्वास्थ्य उत्तम था, तो मुझे इस बात का अफसोस है कि यह तुलना करना बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि जो अर्थव्यवस्था मुझे सौंपी गई थी उसमें किसी प्रकार की स्थिरता नहीं, की उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी और इसके

विपरीत यह हानिकारक परिणामों वाली थी। इसलिए, जब मैं यह कहता हूं कि इस अर्थ-व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और मुद्रास्फीति की दर नीचे लाई गई है तो इस पर बिल्कुल कोई विवाद नहीं हो सकता।

मुझे इस चर्चा में अपने मित्र श्री जार्ज फर्नाण्डीस से बेहतर योगदान की आशा थी। उन्होंने समाचार पत्रों से कुछ वाक्य और रिपोर्टें, जो संदर्भ से बाहर के थे, उठाई और उन पर ही हास्यास्पद चर्चा की। ठीक है, मैंने उनसे एक बात सीखी है। यहां इस चर्चा का उत्तर देने के पश्चात समाचार पत्रों में प्रकाशित उन वक्तव्यों की कतरनें लूंगा, जो इन विपक्षी सदस्यों ने संदर्भ से बाहर दिए है और जब ये सदस्य यहां उन बातों को कहते हैं तो मैं सिर्फ उनके वक्तव्यों को एक बार फिर से पढ़ता हूं लेकिन कुछ कहता नहीं। लेकिन यहां इस तरह बातें नहीं कहीं जानी चाहिए जो संदर्भ से बाहर हों। उन्होंने एक बात कही और उसे यहां भी उद्धृत किया कि मैंने एक टेलीविजन भेंट में यह कहा था कि मैं कीमतों को एक उचित स्तर से आगे नहीं जाने दूंगा। इसके विपरीत जब यू. एन. आई. के प्रतिनिधि ने मुझसे प्रश्न पूछा तो — आप मूल पाठ से इसकी पुष्टि कर सकते हैं — मैंने कहा :

> "मैं देश को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि मैं मूल्यों की वृद्धि को उचित स्तर से आगे नहीं जाने दूंगा। विश्व आर्थिक स्थिति के संदर्भ में मूल्य वृद्धि होना तो अनिवार्य है"

मुझे आशा है आप इन दोनों बातों के बीच अंतर समझते हैं। मैंने कहा, मूल्य वृद्धि अनिवार्य है, लेकिन मैं इसे उचित सीमा के अन्तर्गत रखने की कोशिश करूंगा। यह बात मैंने कही थी। महोदय- मुझे एक बात यह कहनी है कि इससे मुझे संतोष नहीं होता। यह कहने की दूसरी बात है जो आपने कही। श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने कहा : आपने कहा कि आप मूल्यों को उचित स्तर लाएंगे उचित स्तर क्या है ? और वह मजाक करते गए उचित स्तर क्या है ? 20 प्रतिशत, 18 प्रतिशत या 15 प्रतिशत ? भूखे राजा की पुरानी कहानी घंटो कहते जाते- एक दूसरी चिड़िया और अनाज का दूसरा दाना ले गई और इसी तरह। वैसे ही श्री फर्नान्डीस घंटों तक 20 प्रतिशत 18 प्रतिशत और 15 प्रशित कहते चले गये। अत: समन्वय का नितान्त अभाव है। मैं इसे विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी मानता हूं। यह बात इससे भी गम्भीर हो सकती है।

मैं उन आयोगों तथा उपायों के बारे में नहीं जा रहा जो उस समय कार्य कर रहे थे। मैं निष्कर्ष में श्री वेंकटरामन को कम से कम जिन्होंने सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिससे सारा देश चिन्तित है और हमें इस वाद-विवाद के दौरान इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं पहले बताया था कि माननीय मंत्री जी को 7 बजे बुलाया जायेगा। संसदीय कार्य मन्त्री ने अपने दल के सभी सदस्यों के नाम वापस ले लिए हैं। एक-दो नाम और शेष रह गए हैं किन्तु अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा।

श्री चित्त बसु : हमारे ग्रुप का क्या रहेगा। आपको पहले सख्ती से काम लेना चाहिए था। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं सभी तीनों मुद्दों पर विचार हो चुका है। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को ज्यादा समय दिया था जिससे कि वे इन सभी मुद्दों को स्पष्ट कर सकें। अब मैं समझता हूं कि पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। और समय देना मात्र इस बात की पुनरावृत्ति होगी। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

श्री आर. वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न वक्ताओं द्वारा साढ़े तीन घंटों के दौरान उठाए सभी सभी मुद्दों का आधे घंटे में उत्तर देना सम्भव नहीं है। अतः यदि मैं केवल मुख्य पहलुओं को, जिन्हें उठाया गया है स्पष्ट करता हूं तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे को शामिल नहीं कर पाता तो माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसके प्रति इसे मेरा अनुरोध है कि वे इसे भेदभाव न मानें, किन्तु ऐसे केवल समय की कमी के कारण ही किया जा रहा है।

महोदय, इस वाद-विवाद का उत्तर देना अर्थशास्त्र की अपेक्षा वाद कला से दिये जाने से सरल हो गया है अतः मैं उन्हीं मुद्दों का उत्तर दूंगा जो सम्बद्ध हैं तथा जिन्हें उठाया गया है। सबसे पहले मैंने कहा था और मैं अपने वक्तव्य पर अटल हूं कि देश में मुद्रा स्फीति की दर में कमी की गई है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। मुद्रा स्फीति की दर जो वर्ष 1979-80 में 22.2 % थी को कम करके 14.8% किया गया है और इसके बाद 10.4% पर लाया गया है।

मेरे कुछ मित्रों, विशेषकर मेरे माननीय मित्र श्री शतीश अग्रवाल ने औसत का उल्लेख किया है और कहा है कि आपकी अवधि का औसत मेरी अवधि अथवा अन्य किसी अवधि से ज्यादा है उनके द्वारा बताया गया औसत किसी नदी की गहराई के औसत के समान है।

महोदय, मुझे खेद है कि मैं ऐसी चीजों से मतलब नहीं रख सकता।

आगे उन्होंने कहा कि इंदिरागांधी ही एक मात्र नेता है और आपकी पार्टी ही एक मात्र पार्टी है। हां, महोदय, हाल ही में सारे उत्तर भारत में हुए उप-चुनावों में सारे विपक्षी दलों ने मिलकर जो आलोचना वे इस समय कर रहे हैं ऐसी ही आलोचनाएं की थी — मूल्य बढ़ गए हैं, हर बात गलत हो रही है, देश बर्बाद हो गया है—क्या मैं पूछ सकता हूं इसका नतीजा उन्हें क्या मिला ? उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। लोगों ने हमारी पार्टी की आलोचना को नामंजूर कर दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां तक।

श्री आर० वेंकटरामन : हां, और हर बार ऐसा ही होगा।

महोदय, अब मैं विश्व की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करूंगा, हम एकाकी नहीं रह सकते हमें अनेक चीजों का आयात करना पड़ता है। हमारा आयात 13,000-करोड़ रुपये का है। यूरोपीय देशों से मशीनों का आयात उन देशों में मुद्रास्फीति के कारण मंहगा पड़ता है जिसके कारण हमारे यहां भी मुद्रास्फीति होती है। हम लगभग 45000 करोड़ रुपये के तेल का आयात करते हैं जब हम यह सामान मंगाते हैं तो केवल सामान ही हमारे यहां नहीं आता बल्कि सामान के साथ मुद्रास्फीति भी हमारे पास आती है। इसी तरह जब हम निर्माण के लिये पूंजीगत माल का आयात करते हैं तो पूंजीगत माल में जितनी मुद्रास्फीति होती है हमें उसका भी आयात करना पड़ता है। जिसके कारण पूंजीगत माल से तैयार की गई वस्तुओं के माध्यम से इसका विनिमय होता है।

अब, संसार की स्थिति को लें; मैं विकसित देशों से तुलना नहीं करूंगा, मैं बिना तेल वाले विकासशील देशों से, जो हमारी ही तरह हैं, उनसे तुलना करूंगा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संसार की अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसा दृष्टिकोण है, कम से कम डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को इसे जरूर पढ़ना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन इस रिपोर्ट को मैं उनसे लेकर पढ़ूंगा न कि आप से।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने इसे आपको देने से मना किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे मालूम है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह विवरण सार्वजनिक दस्तावेज है, 1980 में चीन को छोड़ कर ऐशिया में मुद्रास्फीति की दर 16.2% थी, मध्य पूर्व में यह दर 44.4% थी, लातानी अमेरिकी देशों (पश्चिमी गोलार्द्ध) में यह दर 16.2% थी, कम आय वाले देशों में जिनमें कि भारत भी आता है, चीन को छोड़कर यह दर 15.9% थी और भारत में यह दर सबसे कम 11.4% थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या आप आमदनी के बारे में भी पढ़ेंगे, खास कर मध्य पूर्व में प्रति व्यक्ति की आमदनी में किस दर से वृद्धि हुई ?

श्री आर० वेंकटरामन : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी स्वयं को अर्थशास्त्री मानते हैं मुद्रास्फीति का प्रति व्यक्ति की आमदनी से क्या मतलब है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, प्रति व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि।

श्री आर० वेंकटरामन : इनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं हैं, यदि आप अर्थशास्त्री हैं तो आप मुझे प्रति व्यक्ति आय और मुद्रास्फीति के बीच का सम्बन्ध समझाऐं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि के बारे में बात कर रहा हूं, वहां प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि दर बहुत अधिक है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप पहिले किताब पढ़ के आएं ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैंने किताब पड़ी है ।

श्री आर० वेंकटरामन : आप भूल गये होंगे, आप अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं इसलिए जरूर भूल गए होंगे, आप पहिले अपनी याददास्त तरोताजा कर लें उसके बाद यहां आएं ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने कहा था कि उन देशों में यहां की अपेक्षा आय में वृद्धि दर बहुत अधिक है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मुद्रास्फीति से सीधे तौर पर यह कहां तक जुड़ी है । इस सबको आपको समझाने में मुझे कम से कम आधा घन्टा लगेगा ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं शिक्षा से परे हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : यह आप सही कह रहे हैं ।

अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा । मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बहस में हमेशा गम्भीर और महत्वपूर्ण योगदान रहता है । मैं उनकी बात को हमेशा सम्मान से सुनता हूं भले ही डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी से मैं मजाक कर लेता हूं, मैं अर्थशास्त्र विषय के बारे में उनकी जानकारी का कायल हूं ।

बजट के घाटे के बारे में उन्होंने जो उल्लेख किया है वह गलत है । मैंने बजट के दौरान यह कहा था कि धारक बान्डों से 1,000 करोड़ वसूल होने का अनुमान है जिसमें से 2,00 करोड़ रुपये 1980-81 के दौरान तथा 800 करोड़ रुपये 1981-82 के दौरान उपलब्ध हो सकेंगे । वर्ष 1981-82 के दौरान 80 करोड़ रुपये जमा हुए और 120 करोड़ की कमी हुई । इस राशि को 1375 करोड़ रुपये के घाटे में जोड़ा गया है जो कि मेरे पूर्व वर्त्ती श्री चरण सिंह के बजट में दिखाये गए घाटे से बहुत कम है और मैंने यह भी कहा मेरे बाद आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता ।

अब आप 1981-82 में आइये इस वर्ष इस 800 करोड़ रुपए में से हमें 300 करोड़ रुपए मिले । यद्यपि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है फिर भी हमें 300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई । जिसके फलस्वरूप हमारा घाटा केवल 500 करोड़ रुपए रह गया है । और यह घाटा केवल आज की तारीख तक ही नहीं है । यह 31 मार्च 1982 तक के समय तक का है । इसलिए अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैंने एकदम घाटे का बजट तैयार किया है और मेरे आय श्रोत एकदम बेतुके हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि यह सही नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें उम्मीद है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह सही होगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : आप तो यह आशा लगाये बैठे हैं कि मैं असफल हो जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं 3,000 करोड़ या 4000 करोड़ घाटा करवाऊंगा। और डा० स्वामी उछल रहे थे। अन्ततः मैं धारक बाण्डों के घाटे के बावजूद केवल 1700 करोड़ रुपए का घाटा दिखाने में सफल रहा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो घाटा मैंने बजट में दिखाया है संशोधित इस्टीमेट में, जिसको अन्य सालों की ही तरह मैंने ही तैयार करना है और अधिक घाटा नहीं होगा, मैं दूसरे लोगों से होड़ नहीं करता।

इसलिए अब हमें 500 करोड़ रुपए का घाटा वहन करना पड़ेगा, कह कर श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो हव्वा खड़ा किया है वह मिथ्या है, क्योंकि यह एक ऐसी राशि है जो साल के आगामी महीनों में आती। कुछ ऐसे कारक भी है जो इस घाटे का पूरा करेंगे।

मैं आप लोगों को एक और अच्छी खबर देना चाहता हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों से राजस्व की वसूली बहुत अच्छी तरह हुई है। यदि वसूली इसी प्रकार जारी रही तो यह 500 करोड़ रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता।

श्री सतीश अग्रवाल : इसका श्रेय चौधरी चरण सिंह को देना चाहिए। उन्होंने उत्पादन शुल्क बढ़ाया था।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने इसमें कमी की है। श्री अग्रवाल की स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मैंने अपने 1980-81 के बजट में अनेक उत्पादन शुल्कों में कमी की है। मैंने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। मुझे यह मालूम है कि आप सब लोगों की मंशा है कि यह सरकार असफल हो और आप चाहते है कि मैं भी इसमें आपके साथ योगदान दूं। इस बारे में आप सफल नहीं हो सकते। (व्यवधान)।

अब मैं और अधिक गम्भीरता से इस मामले में बहस करूंगा आखिर अब 8 बज गए हैं।

मैं उन मुद्दों से निपटाना चाहता हूं। उनका जो दूसरा प्रश्न है वह रुग्ण एककों के बारे में है। मेरे विचार से सभी रुग्ण एककों का अधिग्रहण करना एक गल्ती थी जिस कारण आज हम बड़ी परेशानी में हैं। वास्तव में, मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार का समाजवाद है कि जहां निजी क्षेत्र यदि लाभ कमाता है तो वह उसे अपने घर ले जाता है और यदि उसे हानि होती है तो सरकार से उसका अधिग्रहण करना चाहिए। रुग्ण एककों का यही सिद्धांत है। वास्तव में, अब सरकार रुग्ण एककों के बारे में नयी नीति तैयार करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का प्रश्न है, वह नीति पर पुर्नविचार कर रही है और वह सही निर्णय लेगी ताकि किसी और की गलतियों और गलत कामों से देश पर बोझ न पड़े।

उसके बाद उन्होंने मंहगाई भत्ता न रोकने के लिए बहुत सशक्त तर्क दिया और मुझसे पूछा कि लाभांश को रोकने के लिए विचार किया गया है। मैं उन्हें या सदन को विश्वास में नहीं

ले सकता। इस समय मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम उन व्यक्तियों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिनका इनसे सीधा सम्बन्ध है और यह चर्चा अभी जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के बारे में अपने वक्तव्य में मैंने जो सूचना दी है उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अनेक अटकल बाजियां लगायी जा रही हैं। अनेक लोग इस बारे में लिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने सदन में कहा है कि परम्परानुसार न तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और न ही मैं शर्तों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, तब मैं दूसरा वक्तव्य दूंगा। जैसाकि सत्र शुरू होने के दिन मैंने किया था। यह कहना सही नहीं है। कि काम के बदले अनाज योजना को छोड़ दिया है, इसके विपरीत इसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू किया गया है; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम से अधिक सघन कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पदेत्तरी अपेक्षा न केवल काम के बदले अधिक अनाज दिया जाता है बल्कि यह एक ऐसा उत्पादन है जिससे आप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपयोगी उपादान जोड़ सकते हैं। 1981-82 के बजट में इसके लिए 360 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अर्थात केन्द्र ने 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है; यह सोचते हुए कि राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सा लगायेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : इसमें 180 करोड़ की व्यवस्था राज्यों ने करनी है और 180 करोड़ की व्यवस्था केन्द्र ने की है। राज्य इससे सहमत हैं और इसी आधार पर यह आवंटन किया गया है तथा हम इसी योजना के एक अंग के रूप के इस काम के लिए 5 लाख टन अनाज दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सम्पत्ति का कम मूल्यांकन करने का उल्लेख किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त को मालूम है कि कम आंकी गयी कुछ सम्पत्ति को हमने ले लेने की कोशिश की है। लेकिन अनेक कानूनी अड़चनें है और उनमें से कई मामले न्यायालयों में रुके पड़े हैं; कम्पनियों और सहकारिताओं की सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने में भी कई कठिनाइयां हैं इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम इस कानून को लाये; मुझे पूरी उम्मीद है कि काले धन के लेन-देन से निबटने में हमें सहयोग मिलेगा और हम इस कानून को लागू कर सकेंगे। यदि विभिन्न न्यायालयों, ट्रिब्यूनलों, और अनेक अन्य संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों को देश के सामाजिक अधिकारों से अधिक वरीयता दी जाती है तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे, तब हमारे पास संविधान का अनुपालन ही एक मात्र चारा रह जाता है और इसके अन्तर्गत जो भी परिणाम निकलेंगे उन्हें सभी को भुगतना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप विदेशी व्यापारिक बैंकों से उधार लेने की योजना के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : हम वाणिज्य बैंकों से कितना उधार लेंगे इस बारे में पहले से कोई योजना नहीं बनाते। जब भी ऐसा मौका है तभी हम योजना बनाते हैं। पिछले साल अल्यूमीनियम संयंत्र के लिए हमें उधार लेना पड़ा और इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गए और

हमने 85 करोड़ डालर उधार लिए। यदि ऐसी योजनाएं लाभकारी होती हैं। और यदि यह आवश्यक हुआ तो ऐसी स्थिति में विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कितना उधार लेना है और कहां से उधार लेना है। बजट की तरह हम पहले से ही यह तय नहीं करते हैं कि इस साल या किसी और साल में हमें कितना उधार लेना है। बाजार से उधार लेने पर हमें उधार नहीं मिलेगा अथवा बाजार से, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमें उधार मिल जायेगा यह उस धन राशि पर निर्भर करता है जो हमें आई०डी०ए० कार्यक्रम, ए०आई०डी० कार्यक्रम या विश्ववैंक और अन्य कई संस्थाओं से मिलती है और मैंने पहले ही कहा है हमने इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है जिसे हमें प्राप्त करना है।

अब मैं श्री सतीश अग्रवाल के मुद्दे पर बात करूंगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कब तक ऐसी चालाकी करते रहेंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : कब तक ? जब तक मैं आप जैसे लोगों को गुमराह कर सकूंगा।

मैं उनसे सहमत हूं, जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो वास्तविक खर्च घट जाता है ; हर आदमी जानता है कि यह बात सही है, हमने हमेशा प्रयास किया है कि परियोजनाएं उचित ढंग से तैयार की जायें ; उनका उचित ढंग से कीमत लगयी जाय और अग्रिम मूल्य वृद्धि के कारण उनके कार्यान्वयन में विलम्ब न हो, मैं ऐसे कई मामले जानता हूं, ऐसे सभी मामलों में मैं भी योजना आयोग का सदस्य रहा। हमारे बस के बाहर के अनेक कारणों से इन में से कुछ योजनाऐं बहुत खर्चीली बैठी और कभी-कभी मूल्यों में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से होती है मुख्य तथा ऐसा हमारी कमियों से होता है। श्री सतीश अग्रवाल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि केवल परियोजना के व्यय का ही सही आकलन नहीं किया जाता बल्कि उनकी अवधि, परियोजना का निर्माण काल तथा ऐसी प्रत्येक बात को देखा जाता है कि मूल्यों में वृद्धि न हो ... पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा हर प्रकार के प्रयास किये जाते हैं। इस मामले में मैं यह सावधानी बरतूंगा और इस मामले में मूल्य वृद्धि न हो इसके लिए हम हर सुझाव पहलू को देखेंगे।

उसके बाद उन्होंने, पूछा है कि मैं हमेशा तुलना के लिए 1979-80 का ही वर्ष क्यों चुनता हूं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य हमारे सत्ता में आने से पहिले यही साल था। हम किसी चीज से अपनी तुलना कैसे करते हैं ? आप अपनी तुलना उसी से करेंगे जो आपके सत्ता में आने से पूर्व सत्ता में था। हमारे सत्ता में आने से पूर्व 1979-80 का ही वर्ष था इसलिए हमें इसी से तुलना करनी होगी और हम कहेंगे कि उस साल ऐसा हुआ और अब हमने इसमें इस प्रकार सुधार किया है।

एक माननीय सदस्य : जब वे लेते हैं तो पूर्ववर्ती वर्ष लेते हैं आलोचना (व्यवधान)।

श्री आर. वेंकटरामन : उन्होंने भी यही किया (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं, कई साल मन्त्री रहा हूं और मंत्री के तौर पर मैंने एक बात सीखी है कि एक मंत्री को हमेशा आलोचना का

उत्तर देना चाहिए, मन्त्री को ओरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए मैंने कभी ओरों की आलोचना नहीं करनी चाही कभी-कभी श्री स्वामी से मजाक कर लेना दूसरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी ऐसा चाहते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन अनेक चर्चाओं में आपने देखा होगा।

अब प्रश्न यह है कि तुलना के लिए मैंने किसी खास वर्ष को चुनना है और मैं उसी वर्ष को मुझे चुनना भी चाहिए जो हमारे सत्ता में आने से तुरन्त पहिले का साल रहा हो यही समय मैंने चुना भी है।

अब श्री सतीश अग्रवाल ने एक बहुत अहम प्रश्न उठाया है कि रुपये का मूल्य गिर गया है। 'रुपये का मूल्य" सामान्य तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना के तौर में कियाजाता है लेकिन यह हम "क्रय शक्ति" के बारें में उल्लेख करेंगे। "क्रय शक्ति तो जीवन यापन सूचकांक में वृद्धि का आइना है। यदि जीवन यापन सूचकांक के मूल्य बढ़ते हैं तो आप इसका विभाजन कीजिए ; यह तो केवल गणितीय गणना है। रुपये का अन्य वस्तुओं से सम्बन्ध के आधार पर रुपये मूल्य में तुरन्त गिरावट नहीं आती है, यह केवल जीवन यापन के मूल्यों की वृद्धि के संदर्भ में आंका जाता है या तो आप ऐसा कहें कि जीवन यापन के मूल्य 300 से बढ़कर 400 हो गए हैं या ऐसा कहें कि क्रय शक्ति 35 से घटकर 30 हो गयी है, ऐसा इस मामले में कुछ नहीं हुआ है जिससे अर्थ तंत्र कमजोर हुआ हो। बहुत समय से दामों में वृद्धि की प्रवृति हो रही है मुझे ऐसे किसी देश के बारे में जानकारी नहीं है जहां कीमतें न बढ़ रही हों केवल प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तीस्त के दिनों में जब संसार में मंदी आयी थी मूल्य कम हुए थे। यह कहना कि रुपये का मूल्य कम आँका गया है या इसका अवमूल्यन किया गया हैं या रुपये का मूल्य कम हो गया है, ऐसा कहने से सरकार की नीतियां परिलक्षित नहीं होती और न इससे सरकार का काम ही आंका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ गया है। मैंने स्वयं इसका उल्लेख किया। जब यह चर्चा शुरू हुयी मैंने इसका उल्लेख किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक ऐसी है जो कुछ समय बाद दिखायी देती है। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच कुछ समय का अन्तर रहता है। मैं इस तथ्य को स्वीकारता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि यह नहीं बढ़ रहा हैं। 14 जनवरी 1980 मैं यह कोशिश कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मैं मुद्रास्फीति की दर को कम करूंगा ; मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं मूल्यों में कमी लाऊंगा। कोई भी आदमी मुझे ऐसा कहते हुए उद्धृत नहीं करेगा।

श्री चित्त बसु : तब यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि कीमतें बढ़ेंगी।

श्री आर० वेंकटरामन : आप इसे पसन्द करें या नहीं, आप भारत में या टिम्बकटू कहीं भी जायें आप देखेंगे कि कीमतें बढ़ रही हैं। मैं एक विशेषता बताता हूं जो इस प्रकार है—

पूर्णरूप से नियमित अर्थव्यवस्था में जहां आपूर्ति पर नियंत्रण सम्भव है, जहां उत्पादन पर नियन्त्रण सम्भव है और जहां मूल्यों पर नियंत्रण सम्भव है वहीं यह सम्भव है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है। इसलिए यह सम्भव नहीं है।

उन्होंने ऐशियाई खेलों का कुछ उल्लेख किया यदि वे कुछ और सूचना चाहते हैं तो वह दी जा सकती है। अब मैं श्री मैत्रा की बात पर चर्चा करूंगा। मैं उनकी मुख्य-मुख्य बातों पर ही चर्चा करूंगा उन्होंने कहा कि मूल्य सूचकांक बढ़ गए हैं। इसका उत्तर दे दिया गया है, उन्होंने कहा कि कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ने के बावजूद मूल्य सूचकांक बढ़ गए हैं। उत्पादन बढ़ा है इसीलिए मूल्यों में कम वृद्धि हुई है यदि उत्पादन न बढ़ता तो मूल्यों में और वृद्धि होती। इसीलिए मैंने कहा कि रुख अच्छा है। वर्ष 1981-82 के पहिले तिमाही में उत्पादन बढ़ा है और मैंने यह भी कहा कि सरकारी क्षेत्र पहिले की अपेक्षा अपनी क्षमताओं का और अधिक विस्तार कर रहा है। 1979-80 के दौरान बिजली, यातायात, कोयला और अन्य आधार ढाँचे पर अधिक दबाव के कारण सरकारी क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हो पायी।

जैसा कि मैंने कहा है 1981-82 के पहले तीन महीनों में सरकारी क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है; मैंने कुछ समय पूर्व सदन में एक प्रश्न के उत्तर में आंकड़े दिये हैं कि कुल उत्पादन में कुल लाभ की दर 8% हो गयी है। आपको देखना है कि यह रुख साल भर जारी रहता है या नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लक्ष्य के अनुसार हम उत्पादन नहीं कर पाये। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमने लक्ष्य से अधिक का उत्पादन भी किया है। इसलिए यदि हम औसतन दृष्टिकोण से इसे लें तो यह बहुत अनुकूल रुख है। माननीय सदस्यों को मैं अवगत करना चाहता हूं कि इस मामले में सराहनीय प्रगति हुई है यह बहुत आशाजनक और उत्साहवर्धक है।

उन्होंने धारक बाण्डों के बारे में कहा है कि इससे घाटा होगा। मैंने इस मुद्दे का उत्तर दे दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि कृषि सम्बन्धी क्षेत्र के व्यापार में कमी आयी है, इसके विपरीत यह 8 अगस्त का सूचकांक है, खाद्यान्नों में पिछले साल की तुलना में + 15 प्रतिशत का अन्तर आया है, सर्वांगीण तौर पर कृषि पदार्थों में इसका प्रतिशत 17.1 है जबकि निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में यह केवल +4 प्रतिशत है इसका सारा श्रेय मेरे अभिन्न वृद्ध सहयोगी को जो सरकार में रहकर कृषि के हितों की सुरक्षा करते हैं, खास कर कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक हुई है; इन मदों के व्यापार की शर्तों के सम्बन्ध में यह बहुत सराहनीय बात है। मुझे उम्मीद है यह जानकर डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को खुशी होगी भले उनका गलत साबित होना उनके लिए हतोत्साहजनक हो।

श्री मैत्रा जानना चाहते थे कि खाद्य तेल आयात करने तथा 150 और 200 प्रतिशत कर लगाने के पीछे क्या तर्क है। इस सदन और देश के प्रति मेरा एक कर्तव्य था; मेरा विश्वास है, जब मैंने विधेयक विचार करने के लिए रखा तो अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री मैत्रा

का यह कहना-- कि सरकार ने आयात के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति दी है, गलत है। वास्तव में सरकार ने खाद्य तेल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करना चाहा था। लेकिन कुछ निजी क्षेत्र वालों ने कहा कि सारणीकरण आदेश से पारित होने से पहले उनके बीच एक समझौता हो चुका है इस आधार पर वे आयात कर सकते हैं। हमने इसका विरोध करना चाहा। लेकिन कुछ आदेश ऐसे आये जिनके कारण निजी क्षेत्र को आयात करने दिया गया। इन खाद्य तेलों की लागत बीमा और भाड़ा मूल्य, लगभग 4,000/- रुपये के विरुद्ध 7000/- रुपया थी चाहे वह नारियल का तेल था या मूंगफली का तेल यदि मैंने इस पर 150 प्रतिशत कर नहीं लगाया होता तो निजी क्षेत्र ने अन्धेर कर दिया होता और वे सारा मुनाफा ले लिये होते। मेरा अध्यादेश जारी करने के पीछे यह कारण था कि मैं निर्धारित सीमा के अंदर सीमा शुल्क केवल 40% ही बढ़ा सकता था। इसलिए हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा ताकि हम सीमा शुल्क पर 220 प्रतिशत तक लेवी बढ़ा सकें। उसके बाद हमने एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत हमने 150 प्रतिशत कर रखा। जब श्री मैत्रा कहते हैं कि हमें लेवी कर नहीं बढ़ाने चाहिए; मुझे आशंका है कि लोग इसका गलत अर्थ लगायेंगे। वे सोचने लगेंगे कि श्री मैत्रा निजी क्षेत्र की पैरवी कर रहे हैं भले ही उनका इरादा ऐसा नहीं है।

दूसरा सवाल है कि क्या 150 प्रतिशत कर लगाने से खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ेंगी, मैं कहता हूं— नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए तेल में केवल 5 प्रतिशत का आयात कर लगाया गया है। सरकार इसका आयात करके उचित दामों में इसे बेच रही है। इसलिए दाम नहीं बढ़ेंगे। माननीय सदस्यो को मालूम है कि हाल ही में हमने बम्बई और अन्य अनेक स्थानों में तेल के इन व्यापारियों को पकड़ा है जिसके फलस्वरूप दामों में गिरावट आयी है और आज कल खाद्य तेलों के दाम 16 रु० प्रति किलो से घट कर 14 रु० और 13 रु० प्रति किलोग्राम तक हो गये हैं। ये आंकड़े हमें मिले हैं। इसलिए यह नीति केवल जायज ही नहीं है अपितु इससे हमें लाभ भी हुआ है।

अन्त में श्री मैत्रा ने कहा कि बैंक ऋण बढ़ गया है। हाँ, यह बढ़ गया है क्योंकि हम योजनाओं में अधिक खर्च कर रहे हैं। इससे पहले की छोटी योजना के विपरीत इस वर्ष हमारी योजना में 97500 करोड़ का खर्च निर्धारित किया गया है। इसलिए हमारा लक्ष्य बड़ा है। उन्होंने एक गल्ती की। उन्होंने सोचा कि 5,400 करोड़ रु० के बैंक ऋण के अतिरिक्त 1,975 करोड़ रु० हैं। पर ऐसा नही है। 5,400 करोड़ रुपये के अन्तर्गत ही 1,975 करोड़ रुपये भी है। इसलिए यह वास्तव में गलत है। लेकिन यह केवल सूचना सम्बन्धी संशोधन है। लेकिन मैं यहां पर यह अवगत करा देना चाहता हूं कि योजना के आकार और इसके अन्तर्गत अनेक मदों के शामिल हो जाने के कारण, हमें बैंक ऋण बढ़ाने पड़े। जब इस योजना से परिणाम और प्रतिफल आने लगेंगे धीरे-धीरे यह कम हो जायेगा। स्थिति ऐसी है।

मैं अब और अधिक समय नहीं लूंगा। अपने विचार से मैं सभी मुद्दों पर चर्चा कर चुका हूं यदि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी सन्तुष्ट हो गए हों, तो मैं बैठ सकता हूं। यदि वे सहमत न हों तो मैं नहीं बैठूंगा।

अन्त में सदन ने मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभारी हूं, मैंने प्रत्येक मुद्दे को लिया है। मैं सावधानीपूर्वक उन पर विचार करूंगा और उसमें जो भी लागू हो सकता है मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से उस पर काम करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिस्थापन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। अब मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रति स्थापन प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

(प्रतिस्थापितप्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस के प्रतिस्थापन प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

(प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में श्री सत्यनारायण जाटिया के प्रतिस्थापन प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

(प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए प्रतिस्थापन प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

(प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि के प्रतिस्थापन प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

(प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन कल उपराह्न 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होता है।

8.15 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 4 सितम्बर, 1981/13 भाद्र 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।